राजभाषा भारती

जनवरी 1990

राजभाषा भारती

9. मंचासीन (बाएं से) श्री आर. श्रीनिवासन, सचिव, राज्य मंत्री श्री रशीद मसूद, संयुक्त सचिव श्री बलबीर सिंह, निदेशक (राजभाषा) श्री जगदीश प्रसाद गुप्त (पृष्ठ 31)

20. नई दिल्ली : उप राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा से इंदिरा गांधी राजभाषा वैजयन्ती ग्रहण करते हुए खान विभाग के सचिव । (पृष्ठ 36)

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 13 आषाढ़—आश्विन 1912 शक
अंक : 50 जुलाई-सितम्बर 1990

संपादक

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त दी. लिट.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

☐

उप-संपादक

डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11 वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

संपादकीय
पाठकों के पत्र

☐ चिंतन

1. राजभाषा के रूप में हिंदी : वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य — चंद्रकांत त्रिपाठी 'चंद्रेश' 4
2. हम हिंदी क्यों अपनाएं ? — सत्येन्द्र सिंह आर्य, 6
3. भाषा शिक्षण में मौखिक परीक्षण — राम प्रकाश मेंहदीरत्ता 7
4. राजभाषा हिंदी को तमिल और बंगाली का योगदान — डॉ. प्रभाकर माचवे 8
5. चलचित्रों में हिंदी — विनोद तिवारी 9
6. मणिपुर की स्वैच्छिक संस्थाएं और राष्ट्रभाषा — डॉ. जगमल सिंह 13
7. बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका — नारायण सिंह खन्ना 15
8. हिंदी के प्रचार-प्रसार में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग — डॉ. ओम विकास 19

☐ साहित्यिकी

9. पंजाबी भाषी और हिंदी लेखन : वाक्य संरचना के संदर्भ में — डॉ. शशि मित्तल 23

☐ पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में

10. भारत के संविधान में सामासिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं — डॉ. मोटूरि सत्यनारायण 27

☐ विश्व हिंदी दर्शन

भारतीय राजदूतावास, थिम्पू (भूटान) में हिंदी कार्यशाला 30

☐ समिति समाचार

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें 31
1. रक्षा विभाग 2. गृह मंत्रालय
(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 36
1. खान विभाग 2. गृह मंत्रालय
(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 38
(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 60
1. इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (पाइपलाइन एवं रिफाइनरी विभाग) नई दिल्ली

2. कृषक भारती को-आपरेटिव लि. नई दिल्ली
3. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4. इंजीनियर्स इंडिया लि. नई दिल्ली
5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद
6. बोकारो इस्पात संयंत्र

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां 67

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन (समस्याएं और समाधान)
2. सभी भारतीय भाषाओं के लिए सम्पर्क लिपि
3. इलेक्ट्रानिकी और समाज
4. अतिचालिकता : एक मूल्यांकन
5. इस्को : अयस्क खान में हिंदी में तकनीकी लेखन
6. सैन्य प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग
7. जयपुर में भारतीय भाषा संगोष्ठी
8. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
9. पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन
10. बैंक आफ बड़ौदा : हिंदी सम्पर्क अधिकारियों की बैठक
11. करनाल में केनरा बैंक का हिंदी प्रतिनिधि सम्मेलन

☐ हिंदी के बढ़ते चरण 83

1. प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी में वृद्धि होगी (साक्षात्कार)
2. खान विभाग में हिंदी का प्रगामी प्रयोग
3. सिंडीकेट बैंक : मैसूर मण्डल में राजभाषा कार्यान्वयन
4. आंध्र बैंक, बेंगलूर में हिंदी की प्रगति
5. बैंकों में हिंदी में कामकाज बढ़ाने के लिए सघन प्रयास
6. इस्को लि. कलकत्ता में राजभाषा कार्यान्वयन
7. क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज, केनरा बैंक, आगरा में राजभाषा कार्यान्वयन उपलब्धियां
8. भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर में राजभाषा कार्यान्वयन, वर्ष—1989
9. रक्षा लेखा नियंत्रक, जम्मू : हिंदी की झलक
10. आयकर प्रभार, जालंधर में हिंदी प्रयोग के बढ़त चरण
11. आकाशवाणी, बीकानेर में हिंदी प्रयोग

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 97

☐ हिंदी कार्यशालाएं 102

☐ विविधा 106

O केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
O केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
O प्रेरणा पुंज
O परीक्षाएं/प्रशिक्षण और हिंदी माध्यम
O राजभाषा प्रोत्साहन /पुरस्कार
O समाचार दर्शन
O पुस्तक समीक्षा

☐ आदेश-अनुदेश 125

संपादकीय

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन हो रहे नए-नए अनुसंधानों और प्रगति का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिये उनकी अधिकतम और नवीनतम जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराने के प्रयास करना जरूरी है।

राजभाषा विभाग ने 10 मई, 1988* के कार्यालय ज्ञापन में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/आयोगों और बैंकों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की संगोष्ठियों/परिचर्चाओं, सम्मेलनों आदि में न केवल राजभाषा हिंदी में शोध-पत्र आदि पढ़ने की छूट देने का प्रावधान किया है, बल्कि वैज्ञानिकों/तकनीशियनों और अन्य कार्मिकों को हिंदी में पेपर पढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिये भी कहा था। उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान भी किया गया है कि जिन संगोष्ठियों आदि में हिंदी में शोध-पत्र पढ़ा जाये उनमें हिंदी-अंग्रेजी दुभाषिये की व्यवस्था की जाये। यह भी कहा गया है कि केवल हिंदी माध्यम से संगोष्ठियां आयोजित करने के प्रयत्न किये जायें।

वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पेपर छापने के लिए या तो आग निकलने वाली पत्रिकाओं में ही उन्हें छापने के प्रबन्ध करें या उनके लिये अलग से वैज्ञानिक पत्रिका निकालें। दिनांक 21-12-88 को पुनः कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता के लिये और नई-नई तकनीकों को जनमानस तक पहुंचाने के लिये नितान्त आवश्यक है कि सेमिनारों, परिचर्चाओं आदि में पढ़े जाने वाले शोध-पत्र हिंदी में भी पढ़ जायें। इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि ऐसे वैज्ञानिकों/इंजीनियरों और तकनीशियनों आदि का पता लगाया जाये जो हिंदी में शोध-पत्र तैयार करें और विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों में उन्हें पढ़ें तथा परिचर्चाओं में भाग लें।

राजभाषा विभाग की ओर से अनुसंधानशालाओं, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य में अग्रणी संस्थानों आदि के वैज्ञानिकों को हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी मौलिक लेखन का अभ्यास कराने के लिए कार्यशालाओं की बृहत योजना है। ऐसे आयोजनों के लिये राजभाषा विभाग की ओर से भरपूर सहयोग और आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान † है। इसका लाभ उठाकर अनुसंधानशालाओं और संस्थानों के वैज्ञानिक संविधान की धारा 351 में किये गये प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिंदी के विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग दे सकेंगे।

---

* देखिए——'आदेश-अनुदेश', पृ०— † देखिए, वही, पृ०—

अनेक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं ने हिंदी माध्यम से संगोष्ठियां आयोजित की हैं। इलैक्ट्रानिकी विभाग ने "इलेक्ट्रानिकी और समाज," भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ने "अतिचालकता : एक मूल्यांकन", इस्को कलकत्ता द्वारा 'अयस्क खान में हिंदी में तकनीकी लेखन', रक्षा विभाग ने 'सैन्य प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग' आदि विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की हैं। इनके विवरण प्रस्तुत अंक के 'राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां' स्तम्भ में सम्मिलित हैं।

पत्रिका के 'चिंतन' स्तंभ में राजभाषा के विभिन्न पक्षों पर नौ लेख दिए जा रहे हैं। 'पुरानी यादें, नए परिप्रेक्ष्य में' संविधान निर्मातृ सभा के सदस्य तथा तेलुगू विश्व ज्ञानकोश के संपादक डा. मोटूरि सत्यनारायण का "भारत के संविधान में सामासिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं" विषयक एक संग्रहणीय ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल है। डा. प्रभाकर माचवे, डा. ओम विकास, श्री विनोद तिवारी, डा. जगमल सिंह, श्री नारायण सिंह खन्ना आदि के लेख विशेष रूप से पठनीय हैं।

'समिति समाचार', 'हिंदी के बढ़ते चरण', 'हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह', 'हिंदी कार्यशालाएं' और 'आदेश—अनुदेश' स्तम्भों में पूर्ववत् सामग्री दी गई है। "विविधा" स्तम्भ के अन्तर्गत भर्ती परीक्षाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम के विकल्प की जानकारी देने के लिएं "परीक्षाएं/प्रशिक्षण और हिंदी माध्यम" स्तम्भ शुरू किया गया है।

पाठकों से अनुरोध है कि राजभाषा भारती के बारे में अपनी राय/प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

आपके संपादकत्व में प्रकाशित "राजभाषा भारती" देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच, यह पत्रिका हिंदी के विकास-सम्बन्धी तथा प्रचार-प्रसार विषयक एक उपयुक्त मंच तथा सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और संगठनों आदि की हिंदी कार्यान्वयन संबंधी जानकारी मिलती है।

—अ.कु. बक्शी, सचिव, भारतीय बैंक संघ, स्टेडियम हाऊस, छठी मंजिल, खण्ड-3 वीर नरीमन मार्ग, बम्बई-400020

□

राजभाषा भारती पत्रिका का 47वां अंक प्राप्त हुआ। मुखपृष्ठ भाषाई एकता की बहतरीन मिसाल है। संकलित उत्कृष्ट सामग्री हस्तसिद्ध संपादकीयता की द्योतक है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार में आपका यह प्रयास स्तुत्य है, बड़ी आशाएं हैं।

—कमरूद्दीन, प्रभारी अधिकारी,
भारतीय रिजर्व बैंक, तिरूवनन्तपुरम

□

राजभाषा भारती पत्रिका में लेख आदि बड़े उपयोगी एवं रोचक होते हैं, जिन्हें हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ चाव से पढ़ते हैं। इसी पत्रिका में ज्ञान-वर्धक सामग्री तो होती ही है, साथ ही इसमें राजभाषा (हिंदी) के बारे में संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। जिसका प्रभाव भी पाठकों पर पड़े बिना नहीं रहता है।

—अपर पुलिस उप महानिरीक्षक,
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल,
हैदराबाद-5

□

राजभाषा भारती अंक—47 के रूप और उसके अन्दर समाविष्ट विषयों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। केन्द्रीय सरकार के विभागों में विभिन्न प्रान्तों के प्रतिष्ठानों में राजभाषा हिंदी की जो प्रगति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके इतिवृत्त की जानकारी ज्ञानवर्द्धक और प्रेरणास्पद है। राजभाषा हिंदी : समस्यायें और समाधान, "अनुवाद में मौलिकता एवं अनुवाद की समस्याएं" लेख बहुत उपयोगी और मार्गदर्शक हैं।

पत्रिका उपयोगी एवं संग्रहणीय है।

—देवीदास चौधरी
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

□

राजभाषा भारती (अक्तूबर-दिसम्बर, 1989) की एक प्रति पाकर प्रसन्नता हुई। "पाठकों के पत्र" में मेरे पत्र को भी शामिल करने के लिए धन्यवाद। आपके लिये "अ" अक्षर के स्थान पर पत्रिका के लिय सर्वत्र मानक "अ" अक्षर का ही प्रयोग करना शायद मुश्किल होगी तथापि यदि आप "अ" अक्षर का ही भविष्य के अंकों में प्रयोग कर सकेंगे तो देश को अच्छा उदाहरण मिलेगा।

ति. कृ. राजामणि एयर,
14-7 दक्षिण बस्ती (जबन),
डाकघर कांस बहाल,
जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)-770034

□

राजभाषा भारती का अंक 47 मिला, धन्यवाद क्षेत्रीय भाषाओं का परिचय कराने में बक्शी जी स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं। गणेश शंकर जी विद्यार्थी की राष्ट्र के प्रति निष्ठा का स्मरण कराने पर "राजभाषा भारती" को बधाई। "राजभाषा हिंदी : समस्याएं और समाधान" अपने लेख में विश्वंभर प्रसाद गुप्त "बंधु" ने राजभाषा संबंधी जिन प्रश्नों को उठाया है, वे नए नहीं हैं और समय-समय पर विभिन्न मंचों से उठाए जाते रहे हैं। लेखक द्वारा उठाया गया यह प्रश्न कि "क्या कोई षड्यंत्र हिंदी के विरोध में चल रहा है?" जरूर सार्थक है। इस का एक सुन्दर समाधान भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। परन्तु बात यहीं तक सीमित नहीं है। षड्यंत्र के नाम पर और भी बहुत कुछ करने को है। यह महत्त्वपूर्ण कार्य यदि

राजभाषा भारती" करे तो अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। अन्यथा गुप्ता बंधु ने नीयत में संदेह की जो बात कही है उसे सार्थक करती न जाने कितनी पीढ़ियां और गुजर जाएंगी, जाने कितने कर्मचारी/अधिकारी तीस वर्ष तक सरकारी सेवा करके अवकाश ले लेंगे और "राजभाषा" का प्रश्न शाश्वत रूप ले लेगा। महादेवी वर्मा ने गलत नहीं कहा था कि "हिंदी की घोड़ा-गाड़ी में घोड़ा पीछे जोड़ दिया गया है।" थोड़े आगे जोड़कर कुशल सारथी की भूमिका अदा करनी है। राजभाषा भारती को इस दायित्व के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

—सोहन लाल, राजभाषा अधिकारी
केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

□

राजभाषा भारती पत्रिका अक्तूबर-दिसम्बर, 89 अंक 47 प्राप्त हुआ। यह पत्रिका विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की जानकारी, विभिन्न सरकारी दफ्तरों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की जानकारी का विवरण संकलित करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्मेलन/संगोष्ठी, हिंदी के बढ़ते चरण/हिंदी दिवस कार्यशाला के साथ चिंतन में महत्त्वपूर्ण जानकारी संकलित कर प्रकाशित करने का श्रेय राजभाषा विभाग को है।

—डा. वीरेन्द्र कुमार दुबे,
1585, नेपियर टाऊन, जबलपुर-482001

□

राजभाषा भारती का अंक 47 प्राप्त हुआ। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें प्रकाशित लेख काफी रोचक और सुरुचिपूर्ण लगे। अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए लेख बहुत ही उपयुक्त प्रतीत हुए।

बि. एन. एल. श्रीवास्तव
(से. नि.) सहायक महाप्रबन्धक,
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय,
41/2, एम. जी. रोड-बेंगलूर-560001

□

राजभाषा भारती का अंक-47 प्राप्त हुआ। डॉ. आर. के. मान ने अपने लेख "अनुवाद की समस्याएं" में समस्याओं का गहन अनुशीलन किया है। अनुवाद में होने वाली गलतियों के कारण ही आज कार्यालयीन अनुवाद पर अंगुली उठने लगी है। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के राष्ट्रभाषा के संबंध में विचार जानकर मन उद्बोधित हो उठा। आशा है इस तरह के महान् पुरुषों के भाषणों, लेखों, से यह पत्रिका भविष्य में भी अपने आपको सजाए रखेगी।

"हिंदी के बढ़ते चरण" बहुत ही प्रेरणादायक स्तम्भ है। समिति समाचार, राजभाषा सम्मेलन स्तम्भ से राजभाषा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की अद्यतन सूचना प्राप्त होती है।

—वीरेन्द्र प्रताप सिंह,
राजभाषा अधिकारी, इंडियन बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना-800001

□

राजभाषा भारती (त्रैमासिक) का अक्टूबर-सितम्बर, 1989 अंक देखा। प्रस्तुत अंक में राजभाषा हिंदी: "समस्याएं और समाधान" "अनुवाद की समस्याएं" तथा शाब्दिक समाज का विकास आदि लेख ज्ञान वर्द्धक एवं पठनीय है।

"राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करने की व उसके प्रचार की मशाल जलाई थी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ने और उन्होंने उस समय भी यही आह्वान किया था, कि हमें केवल अपना कार्य करना है। पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस लेख के लिए बधाई।

सहायक निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
राज्य कार्यालय पी. बो० ना. 362
गांधी भवन, हैदराबाद (आंध्र)

□

राज्यभाषा भारती सरकार की राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन/उपलब्धियों एवं अद्यतन आदेशों/अनुदेशों को प्रकाशित करने वाली यह एकमात्र पत्रिका है। अतः सरकारी कार्यालयों में उक्त पत्रिका का अपना विशेष महत्त्व है।

—निदेशक (प्रभारी)
केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, देहल, रांची (बिहार)

□

राजभाषा भारती के अंक-47 में "अनुवाद की समस्याएं" लेख में लेखक ने अनुवाद में होने वाली अशुद्धियों के उदाहरण देने में काफी परिश्रम किया है। लेखक यदि इनके शुद्ध रूप कारण सहित बताते तो लेख सचमुच सार्थक होता। बैंकों में कार्यरत हिंदी अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, अतः विषय की जानकारी के अभाव में गलत अनुवाद किए जाते हैं। लेखक की उक्त बात कटु सत्य है।

—श्री गंगा प्रसाद राजौरा, राजभाषा अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक, मेकर "ई", पांचवी मंजिल
कफ परेड बम्बई-400005

□

राजभाषा भारती का अंक-47 मिला। मैंने उसे शीघ्रातिशीघ्र आद्योपान्त पढ़ा। यह एक हिन्दी की अति उच्चस्तरीय त्रैमासिक पत्रिका है। उसमें हिन्दी विषयक ज्ञानवर्द्धन की पूर्ण क्षमता है। प्रस्तुत अंक में प्रकाशित राजभाषा हिन्दी: समस्याएं और समाधान वास्तव में एक विचारात्मक लेख है। इसी तरह प्रेम जी प्रेम की कविता "कटुता" वास्तव में भाषा पर प्रश्न चिह्न लगाती है। इसकी अंतिम पंक्ति "मां ही तो होती है भाषा" भावात्मक है। आपकी यह पत्रिका हिंदी प्रचार में पूर्ण सहायक सिद्ध हो, इसी मंगल कामना के साथ।

—विजय कुमार शाही, ग्राम-पत्रिका पाड़ा
पो. मोदी पाड़ा, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)

□

राजभाषा भारती का अक्टूबर-दिसम्बर, 1989 का अंक देखने को मिला। "चिंतन" स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित लेखों की विचारों की ज्ञान गंगा में स्नान कर सुखानुभूति हुई। इसके अतिरिक्त बातचीत एवं साक्षात्कार द्वारा जहां हिन्दी के बढ़ते प्रयोग को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला। वहां केन्द्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों एवं उपक्रमों में हिन्दी की उन्नति के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की झलक भी देखने को मिली। इससे न केवल हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा वरन् हिन्दी के माध्यम से देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में भी मदद मिलेगी और एक दिन हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने में सहायक होगी। उत्कृष्ट एवं सृजनात्मक संपादकीय के लिए कृपया मेरा साधुवाद स्वीकार करें।

—दिनेश कुमार शांडिल्य, इलाहाबाद बैंक,
मंडलीय कार्यालय, मेरठ।

□

राजभाषा भारती को नियमित रूप से पढ़ने से हिंदी के सम्बन्ध में भारत एवं विदेशों में चल रहे हिन्दी के कार्य की पूर्ण जानकारी मिलती है तथा इसे पढ़ने से हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में किए गए प्रयासों से हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। पत्रिका के लेख सारगर्भित और वस्तुस्थिति को उजागर करने वाले हैं।

—जी.एस. मिश्र, हिन्दी अधिकारी
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

□

राजभाषा भारती पत्रिका हमें बहुत उपयोगी लगी है और यह हमारे कार्यालय में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी।"

—अरूण गोदीका
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर (राज.)

□

राजभाषा भारती पत्रिका को देखने का अवसर मिला। पत्रिका ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसमें प्रकाशित लेख और विविध सामग्री अत्यन्त सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती हैं। इस पत्रिका के द्वारा हमें देश और विदेश में हिंदी के बढ़ते कदम की जानकारी मिलती है जो किसी भी हिंदी प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो सकती है।"

—सूर्यनाथ चतुर्वेदी, राजभाषा अधिकारी,
सेंट्रल बैंक, तेजपाल स्कीम रोड, सं. 5 एक्सटेंशन
सहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व) बम्बई-57.

□

राजभाषा भारती पत्रिका का प्रकाशन एवं वितरण किया जा रहा है। निःसन्देह यह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अद्यतन जानकारी देने, सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डालने एवं विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की प्रगति से संबंधित सूचनाएं देने में अग्रणी भूमिका निभाती रही है और इसमें प्रकाशित लेख प्रेरक एवं उपयोगी होते हैं।

—रामजी मिश्र, राजभाषा अधिकारी,
नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि.,
सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट
पो. शक्ति नगर, मिर्जापुर (उ.प्र.)

□

चिंतन

राजभाषा के रूप में हिंदी : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

□चंद्रकांत त्रिपाठी 'चंद्रेश'*

भाषा शासन और जनता के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यह एक सशक्त माध्यम है। देश में प्रजातंत्र की जड़ें जितनी बैठती जा रही हैं, प्रशासन सामान्य नागरिकों के उतना ही निकट पहुंचता जा रहा है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो।

जब संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया तो यह एक प्राचीन परंपरा को औपचारिक मान्यता देने के समान था। यदि इसको सर्वसामान्य में स्वीकार किया जाय कि वह भाषा जो किसी राज्य में केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने के लिए प्रयोग में आती हो तो इसका प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे इसके नाम समय-समय पर भिन्न हों। स्वयं हिन्दी नाम, विदेशियों का दिया हुआ है। हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दुई, हिन्दवी, दहलवी आदि नाम चलते रहे। हिन्दी के प्रारंभिक स्वरूप का विकास उत्तर अपभ्रंश कालीन युग से हुआ। पृथ्वीराज के सिंहासानारुढ़ होने का उल्लेख 1178 में मिलता है। प्राचीन काल के सिक्कों का संकेत है कि मुहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवनागरी भाषा का प्रयोग किया। शहाबुद्दीन (1192 ई) ने ब्रजमिश्रित भाषा का प्रयोग किया। इस संपर्क भाषा का और अधिक विकास तेरहवीं शताब्दी में हुआ जब अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर से लोग भारी संख्या में दक्षिण में गए। बाद में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर सम्राट अकबर ने मालवा, बरार, खानदेश और गुजरात को मिलाकर दक्षिण प्रदेश बनाया। औरंगजेब ने अपने राज्य को 6 इकाइयों में विभाजित किया। उस समय कुछ मुसलमान परिवारों के अलावा सभी व्यापारी और श्रमिक वर्ग खड़ी बोली का प्रयोग करता था। तत्कालीन खड़ी बोली पर हरियाणा शेखावटी, मेवाती तथा ब्रज के संबंधित बोलियों का प्रभाव था। उत्तर से आकर बसे परिवार अपने घरेलू जीवन में मातृभाषा का प्रयोग करते थे तथा सामाजिक बोल-चाल में खड़ी बोली का प्रयोग होता था।

हैदर अली और टीपू सुल्तान खड़ी बोली को सुदूर दक्षिण ले गये, जहां इसे गोसाई भाषा के रूप में जाना-पहचाना गया। देश का एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करने वाले हिन्दी के तीन पहरुए: सन्त महात्माओं द्वारा इस भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिला। हैदर अली व टीपू सुल्तान के साथ कोचिन नरेश की जो संधि हुई उसके अनुसार शाही परिवार के सदस्यों को हिन्दुस्तानी सिखाने के लिए कहा गया परिणामस्वरूप हिन्दुस्तानी संबंधित मुंशी की नियुक्ति हुई और इसे बाकायदा प्रशासन में स्थान मिला।

शेरशाह सूरी के सिक्कों पर नागरी और फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। मुगलकाल में हिन्दी का स्थान लगभग सह राजभाषा का था। अकबर और जहांगीर को हिन्दी भली भांति आती थी। औरंगजेब के काल तक तो हिन्दी की विभिन्न शैलियों का प्रयोग राजभाषा के रूप में व्यापकता से मिलता है। डा. केलकर की पुस्तक 18वीं शती के हिन्दी के पत्र के अनुसार उत्तर भारत के नरेशों कर्मचारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र हिन्दी में होते थे जो उन्हें पेशवा या मराठा सरकारों से प्राप्त होते थे। राजस्थान की तमाम रियासतों में तो पूरा का पूरा पत्राचार हिन्दी में किया जाता था। सन् 1745 में बीकानेर नरेश गजेसिंह द्वारा जयपुर के राजा माधोसिंह को लिखा गया पत्र हिन्दी में था। सन् 1772 में बीकानेर के राजा ने टामस जार्ज बरेन नार्शक तक को हिन्दी में पत्र लिखा था। ग्वालियर नरेश ने 21 नवम्बर, 1853 को यह राज्यादेश निकाला कि फारसी शब्दों का प्रयोग दण्डनीय है। अलवर में 1807 में

*हिन्दी अधिकारी
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
44/45, लियोशापिंग काम्प्लेक्स, रेजीडेंसी रोड़,
बेंगलर।

उर्दू के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग का आदेश प्रचारित किया गया।

गैर हिन्दी राज्यों या क्षेत्र में भी हिन्दी को प्रश्रय मिला। बड़ौदा नरेश ने "सयाजी शासन शब्द कल्पतरु" नामक प्रशासनिक शब्दकोश तैयार कराया उसमें गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी आदि रूप दिये गये। हिन्दी की सरलता, अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त किया जाना, राजनीतिक व्यवहार क्षमता आदि ने विदेशियों को भी इस भाषा की ओर आकृष्ट किया। हिन्दी का पहला व्याकरण 1698 ईस्वी में होलैण्ड वासी जान जोशुआ केटेलर ने उच्चभाषा में लिखा शीर्षक था—"हिन्दुस्तानी भाषा"। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में आदेश निकाला था कि मूल नोट के साथ प्रत्येक अधिनियम को हिन्दुस्तानी में अनुदित किया जायेगा।

बंगलाभाषी साहित्यकारों और बुद्धि जातियों ने हिन्दी को संपर्क भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से "उदण्ड मार्तण्ड" (1824) तथा "बंगदूत" (1826) में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध बंगला लेखक भूदेव मुखोपध्याय ने शिक्षा का माध्यम और 1881 में विहार की अदालतों में हिन्दी का प्रयोग शुरू कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव चन्द्र सेन ने अपने लिये हिन्दी को ही चुना।

बीसवीं शती के आरंभ में आजादी की लड़ाई के नायकों ने महसूस किया कि देशवासियों को एकजुट करने में हिन्दी सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी। नागरी प्रचारिणी सभा की सन् 1905 की बैठक में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने की चर्चा की किन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ उच्च पदाधिकारी अंग्रेजी मोह से ग्रस्त थे तथा कार्य अंग्रेजी से ही करना चाहते थे, इन्हीं नेताओं पर व्यंग करते हुए आचार्य कृपालानी ने कहा था कि "ये न सिर्फ अंग्रेजी में बोलते है बल्कि उसी भाषा में मुस्कराते हैं और सपने भी देखते हैं।"

स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण के पश्चात् परिवर्तन आया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि सरल और आसानी से समझी जाने वाली हिन्दी उस कसौटी पर खरी उतरी है। जो उन्होंने एक राष्ट्रीय भाषा को चुनने के लिए की थी।

गांधीजी ने अनुभव किया कि हिन्दी राष्ट्रकर्मियों तथा पूरे देश में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उन्होंने अंग्रेजी को झरोखा मात्र की संज्ञा देते हुए विचार प्रकट किया था कि अंग्रेजी के झरोखों से हम बाहर की वायु और रोशनी ले सकते हैं लेकिन यदि झरोखे के बदले अंग्रेजी से दरवाजे का काम लिया जाय तो घर कमजोर हो जाएगा। गांधीजी की प्रेरणा से 1925 में कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही का माध्यम हिन्दी को बनाया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के बाहर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज और अस्थायी भारतीय सरकार ने हिन्दी को सम्मान सहित अपनाया था। बोस जी ने कहा—हिन्दी को अपनी सरलता ग्राह्यता और प्रभावशीलता के कारण राष्ट्र की भाषा बननी चाहिये।"

प्रथम भारतीय फिल्म "आलम आरा" जो 1931 में बनी थी, उसने भी हिन्दी को श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। हिन्दी फिल्म जगत का घर बम्बई के अलावा कलकत्ता और आजादी के पूर्व लाहौर तथा बाद में मद्रास में उल्लेखनीय हिन्दी फिल्मों का निर्माण होता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है और संघ के शासकीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई, आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये 1957 में एक संसदीय समिति बनायी गयी। आयोग और संसदीय समिति दोनों का मत था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग चलते रहना चाहिये। सिफारिशों को कार्यरूप देने की दृष्टि से संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया, 1967 में इसे संशोधित किया गया। संघ की राजभाषा से संबंधित विभिन्न संविधानिक और कानूनी उपबन्धों को कार्यरूप में परिणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् 1976 में राजभाषा (संघ) के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम बनाये थे। ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्ग दर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते है और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं। ये नियम हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

भाषा को उदार और ग्राह्य बनाने के संबंध में फरवरी 1949 में पं. जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था, "किसी भाषा को ऐसी तंग कोठरी में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई दरवाजे और खिड़कियां न हो और प्रगतिशील परिवर्तन आने की गुंजाइश न रहे तो उसमें निश्चित और छटा भले ही हो सकती है परन्तु बदलते वातावरण और जनसाधारण के साथ उसका संपर्क टूट जाने की संभावना रहती है। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि उसमें ओज नहीं रहता और एक तरह का बनावटीपन आ जाता है। यह किसी भी समय अच्छी बात न होगी। □

हम हिंदी क्यों अपनाएं ?

☐ सत्येन्द्र सिंह आर्य *

भारत सरकार और बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के लिए जितने आदेश-अनुदेश जारी किए गए हैं उनको देखकर सामान्य व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा उठ सकती है कि जब सारा कामकाज अंग्रेजी में भली प्रकार चल रहा था तो हमें हिन्दी अपनाने के लिए बार-बार क्यों कहा गया। इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। यदि इसका सम्यक उत्तर मिल जाएगा, तो जो लोग आज हिन्दी की उपेक्षा करते हैं, वे शायद हिन्दी के साथ जुड़ जाएं।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष के निर्माता फादर कामिल बुल्के के इस कथन में गहन सत्य है कि—"राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध देश की एकता का विरोध है।" कामिल बुल्के से लगभग एक सवा शताब्दी पूर्व ब्रिटिश शासकों ने निरीक्षण कराके इस तथ्य को स्वीकार किया था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण भारत में सरलतापूर्वक बोली और समझी जाती है। इस पर भी ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को इसलिए बनाया कि कहीं हिन्दी द्वारा भारत में ऐसी सुदृढ़ एकता न स्थापित हो जाए जो उनके साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने का कारण बने। अंग्रेजी से ऐसी भयानक स्थिति पैदा होने का खतरा कम था क्योंकि अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों की नौकरी में ही थे।

जिस स्वाधीन देश में स्वाभिमान है वह कभी अन्य देश की भाषा में अपना कामकाज करना पसन्द नहीं करता। भारत के कितने ही पड़ौसी देश जो हमारे बाद स्वाधीन हुए और जहां विदेशी शासन के दौरान अंग्रेजी, डच, फ्रैंच भाषाओं का प्रयोग होता था, स्वाधीन होने के तुरन्त बाद अथवा कुछ समय बाद उन्होंने अपनी भाषाओं में कामकाज आरम्भ कर दिया। इण्डोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया आदि इसके उदाहरण हैं। ईथोपिया को ही लें जहां अब से तीस वर्ष पूर्व डिग्री स्तर के कालेज तक नहीं थे परन्तु शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा होने पर भी उस देश में प्रशासन आदि का कामकाज उनकी अपनी ही भाषा में होता है। इसी प्रकार अरब देश अपना काम अरबी भाषा में करते हैं। ईरान का कामकाज फारसी में तथा जर्मनी का जर्मन में होता है। विदेशों में हिन्दी शिक्षण की शाखाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यदि देश में उसकी जड़ों में मठ्ठा दिया गया तो जड़ के नष्ट होने पर शाखाओं का अस्तित्व कैसे रह पायेगा। विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में हिन्दी का अध्यापन कार्य चल रहा है। रूस में तो हिन्दी के प्रति लोगों का अत्यधिक आकर्षण है। बड़े कालेजों, विश्वविद्यालयों में तो हिन्दी अध्यापन की व्यवस्था एक सामान्य बात है। वहां तो लेनिनग्राद के बोर्डिंग स्कूल संख्या 4 तथा ताशकन्द के माध्यमिक स्कूल संख्या 24 में दूसरी कक्षा से ही हिन्दी अध्यापन की व्यवस्था की गई है। इसी से हमारे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हम हिन्दी क्यों अपनाएं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, जापान, चीन, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, ट्रिनिडाड, ईरान, सूडान आदि देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन चालू किया जा चुका है। ब्रह्मदेश में तो कई भारतीय विद्यालय हैं जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। ब्रह्मदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सत्यप्रयत्नों से वहां हिन्दी का भरपूर विकास हो रहा है।

दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में भी इस मार्ग पर सराहनीय कदम उठाए गए हैं। डरबन के हिन्दी शिक्षा-मंच के माध्यम से समस्त दक्षिणी अफ्रीका में स्थान-स्थान पर हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था की गई है। वहां के अनेक शहरों में वर्धा समिति के परीक्षा केन्द्र खुले हुए हैं। इसी समिति के परीक्षा केन्द्र पूर्वी अफ्रीका के मोम्बासा, नैरोबी, दारेसलाम और कंपाला आदि स्थानों पर खुले हुए हैं। विदेशों में हिन्दी के गौरव को बढ़ते देखकर किस भारतीय का मस्तक गौरवान्वित न होगा।

कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक और मणिपुर से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ भूभाग हिन्दी की सहजता और विनम्रता पर विमुग्ध है। केरल के शंकर हों या महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, गुजरात के दयानन्द और गांधी हों या भारत के सुदूर कोनों के प्राचीन सन्त—सभी ने जब हिन्दी को भारत की एकता का स्रोत माना है तो दो-तीन प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले महानुभाव किस आधार पर अंग्रेजी को टिकाये रख सकेंगे। अब देश अपना है, राज अपना है तो भाषा विदेशी क्यों ?

भाषाई मानसिक परतंत्रता से मुक्त होने का समय आ गया है। इतिहास हमें बारम्बार चेतावनी दे रहा है कि विदेशी भाषा से चिपटे रहकर देश कभी सुख, समृद्धि नहीं पा सकेगा। अब तो हमें हिन्दी अपनानी ही होगी। अपनी भाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। ☐

*स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय स्टेट बैंक, 49-प्रभात नगर, साकेत, मेरठ

भाषा-शिक्षण में मौखिक परीक्षण

☐ राम प्रकाश मेंहदीरत्ता*

भाषा मुख्य रूप से एक बोली जाने वाली चीज है किन्तु खेद की बात है कि हमारी वर्तमान परीक्षा-पद्धति में लिखित प्रश्नोत्तरों का ही एकाधिकार है और भाषाई कुशलताओं के मूल्यांकन का हमने इसे ही सर्वसक्षम साधन मान रखा है जो निश्चय ही हमारी मिथ्या धारणा का परिचायक है। भाषा-शिक्षा सम्बन्धी इस भ्रान्ति का दुष्परिणाम निम्नलिखित रूप में देखने को मिलता है—

1. कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा गद्य-वाचन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जिससे उनमें गति, यति, स्वराघात, बलाघात आदि से युक्त सुस्पष्ट उच्चारण की उनमें कला तेजी से लुप्त हो रही है। फलस्वरूप पढ़ने या बोलने का सही आशय समझने में कठिनाई होती है। मंच पर आकर समाचार पढ़ने, 'आज का विचार' और 'प्रान्तीय प्रवचन' देने वाले अधिकांश विद्यार्थियों का कथ्य अस्पष्टता के कारण प्रलाप मात्र ही सुन पड़ता है।

2. विद्यार्थियों द्वारा कविता-पाठ की स्थिति तो और भी शोचनीय है। भावपूर्ण और लयात्मक स्वर में कविता-गायन तो अब भूतकाल की बात हो गई है। सभा-मंचों से सही कवितोच्चारण करने वाले इक्का-दुक्का प्रतियोगियों से कार्यकलाप से आज के सामान्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कविता-पाठ-कौशल का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

3. हमारी छोटी कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में जहां कतिपय एकांकी पाठों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं वहां ऐसी बहुत कम कक्षाएं होंगी जहां एकांकी पढ़ते समय उनका कक्षाभिनय करवाया जाता है, अधिकांशतया तो एकांकी भी गद्य-पाठों की तरह ही पढ़ा दिए जाते हैं। फलतः विद्यार्थी न तो भाषा की भावपूर्ण प्रेषणीयता ही सीख पाते हैं और न अभिनय से प्राप्त 'ब्रह्मानंद सहोदर' रस का ही आस्वादन कर पाते हैं और यह सब इसलिए है कि हिन्दी की परीक्षाओं में मौखिक-परीक्षा का कोई स्थान नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जीव-शास्त्र से लेकर भौतिक-शास्त्र तक सभी वैज्ञानिक विषयों का समुचित प्रशिक्षण उन की प्रयोगशालाओं के बिना असम्भव समझा जाता है और प्रयोगात्मक परीक्षाएं उनके परीक्षण का अनिवार्य अंग हैं किन्तु अहर्निश प्रयोग में आने वाली भाषाओं की बारीकियां सिखाने, समझाने, परखने के लिए हमारे विद्यालयों में किसी भाषा-प्रयोग-शाला की स्थापना का प्रयास नहीं किया जा रहा है और न कक्षाओं में ही ऐसा कोई ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा परिणामों के कुछ नमूने पेश किए जाते हैं—

1. विद्यार्थी उन उर्दू (फारसी) ध्वनियों का जो हिन्दी की ध्वनियों से मिलती जुलती है, विभेद नहीं कर पाते यथा—ग और ग़, ज और ज़ और फ और फ़। उदाहरण गुम-ग़म, जमना-ज़माना, फल-फ़ेल।

2. इसी तरह उर्दू शब्दों के अन्त की ध्वनियां उनके काबू में नहीं आतीं। प्रायः विद्यार्थी 'दिमाग़' को 'दिमाक' और 'चश्मे-बद्-दूर' को 'चश्मे-बद्दू' कहते सुनाई पड़ते हैं। एक परीक्षार्थी की उत्तर-कापी में 'औकात' की जगह 'औकाद' लिखा मिला।

3. अंग्रेजी ध्वनियों का भ्रष्ट उच्चारण यथा इज़ को इज विद्यार्थी काल में सही मौखिक अभ्यास की कमी या न होने का ही परिचायक है।

4. स्वयं हिन्दी ध्वनियों में भी ठीक मौखिक उच्चारण का पर्याप्त अभ्यास न होने से तथा प्रान्तीयता के प्रभाव एवं अन्य कारणों से कई बार बड़े-बड़े सुशिक्षित और मान्यता प्राप्त लोग भी हास्यस्पद अशुद्धियां करते हैं यथा उनके द्वारा 'विद्यालय' को 'विधालय' और 'शशि' को 'सशी' 'शसि' या 'ससि' तथा 'स्कूल' को 'शकूल' कहा जाता सुनना संवेदनशील श्रोताओं में बड़ा कष्टकर होता है और वक्ता के प्रति उनकी ऊंची धारणा को ठेस लगती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह तो निर्विवाद सिद्ध हो गया कि—

(1) भाषा-शिक्षण में सही मौखिक-उच्चारण सीखने-सिखाने का अप्रतिम स्थान है और (2) यह तब तक सम्भव नहीं जब तक उसे वर्तमान लिखित-परीक्षा का अंग नहीं बनाया जाता। इस विषय में निश्चय ही यह कह देने

.....जारी....पृ० 14....

*प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अबोहर (पंजाब)

राजभाषा हिन्दी को तमिल और बंगला का योगदान

☐ डॉ. प्रभाकर माचवे*

एक गलत धारणा लोगों में फैला दी गई है कि दक्षिण भारत में, विशेषतः तमिलनाडु में, हिन्दी का विरोध है। दूसरी गलत धारणा यह फैलाई गई है कि बंगाली हिन्दी का विरोध करते हैं। दोनों ही धारणाएं ऐतिहासिक दृष्टि से निराधार हैं।

पहले तमिल की बात लें। कितने लोग जानते हैं कि तमिल में सबसे पुराने व्याकरण "तोलकाप्पियम्" में शब्द-विचार नामक एक अध्याय है। दो हजार वर्ष पुराने इस ग्रंथ में लिखा है :—

"इयर चोल, तिरि चोल, तिलैच चोल, वड़चोल,
एनरू अनैत्ते चैचुल ईट्टन चोरुलै"

इसका अर्थ है "मूल शब्द, परिवर्तित शब्द, आंचलिक शब्द, उत्तरी भाषा के शब्द, तमिल भाषा के लिए आवश्यक हैं।"

यह 'आर्य-अनार्य' भाषा-भेद विदेशियों ने हमारे यहां फैलाया। ब्राह्मण, अब्राह्मण भाषा शैली कहकर झगड़ा लगाया। जो संस्कृत "फलम्" है वही तमिल में 'अप्पलम्' हो जाता है, जो तमिल "पू. चै." (फूल चढ़ाना) है, वही संस्कृत 'पूजा" है। इस तरह अनेक ऐसे शब्द संस्कृत में रूढ़ हो गए, अनेक संस्कृत शब्द तमिल में। 'दिव्य, प्रबन्धम्' वहां का भक्ति-काव्य है। हिन्दी में अनुवादित विश्व भारती से छपा है।

तमिल के राष्ट्रीय कवि सुब्रह्मण्य भारती (12 दिसम्बर 1881 से 1921) ने 1904 में तिलक का लेख "राष्ट्रभाषा की आवश्यकता" पढ़कर, अपना घर छोड़कर, एंट्रेंस की परीक्षा इलाहाबाद में जाकर, हिन्दी में दी। अपने पत्र "इंद्रियै" में पांडिचेरी में तमिल, द्वारा हिन्दी, पाठ क्रमशः लिखे, छापे।

1919 में दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने हिंदी प्रचार के लिए हरिहर शर्मा तथा ऋषिकेश शर्मा को भेजा। अपने पुत्र देवदास को भेजा, जिनका विवाह राजाजी की पुत्री से हुआ। लाखों लोगों ने स्वेच्छा से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा से हिन्दी परीक्षाएं दीं।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता ई. रामस्वामी नायकर ने हिंदी कक्षाओं के लिए अपने घर में स्थान दिया। 1925 में काशी-कांची-कोटि शंकराचार्य ने राजर्षि टंडन को सौ रुपए दान हिंदी प्रचार के लिए भेजे। इसी तमिल भाषा के रांगेय राघव हिन्दी के सशक्त कवि, उपन्यासकार हुए। आज भी इसी भाषा से हिंदी में लिखने वाले एक दर्जन उत्तम अनुवादक, समीक्षक, कहानी, लेखक, कवि आदि जैसे दिल्ली में ही जगन्नाथन्, के. ए. जमुना, सिकंदराबाद में आनंदी रामनाथन् आगरा में न. वि. राजगोपालन, कानपुर में सुमति ऐयर, मद्रास में गणेशन, वीलिनाथन्, सुंदरम्, शौरिराजन आदि, एस कृष्णामूर्ति कलकत्ता में प्रेमचंद पर पुस्तक तमिल में लिख रहे हैं।

दूसरी भाषा बांग्ला लें। बांग्ला साहित्य का आरंभ ही 'चर्या-गीति' और वृंदावनी ब्रजबुली से होता है, जिसमें मागधी अपभ्रंश (मगही) और शौरसेनी प्राकृत (ब्रजभाषा) का पुट है। मध्ययुगीय बंगाली भक्त कवि माधवेन्द्र पुरी ने वृंदावन में जाकर स्वरचित हिंदी ब्रजगीत बालमुकुंद के मंदिर में गाये।

1829 में राजा राममोहन राय ने साप्ताहिक "बंगदूत" निकाला, जिसमें लिखा—"बंगला को दूत दूत यहि वायु कौ जाने। होय विदित सब देश कलेश को लेश न माने।" श्यामसुंदर सेन ने, 1854 में, कलकत्ता से दैनिक 'समाचार-सुधावर्षण' छापा डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी ने कलकत्ता को हिन्दी की आधुनिक गद्यशैली का जन्मदाता माना है। फोर्ट विलियम में हिंदुस्तानी विभाग के हेड मुंशी तारिणी चरण मित्र ने 'बेताल-पच्चीसी' लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर काशी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के घर ठहरे थे। आजकल प्रतापचंदर 'चंदर' भारतेंदु पर बाँगला में उपन्यास लिख रहे हैं। 1851 में तारामोहन मित्र ने बनारस से 'सुधाकर' निकाला। इसे रामचन्द्र शुक्ल "सुधरी हुई सटीक हिंदी" कहते हैं। 1878 से अमृतलाल चक्रवर्ती ने दस वर्ष तक 'हिंदी बंगवासी' संपादित किया। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाये गए। 1897 में नवीन चन्द्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका प्रकाशित की। उनकी सुपुत्री हेमंत कुमारी देवी ने 1888 में 'सुगृहिणी' निकाली। 1886 में भूदेव मुखर्जी ने बिहार की कचहरियों

...जारी...पृष्ठ...12

*संपादक 73 वल्लभनगर, इंदौर

चलचित्रों में हिंदी

□विनोद तिवारी*

फिल्म जगत और हिंदी, इस विषय की शुरूआत मैं एक सवाल से करना चाहूंगा--फिल्मों के मूक युग की, यानी जब फिल्में बोलती नहीं थीं, सबसे बड़ी देन क्या थी ?

जवाब हर कोई अपने ढंग से देना चाहेगा। मुझसे पूछा जायगा तो मैं कहुंगा--मूक युग की सबसे बड़ी देन थी--भाषा। जी हां, भाषा। वह अंतरराष्ट्रीय भाषा जो कलम से लिखी नहीं जाती और न ही टेप रिकार्डर पर रिकार्ड की जा सकती। जिसके लिए न कागज की दरकार है और जो किसी अनुवाद की भी मोहताज नहीं है। स्वयं को सबसे सशक्त ढंग से अभिव्यक्त कर सकने वाली यह भाषा थी मात्र अभिनय की भाषा, जिसे कलम से नहीं, कैमरे से लिखा जाता है। आज भी फिल्म की भाषा जो सेल्यू लायड पर अंकित की जाती है, कैमरे से ही लिखी जाती है।

आज की किसी भी भाषा के मुकाबले, यह कितनी ज्यादा प्रभावशाली थी इसका प्रमाण है चार्ली चैपलिन की फिल्में जो आज फिर हमारे देश में टेलीविजन पर दिखाई जा रही हैं और जिन्हें देखकर हर दर्शक विभोर हो उठता है। हिंदुस्तान में वह पहली फिल्म, जिसे फीचर फिल्म का दर्जा दिया जा सकता है दादा साहेब फालके ने 1913 में बनाई थी। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और पहली फिल्म, जिसमें पात्र बोलते भी थे। आलम आरा थी जो 1931 में आर्देशीर ईरानी ने बनायी थी। इन दो फिल्मों के दरमियान के 18 साल सिर्फ अभिनय की भाषा सारे हिंदुस्तान को मोहित किए रही।

हिंदी का जिक्र छोड़ मैं फिल्मों के इतिहास में सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए उतर गया हूं कि अपने जन्म से ही फिल्मों की एक बड़ी जरूरत थी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना। यह जरूरत आज भी ज्यों की त्यों है और सिर्फ सिनेमा की ही नहीं, बल्कि हर ललित-कला नाटक, नृत्य, पेंटिंग वगैरह की भी यही जरुरत है। लेकिन निर्माण व्यय के अनुपात को देखते हुए इसकी तीव्रता में घट बढ़ हो जाती है। फिल्म बनाने का खर्चा क्योंकि बहुत अधिक होता है इसलिए फिल्म की चाह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने की हो यह बिल्कुल स्वाभाविक ही है।

मौन के बाद वह कौन सी भाषा थी जो सन् 1931 के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समझी, बोली और पढ़ी जाती थी? और वह कौन सी भाषा है जो आज के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जाती है? दोनों का जवाब निस्संदेह एक ही है --हिंदी।

इन दो तथ्यों से कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकतम लोगों तक पहुंचना फिल्म की मजबूरी है और भारत में उसे अधिकतम लोगों तक एक ही भाषा पहुंचा सकती है, हिंदी, फिल्म वालों का यह दावा निरर्थक साबित हो जाता है जिसे वे बार-बार दोहराते नहीं थकते। अनेक मंचों से उन्होंने यह कहा है कि हिंदी की सबसे ज्यादा सेवा फिल्मों ने की है जबकि तथ्य यह है कि अपना माल बेचने के लिए, अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए ही उन्होंने हिंदी को अपनाया। फिल्मों ने हिंदी की सेवा नहीं की बल्कि हिंदी ने फिल्मों को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया। विदेशों में जहां कहीं भी भारतीय बसे हुए है, हिंदी फिल्में जाती है, अच्छा व्यापार करती है। क्या यह कहा जा सकता है कि वहां वे फिल्में बेचने का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है?

इस बात को मैं एक उदाहरण के साथ जरा और स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इस बात पर जोर इसलिए देना चाहता हूं कि जिस हिंदी की सेवा का दावा फिल्म

*लेखक, 'प्रिया' अपर अपार्टमेंट्स,
रास्ता, जुहू पार्ले स्कीम, बम्बई-400049

जगत करता रहा है उस हिंदी की वहां क्या स्थिति है यह बताते समय कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट होता रहे। अधिकतम लोगों तक पहुंच सकने की कोशिश में फिल्मों ने हर लोकप्रिय चीज को 'गिमिक' के तौर पर अपनाया है। मसलन आउटडोर शूटिंग, ब्यूटी क्वीन्स, लोकप्रिय खिलाड़ी, पहलवान आदि। हर दूसरी फिल्म में अगर कश्मीर का कोई हिस्सा या वृंदावन गार्डन्स के नुमाइशी फव्वारे दिखाई देते हैं तो इसलिए नहीं कि फिल्मों ने कश्मीर की सेवा करनी है। कल तक गुमनाम किसी भी युवती के मिस इंडिया चुने जाते ही उसे फिल्म की हीरोइन बना देने के प्रस्ताव इसलिए नहीं भेजे जाते कि उस अनजान युवती की सेवा की भाव फिल्मकारों में जाग गया, विश्वप्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह और क्रिकेट सम्राट कहे जाने वाले सुनील गावस्कर को फिल्मों में हीरो इसलिए नहीं बनाया गया था कि इन लोगों की सेवा की जानी थी। हर मामले में इनकी अत्यधिक लोकप्रियता का सहारा अपने व्यापार के विस्तार के लिए लेने के अलावा और कोई मकसद नहीं था ठीक वैसे ही जैसे हिंदी को अपनाने की वजह थी इस भाषा की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पहुंच। तब फिर हिंदी के सिर उसकी सेवा के अहसान का भार लादना एक कुतर्क नहीं तो और क्या है?

एक ओर हिंदी की सेवा का इतना बड़ा दावा है, दूसरी ओर हिंदी फिल्मों से ही रोजी रोटी पाने वाले इस उद्योग में हिंदी की उपेक्षा जिस तरह बढ़ रही है उसे देख कर कभी-कभी भ्रम हो जाता है कि क्या हम सचमुच हिंदुस्तान में हैं या किसी विदेश में? जिस तरह इस देश का हर उच्च पदस्थ अधिकारी यह कहने में गौरव महसूस करता है कि 'मुझे हिंदी नहीं आती', उसी तरह फिल्मोद्योग का हर सितारा वह चाहे अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, निर्देशक हो, संगीतकार हो और यहां तक कि स्टार माना जाना वाला लेखक भी यही करने में अपनी शान समझता है कि 'मुझे हिंदी नहीं आती'। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आज के व्यावसायिक सिनेमा की नंबर एक मानी जाने वाली अभिनेत्री जिसको एक हिंदी फिल्म में काम करने का पारिश्रमिक उससे कई गुना ज्यादा मिलता है जितना हिंदी का कोई ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर या पत्रकार सारी जिंदगी में कमाता है, एक लाइन हिंदी नहीं जानती। फिल्म के पर्दे पर जिसे हिंदी में प्यार मनुहार करते देख लाखों नौजवान बेकाबू हुए जाते हैं उसे हिंदी में सही या गलत कैसा भी एक वाक्य बनाना नहीं आता। कम से कम नाटक के लिए ही सही, अनेक हिंदीतर भाषी वक्त जरूरत इज्जत बचाने के लिए हिंदी में हस्ताक्षर करना तो सीख लेते हैं, इस अभिनेत्री ने उतना भी नहीं सीखा और फिर भी, इस हिंदुस्तान में, संसार में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले देश में, सबसे बड़ी अभिनेत्री होने का गौरव उसे हासिल है। उसका काम सबसे ज्यादा मजे में चल रहा है और फिर भी दावा है हिंदी की सेवा का।

यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी को मिलने वाले ऊंचे पारिश्रमिक या बड़ी प्रतिष्ठा से किसी द्वेषभाव से यह सब नहीं कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक सशक्त उदाहरण है हिंदी के प्रति उपेक्षा का और यह अभिनेत्री प्रतिनिधि है एक पूरी पीढ़ी की, उस नौजवान पीढ़ी की जिसकी नजर में हिंदी एक ऐसी हेय चीज है जिसे अपनाना तो दूर, जिसके नजदीक जाना भी अपने आप को पुरातनपंथी साबित करना है। और इस बात का अफसोस मुझे इसलिए और ज्यादा होता है कि यह स्थिति आजादी के चालीस बरस बाद की है। ज्यों-ज्यों देश विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है, भाषा के मामले में अंग्रेजी का आश्रय बढ़ता प्रतीत होता है, और यह आश्रय हिंदी से उसका हक छीन कर अंग्रेजी के आगे ससम्मान उसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि आइए महारानी, आपके बगैर हमारा निस्तार नहीं है। मुझे अभी लगभग 22 बरस पहले की वह घटना भी बहुत अच्छी तरह याद है जब सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले एक पत्रकार से अपने जमाने की मशहूर और फिल्म इतिहास में अमर अभिनेत्री मीनाकुमारी ने बहुत गर्व के साथ यह कहा था कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। मैं तो बात समझ लूंगी, पर क्या आप हिंदी में दिया गया मेरा जवाब समझ सकेंगे? तब उस पत्रकार ने इसे मीनाकुमारी की नहीं, अपनी ही कमी मान कर उनसे सादर विदा ली थी।

यहां पर यह कहा जा सकता है कि फिल्मों में आ रही नयी पीढ़ी हिंदी नहीं सीखना चाहती, तो यह उसकी अपनी रुचि का मामला है। इसे हिंदी के साथ जोड़ कर कैसे देखा जा सकता है? अगर इस पीढ़ी को अंतरराष्ट्रीयता का दरवाज़ा किसी दूसरी भाषा से खुलता दिखाई देता है तो आप क्यों उस पर हिंदी थोपना चाहते हैं? यह बात बिल्कुल सही है लेकिन केवल तर्क के तौर पर, क्योंकि हिंदी का किसी भी भाषा से कोई बैर नहीं। भारतीय भाषाओं की यह बहन हर विदेशी भाषा का सम्मान करना जानती है। लेकिन विदेशी भाषा सीख कर अगर यह पीढ़ी स्वयं को भूल जाए तो भी क्या हिंदी उसकी पीठ थपथपाती रहे? अगर विदेशी भाषा के अधकचरे ज्ञान को ही वह अपना वास्तविक बल मान ले, उसी के बूते हिंदी फिल्मों में आकर सारी भारतीय संस्कृति, मर्यादाओं, प्रतीकों और जीवन मूल्यों को नकारने लगे तथा उनकी जगह अपनी अधकचरी जानकारी से हासिल उच्छृंखलता के पश्चिमी पैमा हिंदी फिल्मों के विशाल दर्शकवर्ग के गले उतारने क कोशिश करने लगे तब भी क्या हिंदी चुप रहे? भारती जनमानस को समझने के लिए विदेशी भाषा का सहा लेने के साथ ही सोच की सारी प्रक्रिया ही बदले जा है। यही कारण है कि इस पीढ़ी का परिचय पेरिस

परफ्यूम से तो है अपने देश की मिट्टी की सुगंध से नहीं; इसने शांत बहती टेम्स का सौंदर्य सराहना तो सीख लिया किसी भारतीय गांव के घर और उसके खेत खलिहानों में काम करते स्त्री पुरुषों का पसीना बहते नहीं देखा। यह पीढ़ी अमरीका की स्टैच्यू आफ लिबर्टी की कायल तो है पर इसने दो जून रोटी की जद्दोजहद से आजाद होने को फड़फड़ाते जवां भारतीय जिस्मों को तिलतिल जलते, गलते नहीं देखा। इसने गंगा के बहाव को घटते बढ़ते सिर्फ टेलीविजन पर देखा है इसलिए घर-घर रखे गंगाजल पर अटल विश्वास से इसका परिचय कभी नहीं हुआ। फिर भी इसी से हमारी उम्मीद है कि हिंदी फिल्मों को अंतर-राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिला सकने वाली भारतीयता की सुगंध इसी के बलबूते उपजेगी। इससे बड़ा मजाक भला बीसवीं सदी की सर्वश्रेष्ठ कला सिनेमा के साथ और क्या हो सकता है?

अपने क्रूरतम रूप में यह मजाक हर जगह मौजूद है। भारतीय फिल्मों की नैतिकता के मसीहा सेंसर बोर्ड में, भारतीय फिल्मों के विकास और उन्हें वस्थ दिशा दे सकने के लिए स्थापित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में, भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय बाजार दिला सकने के लिए गठित फिल्म समारोह निदेशालय में हर जगह भरमार उन लोगों की है जिन्हें हिंदी या कोई भारतीय भाषा नहीं आती और जिन्हें इन विभिन्न विभागों में उच्च पद प्रदान कर दिए जाने के औचित्य पर सहज ही प्रश्न चिह्न लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हिंदी या भारतीय भाषा में किया गया सवाल किसी को समझ में नहीं आता और अंग्रेजी में ऐसे सवाल किए नहीं जाते।

विषमताओं की यह सूची बहुत लंबी है और पहले इसके कि उसे गिनाते हुए मेरे ऊपर 'पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस' का आरोप लग जाये, आइए, फिल्म जगत में हिंदी की इस दुर्दशा के कारणों पर विचार करें। इस बारे में सोचते हुए अंग्रेजी परस्तों की उस मानसिक गुलामी के बाद जिसका जिक्र करना तक मुझे उचित नहीं लगता, मुझे हिंदी वालों के दो गुण, बड़े दोषों के रूप में दिखाई देते हैं। एक है उनकी सहिष्णुता, दूसरा उनका अतिशय संतोष। ये दोनों ही आज भी उसी रूप में मौजूद हैं जैसे आज से 50 साल पहले थे।

फिल्मजगत ने हिंदी के विद्वानों की बिल्कुल कद्र नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। समय-समय पर किसी न किसी हिंदी विद्वान के चरणों में यह उद्योग झुका ही रहा। लेकिन अपनी अतिशय विनम्रता और सहिष्णुता के कारण वे उस धन, मान और सम्मान से वंचित रह गए जिसके वे सच्चे अर्थों में अधिकारी थे। उनमें यह अहसास जागा ही नहीं कि हिंदी साहित्य, हिंदी की बोलियों और उपबोलियों, कवियों, संत परंपराओं, पौराणिक आख्यानों आदि की जानकारी का जो जखीरा उनके पास है, उसके बल पर वे फिल्म-जगत में चल रही किसी भी प्रवृत्ति को एक नया मोड़ दे सकने में सहज समर्थ हैं। चतुर व्यापारी फिल्मकार उन्हें उसी प्रकार मास्टरजी और पंडितजी जैसे खिताब दे देकर खुश करते रहे जैसे अंग्रेज सरकार किसी को राय बहादुर तो किसी को सर का खिताब देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करवाती रहती थी। उनकी लिखी कहानियों, संवादों और गीतों से तहलका मचता रहा लेकिन हिंदी फिल्मों में लेखक की स्थिति मुंशी जी से ऊपर नहीं उठी क्योंकि तब किसी हिंदी वाले को आज के लेखकों की प्रसिद्ध जोड़ी सलीम जावेद की तरह यह कहने का साहस नहीं हुआ कि 'फिल्म चलती है हमारे लेखन के' बल पर। उसे भाषा और भूषा हम देते हैं। इसलिए स्टार हम हैं और हम स्टार-मेकर भी हैं, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इस बात को फिल्म जगत के बाहर भी हर कोई जानता है कि उनके आगे स्टार और सुपर स्टार, सभी झुकते रहे। आज भी कोई हिंदी लेखक ऐसा दावा करने का साहस नहीं कर सकता।

इस अति सहिष्णुता का नतीजा यह हुआ कि हिंदी विद्वानों की जगह सचमुच ही फिल्मलेखन में मुंशीमार्का वे तथाकथित लेखक आने लगे जो प्रतिभा के नहीं, जोड़ जंतर के धनी थे। प्रतिष्ठा और पारिश्रमिक के किसी स्तर से उनका कोई लेना देना नहीं था। इन्हीं की बदौलत धीरे-धीरे फिल्मों की हिंदी गरीब की जोरू सबकी भाभी हो गई। जिसे देखो वही हिंदी लेखक बनने चला आ रहा है फिर चाहे उसे हिंदी आती हो या नहीं। भाषा भ्रष्ट होती गई हिंदी का सम्मान नष्ट होता गया और अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार इन खोटे सिक्कों ने असली मुद्राओं को चलन से बाहर कर दिया।

इन तथाकथित हिंदी वालों से यह उम्मीद करना कि वे भाषा को संस्कार देंगे उसे फिल्म जगत में प्रतिष्ठा दिलाएंगें खुद को धोखे में रखना था और यह धोखा सभी हिंदी वाले अपने आप को आज भी दे रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, वे उसकी तरफ से उदासीन हैं। विरोध का एक स्वर कभी कहीं से नहीं उठता। हर कोई यह सोच कर चुप रहता है कि मुझे इससे क्या लेना है? हिंदी के वे विद्वान जो फिल्मजगत में आकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते थे, हमेशा इससे दूर-दूर ही रहे उन्होंने स्वयं ही मान लिया कि फिल्म लेखन सस्ता काम है, क्यों है और क्यों उसे सुधारा नहीं जा सकता इस तरफ सोचने की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं हुई। फिल्म लेखन उनके लिए पहले भी होता था, आज भी वही है। यही वजह है कि देश में सुयोग्य हिंदी लेखकों की कमी न होते हुए भी हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े लेखक, कर्ताधर्ता

और समीक्षक वे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान सब पर उनका हक है। हिंदी वाले फिल्म लेखन को झूठी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर उससे दूर ही दूर रहेंगे उदासीन ही रहेंगे तो उनके हक पर कोई दूसरा तो कब्जा करेगा ही, तब फिर इस बात के लिए अफसोस करने का क्या औचित्य है कि हिंदी को उसका सही स्थान नहीं मिल रहा, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही ?

हिंदी के जो विद्वान् फिल्मजगत में आए भी उनमें से ज्यादातर जरा से संघर्ष से घबरा कर वापस लौट गए और फिर साहित्य सृजन या अध्यापन आदि में सुरक्षा ढूंढ सिर्फ अफसोस करने तक सीमित रह गए। वहां भी उन्होंने फिल्मों में हिंदी के प्रति अपने अफसोस को कोई आंदोलन बनाने की जरूरत नहीं समझी वरना इतना तो हो ही सकता था कि जब भी फिल्मों में हिंदी से कोई खिलवाड़ किया जाता, उनके नेतृत्व में हिंदी का विशालदर्शक प्रतिरोध की इतनी प्रबल आवाज उठाता जो अंततः संबद्ध फिल्मकार को समुचित परिवर्तन के लिए बाध्य कर देती। सोच और प्रतिरोध के इसी अभाव के कारण 'गंगा मेरी मां का नाम और बाप का नाम हिमाला'। जैसी अनर्थकारी पंक्ति गीत के रूप में प्रचलित रही।

उदासीनता के परिणाम कितने दूरगामी होते हैं, इसका उदाहरण हैं हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें। हिंदी की बोलियों, उपबोलियों की सुगंध वाली फिल्में जहां बन सकती थीं, जहां से हिंदी के सच्चे संस्कार फिल्मों में उतर कर बंबई की हिंदी फिल्मों को दिशा निर्देश दे सकते थे वहां फिल्म विकास निगम या तो हैं ही नहीं जैसे राजस्थान में और अगर हैं तो दीवालिया हालत में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में। हिंदी के जरिए हिंदी फिल्मों में कुछ कर दिखाने को उत्सुक प्रतिभाएं बंबई के फुटपाथों पर दम तोड़ दें यह सबको मंजूर है लेकिन राज्य में उनको समुचित अवसर मिल सकें इसका प्रयत्न कर सकने की फुरसत किसी के पास नहीं है।

इन सब विषमताओं के बावजूद अवहेलना और हिंदी वालों की अपनी उदासीनता के बावजूद फिल्मों की हिंदी अपने मार्ग पर अनवरत चली जा रही है। सारे देश को एकता की डोर में बांधने का दायित्व उसने बिना किसी के कहे, स्वयं स्वीकार किया है। यह हिंदी ही है जो टेलीविजन तथा फिल्मों के जरिए असम की लोहित किनारे की गाथाओं से लेकर दक्षिण के छोटे से कस्बे मालगुड़ी तक की आशा आकांक्षाओं और भावनाओं को विशाल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रही है। यही वह हिंदी है जो हर प्रदेश के शब्द और अभिव्यक्तियों अपने गीतों और संवादों में संजोकर समृद्ध होती हुई राजनीति की खोदी हुई खाइयों को पाटती चल रही है। यही वह हिंदी है जो कश्मीर से लेकर केरल तक में ही नहीं, बल्कि कुवैत और कनाडा तक में सहज ही समझी और बोली जाने लगी है। इसी हिंदी के संस्कृतनिष्ठ रूप में इतनी शक्ति है कि वह टेलीविजन पर लोकप्रिय धारावाहिकों के प्रसारण के समय सारी गतिविधियों को मंथर कर देती है। कोई उसका प्रचार या परिष्कार करे या न करे न उसकी गति मंद पड़ने वाली न उसके स्वरूप में कलुष आने वाला। वह स्वयं संवरना जानती है, संवरती रही है, संवरती रहेगी। उसके इसी गुण के कारण फिल्म जगत में भी उन्हीं लोगों को जो आज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके विरोधी बने हुए हैं, कल स्वयं चल कर उसे उसका प्रतिष्ठाप्रद स्थान देना ही पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, प्रारंभ से ही फिल्मों को हिंदी की जरूरत रही है अपने विकास के लिए हिंदी, फिल्मों की मोहताज कभी नहीं रही। □

पृष्ठ 8 का शेषांश

में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाई। 1877 में बंकिमचन्द्र ने बंगदर्शन में लिखा—हिंदी द्वारा भिन्न भाषा-प्रदेशों के बीच ऐक्य होगा।"

1929 में महात्मा गांधी कलकत्ता के राष्ट्रभाषा सम्मेलन में गए। सुभाष चन्द्र बोस स्वागताध्यक्ष थे। उन्होंने कहा "प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष कम करने में हिंदी से जितनी सहायता मिलेगी, और किसी से नहीं। वह दिन दूर नहीं, जब भारत स्वतंत्र होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी। आज़ाद हिंद फौज का गाना उन्होंने "कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाये जा" अपनाया, जो हिन्दी में था।

हिंदी में अनेक उत्तम बंगाली-भाषी लेखक हुए और आज भी हैं। नलिनी मोहन सान्याल, उषा देवी मित्रा, से लगाकर मन्मथनाथ गुप्त, महादेव साहा, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, आलोक भट्टाचार्य और डॉ. बानीकर तक। □

मणिपुर की स्वैच्छिक संस्थाएं और राष्ट्रभाषा

☐ डॉ. जगमल सिंह*

1920 के आस-पास जब हिन्दी प्रचार-प्रसार के कार्य को देशद्रोह माना जाता था और प्रचारकों पर गुप्तचर और पुलिस नजर रखती थी, मणिपुर में हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य आरंभ हुआ। 1927 ई. में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का एक परीक्षा केन्द्र कांचीपुर में खोला गया। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट हिन्दी प्रचार के विरुद्ध था। अतः उसने प्रचारकों को बुलाकर डराया-धमकाया। हिन्दी प्रचार कार्य स्वतंत्रता-संग्राम से जुड़ा था। हिन्दी आजादी की लड़ाई की भाषा थी, इसलिए हिन्दी प्रचार कार्य में अंग्रेज शासक बाधक थे। प्रारंभिक हिन्दी प्रचारक **ललित माधव शर्मा, बांके बिहारी** और **केशव कुंजबिहारी जी** ने पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आर्थिक समस्या के बावजूद सूझ-बूझ और निष्ठा के साथ हिन्दी प्रचार का कार्य किया। 1938 में अतुल चन्द्र सिंह ने इम्फाल में हिन्दी की परीक्षा का दूसरा केन्द्र खोला। थोकचोम मधु सिंह और जयेन्द्र शर्मा इम्फाल केन्द्र में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रचारक नियुक्त किए गए और इम्फाल में कई जगह कक्षाएं आरम्भ हुईं। 1939 में यमुना प्रसाद श्रीवास्तव वर्धा से इम्फाल गए। उन्होंने कई जगह भाषण दिए। पुलिस एवं गुप्तचर उनके पीछे लगे थे और उन्हें पकड़ने की योजना थी किन्तु जन-सहयोग के कारण ऐसा नहीं हो सका। 1940 में मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की गई। पं. राधामोहन शर्मा और रघुमणि सिंह ने सभा के प्रचार कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया।

10 मई, 1942 से 1944 तक मणिपुर द्वितीय विश्व युद्ध का रण क्षेत्र बन गया। सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मगर "मणिपुर पाओजेल" और "डसि" नामक समाचार पत्रों के माध्यम से श्री कुंजबिहारी सिंह जी ने हिन्दी और देवनागरी का प्रचार-प्रसार किया और गांव-गांव में हिंदी-वर्ग चलाए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से आचार्य काका साहब कालेलकर और अमृतलाल नाणावटी आदि लोग वहां गए और हिन्दी प्रचार को गति प्रदान की।

द्वितीय विश्वयुद्ध में आजाद हिन्द फौज और अंग्रेज सेना के जमाव के कारण मणिपुर में हिन्दी वातावरण बन गया था। घाटी के साथ-साथ पर्वतीय अंचल में भी हिन्दी उसी समय से बोली और समझी जाने लगी थी। 1946-47 में पं. छत्रध्वज शर्मा ने वर्धा में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे वर्धा में "समिति" के प्रामाणिक प्रचारक नियुक्त किए गए। 1955 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की मणिपुर शाखा के लिए पावना बाजार इम्फाल में शिलान्यास किया गया। आज यह शाखा अपने 52 केन्द्रों तथा प्रचारकों के माध्यम से मणिपुर के कोने-कोने में हिन्दी कक्षाएं चला रही है। यह संस्था प्रतिवर्ष कुछ विद्यार्थियों को वर्धा भेजती है। इस प्रकार मणिपुर के लिए भावी निष्ठावान् प्रचारक भी तैयार कर रही है।

मणिपुर में हिन्दी प्रचार के लिए कई स्वैच्छिक संस्थाओं का जन्म हुआ जिनमें से कई आज भी सक्रिय हैं तो कुछ काल-कवलित हो गईं। सक्रिय संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं के उत्साह और हिन्दी सेवा की जितनी प्रशंसा और सराहना की जाए कम होगी। सरकार से इन संस्थाओं को बहुत ही कम आर्थिक सहायता मिलती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से कभी अनुदान राशि मिलती है, कभी नहीं और मिलती है तो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान। किन्तु फिर भी ये हिन्दी प्रचारक निष्ठापूर्वक निहत्थे भूखे सिपाही के समान जूझते जा रहे हैं। ये स्वैच्छिक संस्थाएं, सेना के समान कठोर अनुशासन का पालन करती हैं। इनके कार्यालय, विद्यालय, वाचनालय और पुस्तकालय सब निश्चित समय पर खुलते हैं। आश्चर्य है कि इतने कम पारिश्रमिक के बावजूद ये हिन्दी सेवी अपना कार्य कर रहे हैं। पारिश्रमिक भी निश्चित नहीं।

मणिपुर में संप्रति निम्नलिखित स्वैच्छिक संस्थाएं सक्रिय हैं :—

—मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, अकामपात, इम्फाल, (1947 से)

—मणिपुर हिन्दी परिषद्, इम्फाल (1953 से)

इन संस्थाओं के केन्द्र मणिपुर के कोने-कोने में हैं। जहां हिन्दी का अध्ययन अध्यापन होता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, असम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और मणिपुर हिन्दी परिषद्, इम्फाल की विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लगभग बीस हजार विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। इम्फाल में दो राष्ट्रभाषा शीघ्र-लिपि एवं टंकण का प्रशिक्षण देने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं भी है।

इन स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जाता है। 1980 से "युमशकैश" (मासिक) का प्रकाशन मणिपुर हिंदी शिक्षक

*अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल।

2808 HA/90—3

संघ द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। अखिल मणिपुर हिन्दी शिक्षक संघ की ओर से 1983 से "कून्दी परेंग" नामक त्रैमासिक का प्रकाशन किया जा रहा है। 1985 से मणिपुर हिन्दी परिषद "मणिपुर हिन्दी परिषद पत्रिका" (मासिक) का प्रकाशन कर रही है।

हिन्दी प्रचार प्रसार में इन स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान की जितनी सराहना की जाए कम है। किन्तु साथ में यह भी कहना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से हिन्दी प्रचार प्रसार का अहित भी किया है। कुछ लोगों ने प्रचार कार्य को व्यावसायिक बना दिया है और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संस्थाओं का उपयोग किया है। उससे इन स्वैच्छिक संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। परीक्षाओं का स्तर भी गिरा है। इन संस्थाओं की उच्चतम उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का सीमित ज्ञान, बोलने की अक्षमता और भाषा की अशुद्धता के कारण इन उपाधियों के प्रति अविश्वास की भावना फैली है। स्वैच्छिक संस्थाओं की गिरती साख आज चिंता का विषय है। सभी स्वैच्छिक संस्थाओं को स्तर की ओर ध्यान देना चाहिए और स्तर में सुधार करके अपनी साख को कायम करना चाहिए। आज इन उपाधियों का सीधा संबंध रोजगार से है। ऐसे बिरले ही लोग हैं जो हिन्दी का अध्ययन केवल ज्ञान के लिए करते हैं। अधिकतर परीक्षार्थी हिन्दी शिक्षक बनने के उद्देश्य से हिन्दी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इन संस्थाओं की उपाधियों को केन्द्र और राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त है। अतः पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोण से हिन्दी के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है।

संस्थाओं के द्वारा वर्ष में दो बार परीक्षाएं ली जाती हैं। इससे स्तर का पतन हुआ है। वर्ष में एक परीक्षा लेने से स्तर में सुधार की संभावना है। परीक्षाओं में बरती जाने वाली उदारता की मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है। जब विदेशी भाषा अंग्रेजी के उच्चारण, वर्तनी एवं भाषा की शुद्धता पर बल दिया जा सकता है तो हिन्दी परीक्षाओं में भी इन बातों को महत्त्व दिया जाना चाहिए। जिससे हिन्दी सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़े।

स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़ी यह समस्या केवल मणिपुर की नहीं बल्कि अन्यत्र भी है। मणिपुर की स्वैच्छिक संस्थाएं हिन्दी के प्रचार प्रसार के साथ प्रकाशनों के माध्यम से मणिपुर की समृद्ध संस्कृति को हिन्दी पाठकों के लिए सुलभ करके राष्ट्रीय एकता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे इस सुदूर संवेदनशील प्रान्त में राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हो सके। □

शेषांश

से काम नहीं चलेगा कि ऐसा करने के लिए बहुत साधन और समय अपेक्षित है।

किसी कार्य को ठीक तरह से न करना उसे सिरे से ही न करने से भी बुरा है और लगता है कि वर्तमान शिक्षा-शास्त्री इस महत् दोष के भागीदार हैं जिसका भयंकर प्रतिफल राष्ट्र के भाषा-स्तर के उत्तरोत्तर ह्रास में परिलक्षित हो रहा है।

अब जबकि हमारे कर्णधार दस+दो की स्कूली शिक्षा पर पुनर्विचार कर रहे हैं। भाषा-शिक्षण के इस पहलू पर भी समुचित विचार-विमर्श अपेक्षित है। सही निर्णय लिए जाने के उपरान्त भाषाओं की परीक्षा में मौखिक-परीक्षा को दिए जाने वाले अंग-भाग का भी फैसला किया जा सकता है। मेरी अल्पमति में इसका क्रम प्राइमरी कक्षाओं में 50 प्रतिशत, माध्यमिक कक्षाओं में 30 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 20 प्रतिशत हो सकता है। इसके साथ साथ 'मौखिक-परीक्षा' में भाषा-शिक्षकों को प्रवीण बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर उनके लिए समूचे राष्ट्र में श्रृंखला-बद्ध प्रशिक्षण-शिविरों का भी आयोजन करना होगा ताकि वे इसकी सही तकनीक से परिचित हो जाएं। चर्चिल महोदय इंग्लैंड वासियों से कहा करते थे कि यदि आपने अंग्रेजी ठीक से सीख ली तो फिर इस बात की परवाह नहीं कि आपने और क्या और कितना सीखा क्योंकि वस्तुतः भाषा पर एकाधिकार अन्यान्य विषयों को सीखना/समझना बहुत आसान बना देता है—यही बात हम अपने यहां की भाषाओं और विशेष कर राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिए कह सकते हैं। □

बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका

□नारायण सिंह खन्ना*

[श्री खन्ना हिंदी में कार्य करने तथा कराने में अग्रणी कार्यपालक हैं। उनके अनुभवों से पाठकगण लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा है:

संपादक]

किसी भी संस्थान की नीतियों के कार्यान्वयन में उसके कार्यपालक की अहम भूमिका होती है। राजभाषा नीति का कार्यान्वयन भी इसका अपवाद नहीं है। सामान्यतः बैंकों में श्रेणी/वेतनमान 4 एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्यपालक के रूप में जाना जाता है। किन्तु प्रस्तुत लेख में हम "कार्यपालक" शब्द के पारिभाषिक अर्थ के झमेले में न पड़ते हुए इसका अभिप्रायः वरिष्ठ स्तर के उस अधिकारी से लेंगे, जिस पर किसी संस्थान की नीतियों के कार्यान्वयन का दायित्व होता है।

जहां तक राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका का प्रश्न है, इसे उसके समग्र दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सरकारी संस्थान में कार्यपालक से जिन कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न किए जाने की अपेक्षा की जाती है, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसकी भूमिका के महत्त्व को ध्यान में रखकर ही राजभाषा नीति के निर्माताओं ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12(1) के अन्तर्गत निम्नांकित व्यवस्था की है :—

"केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय (इसमें बैंक भी शामिल हैं) के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह—

(1) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन समुचित रूप से हो रहा है; और

(2) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।"

यहां "प्रशासनिक प्रमुख" शब्द से आशय कार्यपालक वर्ग से ही है।

किसी भी संस्थान की नीतियों के कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं— प्रत्यक्ष अर्थात् जहां कार्यपालक स्वयं कोई कार्य निष्पादित करता है और परोक्ष, जहां कोई कार्य उसकी देखरेख में उसके सहायक कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी उसकी भूमिका इन दोनों ही रूपों में सामने आती है।

प्रत्यक्ष भूमिका

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यपालक की प्रत्यक्ष भूमिका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का समावेश किया जा सकता है :

(1) विभिन्न दस्तावेजों का द्विभाषिक निष्पादन

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) तथा राजभाषा नियम की व्यवस्था के अनुसार निम्नांकित दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी-दोनों भाषाओं में निष्पादित किया जाना है—संकल्प, सामान्य आदेश (परिपत्र आदि) अधिसूचनाएं, नियम, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रतिवेदन (रिपोर्ट), संविदा, करार, लाईसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा पत्र इनमें से अधिकांश दस्तावजों यथा—परिपत्र (सामान्य आदेश) प्रेस विज्ञप्तियां आदि कार्यपालक स्वयं निष्पादित करता है। अतः इस रूप में उसका दायित्व है कि वह उन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उन्हें एक साथ दोनों भाषाओं में जारी किया जा रहा है। ये दस्तावेज यदि हस्ताक्षर के समय द्विभाषिक रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए हों तो कार्यपालक का दायित्व है कि वह इन्हें दूसरी भाषा के रूपान्तर सहित प्रस्तुत करने के लिए लौटा दे। केवल अपवाद स्थितियों में ही परिपत्र आदि को केवल एक भाषा में जारी किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसका दूसरी भाषा का रूप भी बाद में नियमानुसार (अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर) जारी कर दिया जाए।

(2) हिन्दी में टिप्पण (नोटिंग) करना:

कार्यपालक द्वारा स्वयं सम्पन्न किया जाने वाला एक अन्य मुख्य कार्य अन्य कार्यालयों/अपने विभागों से प्राप्त पत्रों/नोटों पर टिप्पण लिखना होता है। इन्हीं टिप्पणों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सहायक कर्मचारियों द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जाती है। राजभाषा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप हिन्दी पत्रों पर तो हिन्दी में टिप्पणी किया जाना अनिवार्य है ही, साथ ही अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों/नोटों पर भी हिन्दी में टिप्पणियों कर इस दिशा में सम्बद्ध कर्मचारियों को अभिप्रेत किया

*उपमहाप्रबंधक बैंक आफ बड़ौदा उत्तरी अंचल कनाट प्लेस, नई दिल्ली-2

जा सकता है। इस रूप में कार्यपालक द्वारा हिन्दी में लिखा गया एक अथवा कुछेक शब्द उसके सहायक कर्मचारियों के लिए हिन्दी में कार्य करने का एक महान प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। इससे उसके सहायक कर्मचारी यह सोचने को विवश होंगे कि जब वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी में टिप्पणी लिख रहा है तो वह संबंधित पत्र भी हिन्दी में लिखे जाने की अपेक्षा करेगा—कम से कम हिन्दी में लिखे पत्र का विरोध तो नहीं ही करेगा

कार्यपालक द्वारा हिन्दी में टिप्पण लिखने के संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यह जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा की गई टिप्पणी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक एवं परिनिष्ठित हो। इसके लिए वह सीधी-सादी एवं सरल भाषा का प्रयोग कर सकता है तथा किसी अंग्रेजी शब्द का हिन्दी रूपान्तर ध्यान में न आने पर उस अंग्रेजी शब्द को ही देवनागरी लिपि में लिखकर अपना काम चला सकता है। ऐसे कार्यपालकों द्वारा, जिन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, दैनिक प्रयोग में आने वाली कुछ प्रमुख टिप्पणियों को एक कागज पर लिखकर अपने कार्य की मेज पर उपलब्ध रखा जा सकता है अथवा एक चार्ट के रूप में उन्हें सामने की दीवार पर टांगा जा सकता है ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया जा सके।

(3) हिन्दी पत्रों के उत्तर

राजभाषा नियमों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं। कार्यपालक के पास हस्ताक्षर के लिए आने वाले पत्रों के साथ प्रायः पूर्ववर्ती पत्राचार भी संदर्भ हेतु संलग्न रहता है। इस रूप में कार्यपालक के पास यह अवसर होता है कि वह सुनिश्चित कर सके कि कहीं दूसरी ओर से हिन्दी में आए पत्र का उत्तर अंग्रेजी में तो नहीं जा रहा है। ऐसा दिखाई पड़ने पर वह संबंधित अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर इसे दूर करने के निर्देश दे सकता है।

(4) हिन्दी में मूल पत्राचार

मूल पत्राचार किसी भी कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य का महत्त्वपूर्ण पक्ष होता है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष "क", "ख" और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों को हिन्दी में मूल पत्राचार के अलग-अलग लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष (1989-90) के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को प्रदान किए गए ये लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	1990-91 के लक्ष्य
"क" क्षेत्र-90 % (25 % तार भी)	90% (40% तार टेलेक्स भी)
"ख" क्षेत्र-50 %	60% (30% तार टेलेक्स भी)
"ग" क्षेत्र-10 %	20%

अपने पास हस्ताक्षर के लिए आने वाले पत्रों के माध्यम से कार्यपालक मूलपत्राचार के संबंध में उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का जायजा ले सकता है तथा इसमें कोई कमी दिखाई पड़ने की स्थिति में उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। इस दिशा में अपेक्षाकृत तीव्रतर गति से मूल पत्राचार में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दैनिक प्रयोग के नेमी पत्राचार के नमूनों के मानक प्रारूप तैयार किए जा सकते हैं जिनके आवश्यक कालमों में हिंदी में प्रविष्टियां कर मूल हिंदी पत्राचार को बढ़ाया जा सकता है। "क" क्षेत्र के कार्यपालक द्वारा तारों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

(5) कार्यालयीन बातचीत तथा समारोहों/सम्मेलनों में दिए जाने वाले वक्तव्य

कार्यालयीन बातचीत कार्यालय के पूरे कामकाज का एक अभिन्न अंग है। किसी भी संस्थान में कार्यपालक को अपने सहायकों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर विभिन्न प्रकार का विचार-विमर्श भी करना होता है अगर अपनी इसी कार्यलयीन बातचीत में हिंदी का प्रयोग करें तो इससे भी उसे अपने कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किए जाने के अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार विभिन्न समारोहों/सम्मेलनों आदि में भी उसे प्रतिभागियों को उद्बोधित करने का अवसर मिलता है। ऐसे अवसरों पर उसके द्वारा हिंदी के प्रयोग के पक्ष में कहा गया एक वक्तव्य उपस्थिति कर्मचारियों एवं जनसमुदाय पर जादू का सा असर कर सकता है। हिंदी कार्यशालाओं आदि के उद्घाटन के अवर पर उसके द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य तो उपस्थित प्रतिभागियों के मानसिकता को सीधे ही प्रभावित करते हुए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन को और सार्थक बना देते हैं। शाखा प्रबंधकों की बैठकों में भी इसी प्रकार के वक्तव्यों के माध्यम से उन्हें हिंदी के प्रयोग के लिए उद्बोधित किया जा सकता है।

(6) शाखा निरीक्षण के समय हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन

कार्यपालक के दायित्वों में एक यह भी है कि वह समय-समय पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण कर मौके पर जा कर उनकी प्रगति की समीक्षा करे। कार्यपालक द्वारा यह कार्य सम्पन्न करने के लिए प्रायः एक निरीक्षण सूची का उपयोग किया जाता है जिसके आधार पर वह शाखा/कार्यालय के विभिन्न पक्षों पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करता हुआ एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके आधार पर वहां पाई गई कमियों के प्रति अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। यदि कार्यपालक इस निरीक्षण सूची में हिंदी के प्रयोग संबंधी मद् को भी शामिल कर ले तथा उसके अनुरूप शाखा में हिंदी की प्रगति का सही मूल्यांकन भी करे तो शाखा/कार्यालय इस दिशा में सचेत रहकर अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे तथा अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से इस दिशा में पाई गई कमियों को भी दूर किया जा सके।

इसी प्रकार छिटपुट अन्य अनेक कार्यों का भी उल्लेख किया जा सकता है। जिनमें कार्यपालक की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है।

परोक्ष भूमिका

कार्यपालक की परोक्ष भूमिका के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो उसकी देखरेख में उसके सहायक कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। इस रूप में भी कार्यपालक की भूमिका कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को रखा जा सकता है:—

(1) वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर कार्य योजना तैयार करना

संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 की व्यवस्थाओं के अनुरूप भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम जारी किया जाता है जो प्रायः केन्द्रीय कार्यालय के माध्यम से उसके कार्यालयों/शाखाओं को प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के होते ही कार्यपालक का दायित्व है कि वह तुरन्त अपने यहां गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाने के लिए समिति सचिव को निर्देश दे ताकि उस कार्यक्रम पर मदवार चर्चा करते हुए इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा सके। इतना ही नहीं उसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश देकर उस कार्ययोजना का सुचारु कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(2) राजभाषा के प्रयोग से संबंधित विभिन्न विवरणियों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करना

किसी भी संस्थान द्वारा किसी दिशा में की गई प्रगति की जानकारी उसके द्वारा अपने उच्च कार्यालय को प्रस्तुत की गई विवरणियों से ही मिलती है। राजभाषा अनुभाग/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजभाषा के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरणियां भेजे जाने की व्यवस्था की गई है:—

1. तिमाही प्रगति रिपोर्ट (त्रैमासिक)

2. रिजर्व बैंक गवर्नर राजभाषा शील्ड (वार्षिक)

इसके अतिरिक्त कुछ संस्थान अपने अधिनस्थ कार्यालयों से अर्द्धवार्षिक/मासिक प्रगति रिपोर्टें भी मंगवाते हैं। कार्यपालक का दायित्व है कि वह अपने राजभाषा कक्ष/विभाग के माध्यम से इन विवरणियों को समय पर उच्च कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करे कि उन विवरणियों के माध्यम से दी जा रही सूचना सही एवं नियमानुसार है।

(3) कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण

राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुरूप हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया जाना है तथा अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को भी हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। नई भर्ती के समय हिन्दी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के प्रतिशत 'क' क्षेत्र में 60 प्रतिशत 'ख' क्षेत्र में 30 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 12 प्रतिशत होने तक हिन्दी के ही भर्ती करने का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रायः बैंकों में इस कार्य को राजभाषा कक्ष/विभाग द्वारा कार्मिक/प्रशासन विभाग के साथ समन्वय करके सम्पन्न किया जाता है। इस कार्य के लिए कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान के आधार पर एक "रोस्टर" तैयार करते हुए पात्र कर्मचारियों को एक योजना बनाकर उन्हें बारी-बारी से प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यपालक को चाहिए कि वह इन विभागों पर निगरानी रखते हुए इस आवश्यकता का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

(4) कार्यालयों/शाखाओं को राजपत्र में अधिसूचित करना

राजभाषा नियम 1976 की व्यवस्था के अनुसार ऐसे सभी कार्यालयों/शाखाओं को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है जिनके 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। कार्यपालक का दायित्व है कि वह राजभाषा कक्ष/विभाग के माध्यम से अपने सभी शाखाओं/कार्यालयों का सर्वेक्षण कराकर पात्र शाखाओं/कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचिति करने की व्यवस्था करें।

(5) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यशालाओं के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कक्ष/विभाग द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्र के साथ उचित ताल-मेल करके वर्षभर की जाने वाली कार्यशालाओं की योजना पहले से ही तैयार कर ली जानी चाहिए। साथ ही इन कार्यशालाओं में समुचित उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं।

(6) हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन

कर्मचारियों के बीच राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया जाना चाहिए। इस कार्य का समन्वय राजभाषा कक्ष/विभाग द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर आयोजित सप्ताह/पखवाड़ा में प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं एवं अन्य तरीकों से कर्मचारियों को हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग के प्रति अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

(7) पूरा कार्य हिन्दी में करने के लिए विभागों/कार्यालयों का निर्धारण :—

कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग को छोड़कर कुछ अन्य विभागों को भी पूरा कार्य हिन्दी में करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे प्रेरणा लेकर शेष विभाग भी प्रोत्साहित हों। इस कार्य को कार्यालयों में राजभाषा कक्ष/विभाग के माध्यम से सम्पन्न किया जा सकता है।

(8) हिन्दी पुस्तकों की खरीद

कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने एवं आवश्यक संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप कुल बजट का एक निर्धारित प्रतिशत (25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक) भाग हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर ही खर्च किया जाना चाहिए। इस कार्य को राजभाषा कक्ष/विभाग के माध्यम से सम्पन्न किया जा सकता है तथा पुस्तकों के चयन के लिए एक उपसमिति का गठन भी किया जा सकता है।

(9) रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनवाना

प्रायः उपर्युक्त पट एवं मोहरें आदि किसी शाखा/कार्यालय के खुलने के समय ही बनवाई जाती हैं तथा यह कार्य परिसर एवं उपकरण विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। कार्यपालक को चाहिए कि वह संबंधित विभाग को इस प्रकार के निर्देश जारी करें कि इस अवसर पर तैयार किए जाने वाले सूचना पट्ट आदि नियमों के अनुसार द्विभाषिक रूप में ही तैयार किए जाएं।

(10) विविध यांत्रिक उपकरणों की खरीद

भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि खरीदे जाने वाले विभिन्न यंत्र एवं उपकरण तथा टैलेक्स मशीन, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग उपकरण आदि द्विभाषिक रूप में हों। साथ ही टाइपराइटरों का एक निर्धारित प्रतिशत भाग भी देवनागरी टाइपराइटरों का हो। ('क' क्षेत्र में 60% 'ख' में 30% और 'ग' में 12%) बैंकों में यह कार्य प्रायः परिसर एवं उपकरण विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यपालक द्वारा उस विभाग को यह निर्देश देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित विभाग द्वारा यह खरीद नियमों के अनुरूप की जा रही है।

(11) फार्मों, रजिस्टरों एवम् लेखन सामग्री की अन्य मदों में हिन्दी का प्रयोग

राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुरूप फार्मों, रजिस्टरों एवम् लेखन सामग्री की अन्य मदों को द्विभाषी (कहीं-कहीं त्रिभाषी भी) रूप में तैयार किया जाना है। यह कार्य प्रायः लेखन सामग्री विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। कार्यपालक का दायित्व है कि वह इस विभाग के कामकाज पर नजर रखते हुए उपर्युक्त का नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(12) राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच बिन्दुओं का निर्धारण

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा नियमों एवं तत्संबंधी निर्देशों के अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाए। इसके साथ ही जहां ऐसे जांच बिन्दु पहले से ही निर्धारित किए जा चुके हैं उनके बारे में यह सूचित करें कि यह सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

अन्य

राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी उपर्युक्त आवश्यकताओं के साथ-साथ ऐसी छोटी-मोटी अनेक और भी आवश्यकताएं हैं जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यथा पत्रों पर पते आदि हिन्दी में लिखना, हिन्दी भाषी क्षेत्र के कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही हिन्दी में करना, विज्ञापन आदि नियमानुसार दोनों भाषाओं में जारी करना आदि आदि। इन सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक द्वारा संबंधित विभागों को न केवल उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिएं बल्कि उनके कार्यान्वयन पर भी बराबर नजर रखी जानी चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यपालक की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः आज की प्रशासन पद्धति में कार्यपालक ही वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा प्रशासन तन्त्र घूमता है तथा इस धुरी का रुख ही किसी कार्यालय के सम्पूर्ण कार्यकलाप की दिशा को निर्धारित करता है। इस रूप में उसका दायित्व है कि वह राजभाषा जैसे संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दे को भी समुचित गंभीरता से लेते हुए अपने सहयोगियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। कार्यालयीन कामकाज इस पक्ष के प्रति उपेक्षा भाव दिखाकर संभवतः वह अपने पद के प्रति सम्पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगा। □

तकनीकी लेख

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग

□डा. ओम विकास*

हिन्दी के प्रचार–प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग

दिन के तीन बजे थे। फोन आया। एक महिला डिप्टी सेक्रेटरी ने प्रश्नों की बौछार कर दी। मैं अस्वस्थ्य चल रहा था, इतने अधिक प्रश्नों के उत्तर देते-देते थक गया। बात समाप्त हुई और मैंने राहत की सांस ली।

सारे प्रश्न कम्प्यूटर में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में थे। ऐसे ही अनेक प्रश्न कम्प्यूटर में सभी भारतीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में उठाए जाते होंगे।

पहला प्रश्न था, कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों है? दूसरा प्रश्न था, इस दिशा में अब तक क्या क्या हो चुका है? तीसरा प्रश्न था, इस सम्बन्ध में विकसित टैक्नोलोजी कहां-कहा उपलब्ध है और इसका अनुमानित मूल्य क्या है? चौथा प्रश्न था, हिन्दी में कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षण/प्रशिक्षण की क्या-क्या योजनाएं है? पांचवां प्रश्न था, कम्प्यूटर से अनुवाद की क्या संभावनाएं है? छटा प्रश्न था कम्प्यूटर पर भाषायी अध्ययन और प्रशिक्षण में कम्प्यूटर की क्या भूमिका है? इत्यादि। ऐसे ही कुछ प्रश्न अ.भा.हि.सं., संघ के श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने भेजे। आओ, इनके उत्तर ढूंढ़े।

भारतीय भाषाओं में यन्त्रीकरण—आवश्यकता और उपयोग

प्रश्न : 1 हमारे देश में जनशक्ति का अभाव नहीं है, फिर भी भारतीय भाषाओं में यंत्रीकरण क्यों?

उत्तर : यन्त्रों का विकास कम लागत पर अधिक उत्पादन करने की दिशा में आवश्यक बना। औद्योगिकीकरण पश्चिम देशों की प्रगति का प्रमुख औजार बना। इसी कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच दूरी बढ़ती गई। परिणामस्वरूप विकसित देशों में जीवनस्तर सुधरता गया और यह विकासशील देशों के लिए लक्ष्य बनता गया।

विकसित देशों में यंत्रों का विकास उनकी भाषा और संस्कृति के अनुकूल हुआ। विकासशील देशों में इसे प्रयोग में लाकर कुछ उत्पादन तो बढ़ा लेकिन जनसामान्य के द्वारा इसे अपनाए जाने और आगे विकास की प्रक्रिया में इसकी भागीदारी की दिशा में सफलता नहीं मिल पाई।

यंत्रों के प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए यह आवश्यक है कि यंत्रों के विकास और प्रयोग संवर्धन की प्रक्रिया में जनसामान्य की भागेदारी बढ़ायी जाय जिससे विकास के नए आयाम, खुले, नए नए कार्यक्षेत्र विकसित हों। जिसमें अधिक से अधिक जनशक्ति को जुटाया जा सके और सबके समन्वित प्रयास से जनसामान्य का जीवनस्तर ऊपर उठाया जा सके।

प्रश्न : 2 यंत्रों के बढ़ते प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो फिर यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा क्यों दिया जाए?

उत्तर: यह सच है कि यंत्रों के प्रयोग से कम से कम जनशक्ति को लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार एक विशेष परिस्थिति में उत्पादन की प्रक्रिया में यंत्रीकरण से कम जनशक्ति की आवश्यकता होगी और यह कमी बेरोजगारी बढ़ने का द्योतक मालूम पड़ती है। लेकिन विचार करने पर हम पाते है कि यंत्र के निर्माण और प्रयोग से संबंधित पदार्थों और कल पुर्जों के लिए उद्योग क्षेत्र विकसित होते हैं। इस प्रकार रोजगार के नए अवसर विस्थापित रोजगार की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं। समय की बचत मनुष्य को कल्पनाशील बनाती है और इस प्रकार नवीन आविष्कारों का जन्म होता है। हां, इसमें राष्ट्रीय योजना का भी बहुत महत्त्व है, जिससे स्वदेशी विकास को निरन्तर बढ़ावा मिले और आयात को कम से कम किया जाय।

प्रश्न 3: यंत्रों से उत्पादन बढ़ता है, तो उसमें भारतीय भाषाओं के प्रयोग की चिन्ता क्यों?

उत्तर : यंत्रों को हम मानव के सहायक के रूप में देख सकते हैं। कुछ यंत्र, मानव-शक्ति बचाने के लिए विकसित हुए जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, टाइपराइटर आदि। मानव बुद्धि को विस्थापित करने के लिए कम्प्यूटरों का विकास हुआ। सबसे पहले मानव शक्ति विस्थापन यंत्रों का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसके बाद पिछले दशक के अन्तराल में बुद्धि-विस्थापन यंत्रों का विकास हुआ और सूचना क्रांति का अभ्युदय हुआ। सूचना मनुष्य के हित में मनुष्य

*इलेक्ट्रानिकी विभाग तल, 3 लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

के द्वारा समझी जाने वाली और एक मनुष्य से दूसरे तक पहुंचाए जाने वाली वस्तु है। आज सूचना का महत्व इतना बढ़ गया है कि अब माना जाने लगा है कि जिस देश के पास जितनी अधिक सूचना है, और इसे छानबीन कर संसाधित करने की क्षमता है, वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार सूचना एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गयी है।

कम्प्यूटर वह यंत्र है जो सूचना को लेता है उसे संसाधित करता है व्यवस्थित ढंग से छानबीन करता है, और उपयोगी सूचना प्रदान करता है। सूचना मानव-भाषा में होती है। इसलिए भारतीय समाज में कम्प्यूटर जैसे बुद्धि-विस्थापन यंत्रों का प्रयोग सफलता पूर्वक करने के लिए आवश्यक है कि इनमें सूचना का भारतीय भाषाओं में लेकर और इसे कम्प्यूटर में संसाधित करके भारतीय भाषाओं में ही उपयोगी सूचना दे सके।

द्विभाषिक यन्त्र कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर और टाइपराइटर

प्रश्न 4: टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटर के संदर्भ में राजभाषा हिन्दी की द्विभाषिक आवश्यकता कहां तक है ?

उत्तर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), के अनुसार संपूर्ण देश में सभी केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों उपक्रमों तथा बैंकों आदि में सभी सामान्य आदेश टेंडर, टेंडर पेपर्स, करार लाइसेंस तथा परमिट हिन्दी में बनने अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 में वर्णित 'क' और 'ख' क्षेत्रों में लगभग सारे पत्रादि हिन्दी में ही होने जरूरी है। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टाइपराइटर और इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटरों में द्विभाषिक सूचना संसाधन की सुविधा उपलब्ध हों। इस संबंध में राजभाषा विभाग ने आदेश का.ज्ञा. 30 मई 85, 31 अगस्त, 87, 15 जून, '87, 14 जनवरी, '88 और 28 मार्च, '88 को जारी किए है।

प्रश्न 5: द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर कौन बनाता है और उनका कितना मूल्य है ?

उत्तर अब तक मेकेनिकल टेलीप्रिंटर केवल हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. मद्रास में ही बनाए जाते थे। यह उपक्रम दूर संचार विभाग के अन्तर्गत है। सन् 1983 से इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाए जाने के लिए पहल की गई और 1988 से द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर हि.टे.लि. मद्रास से उपलब्ध होने लगे है। इसके अतिरिक्त एन.आई.टी.ई.एल. (निटेल) भोपाल, सी.एम.सी. और टाटा वरोज लि. में भी द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर तैयार किए जाते है।

एच.टी.एल. से इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर लि. को लीज के आधार पर दिया जाता है, इनका अनुमानित मूल्य लगभग 1.5 लाख है।

प्रश्न 6: कहते हैं कि इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बहुत महंगे होते हैं, तो फिर इस के प्रचलन पर बल क्यों दिया जाता हैं ?

उत्तर : टाइपराइटर तीन प्रकार के होते है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक। मैकेनिकल टाइपराइटर का उत्पादन गोदरेज, हालडा, रेमिंगटन और फेसिट करते है: इसके कुंजीपटल का डिजाइन राजभाषा विभाग के द्वारा संस्तुत मानक डिजाइन के आधार पर है। इसमें 53 कुंजियां होती हैं। कुंजी पटल का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक टंकण गति मिल सके और भाषाई शुद्धता एवं टंकण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कुछ टंकण लिपि विशेषज्ञों की राय में वर्तमान कुंजी पटल को सुधारा जा सकता है।

नागरी के लिए इलेक्ट्रिक टाइपराइटर सबसे पहले आई०बी० एम. और बाद में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. ने बनाए लेकिन इनका प्रयोग बढ़ न सका क्योंकि इस बीच द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर भी उपलब्ध होने लगे जिनका निर्माण गोदरेज और नेटवर्क कम्पनियां करती हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों का मूल्य क्रमशः 5,000, 10,000, 25,000 रुपये है। इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर में अंग्रेजी और अन्य किसी भारतीय लिपि के लिए अलग-अलग डेजीव्हील का प्रयोग किया जाता है इसका रिबन भी विशेष प्रकार का होता है। नए रिबन की कीमत करीब 120 रुपए और रिफल करने का मूल्य लगभग 60 रुपए होता है। एक रिबन से लगभग 60 पृष्ठ टाइप हो पाते हैं। इस प्रकार प्रति पृष्ठ टंकण मूल्य कम से कम एक रुपया पड़ता है, जबकि मैकेनिकल टाइपराइटर में कार्बन रिबन बहुत सस्ता होता है इसलिए टंकण मूल्य 2 पैसे प्रति पृष्ठ पड़ता है।

इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर महंगा होते हुए भी इसके प्रचलन के मुख्य कारण हैं :

1. द्विभाषिकता 2. टंकित सामग्री का मेमोरी में संचयन (स्टोर) 3. वर्ड प्रोसेसिंग (शब्द समायोजन की सुविधा) 4. त्रुटि संशोधन की उत्तम सुविधा 5. सुन्दर प्रिन्ट और तेज गति।

प्रश्न 7: इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर में वर्ड प्रोसेसिंग (शब्द समायोजन) की सुविधा क्या है ?

उत्तर आप देखते हैं कि कोई लेख या रिपोर्ट तैयार प्रायः करते समय उसमें शब्दस्तर, वाक्यस्तर और पैराग्राफ स्तर पर संशोधन करने पड़ते हैं। कभी-कभी पूरे पैराग्राफ को एक जगह से दूसरे जगह कर दिया जाता है और कभी-कभी पूरे लेख में एक शब्द को बदलकर दुबारा शब्द लिखते है। शीर्षक थोड़े मोटें, अधोलिखित या मध्य में रखना चाहते हैं। प्रेस की छपी पुस्तकों में बाएं और दाएं मार्जन निश्चित होते है और वहीं पर इसी मार्जन पर सभी लाइनों का प्रारम्भ

एवं अन्त होता है। इसे जस्टीफिकेशन कहते है। इस प्रक्रिया को टंकण के साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती रही है। ऐसी सभी सुविधाओं को कम्प्यूटर में प्रोग्राम लिखकर वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा लाया जा सका। कालान्तर में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर के साथ मैमोरी लगाकर वर्ड प्रोसेसिंग साफटवेयर चलाना आसान और कम खर्चीला बन गया। इसमें सीमित मैमोरी का प्रयोग होने के कारण अधिक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर साफटवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए कम्प्यूटर में पाए जाने वाले वड प्रोसेसर की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर कुछ कम सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है। लेकिन सामान्य कार्यालयीन आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

प्रश्न 8 : क्या इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है? यदि हाँ तो सूचना आदान-प्रदान केलिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं?

उत्तर : हां, इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। दो यंत्रों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के क्रम और वोलटेज-स्तर स्वीकृत मानक के अनुसार होने चाहिए। कम्प्यूटर के साथ आर.एस. 232 सी. इंटरफेस स्वीकृत मानक है।

सूचना के आदान-प्रदान के लिए किसी मानव भाषा का प्रयोग नहीं होता यह उच्च निम्न सिगनल पर आधारित है जिन्हें 0–1 सिगनलों से पहचाना जाता है। एक सिगनल से दो अवस्थाएं, दो सिगनलों से चार: तीन सिग्नलों के 2+2+2+2+8 और आठ सिगनलों से 256 अवस्थाएं सम्भव हैं। प्रत्येक सिगनल संकेत को दयंक (बिट) कहते हैं। अंग्रेजी के लिए 26 छोटे + 26 बड़े अक्षर, 10 अंक, कुछ विशेष चिन्ह आवश्यक हैं। इसलिए रोमन के लिए 7 बिट प्रति वर्ण आवश्यक है। ग्राफिक प्रयोग को आसान बनाने के लिए और अधिक संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 8 बिट प्रतिवर्ण का प्रचलन मानक बनता गया पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं के लिए कोड तैयार करने की दिशा में काफी चर्चाएं और प्रयोग किए गए। जून 1988 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सभी भारतीय लिपियों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए मानक कोड (इस्की) संस्तुत किया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर माना जाना अनिवार्य बनाया गया। यह मानकीकरण इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया गया था।

प्रश्न 9 : क्या कोड की तरह कुंजी पटल के डिजाइन में भी एक रूपता अनिवार्य है?

उत्तर : सूचना का आदान-प्रदान किन्हीं दो यंत्रों के बीच में सुलभ बनाने के लिए मानक कोड अनिवार्य है। जबकि कुंजी पटल का डिजाइन प्रयोगकर्त्ता की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। स्कूलों में प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटर के कुंजीपटल पर स्वर और व्यंजन एक ही क्रम में रखे गए है, जिससे बच्चों को कुंजिया पहचानने में आसानी हो। उनके लिए टंकण गति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलीप्रिंटरों व कम्प्यूटर के कुंजीपटलों का डिजाइन एक सा हो जिससे पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो। इस समय दो प्रकार के कुंजी पटल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ग्राफिक कुंजीपटल जो मैकेनिकल टाइप-राइटर के कुंजीपटल के अनुरूप हैं। फोनेटिक (ध्वन्यात्मक) कुंजीपटल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जून 88 में ध्वन्यात्मक कुंजीपटलों के डिजाइन को प्रस्तावित किया है।

ध्वन्यात्मक कुंजीपटल में परिवर्धित देवनागरी के सभी स्वर मात्राओं व व्यजनों को स्थान दिया गया है, जिससे एक ही कुंजीपटल सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हो। ध्वन्यात्मक कुंजीपटल में परिवर्धित देवनागरी के सभी स्वर मात्राएं व व्यंजन को स्थान दिया गया है जिसे एक ही कुंजी पटल सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हो।

ज्ञातव्य है कि भारतीय भाषाओं की लिपियों में काफी समानता है उनकी वर्ण भाषाओं में वर्ण क्रम भी एकरूपता है इसलिए परिवर्धित देवनागरी का कोई वर्ण जैसे की अन्य भाषाओं में भी उसी वर्ण को दिखाता है। इसलिए 8 बिट कोड से भाषा के चयन के अनुसार एक ही ध्वनि का वर्ण भिन्न-भिन्न लिपियों में लिखा जा सकता है अर्थात कम्प्यूटर से भारतीय भाषाओं के बीच लिप्यतंरण तुरन्त हो जाता हैं।

प्रश्न 10 : कार्यालय में पाए जाने वाले कम्प्यूटरों को द्विभाषिक कैसे बनाया जा सकता है?

उत्तर : सभी कम्प्यूटरों में सूचना की लघुतम इकाई एक वाइट होती है। इसमें 8 बिट (द्वयंक) का समूह है। प्रायः रोमन के लिए आस्की कोड का प्रयोग किया जाता है। 8 बिट इस्की कोड को पहचानने और तदनुसार स्क्रीन और प्रिंटर पर अक्षर छापने की सुविधा होती है।

भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की वित्तीय सहायता से बहुभाषी टर्मिनल का विकास किया गया और अब बहुभाषी कार्ड भी उपलब्ध है। बहुभाषी टर्मिनल को बड़े कम्प्यूटर से जोड़ा जा सकता है। बहुभाषी कार्ड को आई.बी.एम., पी.सी. एक्स.टी. व ए.टी. में लगाकर इन्हें द्विभाषिक बनाया जा सकता है। टर्मिनल का मूल्य लगभग 17 हजार रुपए व कार्ड का मूल्य लगभग 10 हजार रुपए पड़ता है।

प्रश्न 11 : वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर भी मिलती है तो फिर द्विभाषीय कम्प्यूटरों का प्रयोग कहां किया जाता है ?

उत्तर : यह सच है कि वर्ड प्रोसेसिंग की सीमित सुविधा द्विभाषिक इलेट्रॉनिक टाइपराइटरों में भी उपलब्ध है लेकिन इन्हें प्रोग्रामिंग और डेटाकोश निर्माण के लिए काम में नहीं ला सकते। पर्सनल कम्प्यूटर बहुत ही शक्तिशाली साधन है। यह एक ऐसा औजार है जिससे भिन्न-भिन्न प्रयोग क्षेत्रों में प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। कम्प्यूटर बेसिक, कोबोल, प्रोलोंग, आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं में द्विभाषिक सूचना के संसाधन के लिए प्रोग्राम तैयार किए जा सकते है। डेटा कोश साफवेयर (डी बेस) महातालिका (स्प्रेड शीट) जैसे सुपर केल्क आदि का प्रयोग द्विभाषिक संभव है।

प्रश्न 12 : बहुभाषी टर्मिनल व कार्ड कहां से उपलब्ध हो सकते हैं उनके प्रयोग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्याक्या है ?

उत्तर : बहुभाषी टर्मिनल एवं कार्ड क्वार्क, ब्लूस्टार, वी. एस.एस. और गोदरेज से मिल सकते हैं। इनके अतिरिक्त यह टेक्नोलोजी एच.सी.एल. इकिम, निटेल, सोलुस्तान, और उषा माइक्रोप्रोसेर्स को भी उपलब्ध करायी गई है। इनके पते परिशिष्ट में दिए गए हैं। (परिशिष्ट-2)

प्रश्न 13 : भारतीय लिपियों के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन-कौन से है ? क्या डेटा संसाधन प्रधान क्षेत्रों में भारतीय लिपियों के लिए तेज गति के प्रिंटर उपलब्ध है ?

उत्तर : रोमन रैखिक लिपि है जब कि भारतीय लिपियों में मात्राएं-अक्षर के ऊपर अथवा नीचे लगायी जाती हैं, इसलिए बिन्दु जाल (डाट मेट्रिक्स) की सहायता से मात्रा सहित अक्षर निर्माण के लिए कम से कम चौदह ऊर्ध्व बिन्दु आवश्यक है। अंग्रेजी के लिए (7 × 5) साइज के डाट मैट्रिस हैड प्रयुक्त किये जाते हैं, जो देवनागरी आदि भारतीय लिपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रायः इस प्रकार के प्रिंटर पर देवनागरी प्रिंट करने के लिए दो या तीन पास की आवश्यकता होती है, जिससे मुद्रण गति भी कम हो जाती है। एल एन टी 9 पिन डाट मैट्रिक्स प्रिंटर एक लाइन दो पास में प्रिंट कर सकता है। आजकल 24 पिन के प्रिंटर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जो भारतीय लिपियों के लिए उपयुक्त हैं। इनकी गति लगभग 300 अक्षर प्रति सैकेंड है। इन पर देवनागरी में मुद्रण एक पास में ही सम्भव है।

डेटा संसाधन प्रधान क्षेत्रों में मुद्रण गति 300 लाइन प्रति मिनट से अधिक अपेक्षित है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज गति के डाट मैट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध है। लिपि डेटा सिस्टम उच्च गति के बहुभाषीय भारी काम योग्य (हैवी ड्यूटी) लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर पश्चिमी जर्मनी की फर्म मेनिस मैन टेली के सहयोग से बनाने जा रहा है। एम.टी. 660 लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर से रोमन के लिए 600 लाइन प्रति मिनट और देवनागरी के लिए लगभग 200 लाइन प्रति मिनट की गति सम्भव है। इसी के दूसरे उत्पाद से रोमन के लिए 900 लाइन प्रति मिनट और देव नागरी के लिए लगभग 300 लाइन प्रति मिनट की मुद्रण गति सम्भव है। इस प्रकार के प्रिंटर का मूल्य लगभग 1,25,000 रुपए होगा।

इस प्रकार के प्रिंटर बैंकिंग, बीमा निगम, रेलवे आदि क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

प्रश्न 14 : क्या पर्सनल माइक्रो कम्प्यूटर के साथ द्विलिपिक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को जोड़ा जा सकता है।

उत्तर : 14 द्विलिपिक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नेटवर्क और गोदरेज कंपनियों से उपलब्ध है। इसमें डजीव्हील (पुष्प चक्रिका) का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को इसी कंपनी के द्वारा दिए गए इंटरफेस के मध्यम से पर्सनल कम्प्यूटर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन इससे केवल रोमन में ही मुद्रण सम्भव है, देवनागरी में नहीं। इस इंटरफेस का अतिरिक्त मूल्य लगभग 1500 रुपए है। आवश्यकता है कि रोमन के साथ-साथ देवनागरी मुद्रण के लिए इंटरफेस का विकास शीघ्र किया जाए। ज्ञातव्य है कि इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों पर प्रयुक्त देवनागरी कोड भारतीय लिपियों के लिए मानक कम्प्यूटर कोड "इस्की" से भिन्न है।

भारतीय भाषाओं में भी कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए दो मुख्य उत्पादन है : बहुभाषी टर्मिनल और दूसरा बहुभाषी कार्ड। इन्हें किसी भी पर्सनल कम्प्यूटर पी.सी. से जोड़ा जा सकता है। बहुभाषी टर्मिनल किसी भी पी. सी./ए.टी. पर या एक या एक से अधिक प्रयोक्ताओं के लिए जोड़े जा सकते हैं। बहुभाषी टर्मिनल के द्वारा भारतीय लिपि में आगम-निर्गम (इनपुट आउटपुट) तथा प्रयोग्रामन केवल यूनिक्स /जैनिक्स आपरेटिंग सिस्टम के अन्तर्गत किया जा सकता है।

बहु भाषी कार्ड को किसी भी पी० सी०ड एक्स० टी० (टेक्नोलोजी एक्सटेंडेट) अथवा ए०टी० (एडवांस्ड टेक्नोलाजी) के अन्दर लगाया जा सकता है। बहुभाषी कार्ड के द्वारा भारतीय लिपियों में आगमन-निर्गम (इनपुट--आउटपुट) तथा प्रोगामन केवल एम एस डोस के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसे यूनिक्स/जैनिक्स आपरेटिंग सिस्टम पर प्रयोग नहीं कर सकते। बहुभाषी कार्ड के प्रयोग के लिए एम०पी० ए० हरक्यूलिस कार्ड तथा मोनोक्रोम मोनिटर का होना आवश्यक है। जिससे कि उच्च ग्राफिक सौष्ठव (हाई रेज्योलयूशन) 720; 350 बिन्दु जाल मिल सके। ज्ञातव्य है कि आप रिटर्निंग सिस्टम एक बड़ा

जारी पृष्ठ 26

साहित्यिकी

पंजाबी भाषी और हिंदी लेखन वाक्य संरचना के संदर्भ में

□डॉ. (श्रीमती) शशि मित्तल*

आज देश के अनेक राज्यों में राष्ट्रभाषा हिन्दी को अन्य-भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। यह एक विशिष्ट शिक्षण कार्य है, क्योंकि, अन्य-भाषा के अधिगमन के समय छात्र अपनी मातृभाषा के व्यावहारिक ज्ञान को पूर्वतः अर्जित किए होता है, जो लक्ष्य भाषा अधिगम में व्यवधान उत्पन्न करता है। यह समस्या समस्त हिंदीतर भाषा-भाषियों के समक्ष अन्य-भाषा के रूप में हिन्दी सीखते हुए आती है।

प्रस्तुत लेख में पंजाबी भाषी छात्रों द्वारा हिन्दी लेखन में की जाने वाली कुछ व्याकरणिक अशुद्धियों की ओर संकेत किया गया है। शब्द व वाक्य स्तर पर प्राप्त इन त्रुटियों को क्रमशः संज्ञा; सर्वनाम; परसर्ग; क्रिया; विशेषण, क्रियाविशेषण, योजक व अव्यय तथा वाक्य-रचना, इन छः भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक प्रकार के शब्दों में ही उनकी रूप-रचना तथा शब्द प्रयोग विषयक दोषों को विश्लेषित किया गया है।

संज्ञा—संज्ञा शब्द विकारी हैं। इनमें कारक, वचन व लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है। सभी छात्रों ने इन शब्दों की कारकीय रूप-रचना संबंधी अनेक त्रुटियां की हैं—

(क) पंजाबी प्रभाव—

विभक्ति रहित रूप व सविभक्ति रूप के परस्पर प्रयोग में गलती

पंजाबी में अकारान्त व ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन में विभक्ति रहित और सविभक्ति रूप समान है जबकि हिन्दी में ये दोनों रूप भिन्न हैं। पंजाबी के प्रभाववश छात्रों ने हिन्दी लेखन में उक्त स्वरान्त शब्दों के अतिरिक्त आकारान्त शब्दों के भी बहुवचन में उनकी विभक्ति रहित रूप-रचना के स्थान पर सविभक्ति रूप-रचना का प्रयोग किया है—

हम खबरों सुनेंगे।
मेरी सब सहेलियों आयीं।
पटाकों खूब चलते थे।

इसके विपरीत सविभक्ति रूप के स्थान पर विभक्ति रहित रूप को अपनाने के भी अनेक उदाहरण मिले हैं —

किताबें को साफ रखेंगे।
हम **रोगीयां** का रोग हटांगे।
दशहरा में **पटाके** की आवाज आने लगी थी।

पंजाबी रूप-रचना का प्रयोग—छात्रों ने संज्ञा शब्दों के विभक्ति रहित तथा सविभक्ति बहुवचन रूपों के उनके हिन्दी रूप के स्थान पर पंजाबी रूपों का प्रयोग किया है —

हम **चीजां** खरीदेंगे।
हलवाई **दुकानां** नूं सजाते हैं।
हम **बच्चियां** नूं पढ़ाएंगे।

पंजाबी के प्रभाव से सभी छात्रों ने रिश्ते सूचक शब्दों को, जो हिन्दी में विकृत रूप में नहीं आते, विभक्ति सहित आने पर इनका विकृत रूप प्रयुक्त किया है —

हमारे **चाचे ने** चिट्ठी भेजी थी।

(ख) अन्य कारण—

सादृश्यता—हिन्दी में आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से "ए" प्रत्यय भी लगाते हैं–शालाएं, माताएं आदि। इन्हीं के सादृश्य पर छात्रों ने ईकारान्त संज्ञाओं के विभक्ति रहित बहुवचन रूप में भी "ए" प्रत्यय लगा दिया —

मैं अच्छी **दवाइएं** बेचा करूंगी।

*हिन्दी प्राध्यापिका, दयानंद महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

इसी प्रकार आकारान्त पुलिंग शब्दों के एकवचन सविभक्ति रूपों के सादृश्य पर अकारान्त पुलिंग शब्दों के बहुवचन सविभक्ति रूपों में "ओं" के स्थान पर "ए" प्रत्यय लगाया है--

खेते में रोटी देने जाते हैं ।

अतिसामान्यीकरण--एक छात्र ने अतिसामान्यीकरण के कारण एक ऐसे आकारान्त शब्द का भी विभक्ति रहित बहुवचन रूप बनाया है जो अपवादस्वरुप दोनों वचनों में एक रूप रहता है--

हम पढ़कर योद्धे बनेंगे ।

2. **सर्वनाम** --छात्रों ने संज्ञा शब्दों के समान सर्वनामों के भी परस्पर प्रयोग में, इनकी कारकीय रूप-रचनाओं तथा उनके प्रयोगों में विभिन्न कारणों से अनेक त्रुटियाँ की हैं-

2.1 कारकीय रूप-रचना संबंधी दोष--

(क) पंजाबी प्रभाव--अपनी मातृभाषा पंजाबी के उसनू, उनादे व उहनादे, रूपों से प्रभावित होकर छात्र हिन्दी के निश्चयवाचक सर्वनाम "वह" के कारक रुपों के प्रयोग में गलती करते हैं--

हम उनाके कान काटांगें ।

कुछ छात्रों ने बहुवचन स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के पूर्व आने वाले सार्वनामिक विशेषणों के प्रयोग में भी पंजाबी भाषा की रूप-रचना को अपनाया है--

मेरीयां सखियां नाचती और गाती है ।

(ख) अन्य कारण--

पुरुषवाचक सर्वनाम--उच्च कक्षा के दो छात्रों ने अतिसामान्यीकरण के कारण उत्तम पुरुष "मैं" के सम्बन्ध कारक के स्वीकृत रूप--मेरा , मेरे, मेरी, के स्थान पर अन्य कारकों के लिए स्वीकृत रूप "मुझ" में "के" कारक चिह्न लगाया है--

मुझके दिमांग में--

"हम" के सविभक्ति कर्त्ता कारक रूप के लिए छात्रों ने भ्रमवश कर्म कारक के विभक्ति रहित रूप "हमें" में कर्त्ता कारक की विभक्ति लगा दी--

हमने यह काम किया ।

तथा विभक्ति रहित कर्म कारक रूप में और अविकृत रूप में "रा" के स्थान पर "का" विभक्ति लगायी हैं--

हमेंका भाई बीमार हो गया ।

हमका मन छुट्टियां-- -- -- -- --

छात्रों ने अज्ञानतावश सविभक्ति कर्म कारक रूप के लिए संबंध कारक में "को" विभक्ति लगा दी--

मेरे को नारनौल दिखाया ।

निश्चयवाचक सर्वनाम--छात्रों ने भ्रमवश अन्य पुरुष "वह" की कर्त्ता, कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों की रचना भी कर्त्ता कर्म के क्रमशः विभक्ति सहित व विभक्ति रहित बहुवचन रूपों के समान की है --

हम उन्होंके साथ खेले ।

हमने उन्होंमें पहाड़ों की सैर की ।

छात्रों ने अज्ञानतावश "यह", "वह" सर्वनामों के संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में आने पर, विकृत रूपों को न अपनाकर मूल रूपों को ही प्रयुक्त किया है । छात्र इस बात से अनभिज्ञ हैं कि संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले कारक चिह्न विशेषण के रूप में आए इन सर्वनामों के साथ भी लगे होते हैं--

उन्होंने यह मैदान में तीर कमान चलाए ।

हम वह गाड़ी से उतर आए ।

और यदि छात्र ने इन सर्वनामों के विकृत रूप को अपनाने का प्रयत्न किया है तो गलत स्थान पर--

इस गर्मियों की छुट्टियां शिमले बिताएंगे ।

निजवाचक सर्वनाम--उच्च कक्षा के छात्र अन्य सर्वनामों के बहुवचन रूपों -तेरा-तुम्हारा, मेरा-हमारा आदि, के सादृश्य पर आप का बहुवचन रूप भी बनाते हैं--

हम हमारे पिताजी के साथ गए ।

2.2 कारकीय रूप-प्रयोग सम्बन्धी दोष--

(क) पंजाबी प्रभाव--छात्रों ने मातृभाषा पंजाबी के प्रभाववश हिन्दी में उत्तम पुरुष "मैं" के कर्म कारक के स्थान पर विभक्ति रहित कर्त्ता कारक रूप प्रयुक्त किया है--

मै अपने नानके जाना है ।

(ख) अन्य कारण--पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्ति रहित कर्त्ता कारक रूप व कर्म कारक रूप में अंतर न समझ पाने के कारण अधिकांश छात्रों ने भ्रमवश इनके परस्पर प्रयोग में गलती की है--

--मैं आशा है कि पढ़ लिखकर..... ।

हम अपना जन्म दिन हर वर्ष मनाना चाहिए ।

--हमें किताब पढ़ने लग ।

दूसरे प्रकार की गलतियों की तुलना में कर्म कारक के स्थान पर कर्त्ता कारक का प्रयोग करने संबंधी गलतियां अधि-

कांश छात्रों ने की हैं। संभवतः इसका कारण पंजाबी प्रभाव है, जैसा कि पंजाबी में कुछ विशेष संदर्भों में सर्वनामों के कर्म कारक के स्थान पर कर्त्ता कारक रूपों का प्रयोग होता है।

3. परसर्ग—

3.1 **ने**–कर्त्ता कारक चिह्न "ने" के प्रयोग में अहिंदी भाषियों के अतिरिक्त स्वयं हिन्दी भाषी भी गलती कर जाते हैं। विशेषकर वे अहिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा में इसका प्रयोग नहीं है, अथवा किंचित् परिवर्तन के साथ है। पंजाबी भाषी छात्रों द्वारा सर्वनामों के साथ "ने" के प्रयोग में की जानें वाली त्रुटियों को कारणों की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित किया गया है।

(क) **पंजाबी प्रभाव**—पंजाबी में कतृवाच्य के कर्मणि प्रयोग सर्वनामों का कर्त्ता कारक में सविभक्ति होना आवश्यक नहीं है, जबकि हिन्दी में वह विभक्ति सहित ही आता है। छात्रों ने पंजाबी प्रभाववश लोप सम्बंधी गलतियां ही सब से अधिक की हैं—

मैं अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहने।

(ख) **नियम संबंधी अज्ञानता**—हिन्दी के "ने" प्रयोग संबंधी नियम से अनभिज्ञ छात्र अकर्मक क्रियाओं व अन्य कृदंतों के साथ भी इसका प्रयोग कर जाते हैं।

मैंने तुमसे बहुत उदास हूं।

हमने कल को नहाया।

छात्रों ने उक्त दोष हमने खा लिया / पढ़ लिया, आदि प्रयोगों के सादृश्य पर किए हैं। जैसाकि बोलना आदि कुछ सकर्मक क्रियाओं पर यह नियम लागू नहीं होता, उच्च कक्षा के छात्रों ने अतिसामान्यीकरण के कारण इन क्रियाओं के अपवादों में भी इसका प्रयोग किया है—

उसने अपने घर से क्रिकेट का सामान लाया।

3.2 अन्य परसर्ग—

(क) **पंजाबी प्रभाव**—छात्रों ने परसर्गों के प्रयोग में पंजाबी के प्रभावश निम्न प्रकार की गलतियां की हैं—

परस्पर प्रयोग में गलती —

हम अपनी दादी जी **को** मिलने जाते।

हम गाड़ी **पर** चढ़ गए।

लोप—पंजाबी में संबंध सूचक अव्यय स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होने के कारण छात्रों ने हिन्दी लेखन में भी इनके पूर्व या पश्चात् लगने वाले कारक चिह्नों का लोप कर दिया है—

हम अपनी मौसी (–) पास जायेंगे।

हिन्दी में कारक को दर्शाने के लिए संज्ञा शब्दों के साथ बहुधा अलग से कारक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, जबकि पंजाबी में कुछ प्रयोगों में संज्ञा शब्दों को ही रुपान्तरित किया जाता है। छात्रों ने हिन्दी लेखन में भी कारक चिह्नों को प्रयुक्त न कर पंजाबी के रुपान्तरित रूपों का ही प्रयोग किया है —

हम **घरे** जाकर खाना खाते हैं।

इसके अतिरिक्त छात्र पंजाबी भाषा के कारक चिह्नों के प्रयोग से भी अछूते नहीं रहे हैं।

(ख) **अन्य कारण—**

परस्पर गलती—प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी व पंजाबी कारकों में काफी समानता है, लेकिन फिर भी छात्रों ने अज्ञानतावश कारक चिह्नों के परस्पर प्रयोग में गलती की है—

हम अपनी सहेली **में** पत्र लिखते हैं।

पढ़ने **के** पहले प्रार्थना हुई।

लोप व अनावश्यक प्रयोग—छात्र असावधानीवश या तो वाक्य रचना में विभक्तियां लगाना भूल गये अथवा कारक चिह्नों के चयन में सुनिश्चित न होने के कारण एक कारक चिह्न के स्थान पर दो-तीन कारक चिह्नों का प्रयोग कर दिया तथा जहां आवश्यक नहीं था, वहां भी इनका प्रयोग कर दिया—

हम अपने रिश्तेदारों बुलाते हैं।

हमने वहां **पर में से** दालें आदि खरीदी।

हम मामा के साथ गेहूं **को** कटाएंगे।

इसी प्रकार असावधानी अथवा अज्ञानतावश सम्बन्ध सूचक अव्ययों के पूर्व या पश्चात् लगने वाले कारक चिह्नों का तो प्रयोग किया है, किन्तु अव्यय का लोप कर दिया—

कुछ समय के·····हम सो गये।

तथा प्रेरणार्थक वाक्यों में "के साथ" के स्थान पर करण कारक चिह्न "से" का प्रयोग किया है —

हमने अपनी माताजी से काम करवाया।

4. क्रिया—छात्रों ने पंजाबी प्रभाव, सादृश्यता, अज्ञानता आदि विविध कारणों से पुरुष, काल व वाच्य आदि के स्तर पर बनने वाले इसके विविध रूपों के परस्पर प्रयोग में गलती की है, तो कहीं इन क्रियाओं की रूप-रचना में।

4.1 परस्पर गलती

काल—नियमों की अज्ञानतावश छात्रों ने कालों के क्रिया-रूपों के प्रयोग में बहुत अधिक गलतियां की हैं। ये गलतियां साधारण वाक्यों के साथ-साथ उन वाक्य रचनाओं में भी की हैं जिनके उपवाक्यों से छात्रों को उनमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं के काल के रूप का संकेत पहले ही मिल जाता है।

हमने पिछले साल दशहरा बहुत खुशी से **मनाते** हैं।

यदि कल छुट्टी होती हम बहुत खुश **होते हैं/होते** थे।

इसी प्रकार छात्र होना क्रिया की सार्थकता से परिचित न होने के कारण इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। अर्थात् कहीं अनावश्यक रूप में करते हैं तो कहीं आवश्यकता होने पर भी नहीं करते—

फिर हम सो **जाते** थे । (जाते)

वाक्य —प्रारम्भिक स्तर के छात्रों ने सकर्मक क्रिया के कर्तवाच्य रूप के स्थान पर पर कर्मवाच्य रूप को तो प्रयुक्त किया ही है, साथ ही कर्मवाच्य के कर्तरि प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रिया का रूपान्तर किया है —

हमने छुट्टी का वर्णन **किया गया** है ।

हमारे माता-पिता के नए-नए कपड़े **पहने हुए** थे ।

4.2 **रूप-रचना में गलती**—

(क) **पंजाबी प्रभाव**—अधिकांश छात्रों ने हिन्दी क्रिया-रूपों के स्थान पर पंजाबी के क्रिया-रूपों को ही प्रयुक्त कर दिया और यदि हिन्दी क्रिया रूप को प्रयुक्त भी करना चाहा है तो पंजाबी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त न होने के कारण उनके हिन्दी क्रिया रूपों पर पंजाबी का प्रभाव आंशिक रूप से पड़ ही जाता है —

हम बच्चों को पढ़ागें ।

(ख) **अन्य कारण**—छात्रों ने सादृश्यता, अज्ञानता आदि कारणों से भी सामान्य क्रियाओं, कृदन्तों, प्रेरणार्थक तथा आज्ञा क्रियाओं के रूपों में गलतियां की हैं —

मैंने छुटटी का वर्णन **करा** है ।

हमें स्कूल को साफ सुथरा **रखने** चाहिए ।

यह बादशाह ने———याद में **बनाया** है ।

तुम घर जल्दी से **आ जाए** ।

5. **विशेषण, क्रियाविशेषण, योजक व अव्यय** —पंजाबी के विशेषण-रूपों का प्रयोग करने के साथ-साथ छात्रों ने इन सबके परस्पर प्रयोगों में भी गलतियां की हैं तथा असावधानीवश कहीं-कहीं इनका लोप भी कर दिया है —

मेरा जन्म दिन **खुशीया भरिया** था ।

चोरी **मत** करना चाहिए ।

हम देखेंगे ———खुशी से फूल जाएंगें ।

6. **वाक्य-रचना**———छात्रों ने वाक्य-रचना करते समय कर्त्ता कर्म आदि के संयोजन पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया । अनवधान के कारण कहीं इनका लोप कर दिया तो कहीं पुनरावृत्ति तथा कहीं इनके क्रम संबंधी नियमों की अज्ञानतावश स्थानांतर कर दिया है —

हम कल———देखने गए ।

इस तरह मैंने कल का दिन इस तरह बिताया ।

फिर हम सारे जने **मिठाई बैठकर** खाते हैं ।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर शिक्षक यह जान सकते हैं कि पंजाबी भाषी छात्रों द्वारा हिन्दी लेखन में किस-किस प्रकार की गलतियां की जाती हैं तथा उनके पीछे छात्रों के मन में कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कार्य कर रही हैं। इनको दृष्टिगत रखते हुए ही वह छात्रों को सही शिक्षण दे सकने में समर्थ हो सकेगा ।

पृष्ठ 22 का शेषांश

प्रोग्राम है। जो कम्प्यूटर में संग्रहीत रहता है और विविध संसाधनों का प्रबंध करता है। एम एस डॉस से केवल एक प्रयोक्ता (यूजर) काम कर सकता है, जबकि यूनिक्स/जैनिक्स से एक ही कम्प्यूटर पर लगे एक से अधिक टर्मिनलों पर कई प्रयोक्ता काम कर सकते है। इन दोनों पर लिखे प्रोग्राम एक दूसरे पर नहीं चलते। लेकिन अब डॉस मर्ज से यूनिक्स/जैनिक्स में डॉस के प्रोग्रामों को भी चलाया जा सकता है।

प्रोग्रामन के लिए "बेसिक", "कोबोल", "पास्कल," "सी", "प्रोलांगस", एवं चौथी पीढ़ी की भाषाएं जैसे "डी-बेस", "क्वाट्रो", "सुपर केल्क" आदि डॉस आपरेटिंग सिस्टम पर तथा "यूनिफाई" एवं "फोक्सबेस" आदि यूनिक्स/जैनिक्स आपरेटिंग सिस्टम पर चलाए जा सकते हैं।

द्विभाषिक कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं को प्रायः एक शिकायत रहती है कि उन्होंने कम्प्यूटर किसी कम्पनी से खरीदा है, लेकिन बहुभाषी टर्मिनल व कार्ड उस कम्पनी से नहीं मिलते। इन्हें दूसरी कम्पनियों से लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर कम्पनी से सहयोग अपेक्षित है। जिससे वह कार्ड/टर्मिनल लगाने के बाद कम्प्यूटर के अनुरक्षण की जिम्मेदारी निभाते रहे। साथ ही कार्ड के साथ टी.टी.एल. आई रिजोल्यूशन मोनोक्रोम मानिटर और एम.जी.ए. हरक्यूलिस कार्ड उपलब्ध करा सके। अपेक्षा की जाती है कि कम्प्यूटर पर पहले से लगे मानिटर और सी.जी.ए. अथवा ई.जी.ए. कार्ड को बिना अतिरिक्त मूल्य के बदल कर एम.जी.ए. कार्ड लगा दिया जाए। सभी कम्प्यूटरों में आई.बी.एम./पी.सी. एक्स-टी ए-टी की मानक विशेषताएं नहीं पाई जातीं।

वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रायः पर्सनल कम्प्यूटरों की खरीद केन्द्रीय भण्डार से की जाती है जो केवल एक ही कम्पनी पी.सी.एल. (पर्टेक कंम्प्यूटर्स लि.) के कम्प्यूटर उपलब्ध कराता है। इन पर द्विभाषिक संसाधन सुविधा की कोई शर्त न होने के कारण इन्हें द्विभाषिक बनाने में प्रयोक्ताओं को कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए खरीद से पहले कम्प्यूटर कंम्पनी से द्विभाषिक संसाधन और तदन्तर अनुरक्षण की शर्त स्वीकार करा लें।

जारी राजभाषा भारती अंक 51

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

भारत के संविधान में सामाजिक संस्कृति और भारतीय भाषाएं

☐ डॉ. मोटूरि सत्यनारायण*

[संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य तेलुगु विश्व ज्ञान कोश के संपादक 90 वर्षीय डॉ मोटूरि सत्यनारायण हिंदी के समर्पित सेवी हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव विशेष उल्लेखनीय है। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने सामाजिक संस्कृति और भारतीय भाषाओं के परस्पर सम्बंधों का विशद विवेचन किया है।

—संपादक.]

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप यूरोपीय भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में बहुत से शब्द प्रचलित हुए जैसे—स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, लोकतंत्र, संस्कृति इत्यादि। इन शब्दों ने नए अर्थ और संकल्पनाएं ग्रहण कीं जिनके आधार पर सामाजिक एकता और प्रगति के कार्यक्रम निरन्तर बनाए और कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन शब्दों में से "संस्कृति" शब्द सर्वाधिक व्यापक हुआ जिसमें संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप, चाहे वे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हों या सामाजिक, सम्मिलित हो गए। प्राक् उद्योगयुग में काफी लम्बे समय तक "संस्कृति" शब्द सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक क्रियाकलापों के अर्थ में ही लिया जाता था। विगत सौ वर्षों या उससे अधिक समय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से समाज में परिवर्तन आ रहा है। अध्ययन के अन्य बहुत से क्षेत्रों में "संस्कृति" शब्द का गहन प्रयोग हुआ है, न केवल सौंदर्यशास्त्र, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक व्यवहार के स्वरूपों, समाज निर्माण और विभिन्न सामाजिक रूपों से संबंधित अध्ययन के क्षेत्रों में भी "संस्कृति" किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का लक्षण होने के अतिरिक्त समाज का, और काफी हद तक संपूर्ण राष्ट्र का भी एक लक्षण है। "संस्कृति" शब्द का प्रयोग विज्ञान की अनेक शाखाओं में भी व्यापक रूप से किया जाता है। हमारे देश में "संस्कृति" शब्द का प्रयोग सामान्यतः मानवीय आचरण और सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में अधिक प्रयोग होता है जो न केवल प्रबोधन को प्रतिबिंबित करता है बल्कि विभिन्न अध्ययनों से संबंधित गहन ज्ञान को भी दर्शाता है।

सामान्यतः यह समझा जाता है कि धर्म निरपेक्षता संबंधी दस्तावेज में "संस्कृति" शब्द को कोई स्थान नहीं मिलता है किन्तु, भारत के संविधान जैसे दस्तावेज में "संस्कृति" शब्द का उल्लेख किया गया है, परन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख अनुच्छेद 351 में किया गया है। यह अनुच्छेद इस प्रकार से है—

351. संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद 351 संविधान के भाग 17 में जो संघ की राजभाषा और भारतीय भाषाओं की स्थिति और कार्य से संबंधित है संविधान की आठवीं अनुसूची में संघ में प्रयोग किए जाने के लिए 15 भाषाओं की सूची दी गई है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि इन 15 भाषाओं में से 12 भाषाएं पहले ही उन राज्यों द्वारा राज्यों के उन क्षेत्रों में विकसित किए जाने के प्रयोजन से चुनी जा चुकी हैं जिनमें उनकी प्रधानता है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और पूर्वी तट पर स्थित राज्य अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल ने अपने-अपने राज्यों की प्रमुख भाषा को पहले ही अपना लिया है और असम, पंजाब और कश्मीर राज्यों में क्रमशः असमी, पंजाबी और कश्मीरी/उर्दू राजभाषा की भूमिका निभा रही है। मध्य भारत में 7 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने हिन्दी को अपनाया। 15 भाषाओं में से संस्कृत, कश्मीरी और सिंधी को छोड़कर शेष 12 भाषाओं (उर्दू सहित), का आज उन सभी प्रयोजनों से

* 7-प्रथम क्रेसेंट मार्ग, गांधी नगर, मद्रास-600020

विकास और प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए किसी विकसित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इन भाषाओं के विकास के इन क्षेत्रों को सामाजिक प्रगति से निकट संबंध है, अतः इसका प्रयोग उस राज्य तक सीमित रहता है जिसमें न केवल राजभाषा के रूप में अपितु शिक्षा, व्यापार, कारोबार के माध्यम, साहित्य और उद्योगों के विकास के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात है कि इन भाषाओं का यह विकास इनको बोलने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, ताकि अंततः राज्य की प्रगति में योगदान प्रदान करने के लिए वे आत्मनिर्भर बन जाए।

एक भ्रान्त धारणा है कि जो हिन्दी आज 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रचलित है यह वही भाषा है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। यह धारणा अधिकांशतः इस मान्यता के कारण बनी है कि भारत संघ की राजभाषा के विकास और प्रसार के लिए किसी अन्य भारतीय भाषा के सहयोग, सहबद्धता और योगदान की आवश्यकता नहीं है।

यह सर्वविदित है कि भाषा संस्कृति के विकास का एक अनिवार्य अंग है और यह भी एक मानी हुई बात है कि सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया साथ-साथ चलती रहती है और समाज का विकास अधिकांशतः भाषा के माध्यम से प्रतिबिम्बित होता है। भाषा, संस्कृति, व्यापार, आस्था और व्यवसाय, धर्म और दर्शन सामाजिक नियम और सामाजिक प्रथाओं की विविधता होते हुए भी भाषा और संस्कृति के विकास की दृष्टि से भारत की एक विलक्षण स्थिति है। भारत की विविधता में एकता दर्शाने के अविरत, निरन्तर और सफल प्रयास किए जाते रहे हैं।

संविधान सभा ने जिसके 299 प्रतिनिधि सदस्य भारत के कोने-कोने से लिए गए थे, जहां 1652 मातृ भाषाएं हैं, देश के बहुभाषी आधार से एक—भाषी माध्यम लागू करने की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 वर्ष तक विचार-विमर्श किया। भारत की 15 प्रमुख भाषाओं के विकास का एक लम्बा इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। नवीनतम जनगणना के अनुसार, देश के 90% भू-भाग में और 95% जनसंख्या द्वारा ये भाषाएं बोली जाती हैं। अतः संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि सतत प्रयासों और कार्यक्रमों से एक ऐसी सामान्य भाषा संबंधी रूपरेखा सामने आएगी जो सभी भाषा-वर्गों को स्वीकार्य होगी। यह कार्य अपने को न केवल राजभाषा हिन्दी के विकास के साथ बल्कि देश की संस्कृति के संवर्धन के साथ भी सहबद्ध करके किया जाएगा जो अपने विकास और प्रसार में अनादिकाल से सामाजिक स्वरूप की रही है और अनन्त काल तक सामासिक स्वरूप की रहेगी।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारत ने धार्मिक और भाषाई मतभेदों और तरह-तरह के सम्प्रदायों और सामाजिक नियमों के बावजूद एकता की ठोस शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसी एकता को और अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ और स्थायी बनाने की आवश्यकता थी। देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक प्रशासनिक साधन के रूप में सम्प्रेषण और कार्यचालन के लिए एक भाषाई माध्यम की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि स्वतन्त्रता और एकता को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान में पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए यह सोचा गया कि इस एकता को भाषा के माध्यम से एक मजबूत नींव पर कायम रखा जा सकता है। यह भाषा माध्यम हमारे सामासिक और अपरिमित सांस्कृतिक और भाषाई वैभव से तैयार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 8वीं अनुसूची की प्रमुख भाषाओं में से कई भाषाएं अपने प्रसार की दृष्टि से अंग्रेजी सहित यूरोप की किसी भी महाद्वीपीय भाषा से अधिक व्यापक है। उनका इतिहास बहुत प्राचीन है और उनकी शब्द सम्पदा और साहित्य विशाल है। वस्तुतः यह अपरिहार्य समझा गया कि युगों से संचित अपनी सामासिकता के द्वारा ये भाषाएं संघ भाषा के समुचित विकास का समाधान प्रस्तुत करेंगी।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी अपना मत पूरी तरह से इस समस्या को संयुक्त और बहुपक्षीय प्रयास माने जाने के हक में दिया है न कि एकपक्षीय माने जाने के हक में जैसा कि कुछ लोगों का विश्वास है। इसी कारण से एक निर्देशात्मक अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी को विकसित और संवर्धित करने का और साथ ही 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के रूप, उनकी शैली और अभिव्यक्ति को आत्मसात करते हुए हिन्दी को समृद्ध बनाने का दायित्व संघ को सौंपा गया है। यह एक ऐसा अध्यादेश है जिसका अनुपालन अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी संघ सरकार को करना है।

इस संबंध में स्मरणीय है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, डा. राजेन्द्र प्रसाद ने इस धारणा को पुष्ट करने के लिए समुचित कदम उठाए कि समस्त भारत में हिन्दी की शब्दावली के प्रयोग में यथासाध्य एकरूपता होनी चाहिए। संविधान पर सदस्यों के हस्ताक्षर होने से पूर्व उन्होंने स्वयं आयोजित किए गए सम्मेलन में आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित भारतीय भाषाओं के मूलपाठ में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का अन्वय कराया। अंग्रेजी और भारतीय भाषा अर्थात् हिन्दी में तैयार किए गए संविधान पर संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा बिना किसी असहमति के हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार भारतीय भाषा में लिखे गए मूलपाठ को, जिसे संसद द्वारा नवंबर,

1988 में अधिप्रमाणित भी किया गया, वही महत्त्व प्राप्त हो गया जो अंग्रेजी में लिखे मूल पाठ को मिला हुआ है। तकनीकी शब्दों में एकरूपता लाने का निस्संदेह प्रयास किया जा रहा है और ये शब्द कुछ हद तक लोकप्रिय भी हुए हैं लेकिन संघ की भाषा के विकास के साथ भारतीय भाषाओं को सहबद्ध करने का, विशेष रूप से सामाजिक संस्कृति के विकास के क्षेत्र में अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कुछ समय से, सामाजिक पहचान और सत्ता के अधिग्रहण के लिए भाषा को काफी अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। यह बात समस्त विश्व में देखने में आ रही है। अतः यह समय है जब कि मूलतः भाषा के सांस्कृतिक अस्तित्व को समझा जाए और सामाजिक संस्कृति को समूचे राष्ट्र की संस्कृति समझा जाए और देश में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के बावजूद संघ की भाषा के विकास को राष्ट्रीय कार्यकलाप समझा जाए।

संप्रेषण माध्यम और कार्यमूलक होने के साथ-साथ, भाषा की सांस्कृतिक माध्यम की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण और बहुमूल्य है। लोगों का सहयोग प्राप्त होने पर अब सामाजिक संस्कृति के माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास का कार्यक्रम संघ सरकार द्वारा तैयार किया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

इस समय देश में सरकारी प्रयोग के लिए जिन भाषाओं का विकास किया जा रहा है, वे सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह विकास क्षेत्रीय है, फिर भी वे ऐसे घटक और अवयव हैं जिन्हें अंततः भाषाओं की एक राष्ट्रीय संपदा समझा जाए। सहभाज्य लोकतंत्र के माध्यम से इस संपदा पर दावा और अधिकार जताया जा सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति के एकीकरणात्मक विकास के प्रक्रम में ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृति, सामाजिक संस्कृति होगी जो सभी आवश्यक घटकों अर्थात् भारतीय भाषाओं से समान रूप से संबद्ध होगी।

देश में सांस्कृतिक एकीकरण का कार्यक्रम उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। इसका भारत के भौतिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई भूगोल के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि ऐसा न होता तो भारत में सही सामाजिक आचरण के लिए निर्देशक सिद्धांतों के रूप में पौराणिक साहित्य के प्रयोग में एकरूपता न आ पाती और सामाजिक विधि, सामाजिक व राजनीतिक साहित्य तथा प्रशासन, व्यापार और वाणिज्य में समग्र शब्द व्यापक मात्रा में न मिलते। यह अस्तित्व अनादिकाल से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यकलापों से पूर्णतः जुड़ा रहा है। इस समय भारतीय भाषाओं और साहित्य में जो प्रगति हो रही है, उसका राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक विकास से गहरा संबंध है। सामाजिक संस्कृति की पहचान करने और उसे संघ की भाषा में अन्य भाषाओं के योगदान से पुष्ट करने को अनुच्छेद 351 में परिकल्पित कार्यक्रम के अंतर्गत सहभाज्य कार्यकलाप द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने का यह उपयुक्त अवसर है अर्थात् सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हासिल करने का उद्देश्य जो भारत की सामासिक संस्कृति के लिए हिन्दी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर पूरा किया जा सकता है जैसा कि संविधान निर्माताओं ने निर्देश के रूप में विहित किया था। इस प्रकार अनुच्छेद 343 में उल्लिखित हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 345 के अन्तर्गत अपनाई गई हिन्दी संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली सरकारी भाषा होगी।

अपनी अनुकूलशीलता के कारण संप्रेषण-माध्यम के रूप में अपनाई गई संपर्क भाषा, हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार, इसके अखिल भारतीय संप्रेषण आधार के कारण इसे देश में सभी क्षेत्रों में कार्यमूलक आधार प्राप्त हुआ। सामाजिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक आधार तभी प्राप्त हो सकता है जब क्षेत्र के भीतर और क्षेत्र के बाहर होने वाले समवर्ती द्विभाषी आंदोलनों में गहरा संबंध और आत्मसात्करण हो। इस प्रक्रिया में हिन्दी देश की शब्द-संपदा को आत्मसात कर सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आएगी और इसमें विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय मुहावरों का बाहुल्य होगा। इस प्रक्रिया से सभी तीन क्षेत्रों अर्थात् संप्रेषण, कार्य निष्पादन और सामाजिक संस्कृति के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर समान सजात शब्दों के विकास और प्रसार तथा राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभ्यता के इतिहास से पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि समाज के निर्माण में धर्म ने एकताकारी ताकत के रूप में भूमिका अदा की। औद्योगिक क्रांति के शुरू होते ही इसी प्रयोजन के लिए देशभक्ति ने धार्मिक निष्ठा की जगह ले ली। धर्म का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। तो देशभक्ति समाज को जोड़ने वाली प्रबल शक्ति है। समाज के विभिन्न वर्गों को राष्ट्रीय आकार प्रदान करने वाली यह स्वयंसिद्ध शक्ति है। इस प्रकार, देशभक्ति, राष्ट्रीयता के लिए पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीयता से अलग होने पर देशभक्ति धर्म के साथ जुड़ जाती है और इसमें एकता की प्रबल शक्ति आ जाती है। राष्ट्रीयता की संकल्पना को समस्त विश्व में लौकिक धर्म समझा जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रीयता एकाश्म नहीं है। यह बहु-स्तरीय है।

विश्व हिन्दी दर्शन

भारतीय राजदूतावास थिम्पू (भूटान) में हिन्दी कार्यशाला

13 जून 1990 को थिम्पू-स्थित भारतीय राजदूतावास ने हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ । इसका संचालन राजभाषा विभाग के सेवा निवृत्त उपसचिव श्री हरिबाबू कंसल ने किया। इसमें राजदूतावास के सभी अधिकारी तथा भारतीय कमचारी सम्मिलित हुए । राजदूत महोदय श्री विनोद खन्ना स्वयं पूरे समय कार्यशाला में उपस्थित रहे।

श्री खन्ना ने श्री हरिबाबू कंसल का परिचय दिया । दो घंटे की अवधि में श्री कंसल ने संक्षेप में सरकार की राजभाषा संबंधी नीति, संविधान में राजभाषा से सम्बन्धित उपबंधों, राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बने नियमों पर प्रकाश डाला तथा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम की भी चर्चा की । सरकारी कामकाज में काम आने वाली शब्दावली का परिचय कराते हुए राजदूतावास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में मूल रूप से टिप्पणियाँ लिखने और पत्रों के प्रारूप तैयार करने का अभ्यास कराया गया । अल्पसमय में सभी सहभागियों ने हिन्दी में कई-कई टिप्पणियां अथवा पत्र लिखे। उससे उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि उनके लिए सरकारी कामकाज हिन्दी में करना कठिन बात नहीं है ।

श्री कंसल ने कार्यशाला में उन प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी दी जिनके अंतर्गत हिन्दी में टिप्पणियां लिखने या पत्रों के प्रारूप हिन्दी में तैयार करने के संबंध में पुरस्कार दिए जाते हैं या अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में टाइप करने या हिन्दी आशुलिपि का काम करने पर विशेष भत्ता दिया जाता है ।

इस कार्यशाला से सहभागियों में उत्साह पैदा हुआ और उनमें हिन्दी में काम करने की इच्छा जागृत हुई । कार्यशाला का समापन करते हुए श्री विनोद खन्ना ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में लिखने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके पास फाइलें हिन्दी टिप्पणियों के साथ निसंकोच भेजी जा सकती हैं ।

इससे पूर्व श्री कंसल ने ऐसी ही एक कार्यशाला का संचालन सन् 1986 में भारतीय राजदूतावास बैंकाक में किया था । हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रयोग में लाने की प्रेरणा देने के लिए वह कार्यशाला बहुत सफल रही थी । सन् 1956 में श्री कंसल ने भारतीय राजदूतावास काहिरा में हिन्दी कक्षाओं का आयोजन किया था ।

जापान में हिन्दी

आज जापान के लगभग 15 विश्वविद्यालयों में हिन्दी सिखाई जाती है। जापान में हिन्दी का अध्ययन भाषा को पढ़ने, बोलने और लिखने तक सीमित नहीं है। शांतिनिकेतन के प्रो. माचत्तो की कृपा से मुझे जापान में प्रकाशित हिन्दी मासिक ज्वालामुखी को देखने का अवसर मिला है। इसके लेखक और सम्पादक सभी जापानी हैं। उनकी अभिव्यक्ति तो जोरदार है ही, भारतीय साहित्य का उन्होंने जो गहन अध्ययन किया है, वह भी आश्चर्यजनक है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में वर्णित पात्र हों या बाबा नागार्जुन की कृतियों का मूल्यांकन हो, यह लेखक इतनी खोजखबर रखते हैं जितनी साधारण हिन्दी विद्वानों से आशा करना कठिन है।

—जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी
(गगनांचल से)

समिति समाचार

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

1 रक्षा विभाग

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजा रामण्णा की अध्यक्षता में विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 20वीं बैठक दिनांक 22-6-90 को हुई।

रक्षा विभाग, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजा रामण्णा की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 30वीं बैठक 22 जून, 1995 को हुई।

रक्षा राज्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया और अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार ने उन्हें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी। **उन्होंने आगे बताया कि वायुसेना में गैर-तकनीकी ट्रेडों की भरती परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं। तटरक्षक संगठन ने नाविकों के चयन के लिए ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। तीनों सेनाओं की प्रशिक्षण स्थापनाओं में हिन्दी को प्रशिक्षण का वैकल्पिक माध्यम बनाए जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण हिन्दी तथा अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा के माध्यम से दिया जाना चाहिए।** प्रशिक्षण स्थापनाओं में जिन प्रशिक्षकों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इन स्थापनाओं में अनुवाद स्टाफ की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध करवाई जा सके। इस विषय में उन्होंने बताया कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था "सैन्य प्रशिक्षण में हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग समस्याएं और समाधान"। संगोष्ठी में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने लेख पढ़े, और फिर उन पर खुले तौर पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने "सामरिक समीक्षा" नाम से हिन्दी में जनवरी–मार्च, 1990 की समीक्षा प्रकाशित की है। **रक्षा संगठन में प्रकाशित गृह-पत्रिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम पत्रिका को नकद पुरस्कार देने की योजना भी चलाई गई है।**

इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसमें रक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा निम्नलिखित लेखकों को रक्षा विषयों पर लिखी गई उनकी रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया:—

(1) डॉ. उमा प्रसाद थपलियाल :—"प्राचीन भारतीय युद्ध पद्धति" के लिए 10,000 रु. का प्रथम पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र।

(3) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा डॉ. राजनारायण सिंह:—"भारतीय सैन्य इतिहास की रूप रेखा" के लिए 7,000 रु. का द्वितीय पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र।

(3) डॉ. सी.एल. गर्ग :—"आधुनिक अस्त्र-शस्त्र और युद्ध विज्ञान" के लिए 5,000 रु. का तृतीय पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र।

(1) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश-परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग

बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश-परीक्षाओं में, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश-परीक्षाएं भी शामिल हैं, वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार उन पर विचार कर रही है।

(2) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रशिक्षण तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद

श्री पन्ना लाल शर्मा ने इस बात पर बल दिया है कि प्रशिक्षण/तकनीकी प्रकाशनों के अनुवाद के लिए मानदेय की दर जल्दी से जल्दी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सदस्यों का कहना था कि नौसेना मुख्यालय तथा वायुसेना मुख्यालय ने क्रमशः 530 तथा 440 प्रशिक्षण डाकेटों/नोटों का हिन्दी रूपान्तर तो तैयार कर दिया है परन्तु नौसेना मुख्यालय ने इनमें से अब तक केवल 73 डाकेटों को हिन्दी में मुद्रित/साइक्लोस्टाइल करवाया है और दूसरी ओर वायुसेना मुख्यालय ने केवल 77 प्रशिक्षण नोटों को मुद्रित/साइक्लोस्टाइल करवाया है। यह चिन्ता का विषय है। इन दोनों मुख्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अनुवाद की विधीक्षा तथा टाइप की सुविधा की कमी के कारण अनुदित की गई सामग्री अभी तक मुद्रित/साइक्लोस्टाइल नहीं करवाई जा सकी है। तथापि उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 6 महीनों के भीतर इस अनुदित सामग्री की विधीक्षा कराकर उसे मुद्रित/साइक्लोस्टाइल करा लिया जाएगा। सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने भी आश्वासन दिया कि जिन प्रशिक्षण पम्फलेटों का अनुवाद किया जा चुका है लेकिन मुद्रित नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र ही मुद्रित करा लिया जाएगा।

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य श्री रासा सिंह रावत ने कहा कि रक्षा स्थापनाओं में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति काफी उत्साहवर्धक है। तथापि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशिक्षण सामग्री सभी प्रशिक्षणार्थियों को जल्दी से जल्दी हिन्दी में उपलब्ध की जानी चाहिए।

डॉ. वेद प्रताप वैदिक तथा श्री रासा सिंह रावत का सुझाव था कि जिन अधिकारियों को भाषा का अच्छा ज्ञान होने के साथ-साथ विषय में भी प्रवीणता हासिल है, उनकी सहायता से प्रशिक्षण सामग्री मूलतः हिन्दी में तैयार करवाई जानी चाहिए। सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधि का कहना था कि उपस्कर के साथ-साथ उसका साहित्य विदेशों से उन्हीं की भाषा में प्राप्त होता है। इस साहित्य का उपयोग उन परेषकों/तकनीशियनों/विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जिन्हें हिन्दी के बजाए अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि विदेशों से विदेशी भाषा में प्राप्त सामग्री का पहले अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाए। श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि इस समय एक विकल्प यह है कि नए प्रकाशनों को प्रकाशित करने से पहले अनिवार्य रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी –द्विभाषी रूप में प्रकाशित करवाया जाए। इस सन्दर्भ में सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार अब किसी भी प्रकाशन को केवल अंग्रेजी में प्रकाशित करने की इजाजत नहीं देती है।

(3) वायुसैनिकों और नाविकों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग :

सदस्यों ने वायुसेना तथा तटरक्षक मुख्यालय की इस बात के लिए सराहना की कि वायुसेना मुख्यालय ने गैर-तकनीकी ट्रेडों में वायुसैनिकों की भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र और तटरक्षक संगठन में नाविकों के चयन के लिए ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी शुरू कर दिए हैं। **तटरक्षक मुख्यालय के प्रतिनिधि ने सदस्यों को यह भी बताया कि नाविकों की भर्ती के लिए प्रश्न-पत्र द्विभाषी तैयार करने के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। यह देखा गया है कि जो उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा में मात्र सफलता ही प्राप्त कर सके उन्होंने हिन्दी माध्यम से परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए।** सदस्यों का कहना था कि कि इस तथ्य का तटरक्षक संगठन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

श्री पन्ना लाल शर्मा का सुझाव था कि वायुसेना मुख्यालय को अब अगले कदम के रूप में तकनीकी ट्रेडों में वायुसैनिकों की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र भी हिन्दी में तैयार करने पर विचार करना चाहिए। वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि **तकनीकी ट्रेडों की भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र भी हिन्दी में शुरू कर दिए जाएंगे।**

(4) विभिन्न यूनिटों/फार्मेशनों में निरीक्षण दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी हिंदी सम्बन्धी आदेशों के अनुपालन पर दृष्टि रखने के बारे में श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि आदेशों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी जब भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों आदि के निरीक्षण दौरे पर जाएं तो उन्हें वहां हिंदी के प्रयोग से संबंधित आदेशों का कहां तक पालन हो रहा है इसका भी जायजा लेना चाहिए।

(5) तकनीकी विषयों पर हिंदी में विचार-विनिमय के लिए गोष्ठियां आयोजित की जाएं

बताया गया कि रक्षा विभाग ने मार्च 1990 में "सैन्य प्रशिक्षण में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग की समस्याएं और समाधान" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी विवरण के इस प्रयास की सराहना की। उनका कहना था कि ऐसी संगोष्ठी जब भी आयोजित की जाए तो उनमें उन्हें भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।

(6) जब कभी समाचार-पत्रों के संवाददाता रक्षा प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश जाएं तो हिन्दी की प्रमुख समाचार एजेंसियों तथा हिन्दी समाचार-पत्रों के संवाददाता को भी उनके साथ जाने का अवसर दिया जाए

डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने यह जानना चाहा कि उनके द्वारा रखे गए उपर्युक्त सुझाव को कहां तक कार्यान्वित

किया गया है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

(7) मंत्रालय/विभागों तथा सशस्त्र सेना मुख्यालयों, अन्तर सेवा संगठनों आदि में कार्यरत अनुवादकों के वेतनमानों में असंगति दूर की जाए :

(8) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग :

(9) विभागीय परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग :

(10) 31 मार्च, 1990 को समाप्त तिमाही के दौरान रक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में संक्षिप्त सूचना :

सदस्यों का कहना था कि अधिकारियों को सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देवनागरी टाइपराइटरों तथा हिन्दी में, हिन्दी टाइप तथा आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि जानते हैं उन्हें हिन्दी में डिक्टेशन दिया जाए। उनका यह भी सुझाव था कि जिन कार्यालयों में हिन्दी टाइप तथा हिन्दी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों की कमी है कर्मचारी चयन आयोग से इस काडर के स्टाफ की मांग करते समय आयोग को यह स्पष्ट किया जाए कि उनके यहां हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि जानने वाले स्टाफ को नामित किया जाए।

सदस्यों ने कार्यालयों में हिन्दी टेलीप्रिंटर सुविधा उपलब्ध न होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुख्यालय/कार्यालय में कम से कम हिन्दी का टेलीप्रिंटर लगाए जाने की आवश्यकता है। इस विषय में डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने बताया कि हिन्दी का टेलीप्रिंटर लगाने पर बहुत कम खर्च आता है।

श्री रासा सिंह रावत ने कहा कि कुछ कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है। उनका कहना था कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय को कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर तथा उस टाइपराइटर को चलाने में प्रशिक्षित कर्मचारी अवश्य उपलब्ध किए जाने चाहिए।

श्री पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि हिन्दी में सोफ्टवेयर तैयार करने की कोई योजना बनाई जानी चाहिए ताकि रक्षा सेनाओं में उपलब्ध कम्प्यूटरों का द्विभाषी रूप में उपयोग किया जा सके। इस संबंध में उनका सुझाव था कि राजभाषा विभाग के तकनीकी सैल से इस विषय में आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय का मत था कि आगे वाले समय में किसी भाषा/लिपि विशेष में काम करने वाले कम्प्यूटरों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी बल्कि विभिन्न लिपियों में कम्प्यूटर काम करने लगेंगे और उस स्थिति में किसी विशेष भाषा या लिपि में टाइप तथा आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता शायद नहीं रह जाएगी। परन्तु जब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बराबर हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

(11) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा विभिन्न रक्षा इकाईयों के लिए हिन्दी में तैयार किए जाने वाले मानचित्रों की संख्या के बारे में ब्यौरा :

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में अपेक्षित सूचना समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(12) हिन्दी या द्विभाषी रूप में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जाए :

प्रो. सप्रू का सुझाव था कि इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से प्रथम पुरस्कार की राशि 2000 रु. से बढ़ाकर 5,000 रु. कर दी जाए और शेष दो पुरस्कारों की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ाई जाए। उनका विचार था कि पुरस्कार केवल प्रधान सम्पादक को न देकर सम्पादक मंडल को दिए जाने चाहिए।

प्रो. फिलिप तथा प्रो; सप्रू ने यह भी सुझाव दिया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल्यांकन समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को सहयोजित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

श्री भगवान सिंह तथा डॉ. वैदिक ने सुझाव दिया कि रक्षा विषयों में हिन्दी में किए गए शोध कार्यों के लिए भी पुरस्कार रखा जाना चाहिए और पुरस्कार की राशि कम से कम 21 हजार रु. होनी चाहिए। बैठक में फैसला किया गया कि सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

(13) हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बारी-बारी से प्रत्येक कमान मुख्यालय में आयोजित की जाएं :

प्रो. चमन लाल सप्रू तथा कुमारी सईदा खातून का सुझाव था कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें बारी-बारी से प्रत्येक कमान मुख्यालय में आयोजित की जानी चाहिए।

इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित की जाएगी।

2. गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 32वीं बैठक गृह राज्य मंत्री श्री सुबोध कांत की अध्यक्षता में 12 जून, 1990 को नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष ने सदस्यों को समिति के माननीय सदस्य श्री कृष्ण माधव चौधरी के असामयिक निधन के बारे में सूचित किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।

तदुपरांत अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। अध्यक्ष ने मंत्रालय के कार्य में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति के बारे में कहा कि मंत्रालय में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सघन प्रयास किए गए हैं और कुल मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी प्रगति हुई है। सदस्यों को सूचित किया गया कि मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा शील्ड योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत 3 कार्यालयों को पुरस्कार दिये जाने के लिए चुना गया। नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रोत्साहन योजना लागू की गई और 6 कर्मचारियों को नकद इनाम दिये गये। मंत्रालय में हिन्दी सप्ताह के दौरान एक हिन्दी निबंध और नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें 1 अधिकारी व 9 कर्मचारियों को नकद इनाम दिये गये। मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित 9 कार्यालयों का और देश के विभिन्न शहरों में स्थित 36 कार्यालयों का निरीक्षण किया और उनके उच्च अधिकारियों से मिलकर राजभाषा नीति के अनुपालन में आई कमियों और बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए गए। सदस्यों ने सुझाव दिया कि राजभाषा की प्रगति की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इनाम पाने वाले कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में प्रशंसास्वरूप इंदराज किये जाएं।

समिति की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को आम तौर पर नोट किया गया, पर कुछ मदों के बारे में सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए:—

1. कार्यशाला नियमित रूप से की जाएं।

2. श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय व डा. लक्ष्मीनारायण दुबे ने सदस्यों के लिए उद्बोधन कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की जानकारी गैर-सरकारी सदस्यों को मिल सके। इस संबंध में उपलब्ध साहित्य प्रकाशन आदि भी उन्हें दिए जाएं। यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक से एक दिन पहले उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

3. गृह मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सभी सम्मेलनों आदि में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बुलाया जाये। अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे सम्मेलनों में सदस्यों को अब भी बुलाया जा रहा है।

4. सिक्किम तथा गोवा, दमण और दीव प्रदेशों को "ख" क्षेत्र में लाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाएं।

5. श्री के.के. कृष्णन नम्बूदिरी ने कहा कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी सीखने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छः महीने के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तैनात करने की योजना पर विचार किया जाए। यह योजना ऐच्छिक होनी चाहिए तथा संबंधित कर्मचारियों को विशेष वेतन, आवासीय सुविधायें आदि दी जानी चाहिएं।

6. दूरदर्शन पर हिन्दी में परिचर्चाएं आदि आयोजित करने के बारे में दिए गए सुझाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिए जाएं।

गृह मंत्रालय में निदेशक (रा.भा.) के पद के सृजन की आवश्यकता का सभी सदस्यों ने समर्थन किया। डा. लक्ष्मी नारायण दुबे तथा श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि गृह मंत्रालय से कहीं छोटे मंत्रालयों/विभागों में निदेशक का पद मौजूद है, जबकि गृह मंत्रालय में यह पद नहीं है। डा. मलिक मोहम्मद ने समिति को बताया कि गृह मंत्रालय में निदेशक के पद का सृजन करने संबंधी मामला लगभग तीन वर्ष पहले भी उठाया गया था और इस पद को सृजित करने का निर्णय लिया गया था। समिति को यह जानकारी दी गई कि इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को शीघ्र निपटाया जाये, इसके लिए प्रयास किया जायेगा।

श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य-सचिव संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, अतः गृह मंत्रालय में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा।

यह निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नीति संबंधी अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें व्यावहारिक

बाधाओं को दूर करने के उपायों पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री मुकुल चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि फाइलों पर हिन्दी में अधिक-से-अधिक काम सुनिश्चित करने के लिए नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए। सदस्यों का कहना था कि अभी भी बहुत कम नोटिंग और ड्राफ्टिंग मूल रूप में हिन्दी में हो रही है। जो कुछ कार्य हो रहा है वह अनुवाद के माध्यम से या राजभाषा से संबंधित अनुभागों में ही हो रहा है। अतः, इसे बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि (क) मंत्रालय में बहुत सारे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होने के बावजूद मंत्रालय के 119 अनुभागों में से केवल 2 अनुभागों को ही हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। इन दो अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने के अलावा अन्य अनुभागों के कुछ विषयों को भी केवल हिन्दी में ही करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए। (ख) बहुत थोड़े आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया है, अगले सत्र में इनमें वृद्धि लाई जाए। (ग) हिन्दी में बहुत कम टाइपराइटर उपलब्ध हैं। टेलीप्रिंटर, टेलेक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, इनकी संख्या में भी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वृद्धि की जाए। यह सुझाव दिया गया कि कम से कम एक-एक टेलेक्स, टेलीप्रिंटर अवश्य हिन्दी में होना चाहिए। (घ) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में नहीं दिए गए। (ङ) तार हिन्दी में नहीं दिए गए। इनमें भी सुधार लाया जाए। संयुक्त सचिव (प्रशा.) ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

सदस्यों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा भारत के महापंजीयक के कार्यालयों की वर्ष 1989 में हिन्दी में किए गए कार्य की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि उक्त कार्यालय इस प्रगति को बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि भारत के महापंजीयक, भारत में अन्य प्रदेशों में स्थित अपने अन्य कार्यालयों के बारे में भी आंकड़े प्रस्तुत किया करें।

अन्य कार्यालयों के विवरण की समीक्षा के दौरान उनमें पाई गई कमियों के बारे में विचार-विमर्श हुआ। इन कार्यालयों के काम में जिन आम कमियों के बारे में विशेष उल्लेख किया गया। वे आम तौर पर निम्नलिखित थीं :—

(i) हिन्दी के पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना,

(ii) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी कागजात को केवल अंग्रेजी में जारी करना,

(iii) हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित कर्मचारियों से हिन्दी में काम न लिया जाना तथा इनके प्रशिक्षण की गति भी धीमी होना;

(iv) हिन्दी टाइपराइटरों तथा अन्य यांत्रिक सुविधाओं का या तो बिल्कुल उपलब्ध न होना अथवा अपेक्षित संख्या में से कम होना;

(v) मैनुअलों आदि का हिन्दी अनुवाद कराकर छपाई न कराना आदि।

स्थिति को स्पष्ट करते हुए सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशकों ने बताया कि धारा 3(3) में दर्शाई गई कमी इस वजह से है क्योंकि इन कार्यालयों से अधिकतर संदेश सिगनलों और अन्य तकनीकी उपकरणों के जरिए भेजे जाते हैं। सदस्यों की राय थी कि ये सामान्य आदेश नहीं प्रतीत होते इसलिए ऐसे कागजात को धारा 3(3) के अन्तर्गत नहीं रखना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में संबंधित विभाग राजभाषा विभाग से सम्पर्क करके तय करें कि ये कागजात धारा 3(3) के अन्तर्गत आते हैं या नहीं और मुख्यालयों के अध्यक्षों ने आश्वासन दिया कि स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

सदस्यों ने सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका बार्डर लाइन की सराहना की। सदस्यों ने एक बार फिर से यह आग्रह किया कि मंत्रालय तथा इसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों को उन्हें भेजा जाए।

सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया जाए, ताकि वे अपने-अपने कार्यालयों की स्थिति को स्पष्ट कर सकें।

बैठकों की कार्यसूची में दी जाने वाली मदों के संबंध में संयुक्त सचिव (रा.भा.) निशिकांत महाजन ने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि व केवल ऐसी मदें विचारार्थ भेजें जिनका संबंध गृह मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति, इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपायों आदि से हो, न कि राजभाषा की नीति व सामान्य नीति से, क्योंकि नीति संबंधी मुद्दे केन्द्रीय हिन्दी समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1 खान विभाग

खान विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 26-4-1990 को संयुक्त सचिव, श्री बी दासगुप्ता की अध्यक्षता में हुई। समिति की 28-12-1989 को होने वाली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इस समिति की पूर्व बैठक के निर्णयों तथा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों, 31-12-1989 को समाप्त तिमाही में हिंदी प्रयोग की स्थिति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिंदी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 के अनुपालन हेतु उपायों पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

1. अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदधारियों का काडर

अध्यक्ष महोदय ने चर्चा आरंभ करते हुए बताया कि काडर योजना का मुख्य उद्देश्य पदोन्नति में रुकावट को दूर करना और सेवा-काल के दौरान तरक्की और प्रतिनियुक्ति के पर्याप्त अवसर सुलभ करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो खान विभाग के दोनों अधीनस्थ कार्यालयों—भारतीय भूसर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो में सीधी भर्ती केवल अनुवादक ग्रेड में हैं, अनुवादकों को वरिष्ठ अनुवादक/हिंदी अधीक्षक के ग्रेड में तथा इसी प्रकार अन्य पदधारियों को उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान है। पदोन्नति में रोक का कोई उदाहरण नहीं है। भूसर्वेक्षण में पास एक हिंदी अधिकारी और दो हिंदी अधीक्षकों के लिए नवंबर, 1989 में क्रमशः वरिष्ठ हिंदी अधिकारी का एक पद और हिंदी अधिकारी के 2 पद स्वीकृत किये गये हैं जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

2. सरकारी उपक्रमों में हिंदी पदधारियों का काडर

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सभी सरकारी उपक्रमों में सभी हिंदी पदधारियों के लिए आम तौर पर पदोन्नति सुलभ हैं। यह भी बताया गया कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम का स्तर भिन्न-भिन्न होता है अतः सभी उपक्रमों के हिंदी कर्मियों का एक समान काडर बनाना संभव नहीं हो सकेगा। साथ ही उपक्रमों के अन्य अनेक पद वर्ग में भी काडर नहीं हैं और इस बारे में हिंदी सलाहकार समिति की 17-4-90 की बैठक में भी चर्चा हुई थी। जहां तक प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग काडर बनाने की बात है तो समस्या काडर नियंत्रक/निगरानी प्राधिकारी की नियुक्ति की होगी। इसमें यह देखना जरूरी होता है कि काडर संबंधी दिशा-निर्देशों का सही-सही पालन हो रहा है या नहीं। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. महेश चन्द्र गुप्त ने बताया कि नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन में कदाचित काडर की योजना है। व्यापक चर्चा के बाद और हिन्दी सलाहकार समिति के इस निर्णय को ध्यान में रखकर कि प्रत्येक उपक्रम में हिन्दी पदधारियों की पदोन्नति का स्पष्ट प्रावधान हो, यह निर्णय किया गया है कि खान विभाग के स्तर पर 6–7 सदस्यों की एक समिति बनाई जाए, जिसमें दो या तीन अधिकारी खान विभाग के, दो अधिकारी दोनों अधीनस्थ कार्यालयों से, उपक्रमों के प्रतिनिधि के रूप में वाल्को और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का एक-एक प्रतिनिधि तथा राजभाषा विभाग का एक प्रतिनिधि हो। यह समिति प्रत्येक उपक्रम में काडर के लिए Sustaining Strength का जायजा लेकर अपनी सिफारिश करेगी।

3. हिंदी कर्मियों से हिंदी का काम लिया जाना

चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कुछ एक यूनिटों में हिंदी स्टेनों/क्लर्क से हिंदी से भिन्न कार्य लिया जाता है। खान विभाग में उप सचिव श्री रातावाल ने कहा कि हिन्दी अनुभाग में काम न होने पर हिंदी स्टाफ से अन्य काम लिया जा सकता है। उप सचिव श्री चन्द्रमोहन का मत था कि हिन्दी स्टाफ को अगर अन्य अनुभागों/डेस्कों पर लगाया जाता है तो वहां पर वे लोग सारा काम हिंदी में करेंगे, इससे हिंदी का उपयोग और बढ़ेगा। तथापि, हिन्दी स्टाफ से अन्य अनुभागों में अस्थायी तौर पर ही काम लिया जा सकता है, ताकि हिन्दी अनुभाग के काम में किसी प्रकार की रुकावट न आए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकारी नीति के अनुसार हिंदी स्टेनोग्राफरों/क्लर्कों के पदों का हिंदी और अंग्रेजी रूप में वर्गीकरण नहीं है और उनसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिक्टेशन लेने/टाइपिंग की अपेक्षा की जा सकती है। अंत में निर्णय हुआ कि इन हिंदी कर्मियों को यदि अन्य अनुभागों/डेस्कों पर तैनात किया जाता है तो उनसे केवल हिन्दी में ही काम लिया जाना चाहिए।

4. खाली हिंदी पदों का भरा जाना :

इस मद पर हिंदी सलाहकार समिति की 17-4-90 की बैठक में चर्चा के बाद तुरन्त कार्यवाही करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। यह पाया गया कि भारतीय भूसर्वेक्षण में अनुवादकों के अभी भी 16 पद तथा ब्यूरो में 4 पद रिक्त हैं। समिति को बताया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मार्फत की जाती है। लगातार मांग-पत्र भेजे जाने पर भी दोनों आयोग समय पर उपयुक्त उम्मीदवार देने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसका कारण अधीनस्थ कार्यालय के वेतनमानों का उपक्रमों के वेतनमानों से कम होना है। अतः अनुवादकों की अच्छी मांग और आम बेरोजगारी की स्थिति होते हुए भी सरकारी कार्यालयों के लिए सही उम्मीदवार नहीं मिल पाते। इस बारे में दोनों आयोगों को स्मरण-पत्र भी भेजे गए हैं। निदेशक श्री गोपालकृष्णन का सुझाव था कि कर्मचारी चयन आयोग को स्मरण-पत्र भेजने की बजाय उनसे प्रार्थना

की जाए कि इन पदों को स्थानीय रोजगार कार्यालयों अथवा हिन्दी की योग्यता वाले क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों से भरने की अनुमति दी जाए।

5. बाल्को की विधानबाग यूनिट में हिंदी अधिकारी पद का भरा जाना

बाल्को के प्रतिनिधि श्री खांडल ने बताया कि विधानबाग यूनिट में हिंदी अधिकारी का पद आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत है और पिछले 2 सालों से बार-बार विज्ञापन दिये जाने के बावजूद, आरक्षित श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार इस पद के लिए नहीं मिला है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि और अवर सचिव श्री मनचंदा का सुझाव था कि कंपनी द्वारा इस पद के बदले में किसी अन्य पद को आरक्षित करने पर विचार किया जाए, क्योंकि आरक्षण की "रोस्टर पद्धति" में जहां कि यूनिट में एक ही पद है और इसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे एक पद का आरक्षित करना सही नहीं रहता। अंत में निर्णय हुआ कि कंपनी में निदेशक (कार्मिक) इस बारे में संयुक्त सचिव श्री बी. दासगुप्ता के परामर्श से विचार करें।

6. जी. एस. आई. प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में गहन हिंदी शिक्षण की व्यवस्था :

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का सुझाव था कि जी. एस. आई. प्रशिक्षण संस्थान में हिंदी माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों से पहले यह जरूरी है कि प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों को हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए संस्थान में ही हिंदी के गहन शिक्षण की व्यवस्था की जाए। संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के भाग–3 में इस आशय की सिफारिश की है। हिंदी के गहन शिक्षण की संस्थान में व्यवस्था की संभावना का पता करने के लिए निदेशक श्री गोपालकृष्णन और श्री चौहान संस्थान में जाकर संभावना का पता लगाएं ताकि इस बारे में आगे कार्यवाही की जा सके।

7. बाल्को मुख्यालय के स्टेनोग्राफरों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र सी. जी. ओ. कम्प्लेक्स में प्रवेश देना:

बाल्को के प्रतिनिधि ने कहा कि इस समिति की पूर्व बठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि सी.जी.ओ. कम्पलेक्स में हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ बाल्को के स्टेनोग्राफरों को भी दिया जाएगा लेकिन बाल्को के स्टेनोग्राफरों को उस केन्द्र में इस वर्ष भी प्रवेश नहीं दिया गया है। इस पर राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वे इस बारे में प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक से बातचीत करेंगे।

8. इलेक्ट्रिक उपकरणों में द्विभाषी उपकरण की सुविधा

राजभाषा विभाग के डा. गुप्त ने कहा कि बैठक में प्रस्तुत जानकारी से पता चलता है कि अभी भी भारतीय भूसर्वेक्षण, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक लि. आदि में कम्प्यूटर और टेलेक्स में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि द्विभाषी उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। निर्णय हुआ कि द्विभाषी उपकरण के बारे में की गयी कार्यवाही और उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में सभी संगठनों/उपक्रमों से रिपोर्ट ली जाए और यदि टेलेक्स आदि किराये पर हैं तो उनके द्विभाषीकरण की सुविधा जुटाने के लिए संबंधित संगठनों द्वारा संचार मंत्रालय को तत्काल लिखा जाए।

9. राजभाषा भारती में खान विभाग की हिंदी गतिविधियों का प्रकाशन :

समिति के अध्यक्ष ने कहा कि राजभाषा भारती के अंकों में विभाग की पूर्व में हुई बैठकों एवं अन्य हिंदी गतिविधियों का प्रकाशन देखने में नहीं आता है, जबकि गतिविधियों की रिपोर्ट तत्काल राजभाषा भारती के प्रकाशनार्थ गृह मंत्रालय को भेज दी जाती है। इस संबंध में खान विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की 12-9-89 की बैठक के कार्यवृत्त आदि का प्रकाशन न किए जाने का उदाहरण दिया गया है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि भूल-वश ऐसा हुआ होगा और अब सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी।

10. वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 पर चर्चा

सदस्य सचिव श्री चौहान ने राजभाषा विभाग द्वारा मार्च, 1990 में जारी वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 का सारांश बताते हुए कहा कि अनेक लक्ष्य पिछले सालों की तरह ही हैं, केवल क, ख क्षेत्र के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्राचार के लक्ष्य को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है और इसको पाने के लिए हमने अपने सभी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। समिति के अध्यक्ष तथा श्री खांडल के यह पूछने पर कि प्रतिरक्षा संस्थानों के लिए वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार आदि के कम लक्ष्य क्यों रखे गए हैं, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतिरक्षा विभाग की यूनिटें किसी एक स्थान पर केन्द्रित न रहकर प्रायः स्थानांतरित होती रही हैं इसलिए उनके लिए आपसी पत्राचार का ही लक्ष्य कम रखा गया है, अन्य के साथ पत्राचार का प्रतिशत अन्य केन्द्र सरकारी कार्यालयों की तरह ही रखा गया है।

2. गृह मंत्रालय

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 19वीं बैठक 26 जून, 1990 को श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल, संयुक्त सचिव (प्रशा.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

मंत्रालय की 31 मार्च, 1990 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। यह नोट किया गया कि एनएसजी अनुभाग ने 1, आईएसडी-II ने 14, तथा डीजीसीडी अनुभाग ने 44 हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में भेजे।

इसे अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन बताते हुए अध्यक्ष श्री डंगवाल ने अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसमें हिन्दी के पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया हो अथवा धारा 3 (3) के अधीन जारी होने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी न किए गये हों। अध्यक्ष ने अपेक्षा की कि अनुभागों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के यथार्थ आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिएं।

मंत्रालय में हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के बारे में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रालय में अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों /टाइपिस्टों को हिन्दी स्टेनोग्राफी/टाइपिंग में प्रशिक्षण देने संबंधी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अधिकाधिक संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नामित किया जाए।

उप सचिव (सीपीओ) का कहना था कि प्रशिक्षण पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों का यदि एवजी नहीं दिया जाता या आशुलिपिकों का कोई पूल आदि बनाकर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो आशुलिपिकों के प्रशिक्षण पर जाने के फलस्वरूप सरकारी कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। इस सिलसिले में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. महेश चन्द्र गुप्त का यह कहना था कि चूंकि यह प्रशिक्षण नार्थ ब्लाक में होता है, प्रशिक्षण की अवधि मात्र 1 घंटे की है और सभी विभाग अपने-अपने कर्मचारियों को इसके लिए छोड़ रहे हैं। अतः कोई वजह नहीं है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को इसके लिए न छोड़ा जा सके। अध्यक्ष ने यह जोर देकर कहा कि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है और इसे किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती। अतः सभी अधिकारी कोई न कोई समायोजन करके प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को छोड़ें। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि अधिक सुविधाजनक हो तो प्रभाग आदि आशुलिपिकों को पूर्णकालिक प्रशिक्षण पर भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें एवजी दिया जायेगा।

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने गोपनीय रिपोर्ट मंगाने के लिए भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र को अंग्रेजी में भेजे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कागजात बिना कठिनाई के हिन्दी में भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि गोपनीय रिपोर्टों के कई फार्म ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में हैं। उप निदेशक (रा.भा.) ने इस मद पर बोलते हुए समिति को बताया कि विभिन्न अनुभागों के कार्यों की कुछ मदें केवल हिन्दी में ही करने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। ऐसे सभी पत्रों को हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

डॉ. गुप्त ने बेतार संदेशों में हिन्दी के प्रयोग के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात कही। उन्हें बताया गया कि उनके विचारों को संबंधित कार्यालय के ध्यान में ला दिया जाएगा।

डॉ. गुप्त ने समिति का ध्यान विदेशी प्रभाग में प्रयुक्त किये जा रहे फार्मों की ओर भी दिलाया और बताया कि विदेशी पंजीकरण फार्म अभी भी केवल अंग्रेजी में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसका उत्तर देते हुए विदेशी प्रभाग के प्रतिनिधि अवर सचिव श्री बालगोपालन ने सूचित किया कि उक्त सभी फार्मों को अब द्विभाषी कर दिया गया है और अब वे द्विभाषी रूप में ही प्रयुक्त किये जा रहे हैं।

समिति के ध्यान में लाया गया कि कुछ समय पहले चैक आदि हिन्दी में तैयार किये जाने लगे थे। परन्तु अब फिर से उन्हें अंग्रेजी में ही तैयार किया जा रहा है। संबंधित अनुभाग को इस बारे में समुचित निर्देश देने का निर्णय लिया गया।

डॉ. गुप्त ने समिति को बताया कि गृह मंत्रालय के सीमा सुरक्षा बल आदि जैसे कार्यालय बड़ी मात्रा में अंग्रेजी आशुलिपिकों की भर्ती कर रहे हैं, जबकि उनके कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक अपेक्षित मात्रा से बहुत कम हैं। अतः उन्हें अंग्रेजी आशुलिपिकों की भर्ती के बजाय हिन्दी आशुलिपिकों को भर्ती करने के लिए कहना चाहिए। माननीय सदस्य की टिप्पणी को संबंधित कार्यालय के ध्यान में ला दिया जाएगा। □

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. कलकत्ता (बैंक)

कलकत्ता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 8वीं बैठक श्री जे.वी. शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू बी आई की अध्यक्षता में 27 मार्च, 1990 को हुई।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने श्री भगवान दास पटैरया, उप-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री एस एन राय, मुख्य अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, यूबीआई ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए बताया कि हिन्दी अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग के प्रशिक्षण देने के संबंध में समिति ने जो भी निर्णय लिया था, उस पर सदस्य बैंकों ने अभिरुचि नहीं दिखायी। अभी तक केवल चार सदस्य बैंकों से केवल 8 नाम ही प्राप्त हुए। इस पर कुछ सदस्य बैंकों ने बताया कि उनके राजभाषा अधिकारी को उक्त प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। इस पर श्री पटैरया, उप सचिव (कार्यान्वयन) ने कहा कि

सभी अधिकारियों को यह प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। अध्यक्ष ने भी जोर देते हुए सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने यहां से 15 अप्रैल तक नाम भिजवाएं। हिन्दी कार्यशालाओं तथा हिन्दी प्रशिक्षण की समीक्षा की गई तथा ऐसा पता चला कि इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य 31 दिसम्बर, 1992 तक प्राप्त करना कठिन होगा। यूको बैंक के श्री पालीवाल ने अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि यदि भारत सरकार नियुक्तियों में मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दे तो वर्तमान स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकता है।

इस पर श्री पटैरया ने बताया कि यह कार्य संवैधानिक स्तर पर किया जाना अपेक्षित है, इस पर विचार किया जा रहा। सिंडीकेट बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि हिन्दी प्रशिक्षण की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बैंक संघ इसे द्विपक्षीय समझौते में समाहित करने पर विचार कर सकता है।

श्री पटैरया ने विचार व्यक्त किया कि यदि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी कुछ न कुछ कार्य हिन्दी में करें, तो इससे हिन्दी प्रयोग की स्थिति सुधरेगी।

वर्ष 1988 की "राजभाषा चल वैजयंती" इलाहाबाद बैंक को प्रदान किए जाने एवं अन्य 4 बैंकों, बैंक आफ इंडिया, न्यू बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र दिए जाने की घोषणा अध्यक्ष ने की। साथ ही उन्होंने अन्य सदस्य बैंकों से इससे प्रेरणा लेकर हिन्दी को और गति से कार्यान्वित करने की बात कही।

2. बर्नपुर-आसनसोल

न. रा. का. समिति की 5वीं बैठक 15 मार्च, 1990 को हुई। इस्को के प्रबन्ध निदेशक व समिति के अध्यक्ष श्री एम. एफ. मेहता ने बैठक की अध्यक्षता की। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की ओर से श्रीमती फूल कुमारी राय, अनुसंधान अधिकारी, पूर्व क्षेत्र, कलकत्ता ने इस बैठक में भाग लिया। इस्को के अलावा 11 अन्य सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में सदस्य कार्यालयों द्वारा भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई प्रगति का जायजा लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी कार्यान्वयन के मामले में अच्छी प्रगति हुई है लेकिन अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। उन्होंने सदस्य कार्यालयों का आह्वान किया कि वे इस्को द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। राजभाषा विभाग की श्रीमती राय ने इस्को की उदारता की सराहना की और सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे इस्को द्वारा दी जा रही हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण और हिन्दी कार्यशालाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएं।

श्री मेहता की ओर से एक वैजयंती भी शुरू की गई है जो उस सदस्य कार्यालय को दी जाती है जहां सबसे ज्यादा हिन्दी कार्य होता है। इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1989 के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार इस्को ही वैजयंती का विजेता रहा। लेकिन श्री मेहता की राय थी कि इस्को अभी इस प्रतियोगिता से बाहर ही रहेगा ताकि अन्य कार्यालयों को प्रोत्साहन मिले। अतः उप निदेशक (निरीक्षण), भारत सरकार, बर्नपुर इकाई का कार्यालय इस अवधि के लिए वैजयंती का विजेता घोषित हुआ और बैठक में ही उप निदेशक (निरीक्षण) को यह वैजयंती प्रदान की गई।

3. पारादीप

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक दिनांक 9 जून, 1990 को श्री प्रसन्न कुमार आचार्य अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास की अध्यक्षता में हुई :—

सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव श्री एस. के. पटनायक ने अध्यक्ष, श्री सिद्धिनाथ झा उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबन्धक कप्ता. एन. वी. नरसिंहम्, क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री बी. बेहरा और सभी सदस्यों का स्वागत किया।

सदस्य सचिव ने भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रबंधक श्री अमृतकुमार बसु के सहयोग की भी सराहना की।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट गोदी संरक्षा, श्रमिक विद्यापीठ, पंजाब नेशनल बैंक, कनरा बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया और ऑयल इण्डिया लि. से प्राप्त हो गई हैं। उन्होंने समिति के अन्य सदस्यों से निवेदन किया कि वे भी यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट समिति को भिजवाएं ताकि बैठकों में रिपोर्टों की समीक्षा की जा सके।

हिंदी एक सरल भाषा है जो सारे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। —कैप्टन वी. नरसिंहम्

सचिव ने सभी कार्यालयों के प्रमुखों से निवेदन किया कि वे राजभाषा अधिनियम और नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें। उन्होंने सदस्यों से कहा कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राजभाषा की प्रगति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए।

कप्तान एन. वी. नरसिंहम् उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को इस बैठक के आयोजन के लिए मौका देने के लिए समिति को और विशेष रूप से अध्यक्ष को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी एक सरल भाषा है और हिन्दी में काम करने के लिए किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देश को एक सूत्र में बांध सकती है।

श्री सिद्धिनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने पारादीप पत्तन में राजभाषा की प्रगति पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी कार्यालयों से निवेदन किया कि वे भी अपना काम अधिक से अधिक हिन्दी में करें।

पत्तन न्यास की कुछ फाइलों में जिनमें अंग्रेजी टिप्पणियां लिखी गई हैं, उन पर अध्यक्ष ने अपने आदेश हिंदी में दिये हैं।

अध्यक्ष ने हिन्दी प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार मार्च 1992 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए।

कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण

उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री झा ने सुझाव दिया कि सभी कार्यालयों से अनुरोध किया। कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो सके। सभी सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे हिन्दी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे।

हिंदी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण

पारादीप पत्तन न्यास के हिंदी अधिकारी ने समिति को बताया कि पारादीप में राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी टाइपराटिंग प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु स्थानीय टाइपराइटिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

वार्षिक समारोह का आयोजन

पारादीप पत्तन न्यास के हिन्दी अधिकारी ने समिति को बताया कि पिछले वर्ष समिति के द्वारा नेहरू जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। इसी तरह यदि प्रतिवर्ष समिति की ओर से वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाए तो राजभाषा की प्रगति के लिए सभी का उत्साह बढ़ेगा। समिति ने इस वर्ष से वार्षिक समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया और न्यू इण्डिया एश्युरेन्स ने इस समारोह के आयोजन के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। डॉ. एच. बी. प्रधान सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क विभाग एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन उपसमिति को समारोह के आयोजन का भार सौंपा गया।

4. विशाखापट्टणम

आग्नेय रेलवे, विशाखापट्टणम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री जी.के. खरे की अध्यक्षता में विशाखापट्टणम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक दिनांक 26-02-1990 को हुई। राजभाषा विभाग के बेंगलूर स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण) के अनुसंधान अधिकारी श्री ओ.आर. के. मूर्ति राजभाषा विभाग की ओर से बैठक में उपस्थित हुए।

कई सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने उनके यहां के प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा प्रशिक्षित होने को बाकी रह गये कर्मचारियों संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये। विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के राजभाषा अधिकारी श्री सी. एल. नारायण ने बताया कि उनके कार्यालय में किस कडेर के कर्मचारियों को किस स्तर तक हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है यह विषय अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय पर सरकारी मान-दण्डों के बारे में पूछताछ की। अध्यक्ष के अनुदेश पर सहायक हिन्दी अधिकारी श्री शत्रुघ्न मण्डल ने रेल मंत्रालय के अधीन छपी प्रशिक्षण स्तर को सूचित करने वाली केडेर सूची दिखाई। इस पर सदस्य सचिव ने सुझाया कि विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना संबंधी केडर सूची नगर समिति को उपलब्ध की जाय ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

श्री सी. एल. नारायण ने यह भी कहा कि शिफ्ट में काम करने की वजह से कई कर्मचारी प्रशिक्षण में आ नहीं सकते। अनुसंधान अधिकारी श्री ओ.आर. के. मूर्ति ने सुझाया कि ऐसे कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाय।

विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के हिन्दी अधिकारी डा. एस. कृष्ण बाबू ने यह राय व्यक्त की कि हिन्दी आशुलिपि के लिये प्रशिक्षण की अवधि-एक वर्ष काफी नहीं और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1990 तक पूरा करने के लिये जो लक्ष्य रखा गया है वह भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना जैसे कार्यालयों के लिये, जहां पर हजारों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है, यह लक्ष्य इतनी अल्पावधि में साध्य न हो सकेगा।

परीक्षाओं के संबंध में कुछ उदाहरण देते हुए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्रीमती सी. सत्यवती ने यह विचार व्यक्त किया कि पाठ्यक्रम के स्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्नपत्र तैयार किये जा रहे हैं जिससे कि जवाब लिखने का स्तर अपनी क्षमता से परे रहने की वजह से परीक्षार्थी आवश्यक परिवर्तन करते हुए जवाब नहीं लिख पा रहे हैं। उन्होंने श्री ओ. आर. के. मूर्ति से यह विचार राजभाषा विभाग के उच्च अधिकारियों तक ले जाने का और तदनुसार प्रश्न-पत्रों को तैयार करते समय पाठ्यक्रम के स्तर का ख्याल रखने का भी अनुरोध किया।

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री बालकृष्ण ने कहा कि उनके कर्मचारी रुचि लेकर हिन्दी शिक्षण योजना कार्यालय में चलाई जा रही हिन्दी टंकण की कक्षाओं में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर कक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो रही हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के राजभाषा अधिकारी श्री बलवीर सिंह भटनागर ने कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा की गति 80 और 100 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है जब कि हिन्दी आशुलिपिक पदों के लिये 60 शब्द प्रति मिनट गति अपेक्षित है। उन्होंने सुझाया कि राजभाषा विभाग उक्त परीक्षा की गति को कम निर्धारित करने पर विचार करें।

2. वार्षिक कार्यक्रम

विशाखापट्टणम गोदी श्रमिक मण्डल के हिन्दी अधिकारी डा. एस. वी. भास्करराव ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां काफी समय पहले ही राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायें ताकि तिमाही-वार लक्ष्य बनाने में सुविधा हो सके। अनुसंधान अधिकारी श्री ओ. आर. के. मूर्ति ने सदस्य सचिव को इस संबंध में डा महेशचन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग, से सम्पर्क कर के वार्षिक कार्यक्रम की पर्याप्त प्रतियां मंगाने के लिये और सदस्य कार्यालयों के लिये उपलब्ध कराने के लिये सुझाया।

प्रतिनिधियों के निवेदन पर यह बात स्पष्ट हुई कि कई कार्यालयों में पर्याप्त हिन्दी पद सृजित नहीं।

आन्ध्र बैंक की रिपोर्ट से पता चला कि वहां पर हिन्दी अधिकारी का पद भरा गया, परन्तु हिन्दी अनुवादक और टंकक के पद सृजित नहीं।

भारतीय खाद्य निगम के उप प्रबंधक श्री जे. एम. एम. राव ने कहा कि उनके कार्यालय में एक ही हिन्दी सहायक पद है जिससे कार्यालय का पूरा काम हिन्दी में नहीं हो सका। एक टाइपिस्ट पद भी सृजित है, परन्तु उसके अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित होने पर उसे समुदाय के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने की वजह से भरा नहीं जा सका।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्पर्क अधिकारी श्री मनोहरराव ने कहा कि उनके यहां हिन्दी टाइप-मशीन है, मगर टाइपिस्ट नहीं और हिन्दी अनुवादक पद भी नहीं।

आय-कर कार्यालय के उप आयुक्त श्री बी. मोहन्ती ने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी पद रिक्त पड़े हुए हैं और उनके मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई होनी है। तब श्री ओ.आर. के. मूर्ति ने सदस्य कार्यालयों को यह सलाह दी कि यदि उनके यहां किसी रिक्त पद को भरने के प्रस्ताव अनिर्णीत पड़े हों तो उसके एक प्रतिलिपि व राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर, को भी अवलोकनार्थ भेजें।

धारा 3(3) के कार्यान्वयन के संबंध में कई कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की कि उक्त धारा में उल्लिखित दस्तावेजों की जारी शतप्रतिशत हिन्दी में भी करना संभव नहीं, फिर भी इस दिशा में प्रगतिपूर्वक प्रयास हिन्दी एककों द्वारा किये जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के राजभाषा अधिकारी श्री बलवीर सिंह भटनागर ने अपने कार्यालय में जो उदाहरणीय प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं उनका उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी का काम टालकर नहीं हो सकता और यदि पत्र के परिमाण के अनुसार उसका हिन्दी अनुवाद अविलम्ब तैयार किया जाये तो हर कार्यालय में पत्राचार एवं धारा 3(3) के प्रलेखों की जारी के विषय में शत-प्रतिशत कार्यान्वयन हो सकता है।

विशाख रिफाइनरी के हिन्दी अधिकारी डा. एस. बशीर ने कहा कि उनके कार्यालय में हफ्ते में एक दिन हिन्दी में पत्राचार होता है और अधिकारी-गण हस्ताक्षर हिन्दी में भी करते हैं। उनके ग्रंथालय में काफी संख्या में हिन्दी किताबें और फिल्मी दुनिया संबंधी हिन्दी पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनको कर्मचारी रुचि से पढ़ते हैं।

3. अन्य विषय

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास की हिन्दी अधिकारी डा. हेमलता राव ने कहा कि उनके कार्यालय में मूल रूप से टिप्पण व प्रारूप लेखन का काम हिन्दी में हो रहा है और उनके यहां एक वाद-विवाद समिति भी है और उसके सदस्य कर्मचारी तरह-तरह के विषयों पर हिन्दी में भाषण देने में रुचि से भाग लेते हैं। कुछ कर्मचारी आकाशवाणी में हिन्दी में वार्ता भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नौसेना गोदीवाडा के वरिष्ठ श्रम अधिकारी श्री एल.सी. एस. राठोड़ ने कहा कि उनके कार्यालय में जब भी हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तब वरिष्ठ, अधिकारी भी उनमें भाग लेते रहे हैं। विशाख रिफाइनरी के प्रबंधक और सम्पर्क अधिकारी श्री जी. एन. मूर्ति ने कहा कि यदि बैठक का कार्य-वृत्त काफी समय पहले मिल जाय तो इस पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में सदस्य कार्यालयों को सुविधा होगी। सदस्य कार्यालयों के कई प्रतिनिधियों ने, खासकर हिन्दी अधिकारियों ने यह राय व्यक्त की कि नगर समिति की बैठकों में कार्यालय के अध्यक्षों को या उनके काम में व्यस्त रहने पर किसी उच्च अधिकारी या सम्पर्क अधिकारी को भाग लेना चाहिये, क्योंकि बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों पर अपने-अपने कार्यालय में अनुवर्ती कार्रवाई कराने के अधिकार उन्हीं को हैं। कुछ हिन्दी अधिकारियों ने यह भी राय व्यक्त की कि जिस दिन नगर समिति की बैठक होगी, उसी दिन हिन्दी अधिकारियों के एक अलग से सत्र हो और सम्पर्क अधिकारियों/कार्यालय अध्यक्षों के एक और आयात-निर्यात कार्यालय के नियंत्रक श्री परमशिवम ने राजभाषा कार्यान्वयन के विषय में न्यूनतम उपायों को सुझाने के लिये सदस्य सचिव की मदद मांगी।

बैठक के अंत में अनुसंधान अधिकारी श्री ओ. आर. के. मूर्ति ने सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे निष्ठा से राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करें और अभ्यास की कमी के कारण जो प्रशिक्षित कर्मचारी हिन्दी में काम करने के लिये हिचकते हैं, उनको कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कराया जाये और जिन कार्यालयों में हिन्दी पद नहीं, वे शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी पद सृजित कर उनको भरवाने की कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे नगर समिति के कार्य-कलापों में हर प्रकार का सहयोग दें।

5. वारंगल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक 15 फरवरी 1990 को हुई। बैठक का आयोजन आंध्र बैंक, के सौजन्य से किया गया है,

श्री प्रसाद रावजी, अंचल प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने सभी सदस्यों का समिति की ओर से स्वागत किया और बताया कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद ने केन्द्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न सहयोगी बैंकों के बीच चलाई जानेवाली केन्द्रीय कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 1988 में "ग" क्षेत्र में पहला स्थान और भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 1987 में 12वें स्थान से 1988 में चौथे स्थान की प्रगति की है। बैंकों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी टंकण में प्रशिक्षण और परीक्षा का आयोजन स्टे. बैं. है. के कर्मचारियों के लिए किया है। पत्राचार में भी काफी प्रगति की है, 10% लक्ष्य के विरुद्ध 32% प्रतिशत की प्राप्ति की है। उन्होंने सभी सदस्यों से द्विभाषिक/हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया। इस वर्ष 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और 88 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस वर्ष रु. 8200- मूल्य की लाइब्रेरी पुस्तकें बैंक से खरीदी गई हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि हिंदी का व्यापक उपयोग करें ताकि क्षेत्र की अन्य समितियों की तुलना में समिति प्रथम स्थान पर रहें। उन्होंने आंध्र बैंक और श्री तांडव कृष्णारावजी को इस बैठक के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।

श्री ए. कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, आंध्र बैंक ने कहा है कि मुझे अधिक प्रसन्नता है कि आंध्र बैंक को इस बार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक ने सम्मानित किया है।

सदस्य सचिव श्री पी. सी. सोनी, राजभाषा अधिकारी, (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अंचल कार्यालय) ने बैठक में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण चिंता प्रकट की और आगामी बैठकों में स्थिति को बढ़ाने में सभी के सहयोग के लिए अनुरोध किया है।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और समिति की ओर से यह घोषणा की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों में जहां कहीं हिंदी टाइपराइटर की सुविधा न हो, या कोई कर्मचारी सीखना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सभी का स्वागत करता है।

श्री ओ. आर. कृष्णमूर्ति, अनुसंधान अधिकारी, ने अपने विचार हिन्दी में व्यक्त करने का अनुरोध किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य आपस में सहयोग, विचार विमर्श के लिए गठन की गई है मगर किसी के निष्पादन के आलोचना के लिए नहीं। उन्होंने समिति के अध्यक्ष को निवेदन किया कि जहां कहीं कार्यालयों में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई हो उनके लिए संयुक्त कार्यशाला का आयोजन करें और कहीं अनुवादक नहीं वे कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या आंध्र बैंक के राजभाषा अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राजभाषा नियम 12 के अनुसार हिन्दी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर आंध्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की सराहना की। आंध्र बैंक की एक ग्रामीण शाखा गीसूकोंडा में हिंदी में अच्छा काम के कारण प्रशंसा की। उपर्युक्त बैंकों में धारा 3(3) का अमल 100% हो रहा है।

6. पोर्ट ब्लेयर

समिति की 1990-91 की अर्धवार्षिक बैठक श्री जयकृष्ण मेहता, प्रबंध निदेशक वन विकास निगम लि., की अध्यक्षता में मेगापोड नेस्ट में दिनांक 20-7-90 को आयोजित हुई।

सचिव ने सूचित किया कि कुछ कार्यालयों को छोड़ कर पोर्ट ब्लेयर स्थित अन्य कार्यालयों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इस पर पत्र सूचना केन्द्र के श्री प्रीति मजुमदार ने कहा कि उनके कार्यालय से यह प्रतिवेदन सीधे मंत्रालय को भेज दिया जाता है। इस बात का निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालय यह प्रतिवेदन प्रत्येक समाप्त तिमाही के 15 दिन के अंदर संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे और उसकी एक प्रति समिति को भी अग्रेषित किया करेंगे।

आशुलिपि प्रशिक्षण: पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पोर्ट ब्लेयर स्थित सभी कार्यालय अपने कार्यालयों के उन कर्मचारियों के नाम प्रशिक्षण हेतु भेजेंगे जिन्हें हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जाना है। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों से एक बार पुनः अनुरोध

किया जाये कि वे अपने उन कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण हेतु नामित करें जिन्हें नियमानुसार यह प्रशिक्षण लेना ही है।

सागर तरंग सहायिका पत्रिका का प्रकाशन : चूंकि दो कार्यालयों के अलावा और किसी भी कार्यालय ने इस विषय पर उत्साह नहीं दिखाया, यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को एक बार पुनः सभी कार्यालयों में परिचालित किया जाये और अनुरोध किया जाये कि वे प्रति माह 15 तारीख तक अपने कार्यालयों से संबंधित मुख्य विवरण तथा हिन्दी में उपलब्ध प्रगति से संबंधित रिपोर्ट समिति को भेजा करें ताकि समिति 'सागर तरंग सहायिका' का प्रकाशन सुचारू रूप से कर सके।

आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र के लिये सचिवालय के समाचार को प्रति दिन कार्य दिवसों में शाम 3 बजे से 4 बजे तक समिति को देने का आश्वासन निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री गोरखराम ने दिया। साथ ही मुख्य सचिव महोदय ने यह भी आश्वासन दिया कि समिति को प्रशासन के हिन्दी कक्ष के आशुलिपिक की सेवाएं बतौर प्रशिक्षक के दिलवायेंगे। प्रशिक्षण केन्द्र अगस्त 90 के किसी भी दिन चालू हो सकता है जिसकी सूचना सभी कार्यालयों को समय पर सूचित कर दिया जायेगा। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रशासन के मुख्य सचिव महोदय समिति को इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था।

सागर तरंग के प्रकाशन के व्यय भार को विज्ञापनों के आहरण द्वारा उठाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिये यह निर्णय लिया गया कि कार्यसूची के पृष्ठ 2 पर दिये नये कार्यालयों के पास अनुरोध पत्र भेजे जायें।

अध्यक्षीय भाषण : सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन न हों। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सभी कार्यालय कम से कम 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही करें। हिन्दी आशुलिपि केन्द्र का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठायें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करेंगे तो हिन्दी की प्रगति कार्यालयों में होकर ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाये तथा जरूरत पड़ने पर अन्य भाषाओं के शब्दों को भी हिन्दी में लिखा जाये। अन्त में उन्होंने एक बार पुनः सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में पधारने के लिये धन्यवाद कहा और प्रशासन के मुख्य सचिव का आभार माना जो सदस्यों का हौसला बढ़ाने के लिये इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिये।

सदस्यों से हिन्दी के प्रगामी प्रगति हेतु सुझाव :

पत्र सूचना कार्यालय के श्री प्रीति कुमार मजुमदार जी ने कहा कि उनके कार्यालय में सृजित पद भी रिक्त पड़े हुये हैं जिसके लिये समिति को चाहिये कि विषय पर संबंधित मंत्रालय से पत्राचार करें। वह यह भी कहे कि यदि सरकार ठीक तरह से प्रोत्साहन देगी तो अति तत्काल हिन्दी की प्रगति को गति मिल जायेगी। सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर समिति उचित कार्रवाई अवश्य करेगी।

केन्द्रीय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती शमा खान ने कहा कि समिति की ओर से एक दल विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को हिन्दी की शिक्षा दिया करे। इससे हिन्दी की प्रगति अवश्य होगी जिसके जवाब में यह उत्तर दिया गया कि इस विषय पर पहले से हीं अन्य विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। वैसे श्रीमती खान चाहें तो अपने कार्यालय के उन कर्मचारियों को श्री लेखराज कपूर, हिन्दी प्राध्यापक के पास प्रशिक्षण हेतु भेंजे।

पुलिस बेतार के श्री राजप्पा ने कहा कि समिति की ओर से एक उप समिति का गठन किया जाये जो हर कार्यालय में जाकर हिन्दी में उचित सलाह दिया करें। जिस पर सभी सदस्यों ने जोर दिया। अध्यक्ष महोदय इस बात के लिये राजी हो गये एवं इस काम के लिये सर्वसम्मति से श्री लेखराज कपूर को चुना गया।

श्री अशेष कुमार दत्त, वन विकास निगम इस बात पर जोर दिये कि समिति एक हिन्दी की कार्यशाला चलाये जिसमें सभी अधिकारी वर्ग भाग लें। इस बात को भी मान लिया गया।

मुख्य अतिथि महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया कि वे इस बैठक में भाग लिये और अपनी सुझाव आदि भी रखें। मुख्य अतिथि महोदय ने समिति को यह आश्वासन दिया कि शीघ्र ही समिति को सचिवालय का सभागार आशुलिपि कक्षाओं को चलाने के लिये मिल जायेगा एवं सचिवालय के हिन्दी आशुलिपिक की सेवायें भी बतौर प्रशिक्षक मिल जायेंगी। मुख्य अतिथि महोदय ने सबसे अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग खुल कर करें और हिन्दी की प्रगति को गति दें। उन्होंने यह भी कहा कि समिति को उनकी सहायता मिला करेगी।

धन्यवाद ज्ञापन : श्री लेखराज कपूर, हिन्दी प्राध्यापक ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया कि वे इस बैठक को सफल बनाने में सहायक हुये। श्री कपूर ने मुख्य सचिव महोदय को हार्दिक धन्यवाद दिया कि वे इस बैठक में पधारे और हिन्दी की प्रगति हेतु अपनी सहयोगिता देने का आश्वासन दिये। बैठक का समापन सामान्य जलपान द्वारा संपन्न हुआ।

7. बडोदरा

बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक दिनांक 13-3-90 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री जगत नारायण निगम, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क, बडोदरा ने की।

अध्यक्ष ने सबसे पहले बडोदरा के उन 9 केन्द्रीय सरकारी संगठनों को बधाई दी जिन्हें सर्वोत्तम एवं सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए बडोदरा नगर समिति की चल-वैजन्तियों एवं प्रशस्ति-पत्र के योग्य पाया गया है और जिन्हें वर्तमान बैठक में ये पुरस्कार औपचारिक रूप से प्रदान भी किए जा रहे है।

अध्यक्ष ने बताया कि नगर समिति के निर्णयों पर अधिकांश मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में सुधार की दृष्टि से उन्होंने सुझाव दिया कि नगर समिति की ओर से संपर्क/मार्गदशन-दल गठित किए जांय। उन्होंने आगे कहा कि ये दल विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके उन्हें समिति के निर्णय क्रियान्वित करने के बारे में विशेष रूप से एवं सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के बारे में सामान्य रूप से मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अध्यक्ष ने इन संपर्क मार्ग दर्शन-दलों को वर्तमान की बैठक में ही गठित करने का आग्रह किया तथा यह भी चाहा कि ये दल अपनी रिपोर्ट समिति की अगली बैठक में पेश करदें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बडोदरा के जिन केन्द्रीय कार्यालयों में ये सम्पर्क-दल जाएंगे, वहां हिन्दी के प्रति सकारात्मक माहौल का सजृन हो सकेगा।

श्री कृष्ण नारायण मेहता, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि हिन्दी की उपादेयता स्वयंसिद्ध है क्योंकि हिन्दी से ही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता अभिव्यक्त हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में पहल विभागाध्यक्ष स्तर पर होनी चाहिए, तब ही हिन्दी-प्रयोग में सच्ची गतिशीलता आ सकेगी। उन्होंने आग कहा कि विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रधानों को यथा संशोधित राजभाषा नियमावली के नियम 12 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इस बारे में सरकार द्वारा जारी निदेशों आदि का अनुपालन अपने-अपने कार्यक्षेत्र में करवाना चाहिए।

श्री मेहता ने बैठक में विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय-प्रधानों की कम उपस्थिति को देखते हुए यह आग्रह किया कि सरकार के विद्यमान निदेशों के अनुसार, विभागाध्यक्षों या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को समिति की बैठकों में सम्मिलित होना चाहिए।

सरकार की राजभाषा नीति की व्यावहारिता को रेखांकित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में हमारे प्रयास प्रक्रिया-उन्मुख ना हो कर परिणामोन्मुख होने चाहिए। प्रक्रिया-उन्मुख रवैया अपनाने से हिन्दी के प्रयोग में जो ठहराव सा आ गया है, वह दूर हो जाएगा तथा हिन्दी के इस्तेमाल में गत्यात्मकता आएगी।

केन्द्रीय सरकार में विद्यमान स्थिति का जिक्र करते हुए डॉ. नागेन्द्रनाथ पाण्डेय ने हिन्दी-अंग्रेजी एवं अंग्रेजी-हिंदी रूपांतरण के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अनुवाद कार्य में सार्थक सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संदर्भ सामग्री प्रकाशित की गई है। जिसका इस्तेमाल केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में किया जाना चाहिए।

डॉ. पाण्डेय ने यह सूचित किया कि पांच दिन का संक्षिप्त अनुवाद-प्रशिक्षण कार्यक्रम बडोदरा नगर के केन्द्रीय सरकारी कार्मिकों के लाभार्थ बडोदरा नगर में भी चलाया जा सकता है। इस बारे में उन्होंने नगर समिति अध्यक्ष से समन्वय करने का अनुरोध किया।

8. बडोदरा (बैंक)

न. रा. का. समिति की बैठक दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को की गई। इसकी अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री ए. वी. पारेख ने की बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण नारायण मेहता ने किया तथा बैंक आफ बड़ौदा के राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय बम्बई से मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) डा. सोहन शर्मा भी सम्मिलित हुए।

अंतः बैंक शील्ड प्रतियोगिता वर्ष 1989 का परिणाम :

बैठक में समिति द्वारा चलाई जा रही अंतः बैंक चल वैजयंती प्रतियोगिता के शील्ड एवं पुरस्कार भी दिए गए।

उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार रहा ।

क्रम सं.	बड़ौदा स्थित शाखा कार्यालय का नाम	स्थान	पुरस्कार का स्वरूप
1.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र कारेली बाग, शाखा	प्रथम	वर्ष 1989 के दौरान हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य के लिए राजभाषा चल वैजयंती तथा रिप्लिका ।
2.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया केवडा बाग शाखा	द्वितीय	वर्ष 1989 के दौरान हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए स्मृति-पदक ।
3.	बैंक आफ बड़ौदा अंचल कार्यालय ।	तृतीय	—„—
4.	देना बैंक सुभानपुरा शाखा	चतुर्थ	
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समा रोड शाखा	पांचवा	
6.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद अकोटा शाखा ।	छठा	
7.	देना बैंक सातवां बहुचराजी रोड शाखा		
8.	पंजाब नेशनल बैंक रावपुरा शाखा	आठवां	
9.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा ।	नौवां	
10.	बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, रावपुरा ।	दसवां	

समिति की मदवार कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व विशिष्ट अतिथि-बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री जे. एन. दौलतजादा ने अंतः बैंक राजभाषा चल वैजयंती प्रतियोगिता में शील्ड पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र पाने वाले बैंकों को बधाई देते हुए समिति की गतिशील कार्यवाहियों की प्रशंसा की । उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि एक कुशल बैंकर के अनुरूप बजट प्रक्रिया और प्लानिंग के समान ही वे राजभाषा के प्रयोग को भी अपने-अपने कार्यालय में संस्थागत रूप प्रदान करें ।

हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री टी. एच. के. गौरी ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के बड़ौदा केन्द्र में चलाई जा रही कक्षाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण के संबंध में सदस्यों की शंकाओं का निवारण किया और कठिनाइयों के समाधान का आश्वासन भी दिया । राजभाषा विभाग में उप-निदेशक श्री कृष्णनारायण मेहता ने अपने सारगर्भित भाषण द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सदस्यों को जागरूक करते हुए विभिन्न बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों में लक्षित कमियों की ओर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया ।

सदस्य बैंकों से प्राप्त छःमाही रिपोर्टों और समिति की गतिविधियों में विभिन्न बैंकों की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने भाषण में निम्न मुद्दों पर दबाव डाला गया ।

(क) समिति की बैठकों में कार्यालय के प्रमुख स्वयं हिस्सा लें और रिपोर्ट समय पर समिति को उपलब्ध करायें ।

(ख) संयुक्त टाइपिंग केन्द्र का सभी बैंक भरपूर लाभ उठाएं और अधिकाधिक टाइपिस्टों को प्रशिक्षित कराए ।

(ग) संयुक्त टाइपिंग केन्द्र में हिन्दी टाइपराइटरों की कमी दूर करने हेतु उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, अंचल कार्यालय से वायदे के अनुसार यथाशीघ्र टाइपराइटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए ।

(घ) बैंक ऑफ इंडिया की तरह अन्य बैंक भी आगे आकर संयुक्त हिन्दी कार्यशालाएं करने का जिम्मा लें ।

(ङ) सभी कार्यालय प्रमुख अपनी अन्य समितियों की बैठकों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा कर लिया करें ।

(च) भारत सरकार की राजभाषा नीति को उजागर करने वाली सामग्री जैसे सरकार द्वारा प्रकाशित विडियो फिल्में/सहायक एवं संदर्भ साहित्य आदि का नाम संगठन के कार्मिकों को दिया जाए ।

9. नासिक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नासिक की वर्ष 1989-90 की दूसरी बैठक 1 मार्च, 1990 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के समिति कक्ष में श्री गु. द. इडगुजी, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष श्री इडगुंजी ने कहा कि महाराष्ट्र भारत की मिली-जुली संस्कृति का एक सुंदर भाग है । यह हर्ष की बात है कि नासिक में राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण विद्यमान है। इसके साथ

ही राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में नासिक स्थित केन्द्रीय सरकार, बैंकों और उपक्रमों के सभी कार्यालय अपना योग दान दे रहे हैं ।

जिन कार्यालयों में राजभाषा नियमानुसार जो कागज़ात हिन्दी अंग्रेज़ी (द्विभाषी) जारी नहीं किए जा रहे हैं, उनसे अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षा की कि वे इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नासिक में एक पूर्णकालिक टंकन/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने से संबंधित कार्रवाई के संदर्भ में नासिक स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों से हिन्दी टंकण/आशुलिपि में प्रशिक्षण योग्य कर्मचारियों की सूचना के आधार पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से एक पूर्णकालिक सहायक निदेशक (टंकण/-आशुलिपि) की तैनाती के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जा रही हैं । उक्त पद पर योग्य और सक्षम प्राधिकारी की प्रतिनियुक्ति से सम्बंधित राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/4/उ.नि. (पश्चिम) 89/207 दिनांक 19-1-90 की प्रतियां सभी सदस्य कार्यालयों को भेजी गई हैं ।

प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी श्री राधेश्याम गुप्ता ने समिति को बताया कि महाप्रबंधक, टेलिकम्युनिकेशन नासिक टेलिफोन्स को पत्र लिखने और उसके अनुसरण भेजने के बावजूद द्विभाषी टेलेक्स सुविधा मुहय्या कराने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसी प्रकार की जानकारी भा.प्र.मु. के प्रतिनिधि हिन्दी अधिकारी ने भी दी । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तत्संबंधित कार्यालय उक्त पत्रों और अनुसरण पत्रों की प्रतियां न.रा.का.स. को भेजें, जिसके आधार पर नासिक स्थित उक्त कार्यालयों में द्विभाषी टेलेक्स सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में समुचित और अपेक्षित कार्रवाई की जा सके ।

हिन्दी अध्यापक श्री जालान ने कहा कि नासिक स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में प्रबोध और प्रवीण स्तर का ज्ञान लगभग सभी कर्मचारियों ने प्राप्त कर लिया है । अब प्राज्ञ स्तर का ज्ञान के योग्य कर्मचारी शेष हैं । इसलिए कार्यालयों से अनुरोध है कि वे प्राज्ञ कक्षाओं के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित करें ।

चलार्थ पत्र मुद्रणालय से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने कहा कि हिन्दी प्राध्यापक हि. शि. योजना को चाहिए कि कक्षाओं से अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट नियमित रूप से तत्संबंधित कार्यालयों को भेजें । साथ ही कुछ कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान हिन्दी प्राध्यापक की कार्य करने की पद्धति पर असंतोष व्यक्त किया और प्रस्ताव रखा कि राजभाषा विभाग से एक अच्छे हिन्दी प्राध्यापक की तैनाती के लिए अनुरोध किया जाए । इस पर अध्यक्ष, न.रा.का.स. और सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना ने समिति को आश्वासन दिया कि, इस विषय के बारे में समुचित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया जाएगा ।

10. जम्मू

9 मार्च, 1990 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री बी.के. भांडारकर, भा.र.ले.सं., रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान की अध्यक्षता में भारतीय स्टेट बैंक बैंक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र त्रिकुटा नगर जम्मू में हुई । श्री बी. एस. शहीद ने सदस्यों को स्वागत करते हुए कहा कि उनके कार्यालय में लगभग 70% कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ।

श्री भांडारकर ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है । हमें इसके प्रयोग पर गर्व करना चाहिए । हमारे अन्दर जो एक मानोवैज्ञानिक झिझक है । उसे हमें दूर करना होगा ।

हिन्दी शिक्षण योजना के उप-निदेशक (उत्तर) श्री आर. सी. सिंह ने बताया कि जम्मू में हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है । स्थान मिलते ही यह केन्द्र कार्य करना शुरू कर देगा ।

समिति के सचिव श्री प्रेम बहादुर सिंह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि समिति के तत्त्वावधान में इस छमाही में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । एक कार्यशाला कार्यालाध्यक्षों के लिए 30 अक्टूबर, 1989 को तथा दूसरी कार्यशाला 7-8 मार्च को कर्मचारियों के लिये आयोजित की गई । समिति द्वारा जम्मू स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंको व उपक्रमों के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देने के लिए दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए :—

हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता

1. कुमारी हाशी चौधरी —प्रथम पुरस्कार
2. श्री मनोरंजन कौक —द्वितीय पुरस्कार
3. डा. श्रीमती प्रीति सोमल —तृतीय पुरस्कार
4. श्री गुरदयाल सिंह —सांत्वना पुरस्कार
5. श्री विवेका जो कौल —सांत्वना पुरस्कार
6. श्रीमती कुशल बिन्दु —सांत्वना पुरस्कार
7. श्री सतीश कुमार धीमन —सांत्वना पुरस्कार
8. श्री श्याम शर्मा —सांत्वना पुरस्कार

हिन्दी टिप्पण व प्रारूप लेखन

1. श्री मनोरंजन कौल —प्रथम पुरस्कार
2. श्री सतीश शर्मा —द्वितीय पुरस्कार
3. श्री राज कुमार —तृतीय पुरस्कार
4. कुमारी हाशी चौधरी —सांत्वना पुरस्कार
5. श्री गुरदयाल सिंह —सांत्वना पुरस्कार
6. श्री वीरेन्द्र मोहन शर्मा —सांत्वना पुरस्कार
7. श्रीमती शशि शर्मा —सांत्वना पुरस्कार
8. श्री श्याम शर्मा —सांत्वना पुरस्कार

इनके अतिरिक्त जम्मू में 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही में निम्नलिखित कार्यालयों को राजभाषा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशिष्ट कार्य करने के लिये भी पुरस्कृत किया गया :—

केन्द्रीय सरकारी कार्यालय

1. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
3. सीमा सुरक्षा बल
4. रक्षा लेखा नियंत्रक (उ.क.)
5. केन्द्रीय विद्यालय, बनतालाब
6. श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

बैंक/उपक्रम

1. भारतीय स्टेट बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र
2. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन
3. राष्ट्रीय बैंक।

11. अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर की 19वीं बैठक दिनांक 13-3-90 को श्री एस.एस. भाटिया, आयकर आयुक्त, अमृतसर की अध्यक्षता में आयकर भवन में सम्पन्न हुई।

बैठक में विचार विमर्श के लिये 42 कार्यालयों से 31-12-89 को समाप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट नये प्रोफार्मा में मंगवाई गई थी परन्तु यह रिपोर्ट केवल निम्नलिखित 9 कार्यालयों से ही प्राप्त हुई।

1. आयकर आयुक्त कार्यालय अमृतसर।
2. उत्तर रेलवे वर्कशाप, अमृतसर।
3. विमान अधिकारी का कार्यालय, अमृतसर।
4. वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय।
5. वनस्पति रक्षा संगरोध कार्यालय।
6. क्षेत्रीय प्रचार का कार्यालय।
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय।
8. इलाहाबाद बैंक, अमृतसर।
9. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, अमृतसर।

अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट भेजी जाये तभी उन कार्यालयों में हुई राजभाषा प्रगति का पता चल सकता है, उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

राजभाषा शील्ड योजना

अमृतसर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा शील्ड योजना चलाई जा रही है जिसमें हिन्दी में अधिक कार्य करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड दी जाती है वर्ष 87–88 तथा वर्ष 88–89 के लिये योजना में निम्नलिखित कार्यालयों को राजभाषा शील्ड प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में दी गई :—

वर्ष 87–88 के लिये :

1. उत्तर रेलवे यांत्रिक कारखाना, अमृतसर —प्रथम पुरस्कार
2. आयकर विभाग, अमृतसर —द्वितीय पुरस्कार
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अमृतसर —तृतीय पुरस्कार

वर्ष 88–89 के लिये :

1. उत्तर रेलवे यांत्रिक कारखाना, अमृतसर—प्रथम पुरस्कार
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अमृतसर—द्वितीय पुरस्कार
3. आयकर विभाग, अमृतसर —तृतीय पुरस्कार

योजना में भाग लेने वाले शेष सभी कार्यालयों को प्रोत्साहिन पुरस्कार तथा सभी कार्यालयों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अमृतसर में हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ कक्षाएं आयकर विभाग, अमृतसर में तथा रेलवे वर्कशाप अमृतसर में चलाई जा रही हैं दोनो स्थानों पर अस्थाई प्राध्यापकों की व्यवस्था की गई है। सूचित किया गया कि जिन कार्यालयों में अभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है और हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाना है वे कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :—

श्री एस. एन. प्रसाद,

वर्कशाप प्रभार अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना एवं उपनिदेशक आयकर (अन्वेषण) का. आयकर आयुक्त, अमृतसर।

हिन्दी टंकण प्रशिक्षण

कार्यालय आयकर आयुक्त, अमृतसर में चलाई जा रही हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कक्षाओं में पिछले दो सत्रों में अन्य केन्द्रीय कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को

प्रशिक्षण दिया गया।

	कर्मचारी
1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, अमृतसर	2
2. दयालबाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज, अमृतसर।	1
3. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
4. नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी, अमृतसर	1
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय	2
6. सहायक मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात अमृतसर।	1

कमरे की व्यवस्था न होने के कारण जनवरी, 90 से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कक्षा नहीं चलाई गई। कमरे की व्यवस्था होने पर जुलाई 90 से अगली कक्षा चलाई जायेगी।

31-12-89 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट में पाई गई कमियों के संबंध में :—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने अनिवार्य हैं। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त 135 पत्रों में से 53 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया था तथा 1 पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाये।

पत्र व्यवहार सम्बन्धी

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम अनुसार "ख" क्षेत्र के लिये हिन्दी में पत्र-व्यवहार के लिये निर्धारित लक्ष्य 60% है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त लक्ष्य इस प्रकार है :—

1. रेलवे वर्कशाप	84%
2. इलाहाबाद बैंक	85%
3. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	50%
4. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय	40%
5. आयकर विभाग	37%
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त	31%
7. विमान अधिकारी कार्यालय	10%

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि "ख" क्षेत्र के लिये निर्धारित 60% के लक्ष्य को यथासंभव पूरा किया जाये।

प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यालय आयकर आयुक्त अमृतसर उत्तर रेलवे वर्कशाप, अमृतसर, क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में हिन्दी सप्ताह मनाया गया तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

नगर राजभाषा समिति के स्तर पर भी हिन्दी दिवस के उपलक्ष में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा हिन्दी दिवस समारोह के आयोजन पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। □

12. लुधियाना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 18वीं बैठक दिनांक 15 मार्च 1990 को केंद्रीय राजस्व भवन, सिविल लाइन्स में श्री आर. के. मल्होत्रा, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लुधियाना स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालयाध्यक्षों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

अध्यक्ष श्री मल्होत्रा ने बताया कि आयकर कार्यालय द्वारा समिति के सदस्य कार्यालयों की सुविधा के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। अब तक विभिन्न कार्यालयों के 78 कर्मचारियों को हिन्दी टाइप में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 8 कर्मचारी इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। हिन्दी आशुलिपि में 6 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं और आगामी सत्र अप्रैल, 90 से आरंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध और प्राज्ञ की कक्षाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12-2-1990 से 16-2-1990 तक समिति के उन सदस्य कार्यालयों के लिए एक 5 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जो अपने स्तर पर कार्यशाला आयोजित नहीं कर पाते। कार्यशाला में 9 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के 14 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(क) हिन्दी में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिये पुरस्कार

बैठक में सूचित किया गया कि वर्ष 1988-89 में हिन्दी में किए गए कार्य के लिए पुरस्कार योजना में लगभग 15 कार्यालयों ने भाग लिया। विभिन्न कार्यालयों द्वारा दिए गए आंकड़ों की समीक्षा करने तथा उनका सत्यापन करने के बाद 14 सितम्बर, 1989 को हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में निम्नलिखित तीन कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया :—

1. श्री डी. वी. अरोड़ा, आयकर अधिकारी (मुख्यालय)	प्रथम

2. श्री जी. थंगाप्पाणी, शाखा प्रबंधक, नि. कै. गां. निगम — द्वितीय

3. श्री रामपाल आहूजा, व. मंडल प्रबंधक, न्यू. इंडिया एशो. कंपनी — तृतीय

(ख) **कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान :** —सदस्य सचिव ने सूचित किया कि जिन कार्यालयों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, निम्नलिखित कार्यालयों कर्मचारयों को निर्धारित स्तर तक हिन्दी का ज्ञान नहीं हैं।

1. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्रमण्डल	10
2. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, भारत नगर चौक, लुधियाना	22
3. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	16
4. पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय	2
5. तार परियात मण्डल	29
6. सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2
7. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी आत्मपार्क, मंडल लुधियाना	26
8. लघु उद्योग सेवा संस्थान	3
9. संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात, लुधियाना	2
10. मंडल यांत्रिक अभियंता, उत्तर रेलवे	1
11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	4

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से कहा कि वे हिन्दी की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ कक्षाओं के लिए समुचित संख्या में नामित करें ताकि सभी कर्मचारियों को शीघ्र प्रशिक्षित किया जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि के सहायक आयुक्त श्री काहलों का कहना था कि नामित करने के बावजूद कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होते। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों का उपस्थित होना अनिवार्य है यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ उसी प्रकार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है जिस प्रकार कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर की जा सकती है।

(ग) **हिन्दी टाइप प्रशिक्षण :**—सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कुल टाइपिस्टों में से 25% टाइपिस्टों को 31-3-90 तक हिंदी टाइप में प्रशिक्षित करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन कार्यालयों में निर्धारित लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।

	कुल टाइपिस्ट	हिंदी टाइप में प्रशिक्षित
1. कर्मचारी भविष्यि निधि कार्यालय	31	1
2. बैंक ऑफ इंडिया घंटाघर चौक,	3	—
3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात	12	2
4. वस्त्र समिति	3	—

अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि जिन कार्यालयों में निर्धारित संख्या में कर्मचारियों को हिंदी टाइप में प्रशिक्षित नहीं किया गया है वे यथाशीघ्र उन्हें इस कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के लिए नामित करें।

(घ) **पत्राचार की स्थिति :**—सदस्य सचिव ने सूचित किया कि निम्नलिखित कार्यालय ही अपने कुल पत्राचार का 50% या इससे अधिक हिन्दी में करने में सफल हो सके हैं :—

	हिंदी में पत्राचार की मात्रा
1. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क मण्डल	50 प्रतिशत
2. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	66 „ „
3. पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय	54 „ „
4. भारतीय अनाज संचयन संस्थान	56 „ „
5. सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	52 „ „
6. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी	51 „ „
7. निर्यात निरीक्षण अभिकरण	50 „ „
8. मण्डल अभियंता (डीजल) उत्तर रेलवे	69 „ „

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री खान ने बताया कि "ख" क्षेत्र में वर्ष 1989–90 के लिए केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए लक्ष्य 60% है जबकि बैंकों इत्यादि के लिए 50% है, अतः सभी सदस्य कार्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएं।

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री खुर्शीद मुहमद खान ने जानना चाहा कि हिन्दी में कार्य करने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार आयकर मुक्त हैं या नहीं? सदस्य सचिव ने उन्हें सूचित किया ऐसे सभी पुरस्कार आयकर मुक्त हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि का कहना था कि जिन लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाते हैं, वे वापस उनके कार्यालय में पहुंच जाते हैं।

किंतु आयकर विभाग के प्रतिनिधियों का कहना था कि उनके कार्यालयों द्वारा हिन्दी में भेजे जाने वाले सभी पत्र संबंधित व्यक्तियों को मिल जाते हैं। वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक ने बताया कि हिन्दी में पते वाले पत्रों को उसी तरह बांटा जाता है जैसे अंग्रेजी वालों को। फिर भी यदि कोई ऐसा मामला हो तो संबंधित कार्यालय उनके ध्यान में लाएं।

(ग) निर्यात निरीक्षण अभिकरण के प्रतिनिधि का सुझाव था कि अध्यक्ष के कार्यालय से जाने वाले पत्रों पर टैलीफोन नम्बर लिखा होना चाहिए। अध्यक्ष ने सदस्य सचिव को निदेश दिया कि वे भविष्य में सभी पत्रों पर टेलीफोन नम्बर आवश्यक लिखें।

13 चण्डीगढ़ (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़ की छठी बैठक का आयोजन 2-3-90 को पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय के उपमहाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री स्वराज कुमार गप्ता की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा अवगत कराया कि समिति की पिछले चार वर्षों से नियमित बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन सभी सदस्यों के सहयोग से होता रहा है तथा नगर के बैंकों में राजभाषा के प्रचार में उत्साहजनक कार्रवाई हुई है तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन में इन बैठकों ने अहम् भूमिका निभाई है।

तदुपरांत कार्य-सूची के अनुसार बैठक में निम्न प्रकार से निर्णय लिए गए :—

1. कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान एवं प्रशिक्षण

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कर्मचारियों को हिन्दी ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बैंकों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है :—

(1) इंडियन बैंक, (2) भारतीय स्टेट बैंक, (3) यूको बैंक, (4) बैंक आफ महाराष्ट्र, (5) यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया। सभी से अपेक्षा की गई कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाए।

2. हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि : प्रशिक्षण की स्थिति

समिति के समक्ष नगर स्थित समस्त बैंकों की समेकित स्थिति को प्रस्तुत किया गया तथा यह पाया गया कि 25% के लक्ष्य के स्थान पर नगर द्वारा 29% की उपलब्धि की गई है। इस मद में समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ बैंकों द्वारा टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाने हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिन बैंकों द्वारा कार्यवाही की अपेक्षा है वे निम्नलिखित हैं:— (1) इंडियन बैंक तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला।

3. हिन्दी टाइपराइटरों की स्थिति :

समिति को सूचित किया गया कि इस दिशा में 25% के लक्ष्य के स्थान पर नगर स्थित बैंकों द्वारा 21% का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। तदुपरांत समस्त बैंकों में उपलब्ध टाइपराइटरों की स्थिति की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, देना बैंक, यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया में एक भी देवनागरी टाइपराइटर नहीं है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, यूनियन बैंक, आई. डी. बी. आई. एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की गई है तथा शेष सदस्यों द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की जानी है।

4. धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों आदि की स्थिति :

सदस्यों के समक्ष चण्डीगढ़ में स्थित बैंकों की वर्ष 1988 एवं वर्ष 1989 की तुलनात्मक स्थिति को प्रस्तुत किया गया तथा सूचित किया गया कि 100% के लक्ष्य के स्थान पर वर्ष 1988 में 91% उपलब्धि थी तथा वर्ष 1989 में यह उपलब्धि बढ़कर 94% हुई है। 100% की उपलब्धि हेतु इंडियन बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, आन्ध्रा बैंक, देना बैंक एवं यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इन सदस्यों, से अपेक्षा व्यक्त की गई कि वे 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु विशेष ध्यान देंगे तथा संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हेतु भरसक प्रयास करेंगे।

5. मूल हिन्दी पत्राचार की स्थिति

इस मद पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों को अवगत कराया गया कि 50% लक्ष्य के स्थान पर वर्ष 1988 में नगर स्थित बैंकों की उपलब्धि 44% थी जो वर्ष 1989 में बढ़कर 59% अर्थात् लक्ष्य से अधिक हुई है जिसके लिए सक्रिय भागीदारी करने वाले सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं। इस दिशा में समीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित सदस्य लक्ष्य से पीछे हैं :—

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, विजया बैंक, नबार्ड, इण्डियन बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, यूको बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, आन्ध्र बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया।

लक्ष्य से पीछे होने के कारण इस दिशा में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, नबार्ड, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक एवं यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा विशेष प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं ।

6. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना :

इस मद पर विचार-विमर्श किया गया तथा सदस्यों को 100% के लक्ष्य से अवगत कराया गया । समीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा हिन्दी पत्रों के उत्तर 100% हिन्दी में नहीं दिए जा रहे हैं :—

—पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

—देना बैंक

—यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया

इन सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे समस्त हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही भेजें ।

7. सादे तार हिन्दी में भेजना

समिति को अवगत कराया गया है कि देवनागरी में 25% सादे तार हिन्दी में भेजने के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1988 में नगर में यह उपलब्धि 21% थी जो वर्ष 1989 में बढ़कर 26% हो गई । इस उपलब्धि में विजया बैंक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, ओरिण्टल बैंक आफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक की विशेष भागीदारी रही है । यूको बैंक एवं सैंट्रल बैंक लक्ष्य के काफी नजदीक हैं । शेष बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करें ।

देवनागरी में तार भेजने के बारे में सदस्यों द्वारा विभिन्न कठिनाईयों को व्यक्त किया गया । विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संयोजक बैंक द्वारा इस मामले को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को प्रेषित किया जाएगा । इस संदर्भ में द्विभाषिक टैलेक्स लगवाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया । इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि ने इस सदर्भ में संचार विभाग को मामले से अवगत कराने का सुझाव दिया ।

8. हिन्दी दिवस सप्ताह/पखवाड़ा/मास का आयोजन

समिति के समक्ष वर्ष 1988 एवं वर्ष 1989 में आयोजित हिन्दी समारोहों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई । जिन सदस्यों द्वारा यह समारोह आयोजित नहीं किया गया, उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे इस समारोह का आयोजन किया करें । कारपोरेशन बैंक को सुझाव दिया गया कि वे शाखा स्तर पर जिस रूप में भी यह आयोजन करें उसे वे अपनी रिपोर्ट में सूचित कर सकते हैं ।

सामूहिक हिन्दी दिवस आयोजित करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निम्नलिखित सदस्यों की उपसमिति का गठन किया जाए जो संयुक्त आयोजन संबंधी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी:—

—बैंक आफ महाराष्ट्र

—इण्डियन ओवरसीज बैंक

—भारतीय स्टेट बैंक

—आन्ध्रा बैंक

—केनरा बैंक

—नाबार्ड

—पंजाब नैशनल बैंक

बैठक के आयोजन की सूचना अलग से भेजी जाएगी।

9. हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन

सदस्यों को भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह धम्मू ने अवगत कराया कि पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन की पर्याप्त समय पूर्व सदस्यों को सूचना दी गई। परन्तु सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए।

यह अपेक्षा की गई कि आगामी प्रदर्शनी में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाए।

10. अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम :

यह अपेक्षा की गई कि पंजाब नैशनल बैंक की भांति अन्य सदस्यों द्वारा भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पहल की जा सकती है।

11. नगर स्थित बैंकों हेतु राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता

समिति को सूचित किया गया कि इस सबध में वित्त मंत्रालय ने निम्न प्रकार से मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है:—

"केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों उपक्रमों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण करना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परन्तु यदि कोई शील्ड योजना आदि आरम्भ करना चाहता है तो समिति संबंधित कार्यालयों की सहमति से किसी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का जायजा ले सकती है और स्थिति का सम्यक् आँकलन करके शील्ड आदि प्रदान कर सकती है।"

मामले पर विचार-विमर्श के दौरान अनेक सदस्यों ने इस प्रतियोगिता को प्रारम्भ करने के बारे में सहमति व्यक्त की तथा विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता प्रारम्भ करने से पूर्व यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त हिन्दी-दिवस आयोजित करने के बारे में गठित की गई उपसमिति द्वारा इस मामले पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए जायेंगे।

12. हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि : प्रशिक्षण

उपस्थित सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नगर में हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र है जिसमें विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। कुछ सदस्यों द्वारा यह सुझाव रखा गया कि टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र में सभी कर्मियों को प्रवेश उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस संबंध में सहायक निदेशक (आशुलिपि/शिक्षण) श्री धर्मपाल गौतम ने अवगत कराया कि आगामी सत्र से इस व्यवस्था में वृद्धि की जाएगी तथा एक और केन्द्र की स्थापना हो सकेगी।

समिति को अवगत कराया गया कि अपनी आंतरिक व्यवस्था के दौरान पंजाब नैशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ने पी.एन.बी. हाऊस परिसर में तथा केनरा बैंक ने अपने अंचल कार्यालय के परिसर में हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि के प्रशिक्षण की आंतरिक व्यवस्था की है।

अन्य सदस्यों द्वारा भी इस प्रकार की कार्यवाही करके प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी लायी जा सकती है।

विशेष आमंत्रित दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक श्री राधे श्याम शर्मा, ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ के बैंकों में राजभाषा की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रहे कर्मियों को देखकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई है। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र भाषा हिन्दी का किसी और भाषा से कोई विरोध नहीं है तथा उन्होंने मत व्यक्त किया कि कोई भी भाषा घटिया नहीं होती बल्कि विचार घटिया होते हैं। अतः हमें सभी भाषाओं का आदर करते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी को आगे बढ़ाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री राम कृष्ण अग्रवाल, उपमुख्य अधिकारी ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग करते हुए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए तथा इस कार्य में अपना सक्रिय सहयोग देते हुए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सभी अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करेंगे। उन्होंने बैठक के सफल आयोजन तथा बैंकों द्वारा इस दिशा में मिलकर कार्रवाई करने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

अन्त में पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री रा.इ.सि. सिद्धू ने कहा कि निस्संदेह राजभाषा के प्रयोग में नगर स्थित बैंकों में वृद्धि हुई है परन्तु मात्रा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए और न ही केवल आंकड़ों पर ही हमें निर्भर करना चाहिए अपितु आंकड़ों से भी आगे बढ़कर हमें हिन्दी को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए तथा इसके प्रयोग पर गौरव का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने बैठक में भाग लेने के लिए दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक श्री राधे श्याम शर्मा सहित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

13. पटना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1989-90 की दूसरी बैठक दिनांक 7-3-90 को मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध-निदेशक श्री अरुण कुमार वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन) के श्री सिद्धिनाथ झा उप-निदेशक, कलकत्ता भी उपस्थित थे।

बैठक में कुल 32 सदस्य कार्यालयों ने भाग लिया। माइका ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के हिन्दी सलाहकार श्री जगत पाण्डेय युगल ने कहा कि पटना नगर के लिए 1989-90 का वर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। इस वर्ष हिन्दी अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। इस वर्ष नगर स्तर पर हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए जगणना कार्यालय को राजभाषा शील्ड दी गई।

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए सचिव श्री उदय कुमार सिंह ने बताया कि बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम काम कर पा रहे हैं। ऐसे कार्यालयों से जारी अंग्रेजी पत्रों की संख्या बहुत अधिक है और इसमें बहुत अधिक सुधार की अपेक्षा है। उन्होंने धारा 3(3) के उल्लंघन की भी चर्चा की और कहा कि इस धारा का अक्षरशः पालन होना चाहिए क्योंकि यह एक सांविधिक आवश्यकता है। आकाशवाणी, पटना के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि कुछ आदेश आदि केवल हिन्दी में जारी किए जाए तो लेखन सामग्री की खपत में कमी होगी।

हिन्दी टाइपिंग, आशुलिपि एवं हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में

राष्ट्रीय बैंक के श्री श्याम सुन्दर श्यानियां ने बताया कि हिन्दी शिक्षण योजना की ओर से हिन्दी टाइप लेखन, आशुलिपि एवं हिन्दी के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गयी है। इस सन्दर्भ में राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री देव नारायण कुलश्रेष्ठ ने कक्षाओं के स्थान, प्रशिक्षण की व्यवस्था, विभिन्न वर्गों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि पर विस्तार से चर्चा की।

प्रतिनिधियों का सुझाव था कि हिन्दी संबंधी पदों के सृजन और उनके भरे जाने की नीति अधिक उदार एवं लचीली होनी चाहिए। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री सिद्धिनाथ झा ने इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी मापदण्डों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में हिन्दी के कितने पद होने चाहिए इसका स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है जिसका अनुपालन कार्यालय में भी किया जाना चाहिए।

भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के प्रतिनिधि श्री मदन मोहन सिंह कार्यपालक (हिन्दी) ने कहा कि बढ़ती कीमतों को दृष्टि में रख कार्यशाला संचालन के लिए दिये जाने वाले मानदेय की राशि बहुत ही कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में बताया कि भारत सरकार के दिनांक 15-2-90 के पत्र संख्या 14025/6/98-रा.भा.(घ) के द्वारा मानदेय की दर को 50 रुपये प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण के क्रम में सभी कार्यालयों से अपील की कि राजभाषा के काम को राष्ट्रीय गौरव का काम समझकर भारत सरकार की नीति का सही-सही अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि हिन्दी के विकास के काम में पटना के अधिकारी बड़ी ही निष्ठा के साथ लगे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भारत वैगन के श्री मदन मोहन सिंह के नाम का विशेष उल्लेख करते हुये उन्हें बधाई दी कि भुवनेश्वर के राजभाषा सम्मेलन में आपने उत्तम निष्पादन कर पटना का नाम रोशन किया। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि "पनराकास" का मच राजभाषा के विकास में अपनी सही भूमिका तभी अदा कर सकेगा जब विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष इस बैठक में आए और अपने अनुभव से हिन्दी को समृद्ध करने में सहयोग दें। हिन्दी अधिकारियों को तभी अधिक बल मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय का विचार था कि पटना को पूरे राज्य के लिए राजभाषा सम्वर्द्धन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शील्ड उपलब्ध कराने लिए उन्होंने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए निगम के प्रतिनिधि श्री अभिनीत भट्टाचार्य से अनुरोध किया कि वे इस समिति के इस आभार प्रदर्शन को अपने प्रबंधन तक पहुंचा दें। राजभाषा के विकास संबंधित भावी योजनाओं की चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस नगर के कोलाहल से दूर जगुई में "एक अनुवाद प्रशिक्षण शिविर एवं राजभाषा संगोष्ठी" आयोजित करने के संबंध में वे योजना बना रहे हैं।

15. पटना (बैंक)

बैंकों का पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैठक 28 मार्च, 90 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बैंक आफ इंडिया के उपमहाप्रबंधक तथा समिति के अध्यक्ष, श्री महेश वि. पालेकर ने की। इस बैठक में राज्य भर के सभी बैंकों के वरिष्ठतम अधिकारियों ने भाग लिया तथा इसमें बैंकों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली रिक्तियों में यह ध्यान रखा जाए कि बैंकों में केवल हिंदी टंकक एवं आशुलिपिक की बहाली की जाए। इस अवसर पर बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, पटना के सचिव, श्री आर. एन. सिन्हा ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि अब वे बोर्ड से सिर्फ हिंदी जानने वाले टंककों और आशुलिपिकों की ही मांग करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रबंधक, श्री जे. आर. सुहा ने यह आशा प्रकट की कि आगामी छमाही में सभी बैंकों में राजभाषा के प्रयोग में और अधिक प्रगति आएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि वे इस संबंध, में अपनी कमियों को शीघ्र दूर कर लें।

अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री पालेकर ने सभी बैंकों से आगामी मार्च, 1991 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के लिए हर सम्भव प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ लक्ष्य ही नहीं प्राप्त करना है, अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज में लक्ष्य से अधिक हिंदी का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे हिंदी-भाषी राज्य में रहते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि हम यहां के लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी में ही अपना सारा बैंकिंग कामकाज करें।

गत छमाही की तुलना में इस छमाही में सदस्य बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस छमाही में सदस्य-बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग को सरल बनाने तथा हर प्रकार के आंकड़ों को शामिल करने की दृष्टि से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा को भी संशोधित किया गया।

30 सितम्बर, 1990 को समाप्त छमाही में हमें नियत समय तक निम्नलिखित 3 सदस्य-बैंकों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई :

(क) देना बैंक, (ख) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (ग) स्टेट बैंक आफ पटियाला।

गत छमाही की भांति इस बार फिर युनाइटेड बैंक आफ इंडिया और यूको बैंक में धारा 3(3) का उल्लंघन हुआ है, जहां इस छमाही में भी सामान्य आदेश के क्रमशः 9 और 5 कागजात सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए गए। इसके अलावा यह अत्यंत चिन्तनीय स्थिति है कि अन्य 4 बैंकों में जहां कि पूर्व में धारा 3(3) का पालन किया जा रहा था, रिपोर्टगत तिमाही में इसका उल्लंघन हुआ है। ये बैंक तथा इनमें सिर्फ अंग्रेजी में जारी कागजात की संख्या निम्नलिखित है :

(क)	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	103
(ख)	इंडियन बैंक	28
(ग)	कारपोरेशन बैंक	27
(ग)	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2

धारा 3(3) का उल्लंघन निस्संदेह एक गम्भीर अनियमितता और सभी बैंकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की की आवश्कता हैं है। चूककर्ता बैंक यह स्पष्ट करें कि इस प्रकार की गम्भीर चूक उनके यहां क्यों हो रही है। समिति की 9वीं बैठक में भी समिति के अध्यक्ष ने सभी सदस्य बैंकों के प्रमुखों से इस ओर विशेष ध्यान देने को कहा था। बावजूद इसके, इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बैंकों द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन अत्यन्त गम्भीर बात है।

अतः सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से द्विभाषिक जारी किए जाएं। किसी भी स्थिति में ऐसे कागज़ात सिर्फ अंग्रेज़ी में जारी न किए जाएं।

हिन्दी पत्राचार

सरकारी निदेशों के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन अपेक्षित नहीं है।

रिपोर्टगत छमाही में भारतीय औद्योगिक बैंक ने हिंदी में प्राप्त 7 पत्रों का तथा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने ऐसे 1158 पत्रों का उत्तर अंग्रेज़ी में दिया है। इन बैंकों से इसमें सुधार लाने की अपेक्षा की जाती है ताकि सरकारी अनुदेशों का इस प्रकार उल्लंघन न हो। इसमें सुधार न होने पर समिति इन बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों/प्रधान कार्यालय को एतद्संबंधी पत्र लिखने को बाध्य होगी।

रिपोर्टगत छमाही में हिंदी मूल पत्राचार का प्रतिशत निम्नानुसार रहा :

90% से अधिक	1. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	(97)
	2. इलाहाबाद बैंक	(97)
	3. पाटलिपुत्र ग्रा: बैंक	(95)
	4. पंजाब नेशनल बैंक	(93)
	5. बैंक आफ बड़ौदा	(90)
80 से 90%	1. राष्ट्रीय बैंक	(86)
	2. बैंक आफ इंडिया	(87)
	3. न्यू बैंक आफ इंडिया	(88)
	4. यूनियन बैंक आफ इंडिया	(83)
70 से 80%	1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	(76)
	2 यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	(74)
	3. भारतीय स्टेट बैंक	(77)
	4. स्टेटबैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	(77)
60 से 70%	1. बैंक आफ महाराष्ट्र	(63)
	2. सिंडीकेट बैंक	(60)
	3. यूको बैंक	(67)
50 से 60%	1. केनरा बैंक	(50)
	2. इंडियन बैंक	(52)
50% से कम	1. कारपोरेशन बैंक	(24)
	2. इंडियन बैंक	(9)
	3. विजया बैंक	(8)
	4. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	(7)
	5. आंध्र बैंक	(5)

निःसंदेह कुछ बैंकों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। लेकिन आंध्र बैंक में 59% की कमी आना खेदजनक है। न्यू बैंक आफ इंडिया में 2% तथा ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में 1% की कमी भी चिन्ताजनक है। उन बैंकों में जहां हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 50 से भी कम है, हिंदी मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक जहां मूल पत्राचार 70% से अधिक है शीघ्र ही 90% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगें। अन्य बैंक भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करें।

हिन्दी में तार

हिंदी में तार की स्थिति सभी बैंकों में यथावत् बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक में इसमें 14% एवं बैंक आफ इंडिया में 10% की कमी आई है जो अपेक्षित नहीं है। निःसंदेह इलाहाबाद बैंक पंजाब नेशनल बैंक और पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक की स्थिति प्रशंसनीय है परन्तु औद्योगिक विकास बैंक, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में 25% के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिएं।

हिंदी टाइपराइटर तथा टंककों की स्थिति

इस संबंध में अभी तक सिर्फ इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक तथा पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक ने ही 50% के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है। अन्य सभी बैंकों में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।

यूनियन बैंक आफ इंडिया में हिंदी टंकण जानने वाले 22 टंककों में से सिर्फ 14 से काम लिया जाता है और भारतीय स्टेट बैंक में ऐसे 281 टंककों में से सिर्फ 198 से। यह आवश्यक है कि राजभाषा के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी जानने वाले सभी टंककों से हिंदी टंकण का काम लिया जाए।

अन्य :

अभी भी सदस्य बैंकों में स्टाफ सदस्यों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने में ध्यान दिया जाए ताकि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाए।

सदस्य बैंक इस ओर ध्यान दें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं।

बैठक के प्रारम्भ में बैंक आफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), श्री पन्नालाल पंकज ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। सदस्य-सचिव, श्री अद्भुत प्रकाश मिश्र ने सचिवीय रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अंत में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उपमहाप्रबंधक, श्री मदन गोपाल मरवाह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

16. भोपाल

दिनांक 22 मई, 1990 मंगलवार को श्री ओंकार नाथ मैहरोत्रा, मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल की अध्यक्षता, में नगर "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की प्रथम बैठक हुई निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

(1) वर्ष 1990-91 "क" "वार्षिक कार्यक्रम" में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजभाषा में कार्य और बढ़ाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि 1. स्थापना अनुभाग 2. लेखा अनुभाग से संबंधित कार्यों में शतप्रतिशत रूप से, 3. गोपनीय अनुभाग. 4. सांख्यिकी अनुभाग में 50 प्रतिशत कार्य एव 5. सतर्कता अनुभाग तथा 6. तकनीकी अनुभाग में 20 प्रतिशत कार्य हिंदी में (इस तिमाही में) किया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर आदेश एव टिप्पणियां हिंदी में लिखे और अनुभाग के कर्मचारियों को भी हिन्दी में टिप्पणियां लिखने हेतु समझा कर प्रेरित करें। इसके बाद भी अधिकारियों के पास फाइलों पर अंग्रेजी में टिप्पणियां लिखी आती हैं तो अधिकारी फाइल वापस कर हिंदी में टिप्पणियां लिखने हेतु स्टाफ को पुनः आग्रह करें।

2. प्रत्येक अनुभाग द्वारा हिंदी में किए जाने वाले हिंदी कार्य की सूची "अनुभाग" में लगाई जाए।

3. "क" (दिल्ली, म.प्र., उ.प्र., बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार दीप समूह) तथा "ख" (महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, व चंडीगढ़) क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों व व्यक्तियों को अधिकाधिक मूल पत्र हिंदी में भेजे जाएं।

4. निदेशक (रा. भा.) प्रत्येक अनुभाग में व्यक्तिगत संपर्क कर के अंग्रजी के "मानक प्रारुपों" "स्टण्डर्ड ड्राफ्ट्स) का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराएं। प्रेषण अनुभाग से भेजे जाने वाले हिंदी/अंग्रेजी पत्रों/तारों आदि की जानकारी ठीक ठीक रखने हेतु प्रेपक लिपिक को समझायें एवं स्वयं भी अन्य अनुभागों सहित प्रेपण अनुभाग से संपर्क करके हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया करें।

5. कार्यालय के सभी रजिस्टर हिंदी में भरे जाएं और रजिस्टर्स में हिन्दी का प्रयोग करने के लिये सहायक निदेशक (रा. भा.) कर्मचारियों से संपर्क कर मार्गदर्शन एवं सहयोग दें।

6. छोटे छोटे पत्र, अग्रेषण पत्र, रिमाइंडर (स्मरण पत्र) रिपोर्टस आदि शतप्रतिशत हिन्दी में भेजे जाएं

7. अधिक से अधिक "तार" हिंदी में भेजे जाय एवं फाइल्स पर नाम/विषय हिंदी में लिखे जाएं।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कार्यालय में अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने हेतु सहायक निदेशक (रा. भा.) अनुभागों/कर्मचारियों से सतत संपर्क कर हिंदी में और कार्य बढ़ाने के लिये कर्मचारियों को प्रेरित/उत्साहित करें सहायक बढ़ाने सहायक निदेशक प्रतिदिन कम से कम दस छोटे बड़े काम करके दिखाएंगे जिनसे हिंदी में कार्य को बढ़ावा मिला हो। वह इसका अभिलेख रखेगा जो मुख्य आयकर आयुक्त समय समय पर मंगा कर देखेंगे।

अध्यक्ष ने आगे यह भी व्यवस्था दी कि आज की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाई एवं प्रगति की अगली बैठक में संमीक्षा की जायेगी।

17. इलाहाबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष की दूसरी बैठक आयकर आयुक्त एवं समिति के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 8 दिसम्बर, 1989 को की गई। इसमें इलाहाबाद स्थित केन्द्र सरकार को कार्यालयों, निगमों, संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों के उच्च अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग के उप-सचिव (कार्यान्वयन) श्री भगवान दास पटैरिया बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री हरीश कुमार सक्सेना ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि व अपने कार्यालयों में राजभाषा संबंधी नियमों तथा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सचिव ने बताया कि कुछ कार्यालयों के आंकड़े परस्पर विरोधी हैं और

कुछ रिपोर्टों में अधिकांश कालम 'शून्य' दिखाए गए हैं। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि रिपोर्ट भेजने के पहले संबंधित अधिकारी उसकी जांच कर लिया करें।

प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सचिव ने बताया कि कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य कार्यालयों में हिन्दी में शिक्षित किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या बहुत कम है किन्तु हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से हिन्दी शिक्षण योजना के इलाहाबाद केन्द्र में सहायक निदेशक की तैनाती नहीं हुई, इससे हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न हो रही है और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रशिक्षण दिला पाना संभव नहीं है। सदस्यों ने श्री पटैरया से अनुरोध किया कि हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्र में सहायक निदेशक (टंकण/आशु.) की यथाशीघ्र तैनाती की जाए तथा नैनी/बमरौली स्थित प्रतिष्ठानों एवं वायु सेना कार्यालयों में हिंदी टंकण/आशुलिपि की कक्षाएं चलाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष ने संबंधित सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में इस संबंध में सतर्कता बरती जाए कि धारा 3 (3) के अंतर्गत उल्लिखित कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाए। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी टाइपिस्ट आदि के पद नहीं हैं व इनके सृजन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करें। इस संदर्भ में कुछ सदस्यों ने बताया कि इन पदों के सृजन के लिए उनके कार्यालय से प्रस्ताव उनके नियंत्रक कार्यालय को भेजे जा चुके हैं, किन्तु बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद भी नियंत्रक कार्यालय द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई। इस पर श्री पटैरया ने सुझाव दिया कि ऐसे कार्यालय भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय एक प्रति उन्हें (राजभाषा विभाग को) भी भेजें जिससे व अपने स्तर से संबंधित विभागों/मंत्रालयों को इस संबंध में लिख सकें।

पत्राचार की स्थिति

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि कुछ कार्यालयों में पत्राचार की स्थिति बेहतर है। निम्नलिखित कार्यालयों में 60% से अधिक पत्राचार हिन्दी में किए जा रहे हैं:—

क्रमांक	कार्यालय	प्रतिशत
1	2	3
1.	महालेखाकार (ले. प.)—II	89
2.	आयकर अपीलीय अधिकरण,	84
3.	मण्डल रेल प्रबंधक	96
4.	मण्डल अधिकारी, तार परियात	100
5.	राष्ट्रीय बचत संगठन, इलाहाबाद	95
6.	श्रमिक शिक्षा केन्द्र, इलाहाबाद	65
7.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी, इलाहाबाद	100
8.	महालेखाकार (ले. वाहक.)	97
9.	केन्द्रीय तारघर, इलाहाबाद	73
10.	कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	65
11.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (इलाहाबाद केन्द्रीय परिमण्डल)	88
12.	आकाशवाणी, इलाहाबाद	98
13.	आयकर विभाग, इलाहाबाद	72

अध्यक्ष ने इन कार्यालयों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और यह अपेक्षा की कि उपर्युक्त में से जिन्होंने शत प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, व इस दिशा में सघन प्रयास करें तथा जिन कार्यालयों की उपलब्धि 50% से भी कम है, व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कार्रवाई करें।

सचिव ने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यों की मात्रा बढ़ती जा रही हैं। बैठकों का समय से आयोजन करने कार्यवृत्त निकालने अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा सदस्य कार्यालयों को राजभाषा-नीति नियमों एवं अद्यतन आदेशों की जानकारी देने में जो कार्य का बोझ पड़ता है, उसे आयकर विभाग के हिन्दी अनुभाग के स्वीकृत स्टाफ को ही वहन करना पड़ता है। उन्होंने राजभाषा विभाग के उप सचिव से अनुरोध किया कि हिन्दी शिक्षण योजना की तरह नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को अतिरिक्त कार्य के लिए मानदेय दिया जाय।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री पटैरया ने आश्वासन दिया कि व इस मद को अपने विभागीय उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे।

राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री भगवान् दास पटैरया ने बैठक में उच्चाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों/अड़चनों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बताया कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता है उनमें पहली मानसिकता की वजह से है तथा दूसरी बाहरी कठिनाई है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में जहां अधिकांश कर्मचारी हिन्दी

जानते, बोलते तथा लिखते हैं, वहां हिन्दी का प्रयोग केवल इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारी मानसिकता बदल नहो रही है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा, तभी यह बनावटी कठिनाई दूर होगी। श्री पटैरया ने बताया कि "ख" तथा "ग" क्षेत्र के कर्मचारियों के समक्ष भाषा की कठिनाई अवश्य कुछ हद तक है, जिसे कार्यशाला में प्रशिक्षण देकर दूर किया जा सकता है।

श्री पटैरया ने बताया कि राजभाषा विभाग सौहार्द-पूर्ण वातावरण में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देकर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में हर संभव दिशा-निर्देश देने के लिए तत्पर है। किन्तु उन्होंने यह भी अपेक्षा व्यक्त की यदि कोई जानबूझकर इन नियमों की अवहेलना करता है तो प्रशासनिक प्रधान को उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए।

18. देवास

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक दिनांक 15-3-90 को यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं. देवास के कार्यालय में हुई। समिति के अध्यक्ष श्री मु. वै. चार, महाप्रबन्धक, बैंक नोट मुद्रणालय, देवास ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित कार्यालय और उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे:—

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
2. रेल विभाग
3. डाक विभाग
4. दूर संचार विभाग
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
6. केन्द्रीय विद्यालय
7. भारतीय खाद्य निगम।
8. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी
9. स्टेट बैंक आफ इन्दौर, (मुख्य शाखा)।
10. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

समिति के सचिव डा. आलोक कुमार रस्तोगी ने बैठक में पधारे सभी सदस्यों का स्वागत किया।

17 कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर देवास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रगति का विवरण इस प्रकार है :—

स्टाफ	अधिकारी	कर्मचारी	कुल
1. कार्यरत	138	893	1,031
2. हिंदी में कार्य-साधक ज्ञान	127	832	959
3. अप्रशिक्षित	11	61	72

आशुलिपिक /टंकण	टाइपिस्ट/ नि. श्रे. लि	आशुलिपिक
1. कुल	63*	06
2. हिन्दी जानने वाले	30	01
3. अप्रशिक्षित	33	05

*इनमें से बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में 43 निम्न श्रेणी लिपिक हैं, जिनमें से लगभग 16 लिपिकों से टाईपिंग काम कराया जाता है, 12 लिपिक हिन्दी टाइपिंग जानते है तथा 5 लिपिक हिन्दी टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत हैं।

हिन्दी में प्राप्त पत्र एवं उत्तर

1. हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र	6,201
2. हिन्दी में उत्तर	4,172
3. हिन्दी पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर	148 + 425(*)

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना राजभाषा नियम-5 का उल्लंघन है। निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :—

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत)	07
2. केन्द्रीय विद्यालय	117
3. बैंक आफ बड़ौदा	425(*)

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से अध्यक्ष महोदय ने यह अनुरोध किया कि सभी कार्यालय प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी दशा में हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया जाए। जिन कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं उनमें लगभग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान है और हमारे कार्यालय "क" क्षेत्र में स्थित हैं, ऐसी दशा में हम सबको इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को भी स्वयं इसकी ओर ध्यान देने की पहल करनी चाहिए।

क्रमांक पत्राचार		पिछली बैठक के दौरान प्रतिशत
1. कुल जारी पत्र	13,451	
2. हिन्दी में भेजे गए	12,055	
3. अंग्रजी में भेजे गये	1,396	
4. हिन्दी पत्रों का %	89	84%

तार

1. कुल तार—291

2. हिन्दी में—72

3. अंग्रेजी में—219

4. हिन्दी तारों का% 25% 36%

पत्राचार के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछली बैठक और इस बैठक के दौरान सभी सदस्य कार्यालयों ने ने अध्यक्ष महोदय के इस अनुरोध को सार्थक तरीके से अपनाया कि शनैः शनैः हिन्दी की प्रगति बढ़ाई जाए। पिछली बैठक के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार 84% मूलरूप से हिन्दी में भेजे गये पत्राचार का यह प्रतिशत इस बैठक में 89% तक पहुंच गया। हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों का प्रतिशत इस तिमाही में 36 से घटकर 25% हो गया जो कि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुरूप है लेकिन तारों के प्रतिशत में कमी नहीं आनी चाहिए। इस तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम से सभी सातों तार हिन्दी में भेजे गए।

चर्चा के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि निम्नलिखित कार्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा के ही टाइपराइटर उपलब्ध हैं :—(1) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, (2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल), (3) न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, (4) बैंक ऑफ बड़ौदा, इन कार्यालयों के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि वे राजभाषा अधिनियम के अनुपालनार्थ तुरन्त हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था करें/कराए।

आयकर अधिकारी श्री शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय में लगभग सारा कार्य हिन्दी में हो रहा है। वह स्वयं सभी आयकर सम्बन्धी आदेश हिन्दी में देते हैं। आदेश शीट शतप्रतिशत हिन्दी में है। अंग्रेजी में उपलब्ध प्रोफार्मों में यथासम्भव सूचनाएं आदि हिन्दी में भरी जाती हैं। कम्प्यूटरीकरण के कारण कुछ काम केवल अंग्रेजी में हो रहा है।

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय से ग्रामीण बीमा संबंधी सभी पत्रादि हिन्दी में भेजे जाते हैं। बैंकों के प्रतिनिधियों से यह पुनः अनुरोध किया गया कि तार सम्बन्धी सूचना में "कोड" वाले तारों को शामिल नहीं किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने इस बैठक के दौरान देवनागरी तारों के प्रतिशत को घटते हुए देख कर यह घोषणा की, कि अगली बैठक के दौरान सर्वाधिक तार देवनागरी में भेजने वाले कार्यालय को बैठक में ही पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार का निर्णय तारों की संख्या, प्रतिशत आदि के आधार पर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय की इस घोषणा का सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ स्वागत किया।

समिति को यह सुखद जानकारी दी गयी कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के महाप्रबंधक और समिति के वर्तमान अध्यक्ष को लगातार ग्यारहवीं बार अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित करने की सूचना प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय रोजाना कम से कम एक फाईल पर अपनी टिप्पणी हिन्दी में लिखते हैं और सभी फाईलों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करने का इन्होंने अलिखित नियम बना लिया है।

वर्ष 1989 के लिये पुरस्कार योजना

वर्ष 1989 में नगर समिति के कार्यालयों द्वारा राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले सदस्य कार्यालयों को पुरस्कृत करने संबंधी वर्ष 1988 की योजना में संशोधन हेतु यह सुझाव प्राप्त हुआ कि पुरस्कारों का चयन केन्द्रीय कार्यालय/बैंक/निगमों के समूह बनाकर किया जाए। यह निर्णय लिया गया कि तीनों समूहों के सर्वश्रेष्ठ कार्यालय को शील्ड से सम्मानित किया जाए तथा इन तीनों वर्गों से प्रत्येक वर्ग के एक-एक ज्येष्ठ कार्यालय को भी पुरस्कृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने इससे अपनी सहमति व्यक्त की।

पुरस्कारों के मूल्यांकन के लिये सर्वश्री सुभाष वर्मा, जिला प्रबन्धक, बैंक आफ इंडिया, श्री के. एल. जैन, प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, श्री संतोषवर्धन त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक ओरिएन्टल फायर इंश्योरेंस कं., तथा सदस्य सचिव, डा. आलोक कुमार रस्तोगी की समिति बनाई गई।

जानबूझकर नियमों, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उच्च स्तरीय आदेश जारी हो चुके हैं। हमें स्वयं अनुवाद की बैशाखी से मुक्त होकर मूल रूप से हिन्दी में सोचना, हिन्दी में लिखना चाहिए।

श्री मु. वै. चार, महाप्रबंधक, देवास बैंक नोट प्रैस ने कहा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीय कार्यालय, भारत की जन-आकांक्षा को मूर्तरूप देने के पर्याय हैं। अतः हमें जन-जन के लिये जन-जन की भाषा को निःसंकोच बिना हिचक इस्तेमाल करना और इसके लिए आप सबको, हम सबको साथ-साथ मिल-जुलकर सफल कोशिश करनी है।

पत्राचार ब्यौरा (चौथी बैठक)

नगर राजभा षा कार्यान्वयन समिति, देवास (म.प्र.)

	मूल पत्रचार			तार	
	हिंदी	अंग्रेजी	%	हिंदी	अंग्रेजी
1. बैंक नोट मुद्रणालय	1948	365	84%	08	60
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2516	250	91%	—	55
3. रेल विभाग	25	10	71%		
4. डाक विभाग					
5. आयकर विभाग	310	27	91%	—	—
6. दूर संचार विभाग					
7. के.लो.नि. विभाग (सि.)-1					
8. के.लो.नि. विभाग (सि)-2					
9. के.लो.नि. विभाग (विद्युत)	214	109	66%		
10. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क					
11. केन्द्रीय विद्यालय					
12. भारतीय खाद्य निगम					
13. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं.	570	55	91%		15
14. ओरिएंटल फायर इंश्यारसि कं.	137	37	79%		
15. नेशनल इंश्योरेंस कं.					
16. यूनाइटेड इंश्योरेंस कं.					
17. भारतीय जीवन बीमा निगम	817	28	96%	07	
18. पंजाब नेशनल बैंक					
19. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	250	125	66%		
20. बैंक ऑफ बड़ौदा	172	72	70%	15	26
21. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर (मुख्य शाखा)	900	20	97%	20	40
22. —यथा— (बी एन पी शाखा)	1020	48	95%	—	13
23. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1875	75	96%	—	—
24. बैंक ऑफ इण्डिया	1154	—	100%	01	—
25. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	898	120	88%	—	—
26. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	249	55	87%	21	—

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. इंडियन आयल कारपोरेशन लि., नई दिल्ली (रिफाइनरी व पाइपलाईन विभाग)

कार्पोरेट राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक 20 फरवरी, 1990 को चेयरमैन श्री खोसला की अध्यक्षता में हुई ;

पिछली बैठक में लिये गये विभिन्न निर्णयों पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्थिति इस प्रकार है:—

वरिष्ठ अधिकारियों को टेबल कार्ड मुहैया कराना

वरिष्ठ अधिकारियों की फाइलों पर छोटी-छोटी नेमी टिप्पणियां लिखने की सुविधा जुटाने के उद्देश्य से रिफाइनरी व पाइपलाइन मुख्यालय, अध्यक्ष कार्यालय और विपणन प्रभाग के मुख्यालय मे वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे टेबल कार्ड मुहैया करा दिये गये हैं जिनमें नेमी किस्म के विभिन्न वाक्यांशों और शब्दों के हिन्दी रूपांतर दिये गये हैं ।

दफ्तरी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास

रिफाइनरी व पाइपलाईन प्रभाग में शुरू की गई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केवल प्रोत्साहन प्राप्त करने की दृष्टि से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही अपने प्रयासों को समिति करने की बजाय हिन्दी के यथा-संभव अधिकतम प्रयोग पर बल दिया जाता है । रिफाइनरी व पाइपलाईन प्रभाग के सभी अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिये हिदायत की गई है । मार्केटिंग डिवीजन में भी एक प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना है और इस समय फरवरी-मार्च 1990 के दौरान मुख्यालय में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय करारों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में

जैसा कि पहले निर्णय लिया गया था जिन करारों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, उनसे इतर करारों को ही द्विभाषिक रूप में जारी किया जा रहा है ।

हिन्दी कार्यान्वयन के लिये यांत्रिक उपकरणों की व्यवस्था

जहां तक पीसियों के द्विभाषीकरण (केवल आवश्यकता के आधार पर) का संबंध है, (रिफाइनरी व पाइपलाइन प्रभाग) के प्रणाली विभाग से संपर्क स्थापित किया गया और उन्होंने बताया कि वे अंग्रेजी भाषा में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोगों की प्रक्रिया सुस्थिर होते ही वे हिन्दी रूपांतर का प्रयोग भी करने लगेंगे ।

किन्तु जहां तक टैलीप्रिंटरों और टैलैक्स मशीनों की खरीद का संबंध है, इस बारे में कार्रवाई शुरू की गई है और केवल द्विभाषिक उपकरणों के लिये कोटेशन स्वीकार किये जा रहे हैं ।

मैनेजमेंट ट्रेनियों और ग्रेज्यूएट इंजीनियर ट्रेनियों के नियमित अभिविन्यास प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनका हिन्दी प्रशिक्षण :

समिति को बताया गया कि मैनेजमेंट ट्रेनियों और ग्रेज्यूएट इंजीनियर ट्रेनियों के नियमित अभिविन्यास प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिये एक योजना तैयार की जा रही है । अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर बल दिया कि समिति की अगली बैठक से पूर्व उक्त योजना को अंतिम रूप देकर अध्यक्ष कार्यालय में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये और नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों के अगले बैच के लिये निश्चित रूप से इस योजना को लागू कर दिया जाये।

7 : सभी फार्मों, रजिस्टरों के शीर्षों और लेखन सामग्री की अन्य वस्तुओं आदि का द्विभाषीकरण :

विपणन प्रभाग में निम्नलिखित लक्ष्य को मार्च, 1990 तक पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठा जायें :—

(क हिन्दी भाषी क्षेत्रों में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा इस्तेमाल की जा रही लेखन सामग्री और कैश मेमों आदि को या तो द्विभाषिक रूप में अथवा हिन्दी में छपाई।

(ख) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में डीलरों डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे संकेतपट्ट हिन्दी और अंग्रेजी या केवल हिन्दी में तैयार करना। "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सही प्रतीक चिन्ह देवनागरी में लिखा हुआ इंडियन आयल) लगाना । जहां तक "ग" क्षेत्रों का संबंध है, पुराने प्रतीक चिन्हों के स्थान पर नए सही प्रतीक चिन्ह चरणबद्ध आधार पर लाने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

"रूपरेखा 1988-89" का हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रेषण

समिति को बताया गया कि अध्यक्ष महोदय की इच्छा के अनुसार विपणन प्रभाग द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।

राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु निरीक्षण

अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की कि राजभाषा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी सेलों द्वारा विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

मार्केटिंग प्रभाग में अंग्रेजी में मुद्रित पुराने फार्मों का प्रयोग/निपटान

सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषिक रूप में छपवाए जा रहे हैं। फिर भी मार्केटिंग प्रभाग में कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में केवल अंग्रेजी में छपे फार्मों का पुराना स्टॉक उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की कि यदि उक्त फार्मों की संख्या काफी अधिक है तो उन्हें मार्केटिंग प्रभाग के दक्षिण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उनके प्रयोग के लिए भेजा जा सकता है। और यदि उक्त फार्मों की संख्या कम है तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है और नए फार्म द्विभाषिक रूप में छपवाए जा सकते हैं।

2. कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली

कृभको, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 26वीं बैठक श्री एच. एस. कोहली, कार्यवाहक प्रबंध-निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 28-6-90, को आयोजित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 26-2-90 आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यानदाताओं को अपने व्याख्यान हिंदी में तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि जो व्याख्यानदाता अपने व्याखान हिंदी में तैयार करते हैं, उन्हें मानदेय के रूप में 200 रु. दिए जाएं तथा जो अंग्रेजी में अपने व्याख्यान तैयार करते हैं उन्हें 150 रु. दिए जाएं।

(2) हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी टैलेक्स लगवाने के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि राज्य विपणन कार्यालय राजस्थान में द्विभाषी टैलेक्स लग चुका है। बिहार राज्य से सूचना प्राप्त हुई है कि उनके यहां शीघ्र ही द्विभाषी टैलेक्स लग जाएगा। निर्णय लिया गया कि अन्य राज्य विपणन कार्यालयों से संबंधित महाप्रबंधक सम्पर्क करके इस कार्य को शीघ्र पूरा करेंगे।

(3) निर्णय लिया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति से सम्बद्ध सभी विभागाध्यक्ष समिति की बैठकों के बाद अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक बुलाएं और उन्हें बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत कराएं।

(4) सदस्यों को सूचित किया गया कि मुख्यालय में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें कार्यशालाओं में प्रशिक्षित करने का एक और दौर पूरा हो चुका है।

निर्णय लिया गया कि इस कार्य को भविष्य में आगे बढ़ाया जाए और इन कर्मचारियों को आगामी कार्यशालाओं में और अधिक अभ्यास कराया जाए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

कृभको मुख्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का तुलनात्मक विवरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने इस पर संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि हिंदी पत्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कार्मिक एवं प्रशासन विभाग और प्रयास करें तथा साक्षात्कार पत्र, नियुक्ति पत्र आदि सामान्य रूप से केवल हिंदी में ही जारी करें।

हिंदी/हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण की प्रगति

समिति को सूचित किया गया कि केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने हिंदी प्राज्ञ प्रशिक्षण पत्राचार के माध्यम से भी आरम्भ किया है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने पत्राचार के माध्यम से हिंदी प्राज्ञ पढ़ने वालों के लिए दो कैसेट तैयार किए हैं। इस प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते, वे पत्राचार के माध्यम से भी हिंदी प्राज्ञ परीक्षा में बैठ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस आशय का एक परिपत्र हिंदी का कार्यसाधाक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित किया जाए।

हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि के प्रशिक्षण की प्रगति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि कार्यालय में हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो कर्मचारी हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए हिंदी टाइपिंग प्रोत्साहन योजना पुनः परिचालित की जाए।

आगामी तिमाही में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये सुझाव

1. अध्यक्ष महोदय ने हिंदी अनुभाग में लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या और पाठकों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुस्तकों की सूची मिलने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

2. अगली तिमाही में राज्य विपणन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सम्बद्ध/महाप्रबंधक इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करें और जब कभी महाप्रबंधक अपने क्षेत्र में स्थित राज्य विपणन कार्यालयों के दौरे पर जाएं तो हिंदी अनुभाग के साथ समन्वय स्थापित करे। जब इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हो तो हिंदी अनुभाग इनका निरीक्षण करे।

3. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेज द्विभाषी रूप जारी करना सुनिश्चित करने के लिए चैक प्वांइट और मजबूत बनाए जाएं। इन परिपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सम्बद्ध दस्तावेज का हिंदी रूपांतर समय पर तैयार हो जाए। □

3. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर), नई दिल्ली

सी एस आइ आर के संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में सी एस आइ आर मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1990 की पहली बैठक 20-4-1990 को अनुसंधान भवन, रफी मार्ग में हुई।

(1) सी एस आइ आर मुख्यालय व उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में हिंदी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के पदों को भरे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि सीएसआइआर व उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में हिन्दी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की संख्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी होने तक उन्हीं की भर्ती की जाए किन्तु अंग्रेजी टाइपिंग/आशुलिपि के ज्ञान की वांछनीय योग्यता भी निर्धारित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हिन्दी टाइपिस्टों की भर्ती करते समय यदि उनकी टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट रखी गई हो तो अंग्रेजी टाइपिंग की वांछनीय योग्यता में टाइपिंग की गति 25 शब्द प्रति मिनट रखी जा सकती है, इसी आधार पर यदि हिन्दी आशुलिपिकों की आशुलिपि व टाइपिंग की गतियां क्रमशः 100 और 30 शब्द प्रति मिनट रखी गई हों तो अंग्रेजी आशुलिपि और टाइपिंग की वांछनीय योग्यता क्रमशः 80 तथा 25 शब्द प्रति मिनट रखी जा सकती है। साथ ही विद्यमान अंग्रेजी के टाइपिस्टों व आशुलिपिकों को तत्परतापूर्वक क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि में समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

"भर्ती तथा विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग" करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र हिंदी में भी तैयार किए जाएं और हिन्दी में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने की छूट भी दी जाए जैसे कि भारत सरकार के आदेश हैं।

चर्चा के दौरान बताया गया कि सीएसआइआर मुख्यालय के सामान्य अनुभाग व स्थापना अनुभाग-3 को अपना शासकीय कामकाज शत-प्रतिशत हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा चुका है, जो एक उल्लेखनीय कदम है, साथ ही तत्संबंधी तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन तथा मूल-पत्राचार आदि निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिंदी में किए जाने वाले संबंधी मुख्यालय व उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के आंकड़ों को भविष्य में बैठक के समय प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

"अनुसंधानशालाओं (प्रयोगशालाओं) और प्रकाशन निदेशालय (पी आइडी) की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में हिन्दी में लेख देने के संबंध में पुनः यह निर्णय लिया गया कि पीआइडी अपने यहां से प्रकाशित होने वाले सभी वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाओं में यह सूचना निरन्तर हर अंक में प्रकाशित करें कि हिन्दी में प्राप्त वैज्ञानिक/तकनीकी लेखों को इन पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रकार की सूचना सभी प्रयोगशालाएं/संस्थान आदि भी प्रकाशित करेंगे।

"कनिष्ठ फैलोशिप परीक्षा में सभी प्रश्न-पत्रों में हिंदी माध्यम का विकल्प देने के संबंध में प्रधान, ईएमआर डॉ. सुशील कुमार की ओर से प्रोडक्शन अधिकारी ने बताया कि जेआरएफ परीक्षा प्रश्न-पत्रों का 70 प्रतिशत भाग वस्तुनिष्ठ होने के कारण पहले से ही द्विभाषिक है। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शेष भाग का वस्तुनिष्ठ किए जाने पर विचार चल रहा है, वस्तुनिष्ठ होते ही उसे भी द्विभाषिक कर दिया जाएगा।

वैज्ञानिक पुस्तकों की सूची (निर्देशिका) को अद्यतन बनाए जाने के संबंध में इसे तैयार करने संबंधी व्यय के बारे में यह उल्लेख हुआ कि प्रकाशन निदेशालय (पीआइडी) के पास समुचित निधियों का प्रावधान नहीं है और उन्हें इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, तदनुसार प्रधान, योजना प्रभाग डॉ. भार्गव ने सहर्ष इस जिम्मेदारी को उठाने की स्वीकृति देते हुए बजट आदि प्रावधान करने संबंधी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशिका को अद्यतन बनाए जाने के संबंध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय व महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 1 जून, 1989 को बैठक में भी चर्चा हुई थी। इस संबंध में सीएसआइआर को भारत सरकार के कई विभागों विशेषकर राजभाषा विभाग कई सांसदों के पत्र भी प्राप्त होते रहे हैं, जिसके संबंध में 1 अगस्त, 1889 को तत्कालीन माननीय मंत्री ने इस निर्देशिका को अद्यतन बनाए जाने के संबंध में आश्वासन भी दिया है।

"संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, प्रयोगशालाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन और उनकी तिमाही बैठकों के आयोजन" के संबंध में चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के समय इस समिति को आश्वासन दिए गए है और बैठक में उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इसी प्रकार सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट को यथासमय भेजे जाने और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें होने संबंधी, प्रोडक्शन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण व अव्यवस्थित होने पर अध्यक्ष महोदय ने अप्रसन्नता जाहिर की और भविष्य में इन सभी विषयों के पूरे व व्यवस्थित आंकड़े बैठक में रखने का निदेश दिया।

सीबीआरआइ रूड़की के वैज्ञानिकों से सीएसआरआइ व उसकी सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वैज्ञानिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख हैं कि जिन संस्थानों/प्रयोगशालाओं में एक निश्चित रूपरेखा के अनुसार वैज्ञानिक काम हिन्दी में किए जाएं उन्हें अंक दिए जाएं और अंकों के आधार पर दो संस्थानों को वजयन्तियां दी जाएं तथा वज्ञानिकों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए सीबीआरआइ से प्राप्त योजना की रूपरेखा को अन्तिम रूप देने के कार्य लेना डॉ. भार्गव ने सहर्ष स्वीकार किया। तय किया गया कि वह योजना मुख्यालय/प्रयोगशालाओं /संस्थानों में इसी वर्ष (1990-91) से लागू समझी जाएगी।

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का ऐसे प्रोफार्मा बनाया जाए जिसमें वैज्ञानिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की जानकारी मिल सके। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सीएसआईआर मुख्यालय व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की राजभाषा प्रगति संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को नियमित भेजा जाना सुनिश्चित किया जाया चाहिए और साथ ही उस त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में वैज्ञानिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी प्रगति की जानकारी देने के लिए निम्नांकित सूचनाओं वाला एक परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाना चाहिएं:—

1. कुल कितने शोध पत्र (रिसर्च पेपर्स) लिखे गए/पढ़े गए इनमें से कितने हिन्दी में लिखे गए/पढ़े गए।
2. कुल कितने तकनीकी भाषण हुए इनमें से कितने हिन्दी में हुए।
3. कुल कितनी गोष्ठियां की गई।
   इनमें से कितनी हिन्दी माध्यम से की गई।
4. अन्य कोई वैज्ञानिक/तकनीकी कार्य जो हिन्दी में किया गया हो।

अनुसंधानशालाओं के वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित अनुसंधानशाला के विषयों पर हिन्दी में मौलिक वैज्ञानिक लेखन के लिए तथा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई योजना के पैटर्न पर शुरु करना।

इस संबंध में मामूली परिवर्तन के साथ यह निष्कर्ष सामने आया कि हिन्दी में लिखे गए उच्च कोटि के निबंधों को वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए। पीआइडी द्वारा प्रकाशित सभी विभिन्न वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाओं में हिन्दी में प्रकाशित लेखों का मूल्यांकन करके उच्च कोटि के पाए गए लेखों के लेखकों को पुरस्कार दिए जाएं। इसकी अन्तिम रूपरेखा हिन्दी अधिकारी बनाकर प्रस्तुत करेंगे।

चर्चा के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए राजभाषा संबंधी आदेशों/नियमों इत्यादि को "अन्वेषण सन्देश" में भी जगह दी जानी चाहिए, साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्ष 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल लक्ष्यों, प्रोत्साहन योजनाओं और जांच बिन्दुओं आदि की जानकारी संक्षेप में निरन्तर इस दीवार समाचार-पत्र "अन्वेषण संदेश" में दी जानी चाहिए ताकि वे सभी संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी में आ सकें, यह जिम्मेदारी प्रोडक्शन अधिकारी को सौंपी गई।

अध्यक्ष महोदय ने दीवार समाचार-पत्र "अन्वेषण संदेश" के अनियमित व देरी से प्रकाशन के कारण असन्तोष व्यक्त किया।

4. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

ई आई एल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 48वीं बैठक श्री बद्रीनाथ झा, निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में 22-3-90 को ई आई भवन में संपन्न हुई।

बैठक में पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

हिन्दी में काम करने की इच्छा जागृत करने और प्रेरणा देने के लिए श्री पाण्डेय और श्री शेंपण विभागाध्यक्षों/महाप्रबंधकों से उन्हीं के विभागों में जाकर मिलेंगे और हिन्दी में काम करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करने हल निकालेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय ने बताया कि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अब तक लगभग 110 मानकों को हिंदी में प्रकाशित किया है। बैठक में यह तय पाया गया कि उनमें से जो मानक अंग्रेजी में कंपनी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं उनका हिंदी रूपान्तर भी मंगवाया जाए। समिति ने यह भी तय किया कि आगे जो मानक अंग्रजी में खरीदा जाए, यदि उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है तो वह भी साथ में मंगा लिया जाया करे।

हिंदी जानने वाले स्टेनोग्राफर/टाइपिस्टों की फ्लोरवाइज सूची बनवाकर सभी महाप्रबंधकों को भिजवायी जाए और उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके हिंदी में कार्य करने के के लिए अनुरोध किया जाए। इस बात पर सहमति थी कि प्रत्येक तल पर एक हिंदी टाइपराइटर और एक टाइपिस्ट होने से कार्य करने में सुविधा रहेगी। श्री आर. के. दास गुप्ता ने उल्लेख किया कि डा. अनिल लायल ने कहा था यदि उन्हें एक हिंदी स्टैनो और एक हिंदी टाइपराइटर दिया जाए तो वे हिंदी में कार्य करेंगे? इस बारे में क्या हुआ। बैठक में बताया गया कि एक टाइपराइटर और एक हिंदी टाइपिस्ट दो महीने के लिए उन्हें दिया गया था लेकिन दो महीने की अवधि समाप्त होने पर टाइपिस्ट की सेवाएं समाप्त हो गई। उसके बाद फिर कोई हिंदी टाइपिस्ट नहीं दिया जा सका। अध्यक्ष महोदय का सुझाव था कि यदि दो महीने में 75 प्रतिशत कार्य उन्होंने हिंदी में कराया है तो फिर एक हिंदी टाइपराइटर और एक हिंदी टाइपिस्ट डा. लायल को दिया जाए।

तकनीकी हिन्दी अनुवाद समिति के अध्यक्ष श्री जे. आर. पराशर ने टाइप करने की कठिनाई बैठक में रखी और बताया कि तकनीकी हिंदी अनुवाद समिति ने काफी अनुवाद हिंदी में करा लिया है। उसको टाइप कराने के लिए समिति ने निर्णय लिया कि हिंदी वर्ड प्रोसेसर पर चार घंटे रोजाना हिंदी कक्ष का हिंदी स्टैनो तकनीकी अनुवाद को टाइप करेगा। इस संबंध में यह विचार भी प्रकट किया गया कि मैनुअल कोड का हिंदी कार्य वर्ड प्रोसेसर पर करने का यह लाभ रहेगा कि बाद में किए जाने वाले संशोधन उस पर आसानी से किए जा सकेंगे।

कंपनी सचिव ने कंपनी सील को दोनों भाषाओं में बनाए जाने के बारे में अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि तीन व्यक्तियों के डिजाइन को प्रथम दृष्टि में ठीक समझा गया है। उनको एक साथ सफेद कागज पर एनग्रॉस कराने के बाद फिर सील बनाने वाली समिति विचार करेगी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय छाँटकर ई. सी. बैठक के लिए भिजवाएगी। कंपनी सचिव ने बताया कि यह कार्य 15 दिन तक कर लिया जाएगा।

हिंदी सीखे हुए टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर कंपनी कार्यों में अपने ज्ञान का उपयोग करें और कंपनी से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इत्यादि का लाभ उठाएं। इसके लिए संबंधित महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष हिंदी में कार्य करने और कराने में सहयोग प्रदान करें।

5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद

इस बैठक का आयोजन श्री आर.पी. भारद्वाज, अधीक्षण इंजीनियर की अध्यक्षता में किया गया।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष ने परिमण्डल/मण्डल एवं अधीनस्थ उपमण्डलों में प्रयोग किये जा रहे राजभाषा के प्रगति की समीक्षा की जो निम्न प्रकार है :–

	6/89	9/89	12/89	3/90
1. इलाहाबाद केंद्रीय परिमंडल	86%	90%	92%	91%
2. इलाहाबाद केंद्रीय मण्डल	83%	77%	75%	71%
3. लखनऊ केन्द्रीय मण्डल	98%	98.4%	98%	95.2%
4. देहरादून केंद्रीय मंडल-2	83%	84%	90%	84.39%
5. बरेली केन्द्रीय मण्डल	76%	76%	81%	85%
6. कानपुर केन्द्रीय मण्डल	70%	76%	68.4%	56%

परिमण्डल कार्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद दिया तथा अपेक्षा व्यक्त की कि इसे बनाये रखा जाए तथा अथक प्रयास द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाया जाये।

इलाहाबाद केन्द्रीय मण्डल के प्रगति की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 6/89 में इनकी कार्यकलाप प्रगति 85% की थी जो लगातार घटते-घटते 9/89 में 71%, 12/89 में 72% तथा 3/90 म 61% रह गई। इस प्रकार 6/89 की तुलना में मंडल की प्रगति 24% कम हुई है। यह बहुत दुःखद विषय है। मुख्य इंजीनियर महोदय ने भी दिनांक 26-4-90 की बैठक में इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधार तत्काल करने का निर्देश अध्यक्ष महोदय अर्थात् अधीक्षण इंजीनियर की उपस्थिति में दी है। कार्यपालक इंजीनियर शाखा प्रमुखों को तुरन्त कड़े निर्देश जारी करें तथा कमी के कारणों से भी इस कार्यालय को अवगत करायें।

गौरीगंज उपमण्डल एवं वी.एच.यू. उपमंडल की प्रगति में विशेष सुधार की आवश्यकता है। इलाहाबाद केन्द्रीय उपमंडल प्रथम तथा द्वितीय की प्रगति संतोषजनक पाई गई। अध्यक्ष महोदय ने कार्यपालक इंजीनियर को निर्देश दिया कि वे इन उपमण्डलों का अनुकरण करते हुए अविलम्ब जांच बिन्दु प्रभावी रूप से गठित करें और प्रगति में सुधार लाए क्योंकि इनकी प्रगति परिमण्डल की समेकित प्रगति को धूमिल कर रही है।

लखनऊ केन्द्रीय मण्डल की प्रगति पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया तथा कार्यपालक इंजीनियर से अपेक्षा की गई कि वे प्रगति को घटने से रोकें तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे।

देहरादून की प्रगति का जायजा लेने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि उनके 2 उपमण्डलों ने शत प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है परन्तु मण्डल कार्यालय की प्रगति में अभी भी विशेष सुधार की आवश्यकता है। कार्यपालक इंजीनियर इन उपमण्डलों की प्रगति का अनुकरण करते हुए मण्डल एवं अन्य उपमंडलों की प्रगति बढ़ायें जिससे कि परिमण्डल की समेकित प्रगति बढ़ सके।

अध्यक्ष ने **बरेली मण्डल के अधीन इज्जत नगर उपमण्डल प्रथम के शत प्रतिशत प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त** की तथा कार्यपालक इंजीनियर से अपेक्षा की गई कि वे मण्डल की गिरती प्रगति में विशेष सुधार करें क्योंकि इनकी प्रगति संतोषजनक प्रतीत नहीं होती। रामपुर एवं ग्वालदम उपमण्डल को विशेष निर्देश जारी करें क्योंकि इनकी प्रगति भी असंतोषजनक है। इज्जत नगर उपमंडल प्रथम की प्रगति का अनुकरण करते हुए अन्य उपमंडलों की प्रगति को बढ़ायें जिससे कि परिमण्डल की समेकित प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

कानपुर केन्द्रीय मण्डल की प्रगति का जायजा लेने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यन्त दुःखद विषय है कि कार्यपालक इंजीनियर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि उनके पास कुशल हिंदी आशुलिपिक एवं अन्य हिंदी भाषी कर्मचारी प्रचुर मात्रा में हैं। दिनांक 26.4.90 को मुख्य इंजीनियर कार्यालय की राजभाषा बैठक में अध्यक्ष (मुख्य इंजीनियर) ने प्रशासन को सूचित किया कि इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यपालक इंजीनियर को प्रगति में आवश्यक सुधार हेतु कड़ा निर्देश जारी करें क्योंकि मात्र कानपुर की प्रगति ही परिमण्डल की समेकित प्रगति को गिराने के लिए काफी है। अध्यक्ष (अर्थात अधीक्षण इंजीनियर) ने कार्यपालक इंजीनियर को निर्देश दिया कि वे शाखा प्रमुखों को कठोर निर्देश जारी करें और उत्तरदायी शाखा प्रमुखों का स्पष्टीकरण लें तथा यह भी सूचित करें कि प्रगति घटने के क्या कारण है जिससे कि उसका समुचित हल ढूंढा जा सके और परिमण्डल की समेकित प्रगति को गिरने से बचाया जा सके। कानपुर केन्द्रीय उपमण्डल प्रथम को छोड़कर किसी की प्रगति संतोषजनक नहीं है, अतः समुचित कार्यवाही अविलम्ब की जाए।

द्विभाषी कार्यों की स्थिति अभी भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती अतः समस्त कार्यपालक इंजीनियरों को अध्यक्ष ने सलाह दी कि वे स्वयं रुचि लेते हुए समुचित कार्यवाही करें।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष को सूचित किया कि अभी भी मण्डल कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण का प्रशिक्षण लेना शेष है। अध्यक्ष ने उसे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का नीति विषयक मामला बताते हुए समस्त कार्यपालक इंजीनियर से अनुरोध किया कि वे इसको समुचित व्यवस्था करें और बारी-बारी से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करायें। जहां पर हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं है, वहां व्यक्तिगत आधार पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाएं तथा नियमानुसार इसकी अदायगी करायें।

हिन्दी शिक्षण योजना, इलाहाबाद की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि अभी तक हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण तथा हिन्दी प्रशिक्षण के सत्र प्रारम्भ की सूचना नहीं दी गई जिसके कारण कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा सका। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सक्षम अधिकारियों एवं अध्यक्ष नगर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद से इस विषय में अविलम्ब कार्यवाही का अनुरोध किया। □

6. बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो

27 मार्च, 90 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 1989-90 की चतुर्थ व अन्तिम बैठक इस्पात भवन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रबन्ध निदेशक श्री एस.आर. रामकृष्णन ने की। प्रमुख सम्पर्क एवं प्रशासन तथा हिन्दी के सर्वकार्य भारी अधिकारी श्री रामवतार सर्राफ ने अध्यक्ष तथा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

इस अवसर पर बालकवि आर्य द्वारा सम्पादित "राजभाषा पक्ष समारोह स्मृति 1990" नाम्नी स्मारिका का विमोचन करते हुए प्रबन्ध निदेशक ने इसकी उपादेयता की सराहना की पहली बार राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित इस तरह की सचित्र स्मारिका में गत दिनों आयोजित राजभाषा पक्ष की रपट के अलावे राजभाषा प्रयोग से सम्बन्धित अनेक जानकारियां दी गई है, जिससे यह एक संग्रहणीय बन दस्तावेज गई है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु, उप प्रबन्धक (हिन्दी) द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी दी गई । पिछले निर्णयों के अनुपालन की स्थिति, तुलनात्मक ब्यौरा तथा तिमाही प्रगति-रिपोर्ट की व्यापक समीक्षा की गई और कई महत्त्व पूर्ण विन्दुओं पर विचार किए गए, जिसमें हैं (क) भंडार विभाग में उपलब्ध अंग्रेजी में छपे रस्जिटरों पर हिन्दी की मुहरों का उपयोग (ख) प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में मनोनीत हिन्दी अधिकारियों की बैठक का अप्रैल महीने में आयोजन (ग) हिन्दी आशुलिपि के साथ-साथ हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था (घ) अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिये चालू हिन्दी प्रशिक्षण योजना में सहभागियों की संख्या में बढ़ोतरी (ङ) सभी विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से द्विभाषिक मोहरों का निर्माण (च) तिमाही प्रगति प्रतिवेदन धारा 3(3) तथा मूल पत्राचार के मदों में प्रविष्ट आंकड़ों का निरीक्षण व समीक्षा और 16 अप्रैल से 11 मई 90 तक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्राधिकारियों द्वारा बोकारों में होने वाले अनुवाद प्रशिक्षण आदि । □

पृष्ट 31 का शेष

देश में विघटनकारी ताकतों में संकीर्ण क्षेत्रीय भाषाई संबंधित विकसित हो रहा है । केवल सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ही क्षेत्रीय संबंधों को आत्मसात करने में सक्षम होगी । भारत जैसे देश में भाषा ही संस्कृति की मुख्य वाहक पट्टी है जहां भाषाओं की विविधता एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता । अतः हमारी राष्ट्रीय संस्कृति सामासिक हो गई है । बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक आधार से एकभाषीय और एक सांस्कृतिक एकीकरण राष्ट्रीयता के विकास का आधार मिलेगा । अतः सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास और सभी भारतीय भाषाओं के साथ इसके संबंध को ध्यान में रखकर सांविधानिक निर्देश दिए गए हैं । □

यूनियन बैंक आफ इण्डिया

क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)

हिन्दी पत्राचार की स्थिति

मार्च, 1990 को समाप्त तिमाही में

हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य 40 प्रतिशत को प्राप्त करने वाली शाखाएं

1. वेलगलेरु—58.06
2. लक्ष्मीपुरम गंटूर—47.14
3. उप्पलापाड—42.35
4. परचूर—55.97
5. कें. उप्पलापाडु—51.85

15 प्रतिशत से अधिक पत्राचार करने वाली शाखाएं/कार्यालय

1. क्षेत्रीय कार्यालय—20.31
2. विजयवाडा मुख्य—22.17
3. एनिकेपाडु—15.38
4. कार्लपालेम—17.59
5. तेनालि—23.50
6. कामेपल्लि—18.54
7. नेल्लूर—18.60
8. चितूर—15.07
9. यादमरी—18.04
10. कडप्पा—16.26
11. तूर्पु येराबल्लि—20

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन : समस्याएं और समाधान

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र का राजभाषा सम्मेलन दिनांक 1 जून, 1990 को पाइनवुड अशोक, शिलांग में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकांत महाजन ने की। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य इस सम्मेलन के प्रमुख अतिथि थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड तथा सिक्किम राज्यों में स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रधान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव तथा सर्वकार्यकारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, इस सम्मेलन में शामिल हुए। आठ हिंदी अधिकारियों सहित 130 प्रशासनिक कार्यालय प्रधान भी उपस्थित थे।

अध्यक्षीय भाषण में संयुक्त सचिव श्री महाजन ने सभी भाषाओं के महत्त्व को स्वीकारते हुए राजभाषा हिंदी के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं के प्रचलित शब्द राजभाषा हिंदी में लिए जाने चाहिएं, जिससे राजभाषा हिंदी जन-जन की भाषा बन सके और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बढ़े। उन्होंने सभी पुरस्कृत कार्यालयों एवं अधिकारियों को बधाई देते हुए अपील की कि वे अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं।

इससे पूर्व राजभाषा विभाग में उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया ने मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए बताया कि डॉ. भट्टाचार्य को सन् 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1989 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बंगला और अंग्रेजी के उत्कृष्ट साहित्य का असमिया में अनुवाद भी किया है। सन् 1988 से वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। उनकी उपस्थिति से सम्मेलन की गरिमा बढ़ी है।

मुख्य अतिथि डॉ. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य ने राजभाषा हिंदी के बारे में विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी एक बहुत सुन्दर भाषा है। पिछले 40 वर्षों में हिंदी भाषा की काफी प्रगति हुई है और इसका विकास भी बहुत हुआ है। सिनेमा और दूरदर्शन, रेडियो और सरकार के अन्य साधनों से भी इसका प्रचार काफी हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक नवोत्थान में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा योगदान रहेगा।

मुख्य अतिथि डॉ. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के बारह कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों तथा चार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में विशिष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार/वैजयंतियां प्रदान कीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव ने समारोह में पधारे सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।

कार्यकारी सत्र

पुरस्कार वितरण के बाद दो कार्यकारी सत्रों की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री निशिकांत महाजन ने की। इन सत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों का हल निकालने की दिशा में विस्तृत चर्चा हुई।

प्रस्तुति : डॉ० गुरुदयाल बजाज

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबन्धक ने कहा कि गुवाहाटी में हिंदी टाइपिंग व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जाए; क्योंकि वर्तमान केन्द्र शहर से 8-10 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी में हिंदी की पुस्तकें भी नहीं मिलती हैं। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि निकट भविष्य में पत्राचार के माध्यम से हिंदी टाइपिंग व शार्टहैंड का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यालय के नजदीक किसी कॉमर्शियल संस्थान में यदि ऐसे प्रशिक्षण

की व्यवस्था हो तो प्रशिक्षणार्थियों को वहां भेजें । पुस्तकों की खरीद के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मानक पुस्तकें खरीदें। पुरस्कृत तथा प्रख्यात साहित्कारों की सूची राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित की जा रही हैं । स्थानीय पुस्तक विक्रेता को आर्डर देंगे, तो अवश्य ही 1–2 माह में पुस्तकें उपलब्ध हों जाएंगीं ।

आसाम के महालेखाकार का सुझाव था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय भाषा जानने वाले हिंदी प्राध्यापक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि कर्मचारी हिंदी जल्दी सीख सकें । साथ ही पाठ्य-पुस्तकों में क्षेत्रीय भाषाओं (खासी, शारो आदि) की संस्कृति को शामिल किया जाए ।

संयुक्त सचिव ने कहा कि हिंदी शिक्षण योजना केन्द्रीय कार्यालयों आदि के कर्मचारियों तक सीमित है । यह माना जाता है कि उन्हें अंग्रेजी आती है, इसलिए अंग्रेजी के द्वारा हिंदी सिखाई जाती है । फिर भी हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की समीक्षा की जा रही है, यह नीतिगत मामला है, इस पर विचार किया जाएगा ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ने कहा कि उनके कार्यालय में हिंदी जानने वाले कर्मचारी लगभग नहीं के बराबर हैं । कर्मचारी चयन आयोग से हिंदी अनुवादक, हिंदी टाइपिस्ट आदि के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता है, फिर भी कर्मचारी नहीं मिलते हैं, इस प्रकार पद खाली हैं । अतः राजभाषा सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं हो रहा है । उन्होंने कहा कि कर्मचारी हिंदी का प्रशिक्षण पाते हैं, वेतन वृद्धि लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए हिंदी में पत्राचार नहीं होता है ।

संयुक्त सचिव श्री महाजन ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग से यदि स्टाफ नहीं मिलता है तो उनके मुख्यालय को लिखा जा सकता है और उसकी सूचना राजभाषा विभाग के पास भेजी जा सकती है । राजभाषा विभाग उन्हें पत्र लिख सकेगा । यदि कर्मचारी चयन आयोग से स्टाफ नहीं मिलता है तो उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अन्य माध्यम से पद भरे जा सकते हैं । उन्होंने कहा कि कर्मचारी हिंदी सीखें; यह अनिवार्य है । उन्हें वेतन वृद्धि दी जाए क्योंकि यह सरकारी नीति है । उन्हें कार्यालय की भाषा सीखने में प्रोत्साहित किया जाए ।

केन्द्रीय हिंदी संस्थान, शिलांग के प्रभारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि पाठ्यपुस्तकों में पूर्वांचल की संस्कृति को उभारा जाए, साथ ही इस क्षेत्र के लिए परीक्षा स्तर में कुछ छूट दी जाएं । संयुक्त सचिव श्री महाजन ने कहा कि यह नीतिगत विषय है । परीक्षाओं के स्तर में छूट देने के बारे में, उन्होंने कहा कि, इस प्रकार के सुझाव कई अन्य कार्यालयों से आने पर विचार किया जाएगा ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, सिचलर के प्रतिनिधि ने कहा कि पूर्णकालिक हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए निर्धारित 120 प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम की जाए । पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी प्राध्यापक नहीं मिलते हैं, इसकी व्यवस्था की जाए । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सदस्य-कार्यालय उपस्थित नहीं होते हैं । तिमाही प्रगति रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के आदेशों को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है ।

संयुक्त सचिव ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने हिंदी प्राध्यापक के पद स्वीकृत करने के लिए कम से कम 120 प्रशिक्षार्थी की उपस्थिति को अनिवार्य किया है । यह नार्म्स है, इसलिए इसे फिलहाल कम नहीं किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि प्राध्यापकों के न मिलने पर पत्राचार पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जाए अथवा किसी स्कूल या केन्द्रीय विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक, यदि उपलब्ध हो सके तो उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि लगभग एक माह पूर्व पत्र द्वारा सूचना भेजी जाए और बाद में टेलीफोन पर भी सम्पर्क किया जाए । उससे उपस्थिति बढ़ेगी । उपनिदेशक (का.) भी विभिन्न विभागों के प्रमुखों से मिलेगें । तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि राजभाषा नियम 12(4) में प्रशासनिक प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है । इसलिए कोई भी कागजात दस्तखत करने से पूर्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान स्वयं देख लें कि नियमानुसार ही पत्र जारी हो । इससे काफी परिवर्तन आएगा ।

नागालैंड के उप महालेखाकार ने कहा कि हिंदी पुस्तकें नहीं मिलती है । उन्होंने कहा कि नागालैंड हिंदी टाइपिंग या आशुलिपि के प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट रूप में नहीं हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हिंदी टाइपराइटर, उन्हें दिया जाए तो तदर्थ (एडहॉक) अनुदेशक की व्यवस्था करके हिंदी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर सकते हैं । संयुक्त सचिव ने उप निदेशक (का.) को निदेश दिया कि वे केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक से सम्पर्क करके हिंदी टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोशिश करें ।

दूर संचार के मुख्य महाप्रबन्धक ने सुझाव दिया कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद कराया जाए । इसी प्रकार अन्य भाषाओं के कवियों, संतों, साहित्यकारों के वाक्यांश लिखकर कार्यालय में लगाए जाएं ।

संयुक्त सचिव ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए बताया कि विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के अनुवाद का कार्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कराया जाता है । 'आज के विचार' के अन्तर्गत वाक्यांशों का प्रयोग करना अच्छा सुझाव है और बहुत से कार्यालय इसे करते भी हैं ।

असम राइफल्स महानिदेशालय के प्रतिनिधि ने कहा कि बार-बार लिखने पर भी सम्बन्धित विभाग/मंत्रालय वार्षिक कार्यक्रम में निहित अनुदेशों के अनुसार हिंदी पदों का सृजन नहीं करते हैं। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा पदोन्नति के अवसर निदेशक स्तर तक है, अधीनस्थ कार्यालयों में पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। उनके लिए भी अवसर होने चाहिए। शिलांग में 1986 से हिंदी टाइपिंग व आशुलिपि का जो अनुदेशक प्रशिक्षण देते थे, उनका भी स्थानान्तरण कर दिया गया है। इससे प्रशिक्षण प्रभावित होगा।

संयुक्त सचिव ने कहा कि समूह "ख" तक हिंदी पदों के सृजन की शक्तियां सम्बन्धित विभाग के सचिव के पास है। कार्य एवं आंकड़ों के आधार पर प्रस्ताव विभाग के सचिव की स्वीकृति के लिए भेजें। उसकी प्रति उप सचिव (का.) के पास भी भेज दें ताकि वह भी कुछ मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के अवसर होने चाहिए। सम्बन्धित मंत्रालयों व विभागों को स्वयं अपने कैडर बनाने हैं जिससे पदोन्नति के अवसर मिल सके। शिलांग में हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि व अनुदेशक के बारे में उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक से बात करेंगें।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मंडल प्रबन्धक ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाए तथा पाठ्यक्रम अखिल भारतीय होने के बदले क्षेत्रीय आधार पर बनाए जाएं। बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ऐसे हिंदी प्राध्यापक हों, जो अंग्रेजी में पढ़ा सकें।

संयुक्त सचिव ने कहा कि हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक अंग्रेजी में भी स्पष्ट करके समझा देते हैं। यदि कोई प्राध्यापक अंग्रेजी में समझाने से मना करें तो विभाग के नोटिस में लाया जाए। बच्चों की शिक्षा का माध्यम राज्य सरकार का विषय है। क्षेत्रीय आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करना कठिन है, फिर भी यह नीतिगत विषय हैं फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है।

आकाशवाणी गुवाहाटी के निदेशक ने कहा कि प्राध्यापक से ज्यादा रेडियो व फिल्मों ने हिंदी सिखाई है और उन्होंने भी फिल्मों के माध्यम से हिंदी सीखी है। धारा 3 (3) के अनुपालन के लिए स्टाफ नहीं मिलते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले हिंदी अधिकारी, अनुवादक, टाइपिस्ट अपना स्थानान्तरण कराकर चले जाते हैं और पद खाली रखने से नियमों का पालन नहीं हो पाता है। हिंदी प्रशिक्षण के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाए।

संयुक्त सचिव ने सुझावों से सहमत होते हुए कहा कि ऐसी समस्याएं ही इस प्रकार के सम्मेलन की आवश्यकता है ताकि समस्याओं को दूर या कम किया जा सके। कार्यालय अध्यक्ष इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र दूर होने पर पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाए। आकाशवाणी से हिंदी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा सकता है। प्रोत्साहन के रूप में वेतन वृद्धि को स्थाई करने पर विचार हो रहा है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि तिमाही रिपोर्ट में हिंदी में तार भेजने के लिए लक्ष्य निर्धारित हैं, परन्तु बैंकों आदि में टैलेक्स का उपयोग किया जाता है जो अंग्रेजी में है। उनका कहना था कि प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाए तथा बैंकों में भी वेतन-वृद्धि दी जाए। संयुक्त सचिव ने कहा कि इस विषय पर विचार किया जाएगा। शिलांग के महालेखाकार ने कहा कि हिंदी पत्र हिन्दुस्तानी अर्थात् सरल हिंदी में होने चाहिए। हिंदी प्रशिक्षण परिवीक्षा काल में अनिवार्य कर दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को अब प्रशिक्षण से छूट दी जाए।

संयुक्त सचिव ने बताया कि परिवीक्षा काल में हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने में अनिवार्यता के बारे में कार्मिक विभाग से परामर्श चल रहा है। संसदीय राजभाषा समिति ने भी यही सुझाव दिया है। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उसके उप संस्थानों में कार्यसाधक ज्ञान के लिए तीन माह का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है जो परिवीक्षा काल में किया जा सकता है। कठिन हिंदी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पत्र आदि अंग्रेजी में ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसका अनुवाद कराया जाता है, इसलिए हिंदी कठिन हो जाती है। यदि पत्र मूल रूप से हिंदी में लिखाया जाए तो जो भी बोलने की भाषा होगी उसी में लिखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोगों को संस्कृतनिष्ठ हिंदी सरल लगती है जबकि उत्तर भारत के लोगों को यह कठिन लगती है। इसी प्रकार उर्दू मिश्रित हिंदी उत्तर के लिए सरल है और दक्षिण के लिए कठिन है। धीरे-धीरे समय बीतने के साथ ये समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। सम्मेलनों में इसी प्रकार की चर्चा आदि से जागरुकता पैदा होती है और कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ नए विचार सामने आते हैं। विभिन्न कार्यालयों की प्रगति का पता चलता है। यही निष्पत्तियां इन सम्मेलनों की आवश्यकता और सफलता की द्योतक है। □

सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सम्पर्क लिपि

भारतीय लिपि संस्थान, बदायूं के अनुरोध पर राजभाषा विभाग की ओर से 'भारत की सभी भाषाओं के लिए एक सम्पर्क लिपि' विषय पर दिनांक 29 जून, 1990 को एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें अठारह अधिकारियों/विद्वानों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता श्री ब्रज किशोर शर्मा, अपर सचिव, विधायी विभाग, ने की। संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री निशिकान्त महाजन ने सभी उपस्थित विद्वानों का स्वागत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोष्ठी के मुद्दों से राजभाषा विभाग का सीधा संबंध न होने पर भी राजभाषा विभाग द्वारा यह आयोजन किया गया है। उनके मतानुसार भारतीय भाषाओं की लिपियों के बारे में होने वाला विचार-विमर्श पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि इस विषय में शोध कार्य पहले से होते रहे हैं। उन्होंने इस विषय में सन् 1955 में राष्ट्रपति जी द्वारा गठित राजभाषा आयोग के विचारों का भी उल्लेख किया। श्री महाजन ने विद्वानों के समक्ष कुछ प्रश्न उठाए और उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

सर्व प्रथम भारतीय लिपि संस्थान, बदायूं के निदेशक डा. रामचन्द्र शरण ने विषय का निरूपण करते हुए विचार गोष्ठी को ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि भाषा का विषय संवेदनशील है और लिपि तथा भाषा का अभिन्न संबंध है। इस विषय में सावधानी बरतने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि के विशेष दायित्व का उल्लेख किया। उन्होंने लिपि बाहुल्य के कारण लिप्यात्मक एकता की उपयोगिताओं की ओर ध्यान दिलाया। डा. शरण ने अपने शोध परक वक्तव्य में हड़प्पा और मोहन जोदड़ों की खुदाई से प्राप्त उन प्राचीन लिपियों के नमूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सन् 1947 के पश्चात् देश के 100 से भी अधिक स्थानों की खुदाई में प्राप्त सिंधु लिपि के ही समरूप लिपि के नमूनों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उल्लिखित लिपि केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के अनेक भागों में उसके फैले होने के प्रमाण हैं। डा. शरण ने यह बताया कि भारत की सभी वर्तमान लिपियां एक ही परिवार की सहोदराएं हैं क्योंकि वर्तमान लिपियों की वर्णमाला में अद्भुत साम्य है। डा. शरण ने विशेष रूप से कहा कि सभी भाषाओं के लिए एक सम्पर्क लिपि के मार्ग में कई बाधाएं हैं जिनमें से एक बाधा अपनी भाषा की लिपि को दिव्य और पुनीत मानना भी है। दूसरी बाधा विभिन्न लिपियों में प्रचुर मात्रा में मुद्रित सामग्री की व्यर्थता का भय भी है। सम्पर्क लिपि की धारणा से सिद्धांततः लोग सहमत हैं किंतु लिपि के स्वरूप निर्धारण की समस्या भी उपस्थित हो जाती है सम्पर्क लिपि के प्रचलन और प्रचार-प्रसार का मामला भी विशेष ध्यान देने की अपेक्षा रखता है।

नागरी लिपि परिषद् के अध्यक्ष डा. मलिक मोहम्मद ने जोर देकर कहा कि पहले यह मान लिया जाए कि सम्पर्क लिपि की आवश्यकता है और हम इसे भावात्मक रूप में पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी और संत विनोबा के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देवनागरी लिपि सब दृष्टियों में अत्यंत उपयुक्त लिपि होगी, जिसे राष्ट्र लिपि का नाम दिया जा सकता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अपर महानिदेशक श्री मुनीश जोशी ने बताया कि लुप्त प्रायः लिपियों को फिर से उभारने की कोशिश हो रही है। उनका यह मत था कि एक राष्ट्र लिपि अथवा सम्पर्क लिपि संबंधी कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

डा. नरेन्द्र व्यास, प्रधान सम्पादक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने देश की विभिन्न भाषाओं के लिए एक लिपि बनाए जाने के बारे में सरकारी प्रयत्नों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि नई लिपि का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवनागरी का परिवर्द्धित रूप विकसित किया जा चुका है और जिस तरह विश्व में "एस्पिरेन्तो" नहीं चल सकी, उसी प्रकार देवनागरी को छोड़कर स्वनिर्मित कोई लिपि नहीं चल सकेगी। उन्होंने परिवर्द्धित देवनागरी पुस्तक भी दिखाई, जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने देवनागरी लिपि की बर्तनी के मानक बिना दिए जाने और उसके प्रचार-प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों और पूर्व में आयोजित सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों का विशेष उल्लेख किया, और यह जोर देकर कहा कि देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप देवनागरी लिपि की लोकप्रियता और पहचान बढ़ी है। इस दिशा में आगे भी शिक्षा विभाग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा निरन्तर प्रयत्न किए जाएंगे। श्री व्यास ने लखनऊ के भुवन वाणी ट्रस्ट जिन्होंने भारतीय भाषाओं के उच्च स्तरीय साहित्य को संबंधित लिपि से देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण करके पुस्तकों/ग्रंथों का प्रकाशन किया है के सराहनीय कार्य की जानकारी भी विद्वानों को दी, ऐसे उल्लेखनीय कार्य की सभी ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक डा. विमल ने राजभाषा विभाग द्वारा की गई पहल का स्वागत किया।

राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने विभाग की ओर से देवनागरी की मानक वर्तनी अपनाए जाने, परिवर्द्धित देवनागरी के अक्षरों के यथावश्यक इस्तेमाल आदि के बारे में जारी हुए आदेशों की जानकारी दी।

डा. शंकरराव कप्पिकेरी ने कहा कि संविधान के स्वीकार किए जाते समय उसमें राजभाषा और राजलिपि का पहले से ही उल्लेख है। उन्होंने राजभाषा विभाग को साधुवाद देते हुए कहा कि क्या हम राष्ट्र भाषा छोड़ दें। हमारे जिंदा रहने के लिए देश को जिंदा रखने व राष्ट्र की एकता के लिए हमें राजभाषा, राजलिपि का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

भारतीय लिपि संस्थान, बदायूं के कार्यकर्ता श्री राधेश्याम एडवोकेट ने लिपि के द्वारा भावात्मक एकता के विकास पर जोर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने देवनागरी लिपि को प्रेम की लिपि के रूप में आगे बढ़ाने के बारे में जोर दिया।

डा. शीलम् वेंकटेश्वर राव ने विचार गोष्ठी के उद्देश्य का स्वागत किया और कहा कि नागरी लिपि किसी एक भाषा की लिपि नहीं है, यह सबकी है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थाओं का सहयोग लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारतीय साहित्य यदि देवनागरी में प्रकाशित होता है तो वह राष्ट्रीय पहचान बना लेता है।

डा. सुशीला व्यापारी ने बताया कि उनके विद्यालय में बी.ए., बी.एस.सी. और बी.काम. की पढ़ाई 28 वर्षों से हिन्दी माध्यम में हो रही है और वे देवनागरी लिपि की स्वीकृति के बारे में आश्वस्त हैं।

हैदराबाद से पधारे डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने अपने पूर्वांचल यात्रा के संस्मरण सुनाते हुए देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का उल्लेख किया और कहा कि हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में भी नामपट्ट देवनागरी लिपि में लिखे जा सकें तो उचित रहेगा।

डा. मलिक मोहम्मद ने पुनः कहा कि दक्षिण में डाकियों को देवनागरी लिपि सिखाई जाए और पत्रिकाओं में लिप्यन्तरण का भी एक खँड रखा जाए। ऐसी पत्रिका को प्रोत्साहित किया जाए। बालकों के लिए देवनागरी लिपि में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराई जाएं।

विचार गोष्ठी में प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रश्नावली के बारे में विद्वानों ने अपनी शंकाएं प्रकट कीं और उस में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के सचिव डा. देवेन्द्र दत्त नौटियाल ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग से उन्हें पत्र मिला है जिसमें जनजातियों की बोलियों के लिए देवनागरी लिपि में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने उत्तरपूर्वांचल में हिन्दी की स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की निदेशक श्रीमती निशा चतुर्वेदी ने विद्वानों के विचारों की सराहना की।

अंत में अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के अध्यक्ष और गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक श्री रामलाल पारीख ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राजभाषा विभाग का आभार मानते हुए यह कहा कि सबसे पहला काम लिपि का स्वरूप निर्धारण का नहीं है बल्कि उसकी स्वीकृति का है। श्री पारीख ने सुझाया कि देश की विभिन्न भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में आना चाहिए। सबको यह बताना पड़ेगा कि हमें उनकी भाषा की जरूरत है और इस प्रकार उस साहित्य के देवनागरी लिपि में लाने का यत्न करना होगा। उन्होंने चाहा कि ऐसे साहित्य के देवनागरी लिपि में प्रकाशन के लिए सरकार सहयोग दे। उन्होंने अंग्रेजी के लुटे हुए साम्राज्य का उल्लेख किया और बताया कि उत्तरी आयरलैण्ड, स्काटलैण्ड और अमेरिका आदि में अंग्रेजी का वर्चस्व घट रहा है। अमेरिका में स्पेनिश फैल रही है। उन्होंने बताया कि उनकी विद्यापीठ में एम.एस.सी. (कम्प्यूटर) देवनागरी लिपि में पढ़ाया जाता है। प्रादेशिक भाषाओं का राष्ट्र व्यापी प्रसार करने के लिए हम देवनागरी लिपि चाहते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि को बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय श्री ब्रज किशोर शर्मा ने इस विचार गोष्ठी के सुझावों के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि इस विषय में आगे प्रयत्न केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाना अपेक्षित है। इस विषय में सहमति प्रकट की गई।

निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग ने अध्यक्ष महोदय, संयुक्त सचिव (राजभाषा) सहित सभी उपस्थित विद्वानों और विदूषियों का आभार व्यक्त किया।

[संगोष्ठी

इलैक्ट्रानिकी और समाज

हम आज इलेक्ट्रानिकी युग में रह रहे हैं और वर्तमान सामाजिक परिवेश में इलेक्ट्रानिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। इलेक्ट्रानिकी ने हमारे समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, या कृषि का दूर-संचार का हो या आयुर्विज्ञान का। कम्प्यूटर रडार, उपग्रह संचार, वीडियो संचार, टैलेक्स, उपग्रह संचार, इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज, डिजिटल ट्रांसमिशन, आप्टिकल फाइबर सिस्टम, कम्प्यूटर टोमोग्राफी, ईको कार्डियोग्राफ,

न्यूट्रान आर्द्रतामापी आदि-आदि अत्याधुनिक उपकरण समाज को इलेक्ट्रोनिक्स की देन है और हमारा समाज इनसे घनिष्ठता पूर्वक जुड़ गया है ।

दिनांक 12 जुलाई 1990 को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इण्डिया इन्टरनेशनल सेक्टर, नई दिल्ली में हिन्दी माध्यम से "इलेक्ट्रानिक्स और समाज" विषय पर पहली संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी की अध्यक्षता जनकार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद् (केपार्ट) के महनिदेशक श्री आर. राजामणी ने की। इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव श्री न. विट्ठल ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया सी एम सी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा. प्रेम प्रकाश गुप्त ने भी इस अवसर पर विचार व्यक्त किए । मुख्य भाषण में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के भूतपूर्व निदेशक डा. अजित राम वर्मा ने इलेक्ट्रानिकी और आधुनिक विज्ञान का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से विवेचन किया।

उद्घाटन सत्र के अलावा, संगोष्ठी में तीन अन्य सत्र भी रखे गए थे । "शिक्षा एवं कृषि में इलेक्ट्रानिकी" विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता इलेक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री के. राय पाल ने की और इसमें इलेक्ट्रानिकी विभाग सहित देश के विभिन्न संगठनों से जुड़े उच्च कोटि के 7 वैज्ञानिकों ने आलेख प्रस्तुत किए । "स्वास्थ्य एवं संचार में इलेक्ट्रानिकी" विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता संचार मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री सूरजमल अग्रवाल ने की और इसमें 6 वैज्ञानिकों ने आलेख पढ़े । सभी वक्ताओं ने इलेक्ट्रानिक्स और समाज के बीच अविच्छिन्न संबंध को उजागर करते हुए समाज की प्रगति के लिए प्रति इलेक्ट्रानिक्स के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया । वे इस बात से एकमत थे कि इलेक्ट्रानिक्स का लाभ समाज के छोटे से छोटे तबके को मिलना चाहिए और इस दिशा में सरकार को भी ठोस प्रयास करने चाहिएं ।

इलेक्ट्रानिकी एवं संचार विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय के डा. जय कृष्ण गौतम और सुनील कुमार सिंह ने सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक संचार उपग्रह की उपयोगिता बताते हुए मनोरंजन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी के समावेश पर प्रकाश डाला। बिहार इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सिन्दरी के निदेशक डा. जनादन झा ने खनन उद्योग में इलेक्ट्रानिकी की उपयोगिता पर विचार रखे । पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंत नगर के विभागाध्यक्ष डा. सुरेश चन्द्र ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रानिकी और समाज पर सूचनाप्रद जानकारी देते हुए इलेक्ट्रानिकी शिक्षा के लक्ष्य, सार्वजनिक सेवाओं में इलेक्ट्रानिक्स, संचार और उत्पादन, कृषि एवं स्वास्थ्य में इसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला । राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली के श्री राम प्रसाद ने शिथिल ग्रामीण जीवन में स्पंदनशील सक्रियता का संचार करने में "इलेक्ट्रानिकी की संभावनाएं" विषय को प्रतिपादित करते हुए बताया कि इलेक्ट्रानिकी की प्रगति के आधार पर भाषा विवाद भी समाप्त हो जाएंगे । मशीन अनुवाद की दिशा में हो रही विस्तार प्रगति के प्रकाश में कुछ ही समय में एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद की संभावना का उल्लेख किया । साक्षरता और निरक्षरता का प्रश्न भी अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया क्योंकि इलेक्ट्रानिकी मीडिया के द्वारा बोलचाल और दृश्यों के आदान-प्रदान द्वारा अब मानव-मानव के बीच वैचारिक संबंध और सम्पर्क आसा हो गया है ।

समापन सत्र में कई रचनात्मक सुझाव दिए गए । संगोष्ठी में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए :—

1. एम. एस. सी. (इलेक्ट्रानिकी) और बी. एस. सी. (इलेक्ट्रोनिकी) के हिन्दी माध्यम के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा विभाग और राजभाषा विभाग के समन्वित प्रयासों से आगे कार्रवाई करेगा।

2. इलेक्ट्रानिकी विभाग में कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ।

3. इस प्रकार की संगोष्ठियां भविष्य में भी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

4. द्विभाषी उपकरणों/कम्प्यूटरों की कीमतें कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

प्रस्तुति : सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
उप संपादक

वैज्ञानिक संगोष्ठी

अतिचालकता—एक मूल्यांकन

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के एक सुझाव का अनुपालन करते हुए भाभा परमाणु केन्द्र तथा हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य परिषद् बम्बई के संयुक्त तत्वाधान में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान परिणामों की जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए हिन्दी माध्यम को चुना गया और दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को आयोजित संगोष्ठी की सम्पूर्ण कार्यवृद्धि हिन्दी में हुई।

संगोष्ठी में अतिचालकता विषय पर प्रस्तुत शोध-पत्रों को अगले अंक में सम्मिलित करने का प्रयास रहेगा।

—संपादक]

पदार्थ में विद्युतप्रवाह के प्रति सामान्यतः मौजूद प्रतिरोध घटकर शून्य हो सकता है—इसका पता वैज्ञानिकों को 1911 में लगा। तभी से इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अभिरुचि और उत्सुकता बनी रही है। गुमनामी के लंबे अंतराल के बाद आठवें दशक के अंतिम तीन वर्षों में इस क्षेत्र में ज्वार सा आ गया है। इसका एक मात्र कारण है : लंबे समय से 23.2 डिग्री केल्विन के उच्चतम तापमान पर शून्य प्रतिरोध (दूसरे शब्दों में अतिचालकता) देख पाने की सीमा जो बंध गई थी, उसे पार कर कुछ आक्साइड सिरामिकों में 90 डिग्री केल्विन पर इस अद्भुत गुण का प्रदर्शन। इस समूचे प्रयास में भारतीय प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिकों का अपना अमूल्य योगदान है। शोध की इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिक निरंतर लगे हैं।

हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद् व भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का संयुक्त प्रयास इस संगोष्ठी के रूप में उभर कर आया है जिसका प्रमुख उद्देश्य था—विज्ञान की इस प्रगतिशील विद्या के सक्रिय वैज्ञानिकों को विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रभाषा मंच प्रदान करना। जिससे देश के अधिकांश जनमानस को क्रांतिकारी परिवर्तनों से अवगत कराया जा सके।

संगोष्ठी का उद्घाटन टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रो. वीरेन्द्र सिंह ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद् के अध्यक्ष तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा. आर. चिदम्बरम् ने की। उद्घाटन करते हुए प्रो. वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि उच्च ताप अतिचालकता आज विज्ञान के सीमान्त पर है और भारतीय विज्ञान की प्रगति तब तक नहीं हो सकती, जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषाओं के माध्यम से विज्ञान की प्रगति में मौलिक रूप से न जुड़े। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डा. चिदम्बरम् ने हिंदी माध्यम की संगोष्ठियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि अतिचालक पदार्थों में शोध एवं विकास से जन-जीवन पर अहम असर पड़ेगा और नये शोध-विषयों के क्षितिज उभरेंगे। विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों व वैज्ञानिक विषयों का संचार हिन्दी माध्यम से करना राष्ट्र के लिए अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

संगोष्ठी में अतिचालक पदार्थों के क्रमिक विकास, संश्लेषण गुणधर्म उपयोग, संविरचन और सूक्ष्म संरचना आदि व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक पक्ष पर 9 शोध पत्र पढ़े गये। उच्चताप अतिचालकीय पदार्थ अधिकांश गोष्ठी व विचार विमर्श के केन्द्र बने रहे। इसमें टाटा-मूलभूत अनुसंधान संस्थान, आई.; आई.टी. पवई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंबई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पुणे, भोपाल, ग्वालियर तथा कोल्हापुर विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों तथा नौसेना ब्यूरो और भारतीय रेलवे, बम्बई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों व वैज्ञानिक विषयों का संचार हिंदी माध्यमसे करना राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।

डॉ. चिदम्बरम, निदेशक,
भाभा परमाणु अनसंधान केन्द्र, बम्बई

संगोष्ठी में 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस आयोजन को आद्योपांत मार्गदर्शन व सक्रिय नेतृत्व डा. दीनदयाल सूद, परिषद् के उपाध्यक्ष ने प्रदान किया। संयोजन का कार्य डा. जितीन्द्रवीर जख्मी और श्री राम प्रसाद एवं आयोजन समिति के अन्य सदस्यों ने बड़ी कुशलता और समर्पण से संपन्न किया।

प्रस्तुति : डॉ. सत्यनारायण त्रिपाठी

इस्को अयस्क खान में हिन्दी में तकनीकी लेखन

दिनांक 19-3-1990 को गुआ अयस्क खान में हिन्दी में तकनीकी लेखन पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें सहभागी के रूप में खनन, यांत्रिक, विद्युत भू-विज्ञान आदि तकनीकी क्षेत्रों के करीब 15 कार्यपालक और छह गैर-कार्यपालकों ने हिस्सा लिया।

अयस्क खान के सहायक महाप्रबंधक, श्री डी.डी. शरण ने दीप प्रज्जवलित कर के संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उप प्रबंधक (हिन्दी), बर्नपुर, श्री पौहारी शरण सिन्हा ने हिन्दी में तकनीकी लेखन की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा हमारा ज्ञान सर्वसाधारण तक पहुंचना चाहिए। यह केवल अपनी भाषा के माध्यम ही स संभव है। प्रतिभा के सहज विकास के लिये यह जरूरी है कि अध्ययन-अध्यापन का माध्यम मातृभाषा ही हो।

संगोष्ठी में बोलते हुए गुआ अयस्क खान के मुख्य अधीक्षक (लौह), श्री एम.के. श्रीवास्तव ने कहा कि हम अपने कार्यालयों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का आश्वासन देते हैं। इस तरह की संगोष्ठी कर्मियों को हिन्दी में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करती है। सेल द्वारा तथा इकाई स्तर पर कई प्रोत्साहन योजनायें भी हैं, जिनका लाभ कर्मी उठा सकते हैं।

विषय प्रवर्तन के क्रम में श्री ए. गुडे, प्रबंधक (पू. व गु. नि.) ने "भारतीय लौह अयस्क खानों में भूस्खलन के कारण और उपाय" विषय पर अपना लेख पढ़ा। फिर इस पर सामूहिक चर्चा हुई। जिसमें सहभागियों ने सक्रिय रुचि ली और विभिन्न प्रश्न पूछे, जिसका जवाब श्री गुडे तथा श्री सिन्हा ने दिया। इसके अतिरिक्त हिन्दी में दैनंदिन कार्य में होने वाली कठिनाई के संबंध में भी चर्चा हुई। श्री सिन्हा ने कहा कि अनुवाद के लिये अटकने की जरूरत नहीं है, जुबान पर चढ़े प्रचलित शब्दों को लेने में संकोच नहीं होना चाहिये। उपसंहार करते हुए संगोष्ठी के अध्यक्ष श्री डी.डी. शरण ने कहा कि शासक बदल चुके हैं। आज हम खुद शासक हैं और उसी के समरूप हमारी भाषा भी बदलनी चाहिये। अतः हमें जनता की भाषा में लेखन करना चाहिये। धीरे-धीरे हिन्दी में तकनीकी लेखन हो रहा है और संगोष्ठी के माध्यम से इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। संगोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों और सहभागियों का स्वागत श्री एन.एल. दास ने किया और श्री रवि सामन्त ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

अयस्क खान, मनोहरपुर

मनोहरपुर अयस्क खान में दिनांक 30-3-90 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन श्री जी.पी. गुप्ता, अधीक्षक (खनन) ने किया। अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिये कर्मियों का आह्वान किया और वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं से लाभ उठाने की सलाह दी।

कार्यशाला का संचालन श्री पौहारी शरण सिन्हा, उप प्रबंधक (हिन्दी) ने किया। कार्य में होने वाली कठिनाइयों का उन्होंने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में समाधान प्रस्तुत किया। श्री सिन्हा ने पत्राचार के विभिन्न नमूनों तथा राजभाषा अधिनियम व नियमों की संक्षिप्त जानकारी दी। कार्यशाला के सहभागियों ने काफी रुचि दिखलाई। सहभागियों से पत्र लेखन का अभ्यास भी करवाया गया।

इस कार्यशाला में छह कार्यपालक और 26 गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक (कार्मिक) श्री वी.सी. गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

सैन्य प्रशिक्षण में हिंदी का वैकल्पिक प्रयोग

रक्षा मंत्रालय में 6 मार्च, 1990 को उपर्युक्त विषय पर श्री वी. एस. जाफा, सचिव रक्षा (वित्त) की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण निदेशकों ने अपनी-अपनी सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण स्थापनाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग कहां तक हो सकता है? और इसमें आने वाली कठिनाइयों को किस हद तक दूर किया जा सकता है, पर विस्तार से चर्चा की।

संगोष्ठी में तीनों सेनाओं के अतिरिक्त तटरक्षक मुख्यालय तथा सभी अन्तर सेवा संगठनों, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रतिनिधियों और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया।

संगोष्ठी में सेना की ओर से महानिदेशक, सैन्य प्रशिक्षण, ले. जनरल बी. पी. ऐरी ने, नौसेना की ओर से उनके प्रशिक्षण निदेशक कमोडोर गुप्तेश्वर राय ने और वायुसेना की ओर से प्रशिक्षण निदेशक, एयर वाईस मार्शल एस.डी.एल. टल्ली ने आलेख (पेपर) पढ़े, जिसमें उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास के साथ-साथ प्रशिक्षण स्थापनाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अपनी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया और कुछ सुझाव दिये।

(क) सेना

सेना में रंगरूटों को उनके रेजिमेंटल प्रशिक्षण केन्द्रों में दी जाने वाली बुनियादी सिखलाई और बाद की सिखलाई भी, जिसमें ड्रिल, हथियारों की साज-संभाल, फील्ड क्राफ्ट, बैटल ड्रिल और लड़ाई की सिखलाई भी शामिल है, हिन्दुस्तानी में दी जा रही है। उनके इस्तेमाल की प्रैसी और पम्फलेट रोमन हिन्दी या देवनागरी में ही होते हैं। मैप रीडिंग प्रमोशन काडर टेस्ट और ट्रेड टैस्टिंग तथा सभी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी में चलाई जाती हैं। सेना में गैर-हिन्दी बोलने वाले सभी रंगरूटों को फौज में भर्ती होने के बाद हिन्दी सिखाई जाती है।

प्रस्तुति : मणिराम

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अफसर प्रशिक्षण अकादमी और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज के कैडेटों को फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन-ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स हिन्दी में ही पढ़ाए जाते हैं। अकादमी में पढ़ाई के दौरान सभी कैडेटों को दसवें दर्जे तक की हिन्दी पढ़ना जरूरी है और इस प्रकार

हिन्दी की जरूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद उन्हें डिप्लोमा दर्जे तक की हायर हिंदी या कोई विदेशी भाषा सीखने की छूट होती है ।

तकनीकी कोर्सों में दाखिल किए जाने वाले अफसर पहले से ही तकनीकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रुजुएट होते हैं और उन्हें उनके विषय से संबंधित प्रशिक्षण स्थापना में इक्विपमेंट ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है, जोकि गैर-तकनीकी अफसरों को मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में तीन साल का इंजीनियरिंग कोर्स करना होता है । उनमें से एकेडेमिक विषयों में ऊंचा रैंक हासिल करने वालों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भेजा जाता है। कुछ टैक्निकल कोर्स भी होते हैं, जिनमें मेजर या उससे ऊपर रैंक के अफसरों को लिया जाता है और इनकी सारी किताबें/जरनल आदि अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं ।

सीनियर कमांड कोर्स, हायर कमांड/लांग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स, नेशनल डिफेंस कालेस कोर्स और कम्बाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एण्ड इवैल्यूएशन प्रोग्राम समेत कई पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो वरिष्ठ अफसरों के लिए हैं । ये सभी कोर्स अंग्रेजी में चलाए जा रहे हैं ।

प्रशिक्षण स्थापनाओं में हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ानी होगी और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए :–

(क) राष्ट्रीय रक्षा कालेज, भारतीय सैन्य अकादमी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज और असफर प्रशिक्षण अकादमी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं हिंदी औ अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिएं ।

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बी.ए./बी.एस.सी. की डिग्री देने के लिए हिन्दी में पढ़ाई को मंजूरी दे या फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और आर्मी कैडेट कोर को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए और भारत सरकार सीधे ही इन प्रशिक्षण स्थापनाओं के लिए बी.ए./बी.एस.सी. की डिग्री को मान्यता दे।

(ग) प्रशिक्षण स्थापनाओं में पड़ौसी देशों और मिडल-ईस्ट तथा अफ्रीकी देशों के कैडेटों की संख्या 10 प्रतिशत है । यदि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनके लिए दुभाषिए रखने होंगे या फिर प्रशिक्षण स्थापनाओं में दाखिला लेने से पहले एक साल का हिन्दी भाषा कोर्स करना होगा।

(घ) प्रैसी और पैम्फलेटों का अनुवाद मानदेय देकर करवाया जाए ।

(च) आई.आई.टी. और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(छ) तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के कोर्सों में सभी शुरुआती विषय हिन्दी में पढ़ाए जाएं और उनमें तकनीकी शब्दों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए।

(ज) जिन विषयों में इक्विपमेंट का साज-सामान, लाइन बिछाने, एंटेना सेट करने आदि के लिए डिटेचमेंट ड्रिल शामिल हों, वे हिंदी में पढ़ाए जा सकते हैं ।

(झ) शुरुआत विषयों और टैक्टिक्स की प्रैसी के अनुवाद हिन्दी/रोमन हिन्दी में तैयार कराए जाएं ।

(ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शब्दों के लिए हिन्दी डिक्शनरी तैयार करनी चाहिए ।

(ख) नौ सेना

नौसैनिकों को शिक्षण और प्रशिक्षण हिन्दी और अंग्रेजी की मिलीजुली भाषा से दिया जाता है । अहिन्दी-भाषी रंगरूटों के हिन्दी ज्ञान के स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष पढ़ाई कराई जाती है और उनके हिन्दी बोलने में सुधार लाने की दृष्टि से भाषा प्रयोगशालाएं खोली गई हैं । प्रशिक्षण स्थापनाओं में इस प्रयोजन के लिए लिंग्वाफोन और हिन्दी कैसेटों का प्रयोग भी किया जाता है । "चिलका" और "हमला" के बुनियादी प्रशिक्षण डॉकेटों का हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है । बुनियादी प्रशिक्षण देने वाले अनुदेशकों को हिन्दी और अंग्रेजी की मिली जुली भाषा द्वारा शिक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं ।

प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रयोग होने वाले प्रायः सभी तकनीकी/व्यवसायिक मैनुअल आदि अंग्रेजी में हैं, जिनकी संख्या हजारों में है । इनके अनुवाद के लिए या फिर प्रशिक्षण सामग्री को हिन्दी में जुटाने के लिए इन प्रशिक्षण स्थापनाओं के पास आवश्यक विशेषज्ञता, जनशक्ति और साधन व सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ।

प्रथम चरण में बुनियादी प्रशिक्षण और गैर-उपस्कर संबंधी प्रशिक्षण सामग्री को अनूदित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लगभग एक हजार मैनुअल और डाकेट छांटे गए हैं लेकिन मौजूदा स्टाफ इन सबको हिन्दी में तैयार करने के लिए आठ से दस वर्ष तक का समय लेगा। मानदेय के आधार पर भी इस काम को करवाया जा सकता है ।

प्रशिक्षण के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार किए जा सकते हैं :–

(1) नौसेना मुख्यालय में उपलब्ध मौजूदा अनुवाद संबंधी सुविधाओं में उपयुक्त बढ़ोतरी की जाए ।

(2) प्रत्येक बड़ी प्रशिक्षण स्थापना के लिए हिन्दी स्टाफ मंजूर किया जाना चाहिए ।

(3) अनूदित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठ भूमि वाले अनुवादकों का चयन किया जाना चाहिए । अनुवादकों के वेतनमान आकर्षक होने चाहिए ।

(4) कम्प्यूटर आधारित अनुवाद प्रणाली और लेसर प्रिंटर तथा रिसोग्राफ से युक्त सुविधा किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थापित की जानी चाहिए, जिससे बड़ी संख्या में अपेक्षित स्तर के प्रशिक्षण पैम्फलेट तैयार किए जा सकें ।

(ग) वायुसेना

वायु सेना का प्रशिक्षण स्थापनाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए सभी ट्रेनिंग कोर्सों को तीन वर्गों में बांटा गया है—(1) ऐसे कोर्स जिसमें अगले 12 से 18 महीनों में हिन्दी के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, (2) ऐसे कोर्स, जिनमें अगले पांच वर्षों में हिन्दी लाई जा सकती है और, (3) ऐसे कोर्स, जिनमें माध्यम अगले कुछ वर्षों तक हिन्दी किए जाने की सम्भावना नहीं है ।

सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं को यह हिदायत दी गयी है कि वे प्रशिक्षण नोटों के अनुवाद की प्रतीक्षा किए बिना इन विषयों में पढ़ाते समय उन अंग्रेजी शब्दों के साथ, जिनके हिन्दी शब्द आसानी से न मिलें, साधारण हिन्दी या हिन्दुस्तानी शब्दों का भी जहां तक हो सके, प्रयोग करें ।

योजना के प्रथम चरण में आने वाले कोर्सों में सामान्य सैनिक प्रशिक्षण और सामान्य सैनिक ज्ञान के प्रशिक्षण नोटों का अनुवाद पूरा कर लिया गया है और सभी अफसर और वायुसैनिक प्रशिक्षार्थियों को सामान्य सैनिक प्रशिक्षण शत-प्रतिशत हिन्दी में दिया जा रहा है । सभी गैर तकनीकी प्रशिक्षार्थियों को सामान्य सैनिक ज्ञान का 20 प्रतिशत भाग हिन्दी में पढ़ाया जा रहा है ।

योजना का पहला चरण पूरा होने पर दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें अगले पांच वर्षों में इस तरह कार्रवाई की जाएगी—

(1) अफसरों के सभी 14 आरंभिक कोर्सों में, सामान्य सैनिक ज्ञान का 20 प्रतिशत हिन्दी में पढ़ाया जाएगा ।

(2) वायुसैनिकों के तकनीकी ट्रेडों के 26 कोर्सों में सामान्य सैनिक ज्ञान का 30 प्रतिशत हिन्दी में पढ़ाया जाएगा ।

(3) वायुसैनिकों के गैर-तकनीकी ट्रेडों के 11 कोर्सों में सामान्य सैनिक ज्ञान का 50 प्रतिशत हिन्दी में पढ़ाया जाएगा ।

4. तीनों सेनाओं की ओर से आलेख पढ़ने के साथ-साथ उन पर परिचर्चा हुई । परिचर्चा में मुख्यतः भाग लेने वालों में श्री एस.पी. जाखनवाल, संयुक्त सचिव (स्थापना), एयर वाइस मार्शल एस.एस. मलहोत्रा, अपर महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, श्री एल.के. कलकड़, निदेशक (प्रशिक्षण), रक्षा मंत्रालय, श्रीमती निशा चतुर्वेदी, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग और ब्रिगेडियर चितरंजन सावन्त, निदेशक आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम, सेना मुख्यालय, थे ।

5. अन्त में, संगोष्ठी के दौरान व्यक्त विचारों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव श्री बद्रीनारायण अडवी ने तीनों सेनाओं को पेश आने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हुए उनके समाधान के लिए जो दिशा निर्देश दिये, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी आदि की प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग में एक उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है और उसकी सिफारिश के आधार पर सरकार जो निर्णय लेगी, उसके अनुसार आवश्यक व्यवस्था कर दी जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और आर्मी कैडेट कोर में बी.एस.सी. और बी.ए. की डिग्री तक की शिक्षा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम से दे रहा है, जबकि कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में इस स्तर तक की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाती है। यदि सेना मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्थान पर किसी अन्य विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से अपने कैडेटों को शिक्षा देना चाहें तो वे इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव चीफ आफ स्टाफ कमेटी के सम्मुख रखें ।

(3) विदेशी कैडेटों की वजह से यदि हम अपनी प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण का वैकल्पिक माध्यम हिन्दी बनाए जाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो इस पहलू पर विचार किया जा सकता है कि जिस तरह हमारे यहां से बाहर के देशों में प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों/कार्मिकों को वहां की भाषा की जानकारी पहले प्राप्त कर लेनी होती है, उसी तरह की शर्त विदेशी प्रशिक्षार्थियों के लिए भी रखी जा सकती है या नहीं । यह एक ऐसा मुद्दा है, जो केवल तीनों सेनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य कार्यालयों/विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी समान रूप से लागू है और ऐसी स्थिति में राजभाषा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को मिलकर कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए ।

(4) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का अनुवाद करवाए जाने में कुछ अड़चनें बतायी गयी हैं । उनमें से एक यह है कि ऐसी अधिकांश सामग्री क्लासीफाइड होती है और उसे अनुवाद के लिए हर किसी को नहीं दिया जा सकता । दूसरे, 20/– रुपए प्रति हजार शब्द की दर से अनुवाद के लिए अच्छे स्तर के अनुवादकों का मिलना कठिन है । मानदेय की दर निःसन्देह बहुत आकर्षक होनी चाहिए । यह मामला रक्षा मंत्रालय ने राजभाषा विभाग के साथ उठाया हुआ है और वह विभाग इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है आशा है, शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

(5) देश के सभी विश्वविद्यालयों और आई.आई.टी. में जब तक हिन्दी माध्यम से शिक्षा शुरू नहीं की जाती, तब तक तकनीकी ट्रेनिंग हिन्दी माध्यम से देने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां अवश्य होंगी । लेकिन यदि कोई इन्स्ट्रक्टर तकनीकी ट्रैनिंग देते हुए अंग्रेजी और हिन्दी की मिली-जुली भाषा में अपनी बात समझा सके तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । उद्देश्य तो यह है कि प्रशिक्षार्थी तकनीकी विषय की बारीकियों को आसानी से समझ सकें –माध्यम भले ही कोई भी हो और यदि हिन्दी में समझने में सुविधा होती है तो इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए ।

(6) किसी भी तकनीकी विषय पर हिन्दी में शब्दकोशों की कमी नहीं है और इस दिशा में तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने सराहनीय कार्य किया है । यदि किसी भी कार्यालय को किसी विशेष विषय पर हिन्दी शब्दकोश की आवश्यकता हो तो वे आयोग से सीधे सम्पर्क करें ।

(7) तीनों सेनाओं की प्रशिक्षण सामग्री बहुत ही तकनीकी और वैज्ञानिक किस्म की है, जिसके लिए अनुवादकों को कम-से-कम बी.ए. स्तर तक वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की जानकारी आवश्यक है । इसलिए अनुवादक के रूप में भर्ती के लिए एसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी का सम्यक् ज्ञान तो हो ही, साथ ही वे इंजीनियरी आदि में डिग्री या डिप्लोमा भी लिए हुए हों ।

(8) **तीनों सेनाओं की प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के लिए केन्द्रीय रूप से व्यवस्था करने से काफी** बड़ी संख्या में प्रशिक्षण स्थापनाओं की अनुवाद संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति एक जगह से कर पाना सम्भव नहीं होगा । इससे हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने का काम पिछड़ जाएगा । इसीलिए तीनों सेनाओं से आग्रह किया गया है कि वर्ष 1990-91 दौरान सभी प्रमुख प्रशिक्षण स्थापनाओं अनुवाद की व्यवस्था कर लें, ताकि प्रशिक्षण देने वाले इन्स्ट्रक्टरों को क्लास में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का अनुवाद हाथों-हाथ मिल सके । □

2808 HA/90—11

जयपुर में भारतीय भाषा संगोष्ठी

भाषा विभाग राजस्थान सरकार एवं हिन्दी एवं संस्कृत प्रचार-प्रसार संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान दिनांक 23 दिसम्बर 89 को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक डा. गंगाप्रसाद विमल के सम्मानार्थ एक भाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री इन्द्रसेन असरानी, मुख्य अतिथि राज. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव तथा मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता श्री मघराज कल्ला थे। संगोष्ठी में दक्षिण भारत तथा अन्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आये अध्येताओं के एक दल ने भी भाग लिया।

संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन करते हुए भाषा निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री ने कहा कि अब अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व धीरे-धीरे घटता जा रहा है। प्रशासन, शिक्षा, विधि क्षेत्र के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिन्दी व भारतीय भाषाओं का वर्चस्व शनैः शनैः बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं आदि में कुछ वर्षों पूर्व स्थिति यह थी कि भारतीय भाषाओं के ज्ञान के बिना भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाता था किन्तु अब स्थिति यह है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी एक भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र पास किये बिना इन सेवाओं में चयन नहीं हो सकता। श्री शास्त्री ने आगे कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हिन्दी के वर्चस्व के प्रसार में सबसे अधिक बाधक हैं। इन पर नियन्त्रण आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान में राजभाषा हिन्दी के विकास का ब्यौरा दिया।

मुख्य वक्ता केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक व वरिष्ठ साहित्यकार डा. गंगाप्रसाद विमल ने कहा कि आज लोग राष्ट्रभाषा को भूलकर विदेशी भाषा को पढ़, लिख, बोल कर गौरव का अनुभव करते हैं। विदेशी भाषा में लिखने वाले भारतीय लेखक अन्य विदेशी भाषा के जानकार भले ही हो जाएं भाषाविद् नहीं हो सकते हैं। ऐसे लेखक भारतीय आत्मा को अंग्रेजी साहित्य में ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं, यह आत्मवंचना है। भारतीय आत्मा प्राचीन वैदिक साहित्य में निहित है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रान्ताओं के हमारे मूल व पूर्वजों द्वारा लिखित ग्रन्थों को समूल नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु भारतीय मनीषियों ने अपने प्राणों को आहूत करके भी अपनी धरोहर ग्रन्थ सम्पदा को बनाए रखा। डॉ० विमल ने अपनी राष्ट्र भाषा व भारतीय भाषाओं से प्रेम तथा गौरव करना सीखने का आह्वान किया। डा. विमल ने हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार का मुंह न देखने की सलाह दी व स्वयं विकास के लिए संकल्पित होने को कहा।

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव ने कहा कि राजस्थान न्याय क्षेत्र में हिन्दीकरण की दृष्टि से अग्रणी है, यहां सेशन-न्यायालय तक शत प्रतिशत निर्णय हिन्दी में दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय अखबारों में चर्चित इस भ्रान्ति का खण्डन किया कि याचिका अंग्रेजी में ही प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में हिन्दी में प्रस्तुत की गई याचिका खारिज करने का निर्णय नियमों की पूरी जानकारी न होने के कारण दिया गया था जबकि वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी में भी रिट याचिकाएं प्रस्तुत करना विधि सम्मत है। इस संबंध में एक निर्णय में न्यायमूर्ति श्री इन्द्रसेन इसरानी व न्यायमूर्ति श्री महेन्द्रभूषण ने ऐसी व्यवस्था दी है कि कारवाइयां एवं निर्णय हिन्दी में दिये जाने को ही प्रोत्साहन देना चाहिए।

विशिष्ट अतिथि पद से बोलते हुए राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता श्री मघराज कल्ला ने कहा कि भारतीय भाषाओं को प्रश्रय व उत्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रयोग करके सिद्ध किया है कि देवनागरी लिपि के शब्दों की आकृतियां उनके उच्चारण से मेल खाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी के प्रयोग के बारे में आपने कहा कि देर सवेर वह दिन भी शनैः शनैः आएगा जब वहां भी राजभाषा हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य आयकर आयुक्त व हिन्दी के मूर्धन्य कवि डा. ओंकारनाथ त्रिपाठी ने कहा कि अंग्रेजी का मोह हमसे छूट नहीं रहा है। अंग्रेजी बोलकर हम गौरव का अनुभव करते हैं जबकि अधिकतर लोग शुद्ध अंग्रेज़ी लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। अब हमें अपने दैनिक व्यवहार में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी के प्रवेश के लिये आन्दोलन करने की सलाह दी।

अध्यक्षीय भाषण में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री इन्द्रसेन इसरानी ने कहा कि हिन्दी को सरल बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी में उर्दू आदि अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन शब्दों की मूल प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। श्री इसरानी ने उच्च न्यायालय में हिन्दी प्रयोग के बढ़ते चरणों का भी जिक्र किया।

इस अवसर पर हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों से आए अध्ययन दल के प्रतिनिधि के रूप में मैसूर विश्वविद्यालय के छात्र नागभूषण ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की भाषा सीखनी चाहिए तथा दक्षिण के लोगों को उत्तर भारत

की भाषा हिन्दी सीखनी चाहिए—इससे भावात्मक एकता स्थापित होगी। इसी प्रकार अध्ययन दल की महाराष्ट्र की हसीना मालदार ने कहा कि साहित्य में सत्यम् शिवम् सुन्दरम का समावेश होना चाहिए। विदेशी भाषा से अधिक माधुर्य मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं में निहित है।

इस अवसर पर हिन्दी प्रचार-प्रसार संस्थान की ओर से एक पत्रिका 'हिन्दी ज्योतिबिम्ब' का विमोचन किया गया तथा हिन्दी एवं संस्कृत के विद्वानों तथा डा. गंगाप्रसाद विमल, डा. ओ.एन. त्रिपाठी, डा. राम प्रसन्न शर्मा, डा. प्रभुनारायण नाट्याकार्य, डा. गंगाधर भट्ट, गुरु कमलाकर कमल तथा डा. हरिराम आचार्य का सम्मान श्रीफल से व शाल अर्पण करके किया गया।

संस्थान के कुलपति गोस्वामी कृष्ण वल्लभाचार्य ने संस्थान की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। संगोष्ठी का संचालन श्री राजेन्द्र शर्मा ने किया। संगोष्ठी में हिन्दी सेवी विद्वान, हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा राज्याधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

महानगर कलकत्ता अपनी विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं विविधताओं में एक और तब जुड़ गई जब 22 मई 1990 को स्थानीय भारतीय भाषा परिषद् के सभागार में प्रतिष्ठित साहित्यकार एवम् पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डॉ. प्रताप चन्द्र चन्दर ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस दो दिवसीय राष्ट्रीय एकता के यज्ञ में देश भर के लगभग ढाई सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में केरल और तमिलनाडु से काश्मीर और नागालैण्ड से गुजरात तक देश की प्रायः समस्त भाषाओं के लोग थे। सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका में हवाई विश्वविद्यालय के भारतीय प्रशान्तीय भाषाओं के विभागाध्यक्षों डॉ. रमानाथ शर्मा ने की और मुख्य वक्ताओं में सम्मिलित थे—साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. इन्द्रनाथ चौधरी, पश्चिम बंगाल हिन्दी अकादमी के सचिव प्रो. सदानन्द सिंह तथा प्रसिद्ध हिन्दी सेवी प्रो. विष्णुकान्त शास्त्री।

डॉ. रमानाथ शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि हम अंग्रेजी को विश्व की अत्यंत समृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण भाषा समझते हैं; जबकि वह मान्यता ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी बात को अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती जितनी अच्छी तरह से हमारी भारतीय भाषाएं। डॉ. शर्मा का कहना था कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के सामने विश्व की अन्य समस्त लिपियां पानी भरती हैं।

डॉ. प्रताप चन्द्र 'चन्दर' ने उद्घाटन भाषण में प्रसन्नता प्रकट की कि कलकत्ता में पहली बार सही राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिन्दी और देश की समस्त भाषाओं को इनका समुचित स्थान दिलाने के लिए ठोस कार्य किया जा रहा है।

मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए दैनिक 'छपते-छपते' के सम्पादक श्री विश्वम्भर नेवर ने कहा कि हमें अपने गिरेबान में हाथ डालकर, देखना होगा कि हम स्वयं हिन्दी के प्रति कितने गम्भीर हैं।

आरम्भ में उद्बोधन संगीत दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि अभ्यागतों का स्वागत करते हुए प्रो. विष्णुकान्त शास्त्री ने बताया कि अभी हिन्दी केवल हमारे बैठक गृहों के मामलों में फूलों की तरह शोभा की चीज है। हम देशी भाषाओं को वोट मांगने और वोट तोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं और काम निकलते ही भूल जाते हैं।

सम्मेलन के संयोजक तथा राजभाषा परिषद्, कलकत्ता के सचिव डॉ. विश्रान्त वसिष्ठ ने सम्मेलन के आरम्भ से ही कठिनाइयों का सामना करने की बात कही और बताया कि किस प्रकार यह दो-दो बार स्थगित होने के उपरान्त अब सम्पन्न हो रहा है।

हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने हेतु वर्ष 1989 के लिए राजभाषा परिषद् हेतु हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा प्रायोजित सचल राजभाषा वैजयन्ती अंक संकलन महानिदेशालय को प्रदान की गई।

उद्घाटन समारोह में अभ्यागतों को साधुवाद ज्ञापित करते हुए सम्मेलन के संरक्षक श्री परमानन्द चूड़ीवाल ने सतत् प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेजी का मोह बना रहेगा तब तक हिन्दी या कोई भी भारतीय भाषा पनप नहीं सकती।

दूसरा सत्र "उत्पादकता एवम् श्रमिक सहयोग में हिन्दी का योगदान" विषयक संगोष्ठी को समर्पित था; जिसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल हिन्दी अकादमी के सचिव प्रो. सदानन्द सिंह ने की और विषय प्रवर्तन किया—गृह मन्त्रालय के राजभाषा विभाग में निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने। आलेख पाठ "खनन भारती" के सम्पादक श्री राजेन्द्र पटोरिया ने किया जबकि विषय पर बहस की शुरुआत डॉ. रामप्रीत उपाध्याय ने की।

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिलचर से आये प्रतिनिधि पं. दत्तात्रेय मिश्र ने अपने अभिभाषण में तीन महत्त्वपूर्ण बातें कहीं। एक—हिन्दी के प्रचार के लिए श्रमिक संगठनों का सहयोग लेना अत्यन्त आवश्यक है, दो —केवल ऊपर के अधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम करने से ही बात

नहीं बनेगी बल्कि जन जागरण करना होगा और तीन-- कार्यान्वयन में गैर--सरकारी हिन्दी प्रचार संस्थाओं का सहयोग भी लाभकर सिद्ध हो सकता है।

श्री पटोरिया के अनुसंधानपरक लेख में तर्क सम्मत ढंग से बताया गया कि उत्पादकता और श्रमिक सहयोग में हिन्दी किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। डॉ. रामप्रीत उपाध्याय ने बताया कि हिन्दी को जहां भी ले गए मजदूर ही लेकर गए, बड़े लोग तो "बड़ी" भाषा में ही उलझे रहे। प्रो. सदानन्द सिंह ने सुरीनाम, मारीशस और फिजी के अपने अनुभवों का हवाला देकर कहा कि हिन्दी में अभिजात्य नहीं सार्वभौमिकता है।

सन्ध्या समय में जलज भादुड़ी और उनके पारिजात ग्रुप ने हिन्दी, बंगला और मराठी में रवीन्द्र संगीत एवम् नजरूल गीति प्रस्तुत की जबकि अमिता दत्त का कत्थक नृत्य अत्यन्त प्रभाव शाली रहा।

23 मई को पहली संगोष्ठी का विषय, **"बंगला तथा तमिल आदि समस्त भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी की समानता"** था। इस सत्र की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के सचिव डा. इन्द्रनाथ चौधरी ने की जबकि आलेख पाठ डा. सत्येन्द्र नाथ बसु और श्री सुशील कुमार शर्मा ने किये। संगोष्ठी का संचालन करते हुए डा. विश्रान्त वशिष्ठ ने हिन्दी और तमिल के समान तत्वों की ओर इंगित किया जबकि डा. बसु ने हिन्दी और बंगला तथा श्री शर्मा ने हिन्दी और कन्नड़ के समान गुणों के उदाहरण प्रस्तुत किए। बहस का आरम्भ करते हुए डा. महेश चन्द्र गुप्त ने पंजाबी और मलयालम तक में हिन्दी के समान तत्वों के दर्शन कराए।

डॉ. चौधरी ने इस प्रकार के सम्मेलनों की निरन्तर आवश्यकता महसूस की और बताया कि जो लोग हिन्दी में प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्य कर पाने की क्षमता की कमी बताते हैं, उन्हें भाषा के गुणों की ही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के महत्त्व की बात केवल उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही है जो अपनी विशिष्टिता बनाए रखना चाहते हैं। डॉ. चौधरी ने कहा कि अब हम समझने लगे हैं और अपनी जड़ें तलाश रहे हैं अब हम आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की आलोचना करते हुए आपने कहा कि इनसे बच्चों की प्रतिभा का विकास नहीं हो पा रहा। डॉ. चौधरी ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल के हिन्दी माध्यम् के छात्रों को हिन्दी में प्रश्न-पत्र नहीं मिलते। जब वे प्रश्न समझेंगे ही नहीं तो उत्तर क्या देंगे?

संगोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए डा. रमानाथ शर्मा ने मार्के की बात कही कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा हो सकती है पर हमारी जबान नहीं हो सकती। उन्हें युवकों को तीन अपेक्षाएं जताई:

*संस्कृति को महत्त्व देना

*स्वाभिमान और

*हिन्दी के लिए लड़ाई।

उन्होंने कहा कि इन तत्वों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।

खुला अधिवेशन विशेष महत्त्वपूर्ण था, श्री जगदीश नारायण राय के अनुभवी संचालन में अनेक संकल्प लिये गये और प्रस्ताव पारित हुए जिनमें राज्यों का सरकारी कामकाज सम्बन्धित राज्यों की भाषाओं में करना, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों को हिन्दी में प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराना आदि सम्मिलित है।

और अन्त में डा. बुद्धिनाथ मिश्र के संचालन में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विविध भाषा-भाषी हिन्दी कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की।

लिए गये संकल्प

इस सम्मेलन के खुले सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।

*सभी राज्यों के सरकारी कामकाज अंग्रेजी के स्थान पर केवल उन प्रान्तों की अपनी भाषा में ही कराने के लिये प्रयास किये जाएंगे।

*देश के अंग्रेजी माध्यम के समस्त विद्यालयों को देशी भाषाओं के माध्यम में बदलवाने के लिये इस प्रकार प्रयास किये जायेंगे कि अध्ययन-अध्यापन के स्तर में अन्तर न आने पाये।

*पश्चिम बंगाल की माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के हिन्दी माध्यम के छात्रों के प्रश्न-पत्र हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

*ए.एम.आई. ई. के सैक्शन-बी. की सभी शाखाओं में हिन्दी माध्यम की तत्काल व्यवस्था कराई जायेगी।

*गैर डिप्लोमाधारियों के लिये भी हिन्दी माध्यम से सैक्शन-ए में परीक्षा देने की व्यवस्था कराई जायेगी।

*ए.एम.आई.ई. स्टुडेण्ट श्रेणी (एस) की परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम की व्यवस्था कराई जायेगी।

*ए.एम.आई.ई. की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी उपलब्ध कराने के लिये संघर्ष किया जायेगा।

*केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की जिन भर्ती अथवा पदोन्नति परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र होता है, उसे हटवाने और उसके स्थान पर, यदि आवश्यक हो, तो हिन्दी प्रश्न-पत्र रखवाने के लिये प्रयास किये जायेंगे। □

पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

दिनांक 30 अप्रैल से 1 मई, 1990 तक नई दिल्ली में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारी/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक-राजभाषा तथा राजभाषा के कार्य से सम्बद्ध मुख्यधारा के अधिकारी उपस्थित थे।

श्री इन्द्र भान बंसल, महाप्रबंधक ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वार्षिक कार्यक्रम 1990-91 की विभिन्न अपेक्षाओं, विशेष रूप से "ख" और "ग" क्षेत्रों के लिये पत्राचार, "क" और "ख" क्षेत्रों के लिये तार और "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के लिये हिन्दी टाइपराइटरों, टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने इस कार्य में उच्च अधिकारियों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में और अधिक प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "राजभाषा नीति-अपेक्षाएं एवं दायित्व" का भी विमोचन किया।

श्री आर. वी. शास्त्री, उप महाप्रबंधक ने राजभाषा नीति के अनुपालन में पिछले तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रगति की सराहना की और अधिकारियों का इसी लगन और उत्साह से कार्य करते रहने के लिये आह्वान किया।

सम्मेलन में श्री निशिकान्त महाजन, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, उपसचिव, संसदीय राजभाषा समिति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। श्री निशिकान्त महाजन ने वर्ष 1990-91 के लिये वार्षिक कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि संसद के 1968 के संकल्प के अन्तर्गत राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम बनाता है। उक्त कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निष्ठा की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिन्दी के प्रयोग में सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये क्योंकि भाषा के निरन्तर प्रयोग से ही उसमें सुधार आता है। श्री महाजन ने राजभाषा अधिकारियों की समस्याओं व शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि :—

- ☐ निकट भविष्य में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के समान राजभाषा विभाग का केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान अलग से पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।
- ☐ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में कोई आवेदन-पत्र लौटाया नहीं जायेगा।
- ☐ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में ऐसे सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षत कर दिया जाए, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है।
- ☐ 1968 के संकल्प में स्पष्ट निदेश है कि भर्ती के समय उम्मीदवार को हिन्दी अथवा अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, परन्तु सी०ए०आई० आई०बी०की० परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के बारे में सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग प्रभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से मामला सम्बन्धित संस्थान के साथ उठाया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, सचिव, संसदीय राजभाषा समिति ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के विभिन्न पहुलओं के सम्बन्ध में अधिकारियों का मार्गदर्शन किया और समिति की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी रिपोर्टों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि:—

* पहली रिपोर्ट में अनुवाद संबंधी जानकारी,
* दूसरी रिपोर्ट में यांत्रिक सुविधाओं आदि से संबंधित जानकारी,
* तीसरी रिपोर्ट में प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी और
* चौथी रिपोर्ट में समिति द्वारा विभिन्न कार्यालयों के किये गये निरीक्षणों के आधार पर और उक्त निरीक्षणों के बाद हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

सम्मेलन में बैंक में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई तथा वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार किया गया। सम्मेलन में दिए गए विभिन्न सुझावों पर चर्चा करने/निर्णय लेने के साथ-साथ श्री आर० वी० शास्त्री उप महाप्रबन्धक ने सम्मेलन का समापन किया।

सम्मेलन में राजभाषा संबंधी दो वृत्त चित्र (1) हिन्दी की वाणी एवं (2) उदयांजलि भी अधिकारियों को दिखाये गये। ☐

बैंक ऑफ बड़ौदा

हिन्दी संपर्क अधिकारियों की पहली बैठक

मध्य गुजरात अंचल में कार्यरत (नामित) हिन्दी संपर्क अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक 8 मई 1990 को अंचल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मध्य गुजरात अंचल के उप महाप्रबंधक श्री के. सी. पटेल की अध्यक्षता में की गई ।

उप महाप्रबंधक श्री के सी पटेल ने बैठक में पधारे हिन्दी संपर्क अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि संपर्क अधिकारी भूमिका बखूबी निभाते हुए हिन्दी के कार्यान्वयन में सक्रिय रहें तथा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए पूरे अंचल को हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक आदर्श अंचल के रूप में प्रस्तुत करें।

हिन्दी संपर्क अधिकारियों की भूमिका को अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से सभी ने महसूस किया कि इन संपर्क अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सर्व सम्मलित से निर्णय लिया गया कि इसके लिए केन्द्रीय कार्यालय को पत्र लिखा जाए।

तदुपरांत, अंचल राजभाषा कक्ष के अधिकारियों द्वारा हिन्दी संपर्क अधिकारियों की भूमिका तथा उनके कार्यादायित्वों के बारे में विस्तार में जानकारी दी गयी जो कि इस प्रकार है:—

1. हिन्दी संपर्क अधिकारी अपने अन्य बैंकिंग कामकाज के साथ हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित काम भी करेंगे ।
2. जहां कहीं भी हिन्दी संपर्क अधिकारी नामित नहीं किये गये यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए ।
3. हिन्दी के प्रयोग के संबंध में केन्द्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय से प्राप्त प्रत्येक पत्र का जवाब देना ही चाहिए ।
4. यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी शाखाओं/कार्यालयों के नाम पट्ट, साइन बोर्ड, काउंटर बोर्ड आदि आवश्कतानुसार द्विभाषिक/त्रिभाषिक ही हों
5. सभी रबड़ की मोहरें बिना किसी अपवाद के द्विभाषिक हों ।
6. तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से हर तिमाही में तिमाही समाप्ति के 15/20 दिन के अंदर भेज दें ।
7. सभी परिपत्रों का द्विभाषीकरण अनिवार्य—इस आवश्यकता के अनुपालन में होने वाली ढील को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा ।
8. हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य —70%
9. प्रशिक्षण की व्यवस्था —हिन्दी टाइपराइटिंग वर्ष 1990 के अंत तक सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर देना चाहिए ।
10. तार का लक्ष्य—50%
11. हर तिमाही में कम से कम एक कार्यशाला या गोष्ठी का आयोजन ।
12. शाखाओं के निरीक्षण दौरे ।
13. पुस्तकालयों की स्थापना/पत्रिका मंगाना

करनाल में केनरा बैंक का हिंदी प्रतिनिधि सम्मेलन

प्रबंधकीय संवर्ग के हिन्दी प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन केनरा बैंक करनाल मंडल कार्यालय के तत्वावधान में किया गया। बैठक में हरियाणा प्रदेश की शाखाओं के हिन्दी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन श्री वी. जी बालिगा, उप महाप्रबंधक ने किया। श्री एम.आर. रामनन्दन मंडल प्रबन्धक ने अध्यक्षता की तथा सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्री वी. जी. बालिगा तथा शाखा प्रतिनिधियों का स्वागत किया ।

श्री एस. के. तुली राजभाषा अधिकारी ने बैंक की राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शाखा प्रतिनिधियों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा हिन्दी का सर्वाधिक कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से लगातार दूसरी बार सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भारतीय रिजर्व बैंक गर्वनर राजभाषा शील्ड लगातार चौथी बार "ख" क्षेत्र में तथा "ग" में तथा पांचवीं बार "ग" क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए भी सभी को बधाई दी। श्री वी. जी. बालिगा, उप महाप्रबन्धक ने अपने भाषण में सरल तथा सुबोध हिन्दी का उपयोग करके हिन्दी का शत-प्रतिशत् उपयोग हरियाणा की सभी शाखाओं में करने का आह्वान किया। बैंक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में राजभाषा कक्ष के अधिकारी श्री एस. के. तुली की सराहना करते हुए शाखा प्रतिनिधियों का दायित्व बढ़ जाने पर अधिक से अधिक सहयोग कर देश की प्रगति में सहायक होने का अनुरोध किया। श्री एम. आर. रामनंदन् मंडल प्रबन्धक ने विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करते हुए कई मूल्यवान सुझाव दिए ।

सर्वसम्मत से बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा की शाखाओं में ग्राहक सेवा ग्राहक की भाषा में करके बैंक की राजभाषा क्षेत्र में बनी गरिमा को बनाए रखेंगे तथा अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का प्रयास करेंगे ।

समापन समारोह की अध्यक्षता फरीदाबाद शाखा के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री अनिल गिरोजा ने की। उन्होंने समापन भाषण में स्वेच्छा से हिन्दी को अपनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जब तक हिन्दी को हम अपने गले नहीं लगाते हैं तब तक हम अधूरे हैं। श्री वी. आर. रवीन्द्रनाथ प्रबन्धक ने सभी का धन्यवाद कर बैठक का समापन किया ।

प्रस्तुति : एस० के० तुली

साक्षात्कार

हिंदी के बढ़ते चरण

हमारी आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी में मूल पत्राचार में वृद्धि होगी।

दिनांक 16 जुलाई, 1990 को दूरदर्शन पर असम संयुक्त मुक्ति वाहिनी मोर्चा (उल्फा) के सदस्यों द्वारा गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबन्धक श्री हरे कृष्ण लाल दास, उनके सुपुत्र और कार ड्राईवर के अपहरण की सूचना सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। मोर्चा के प्रवक्ता ने इनकी रिहाई के लिए कुछ उग्रवादी छात्रों की रिहाई की मांग की। श्रीमती दास की करूण पुकार, सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप श्री दास तथा दो अन्य बन्धकों को लगभग 15 दिन के कष्टदायक प्रवास के बाद रिहा कर दिया गया। इन 15 दिनों में श्री दास की रिहाई की खबर सुनने के लिए मेरे कान सदैव उत्सुक रहे। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री दास के प्रति हमारी सहानुभूति होना स्वाभाविक था। किन्तु विशेष कारण यह था कि मैंने पहली बार शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर उन्हे देखा। 'उपक्रमों में सबसे अधिक हिन्दी कार्य करने के लिए जब गुवाहाटी रिफाइनरी को प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो महाप्रबन्धक श्री दास धीरे-धीरे मंच की ओर बढ़े और मुख्य अतिथि डा० वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य से प्रथम पुरस्कार ग्रहण किया। लगभग 55 वर्षीय श्री दास जैसे राजभाषा प्रेमी से यह जानने की उत्कट इच्छा हुई कि "ग" क्षेत्र असम प्रदेश में गुवाहाटी रिफाइनरी में हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए उन्होने किस प्रकार से प्रयास किए हैं। इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकांत महाजन के साथ दिनांक 2 जून, 1990 को गुवाहाटी रिफाइनरी में श्री दास से भेंट की।

श्री हरे कृष्ण लाल दास ने 1960 में इंडियन आयल कारपोरेशन में सहायक अभियंता के नाते पदभार ग्रहण किया। श्री दास अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के बल पर जून 1988 से गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे हैं। वे हिन्दी तथा संस्कृत के जहां अच्छे जानकार है, वहीं बंगला और असमिया पर भी उनका अच्छा अधिकार है। श्री दास देश की विभिन्न रिफाइनरियों जैसे—बरौनी, बडोदरा, हल्दिया, मथुरा आदि विभिन्न स्थानों पर कार्य कर चुके हैं और दीर्घ सेवा का अर्जित अनुभव महाप्रबन्धक के रूप में उनकी सफलता का राज

श्री एच. के. दास

है। गुवाहाटी रिफाइनरी में हिन्दी प्रयोग को लेकर उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :-

राजभाषा भारती : रिफाइनरी में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी हैं और उनमें से कितने हिंदी में प्रशिक्षित हैं ?

श्री दास: गुवाहाटी रिफाइनरी में वर्तमान में कुल 259 अधिकारी तथा 935 कर्मचारी हैं जिनमें से 312 कर्मचारियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाएं पास की हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 13,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि विभिन्न कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए दी गई है।

शेष कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करवाने के लिए क्या योजना है ?

रिफाइनरी में ही हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक कक्षाएं लेते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने प्रयास से परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

रिफाइनरी में 16 आशुलिपिक तथा 19 लिपिक हैं, जिनमें से केवल 6 हिंदी टंकण जानते हैं, शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कार्यक्रम है ?

हिंदी शिक्षण योजना का टाइप प्रशिक्षण केन्द्र अत्याधिक दूरी पर है, अतः इस सत्र से हमने रिफाइनरी में हिंदी टाइप तथा आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इसके लिए एक अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति की है और 6 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हिंदी में मूल पत्राचार 13% दर्शाया गया है। इसे और बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

डा० बजाज! मार्च 1990 को समाप्त तिमाही में हमारा मूल पत्राचार का 13% था, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 10% है। हमारा हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से हमेशा अधिक रहा है।

प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य तो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर नियत किए जाते हैं। हमें तो निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहिए।

डा० बजाज, मैं आपसे सहमत हूं और भरसक कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को हिंदी कार्यशालाओं में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रशिक्षण दें। पिछले वर्ष इस उद्देश्य से दिसम्बर में आयोजित कार्यशाला में लगभग 46 अधिकारी/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया था। कार्पोरेशन की तरफ से हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग करने के लिए एक बड़ी आकर्षक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। विश्वास है कि इस योजना के लागू होने के बाद निश्चय ही मूल हिंदी टिप्पण / मसौदा लेखन प्रोत्साहन योजना से मूल पत्राचार में अत्याधिक वृद्धि होगी:—

मूल हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन तथा हिंदी में प्रस्तुत किए गए नोटो/मसौदों के लिए प्रोत्साहन योजना :

जो अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में मूल रूप से टिप्पण तथा मसौदे लिखते हैं जिसमें अधिकारियों द्वारा स्टेनोग्राफरों को डिक्टेशन देकर किया गया कार्य भी शामिल है, तिमाही आधार पर निम्नलिखित नकद प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:

तिमाही में हिन्दी में लिखे शब्दों की कुल संख्या		नकद
(क) जिन कर्मचारियों की मातृभाषा निम्नलिखित में से कोई एक है :— हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी अथवा डोगरी।	(ख) उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मातृभाषा कॉलम (क) में बताई गई भाषाओं के अलावा कोई दूसरी है।	
1500–2000	750–1000	100/-
2001—2500	1001—1250	150/-
2501 और उससे अधिक	1251 और उससे अधिक	200/-

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी भी उन्हें हिंदी में प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट/नोट अनुमोदित करने के लिए नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार नकद प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे:—

तिमाही में अनुमोदित ड्राफ्टों/नोटों के शब्दों की संख्या		नकद प्रोत्साहन
(i) उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मातृभाषा निम्नलिखित में से कोई एक है : हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, अथवा डोगरी	(ii) उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मातृभाषा कॉलम (i) में बताई गई भाषाओं के अलावा कोई दूसरी है।	
4500–6000	2250–3000	100/-
6001–7500	3001–3750	150/-
7501 और उससे अधिक	3751 और उससे अधिक	200/-

आशुलिपिक एवं टंककों को हिंदी में कार्य करने के लिए भी क्या आपकी कोई योजना है?

हां ! आशुलिपिकों/टंककों को अंग्रेजी के कार्य के अतिरिक्त हिंदी में कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहन योजना है:—

अंग्रेजी के कार्य के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग/स्टेनोग्राफी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना

निजी सचिव/निजी सहायक/स्टेनोग्राफर/टाइपिस्ट अपने अंग्रेजी के कार्य के अतिरिक्त हिंदी में अपना टाइपिंग/स्टेनोग्राफी का कार्य करने के लिए तिमाही आधार पर निम्नलिखित नकद प्रोत्साहनों के पात्र होंगे:—

तिमाही में हिंदी में टाइप किए गए नोटों/ड्राफ्टों/पत्रों की संख्या	निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों और स्टेनोग्राफरों के लिए नकद प्रोत्साहन (डिक्टेशन लेकर टाइप करने के लिए)	टाइपिस्टों के के लिए नकद प्रोत्साहन
100 से 150	150/-	100/-
151 से 200	300/-	200/-
201 और उससे अधिक	450/-	300/-

दास साहब ! रिफाइनरी में उच्च तकनीकी अधिकारी तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु छोटे कर्मचारी और मजदूर तो असम के लोग ही होंगे ?

रिफाइनरी में उच्च अधिकारियों (जिनकी भर्ती प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है) को छोड़कर शेष कर्मचारियों/मजदूरों की भर्ती शत-प्रतिशत असम राज्य तथा पूर्वोत्तर अंचल के अन्य प्रदेशों के लोगों से की जाती है।

बोकारो इस्पात संयंत्र : सम्पर्क एवं प्रशासन प्रमुख श्री रामावतार सर्राफ से कांस्य पदक प्राप्त करते हुए आशुलिपिक श्री एन. के. सिंह । (पृ० 107)

नई दिल्ली : बैंक आफ महाराष्ट्र, में समारोह को सम्बोधित करते हुए महाप्रबन्धक (ऋण) श्री वि. मि. गांधी तथा अन्य अधिकारीगण । (पृ० 119)

पूर्वोत्तर रेलवे के सर्वाधिक हिंदी प्रयोग के लिए महाप्रबन्धक श्री आनन्द स्वरूप भटनागर से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए लखनऊ मंडल के राजभाषा अधिकारी श्री जगतपति शरण निगम (एकदम बाएं) । (पृ० 119)

कलकत्ता: अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संचालन करते हुए डा. विश्रान्तवसिष्ठ। मंच पर बाएं से श्री विश्वम्भर नेवरू, श्री परमानन्द चूडीवाल, डा. प्रतापचन्द्र चन्दर, डा. रमानाथ शर्मा, प्रोफैसर विष्णुकान्त शास्त्री आदि। (पृ० 79)

गोदीवाड़ा बम्बई : वाइस एडमिरल एस. जैन, सी.एन. सी, पश्चिम नौसेना कमान से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए वाइस एडमिरल श्री आई. सी. राव (पृ० 117)

नई दिल्ली : संगोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए अपर सचिव (पृ० 74)

3. मेरठ : हिंदी प्रयोग के लिए आह्वान करते हुए सहायक महाप्रबन्धक श्री पी. एन. जेतली (पृ० 105)

नाशिक : नराकास की बैठक को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष श्री सु. द. इडगुंजी। साथ में उनके बाएं श्री कृष्ण मेहता उप निदेशक (कार्यान्वयन) तथा अन्य अधिकारीगण (पृ० 45)

तेनुघाट साइट : प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उप महाप्रबन्धक श्री एस. एन. सिन्हा। (पृ० 104)

देहरादून : भारत के महासर्वेक्षक ले. जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा पुरस्कार विजेताओं के साथ । (पृ० 100)

वड़ोदरा : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के नाटक 'जुगलबन्दी' का प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि श्री मार्कण्ड भट्ट (पृ० 118)

तब तो स्थानीय लोगों से बातचीत हिंदी में करने में कठिनाई होती होगी ?

भाई बजाज ! ऐसी बात नहीं है। असम के शहरी लोग तो हिंदी बखूबी समझते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से हम वार्तालाप असमी भाषा में ही करते हैं। हमें स्थानीय भाषा के प्रयोग में सुविधा रहती है। मेरी मान्यता है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं को हृदय से अपनाना चाहिए। हमारी सभी भारतीय भाषाएं हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं। इसलिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में तो केवल हिंदी ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके बल पर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तथा बम्बई से कलकत्ता तक की यात्रा कर सकते हैं। जब कुछ लोग हिंदी में तत्सम शब्दों के प्रयोग की बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि संस्कृतनिष्ठ शब्दों को दक्षिण भारतीय आसानी से समझ लेते हैं और उनके लिए हिंदी भाषा की क्लिष्टता कोई प्रश्न नहीं रहता है। हिंदी को सर्वग्राह्य बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया जाना चाहिए।

रिफाइनरी में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में आपकी क्या योजना है ?

*वर्ष 1990-91 में लगभग 50 कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इस साल चार कार्यशालाएं चलाने का प्रस्ताव है।

*इस बार हिंदी दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए भी हिंदी सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराने का प्रस्ताव है तथा मुख्य समारोह के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

*बहुत से विभागाध्यक्ष/अधिकारी जो छोटे-छोटे नोट्स हिंदी में लिखना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोशों की खरीद की जाएगी।

*कार्पोरेट लेवल मीटिंग में चेयरमैन साहब की इच्छानुसार सभी यूनिटों में भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत पुस्तकों को खरीदा जाएगा।

*रिफाइनरी में असमी भाषा की कक्षाएं चलाने की भी योजना है। □

खान विभाग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

खान विभाग को वर्ष 1988-89 के दौरान अपने सचिवालय, दोनों राष्ट्रीय संगठनों तथा छहों सरकारी उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन कार्यक्रम को सार्थक उपायों द्वारा आगे बढ़ाने के लिये इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अन्तर्गत "क" वर्ग के विभिन्न मंत्रालयों के बीच 23 मार्च 1990 को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवधि में विभाग "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ मूल पत्राचार का स्तर 30% से अधिक करने में समर्थ हुआ। "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों और व्यक्तियों के साथ मूल पत्राचार का स्तर 68% रहा। हिन्दी पत्रों (1700) के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी 237 कागजात द्विभाषी जारी किए गए। इसके अलावा, खनिज पट्टा/पूर्वेक्षण लाइसेंस से संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित न्यायाधिकरण द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रसंग में 182 अर्द्धन्यायिक आदेश हिंदी में पारित और जारी किए गए तथा अप्रैल 1981 से 1 जनवरी, 1989 तक ऐसे 3332 आदेश हिंदी में जारी किए जा चुके हैं। विभाग के लगभग 50% कर्मचारी निर्धारित प्रतिशत में अपना सरकारी काम हिंदी में करते रहे। कुल 16 में से 3 अनुभागों में फाइलों पर लगभग 75% नोट तथा शेष अनुभागों में 5 से 25% नोट हिंदी में लिखे जा रहे थे। विभाग ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों तथा निरीक्षण द्वारा हिंदी प्रयोग की समीक्षा करके, सभी संगठनों एवं उपक्रमों में राजभाषा नीति से संबंधित आदेशों के अनुपालन पर निकट से निगरानी का कार्यवाही जारी रखी। खान विभाग, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिन्दुस्तान जिंक लि., खनिज गवेषण निगम तथा भारतीय भूसर्वेक्षण के पश्चिम क्षेत्र कार्यालय में नकद पुरस्कार योजना जारी रही।

2. हिन्दी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का विभाग के राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी उपक्रमों द्वारा भी प्रभावी पालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कलकत्ता मुख्यालय तथा नागपुर, जयपुर व हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय खान ब्यूरो के रांची उदयपुर, जबलपुर व देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, खनिज गवेषण निगम, भारत गोल्ड माइन्स लि., भारत एल्यूमिनियम कंपनी (विधानबाग यूनिट को छोड़कर), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी मुख्यालय, हिन्दुस्तान जिंक लि. की मटून, सर्गीपल्ली और देबारी खनन यूनिटों, हिन्दुस्तान कापर लि. की मलंजखंड यूनिट ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का 100% पालन किया। अन्य कार्यालय यूनिटों को इसमें सुधार करने के लिए कहा गया। "क" क्षेत्र के राज्यों आदि के साथ मूल पत्राचार हिंदी में करने के प्रसंग में 100% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में भारतीय खान ब्यूरो के जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 100% और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जयपुर व लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्रमशः 98% और 37% तथा "क"

2808 HA/90—12

क्षेत्र की अन्य यूनिटों ने 60% मूल पत्र हिंदी में भेजे। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि., हिन्दुस्तान कापर लि. और हिन्दुस्तान जिंक लि. ने क्रमशः करीब 49% 48% और 33% मूल पत्र हिन्दी में भेजे। इस प्रसंग में "ख" क्षेत्र में स्थित खनिज गवेषण निगम लि. और भारतीय खान ब्यूरो का निष्पादन 50% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्रमशः लगभग 48% और 25% रहा। "ग" क्षेत्र से भारत गोल्ड माइन्स लि. तथा हिन्दुस्तान कापर लि. मुख्यालय निर्धारित 10% के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 28% और 12% मूल पत्र हिन्दी में भेजने में सफल रहे। किन्तु "ग" क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय, अर्थात् भारतीय भू-सर्वेक्षण और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी केवल करीब 5% और 7% मूल पत्र ही हिन्दी में लिख सके। तथापि, इन सभी संगठनों ने हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए।

3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य प्रणाली में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये वर्ष के दौरान दो सेमिनारों का आयोजन किया गया। "धातु उद्योग समस्यायें और चुनौतियां" विषय पर ऐसा दो-दिवसीय राजभाषा सेमिनार भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा नवम्बर, 1988 के अंतिम सप्ताह में कोरबा (म.प्र.) में, तथा "खनिज गवेषण और खनन" विषय पर एक अन्य सेमिनार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी, 1989 को नागपुर में आयोजित किया गया।

4. खान विभाग परिसर में स्थापित कम्प्यूटर प्रणाली में द्विभाषी सुविधा सुलभ की गई।

5. भूविज्ञान, खनन एवं धातुकर्म से संबंधित करीब 7000 शब्दों की एक सूची संकलित करके हिंदी पर्याय निर्धारण हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को भेजी गई है।

6. विभाग और उसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा देश भर में स्थित अपने विभिन्न यूनिट-स्थलों पर, हिन्दी दिवस/सप्ताह के दौरान हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, नाटकों, बहुभाषी कवि सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया। भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., हिन्दुस्तान कापर लि., खनिज गवेषण निगम, हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा भारतीय भूसर्वेक्षण के पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय द्वारा अपने विभिन्न कार्यालय-स्थलों में कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। खान विभाग में ये प्रशिक्षण अनुभाग-वार जारी रहा। सभी संगठनों आदि द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रोचक हिंदी साहित्य हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाएं एवं पुस्तकें खरीदी गईं। इसके लिये अतिरिक्त धन प्रदान किया गया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप, विशेषतया हिंदी क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनाने में मदद मिली है, जिससे हिन्दी का प्रयोग आगे बढ़ रहा है।

7. विभाग के सरकारी कारखानों द्वारा उत्पादित माल यथा-जस्ता सीसा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम पिंड, तार-छड़ों रोल्ड उत्पादों, निकिल सल्फेट, सिंगल/ट्रिपल सुपर फास्फेट एवं जिप्सम बोरियों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अंकन जारी रहा। जिंकवाणी, जिंक समाचार बाल्को समाचार ताम्र संदेश, मैंक समाचार, वी.जी.एम.एल. न्यूज, भारतीय खान ब्यूरो समाचार, जी.एस.आई. न्यूज के द्विभाषी प्रकाशन के अलावा, भारतीय भू-सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो ने क्रमशः क्षेत्रवार वार्षिक "भूसर्वे कार्यक्रम" और "खनिज वार्षिकी" का हिंदी में प्रकाशन जारी रखा। खनिज गवेषण निगम व खान ब्यूरो के उदयपुर एवं कलकत्ता स्थित कार्यालयों ने गवेषण/निरीक्षण रिपोर्ट हिंदी में प्रकाशित कीं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने "नाल्को समाचार" का त्रिभाषी (ओड़िया, हिंदी व अंग्रेजी) प्रकाशन जारी रखा।

8. वर्ष के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग के हिंदी व अहिंदी क्षेत्रों में स्थित करीब एक दर्जन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसके फलस्वरूप, हिन्दी के प्रयोग में और सुधार की आशा है।

9. विभाग तथा उसके संगठनों द्वारा कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने पर बराबर जोर दिया जा रहा है तथा इस वर्ष जिन सोलह कार्यालयों के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, खान विभाग, बाल्को तथा नियम 10(4) में अधिसूचित कुछ अन्य कार्यालयों ने नियम 8(4) के अंतर्गत आदेश जारी किया।

10. समीक्षा वर्ष के दौरान, खान विभाग हेतु गठित हिंदी सलाहकार समिति की 3 जनवरी, 1989 को प्रथम बैठक हुई।

प्रस्तुति : जयवीर सिंह चौहान
उपनिदेशक (राजभाषा)

सिंडीकेट बैंक, मैसूर मण्डल में राजभाषा कार्यान्वयन

वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन हेतु प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार मंडल राजभाषा अनुभाग सतत प्रयत्नशील है। इस अनुभाग में एक अधिकारी और दो सहायक हैं। एक टंकक का पद रिक्त है। अनुभाग की उपलब्धियां निम्नवत् हैं।

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

16-12-83 से राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन की तारीख से रा.भा.का. समिति की बैठक नियमित रूप से होती रहती है।

मण्डल की जिन शाखाओं में 25 से ज्यादा कर्मचारी हैं उन नौ शाखाओं में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन शाखाओं में नियमित रूप से बैठकें होती हैं।

धारा 3 (3) का अनुपालन :

मण्डल कार्यालय में 1984 से ही धारा 3 (3) का शतप्रतिशत अनुपालन हो रहा है।

धारा 3 (3) के अधिनियम के अधीन जारी किए गए कागजात :

	कुल	द्विभाषी	अंग्रेजी	द्विभाषीकरण की प्रतिशतता
परिपत्र	130	130	—	100%
प्रशासनिक रिपोर्ट	16	16	—	100%

हिन्दी में पत्राचार

	कुल	द्विभाषी/हिन्दी	अंग्रेजी	%
"क" क्षेत्र	33	33	—	100%
"ख" क्षेत्र	16	16	—	100%
"ग" क्षेत्र	9043	5375	3668	59%

2. हिन्दी में अंतर्सेवा प्रशिक्षण

अंतर्सेवा प्रशिक्षण के द्वारा अधिक से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ तथा बैंकिंग उन्मुख परीक्षा के लिए वर्ग चलाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक कर्मचारी परीक्षा में भाग ले रहे हैं।

	परीक्षा में बैठे कर्मचारियों की सं.	उत्तीर्ण कर्मचारियों की सं.	%
मई 89 प्रबोध	1	1	100%
प्रवीण	1	1	100%
नवं. 89 प्रबोध	32	18	58%
प्रवीण	23	14	64%
प्राज्ञ	5	5	100%

3. प्रतिदिन एक शब्द श्रृंखला

मण्डल कार्यालय के प्रांगण में एक सुन्दर प्रस्टो साईन बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर प्रति दिन एक हिन्दी-अंग्रेजी शब्द लिखा जाता है। यह कर्मचारियों के हिन्दी शब्द ज्ञान बढ़ाने में काफी लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

4. हिन्दी पुस्तकालय

राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन में हिन्दी पुस्तकालय का महत्व भी कम नहीं है। अतः अपने मण्डल कार्यालय में एक सुन्दर एवं लघु हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई है। जिसमें प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ तथा बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा के पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य रचनात्मक साहित्य, नाटक, उपन्यास, कहानी एवं कविता आदि की पुस्तकें भी हैं। हिन्दी पुस्तकालय में 342 हिंदी पुस्तकें विद्यमान हैं। ये पुस्तकें कर्मचारियों के दिलों में हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने एवं सीखने में काफी लाभप्रद हैं।

इतना ही नहीं हिन्दी पुस्तकालय में निम्नलिखित दो हिन्दी पत्रिकाएं तथा एक समाचार पत्र भी नियमित रूप में मंगवाए जाते हैं :

धर्मयुग : साप्ताहिक

इंडिया टुडे : पाक्षिक

नव भारत टाइम्स : दैनिक समाचार पत्र

5. हिन्दी सप्ताह समारोह

हम सहर्ष सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 8-9-89 से 14-9-89 तक हिन्दी सप्ताह समारोह मण्डल कार्यालय के प्रांगण में मनाया गया। इस सप्ताह में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किए। इन प्रतियोगिताओं में मण्डल कार्यालय के तथा स्थानीय शाखाओं से अधिक संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।

6. हिन्दी में टंकण प्रशिक्षण देना

कार्यालय में इस समय दो देवनागरी टाईपराईटर हैं। अतः अतिरिक्त देवनागरी टाईपराईटरों के सदुपयोग के लिए अपने कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

7. गृह पत्रिका "कावेरी"

राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति लाने के लिए मण्डल कार्यालय "कावेरी" नामक एक त्रैमासिक गृह पत्रिका 1988 से शुरू की गई। कर्मचारियों के लिए राजभाषा सीखने उपयोगी सामग्री, कार्यान्वयन में उपयोगी सामग्री, कार्यान्वयन की गतिविधियां कर्मचारियों द्वारा लिखे गए लेख आदि भी इस में प्रकाशित किए जाते हैं।

8. राजभाषा शील्ड :

मण्डल कार्यालय को लगातार 3 बार राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई है। और वर्ष 1986-87, 1987-88 में दूसरे और तीसरे स्थान तथा 1988-89 के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठता प्रमाण पत्र दिया गया है।

9. शाखा स्तरीय रा. भा. शील्ड

मण्डल की स्थानीय शाखा—वि.वि. मोहल्ला को शाखा स्तरीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में अंचल में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

विविध उपलब्धियां :

* राजभाषा अधिकारी स्थानीय शाखाओं में जाकर राजभाषा के कार्यान्वयन में माहौल बनाने में सफल हुए हैं।
* शाखा स्तर पर पत्राचार बढ़ाने के लिए सभी नेमी पत्रों को द्विभाषी रूप में चक्रमुद्रित करके शाखाओं को भेजा जा रहा है।
* मण्डल प्रबंधक के द्वारा शाखाओं के आकस्मिक दौरे के समय प्रबंधकों से राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की भी सूचना दी जाती है।
* मण्डल प्रबंधक, उप मण्डल प्रबंधक आदि द्वारा 25% काम हिन्दी में टिप्पण करते हैं।
* राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी सदस्यों ने 25% काम हिन्दी में टिप्पण आदि लिखकर करते हैं।
* राजभाषा अधिकारी तथा सहायक प्रत्येक कर्मचारी के पास जाकर उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करके राजभाषा के प्रयोग के लिए वैयक्तिक प्रशिक्षण तथा सुझाव देते हैं।
* कर्मचारियों का रोस्टरों की अद्यतन करने का सतत् एवं जागरूक प्रयास किया जा रहा है।
* प्र०का० निरीक्षण द्वारा मण्डल कार्यालय के निरीक्षण दौरान राजभाषा अनुभाग का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया और स्थिति संतोषजनक पाई गई।

प्रस्तुति : के. श्रीधर पै.

आन्ध्र बैंक, बेंगलूर में हिन्दी की प्रगति

आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में वर्ष 1989 में राजभाषा कार्यान्वयन में उपलब्धियां :—

1. हिन्दी पत्राचार :—वर्ष 1989 के दौरान 45 प्रतिशत तक बढ़ गया है जबकि वर्ष 1988 में 25.18 प्रतिशत था।

2. निम्नलिखित वाउचरों में हिन्दी का प्रयोग

1. बी ए I से बी ए II, 2. डेबिट और क्रेडिट वाउचर/सूचनाएं तथा 3. टी डी एल

3. लेजरों में खातादारों के नाम द्विभाषी रूप में लिखना

निम्नलिखित लेजरों में खातादारों के नाम द्विभाषी रूप में लिखे गये हैं :—

1. एस बी लेजर 2. आर डी लेजर 3. सी डी लेजर 4. एफ डी लेजर 5. कल्पतरू लेजर 6. गृह कल्पा लेजर 7. संक्षेमा लेजर 8. संरक्षा लेजर 9. एस ई पी लेजर 10. सावधि ऋण (कृषि) लेजर 11. आर टी लेजर 12. बी ई आर टी ओ लेजर

4. बहियों/लेजरों/रजिस्टरों के शीर्ष द्विभाषी रूप में लिखना

1. दैनिक बही
2. सामान्य बही
3. लाभ व हानि रजिस्टर
4. रोकड़ संतुलन बही
5. **रजिस्टरों में शाखाओं के नाम द्विभाषी रूप में लिखना :—**

निम्नलिखित रजिस्टरों में शाखाओं के नाम द्विभाषी रूप में लिखे गये हैं :—

1. देय बिल रजिस्टर, 2. पत्र प्राप्ति रजिस्टर, 3. प्रेषण रजिस्टर (सामान्य, कोरियर, पंजीकृत), 4. वसूली बिल रजिस्टर, 5. खरीदे गये बेजमानती बिल रजिस्टर, 6. तार प्रेषण रजिस्टर, 7. टी टी जारी रजिस्टर, 8. देय टी टी और एम टी, रजिस्टर, 9. स्थानीय बिल रजिस्टर तथा 10. अदायगी स्क्रोल

6. प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी का काम देना

हिन्दी कार्यशालाओं और हिन्दी परीक्षाओं में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने अपने काउन्टर/विभागों का काम हिन्दी या द्विभाषी रूप में करें। सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों ने इस दिशा में सामूहिक प्रयास किया और निम्नलिखित शाखाओं ने प्रचालन क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के साथ-साथ हिन्दी पत्राचार भी बढ़ाया है :—

पालघाट, गान्धीनगर, राजाजीनगर, मंगलूर, बेलगांव, कालिकट, होस्पेट, रायचूर, हुबली, बल्लारी, गंगावती और चामराजपेट।

7. क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क अधिकारी/लिपिक (हिन्दी) के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन

वर्ष 1987 में शाखाओं में संपर्क अधिकारी/लिपिक नामित किये गये ताकि वे शाखा स्तर पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अन्य कर्मचारियों प्रोत्साहित कर सकें उपरोक्त सम्मेलन क्षेत्रीय कार्यालय में पहली बार संपन्न हुआ और आगामी वर्षों में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए सहभागियों ने अमूल्य सुझाव दिये।

8. **हिन्दी कार्यशालाएं** : वर्ष 1989 के दौरान 7 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

9. **मासिक हिन्दी स्मरण परीक्षा** : क्षेत्रीय कार्यालय में उपरोक्त परीक्षा का आयोजन हर महीने में किया जा रहा है और विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है।

10. **कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण** : वर्ष 1989 में 26 कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में प्रशिक्षित किया गया ।

11. **हिन्दी पखवाड़ा मनाना** : क्षेत्रीय कार्यालय ने सितम्बर, 1989 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

13. **राजभाषा अधिकारी द्वारा** वर्ष 1989 में सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया और प्रत्येक शाखा के कार्य निष्पादन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

14. पुस्तकालय के लिए 500/-रुपए हिंदी संदर्भ पुस्तकें खरीदी गई ।

15. **टी ए बिल और छुट्टी पत्र हिन्दी में लिखना**:— हिन्दी जाननेवाले कर्मचारियों ने अपने टी ए बिल और छुट्टी पत्र हिन्दी में लिखे हैं।

16. **क्षेत्र की उत्तम दो शाखाओं को राजभाषा कप प्रदान करना** :—वर्ष 1989 में निम्नलिखित शाखाओं को राजभाषा कार्यान्वियन में उत्तम शाखाओं के रूप चुना गया है और उन्हें दि. 27-6-90 को राजभाषा कप प्रदान कर सम्मानित किया :—

प्रथम—पालघाट—93.43 प्रतिशत

द्वितीय—गान्धीनगर—83.61 प्रतिशत

17. **हिन्दी में अत्यधिक काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान-पत्र देना** :—वर्ष 1989 में शाखा स्तर पर हिन्दी में अत्यधिक काम कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों तथा शाखा प्रबन्धकों को सम्मान पत्र प्रदान कर उन्हे सम्मानित किया गया।

☐ **सावित्री महेश**

बैंकों में हिन्दी में कामकाज बढ़ाने के लिए सघन प्रयास

भोपाल में बैंकों की राजभाषा कार्यान्वियन सीमिति के संयोजन का दायित्व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सन् 1985 में सौंपा गया था। समिति के संयोजन में अनेक सफलताएं मिली हैं महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। सन् 1986 में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए समिति को गृह मंत्रालय की राजभाषा ट्राफी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। समिति की उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:—

1. बैठकों का आयोजन

समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है तथा प्रत्येक बैठक में भारत सरकार गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं बैंकों के वरिष्ठतम कार्यपालक इनमें भाग लेते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी इनकी बैठकों में भाग लेते हैं।

इन बैठकों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वियन के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ।

2. उपसमिति का गठन

समिति के निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वियन तथा अपने-अपने अनुभवों के आदान प्रदान के लिए सभी राजभाषा अधिकारियों की एक उपसमिति का गठन किया गया है । इनकी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। उपसमिति की अब तक 15 बैठकें की जा चुकी हैं। समिति को इन बैठकों तथा सदस्य राजभाषा अधिकारियों से काफी सहयोग मिला है ।

3. अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन

हिन्दी प्रयोग का वातावरण निर्मित करने एवं बैंक कर्मचारियों की हिन्दी प्रयोग विषयक अभिरुचि के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 10 से15 अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण वार्षिक समारोह में होता है।

यह प्रतियोगिताएं—वादविवाद, निबंध, स्वरचित काव्य सुलेख, टंकण, बच्चों की फैंसी ड्रेस, महिलाओं के लिए हिन्दी में कढ़ाई अनुवाद, लेजर पोस्टिंग, कार्यकलापों के लिए हिन्दी टिप्पणी एवं हस्ताक्षर, बैंकिंग पत्राचार, बैंकिंग शब्द ज्ञान, बैंकिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, बकिंग सैद्धान्तिक प्रश्नावली, शुद्ध लेखन, व्याकरण संबंधी जानकारी लघु कथा, सामान्य ज्ञान के रूप में आयोजित की गयी है। हमारा यह प्रयास रहा है प्रतियोगितायें कर्मचारियों को हिन्दी के व्यवहारिक प्रयोग के लिए प्रेरित करें तथा सभी वर्ग के कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में इनमें सम्मिलित हो सकें।

4. समिति के विभिन्न आयोजन

4.1 प्रशिक्षण संगोष्ठियों का आयोजन

देश के सामाजिक आर्थिक विकास की दशा में बैंकों द्वारा समय समय पर नवोन्मेष योजनाओं का सूत्रपात होता रहता है। इसके अलावा कर्मचारियों में दक्षता एवं कुशलता का विकास भी आवश्यक है। सरकार की राजभाषा नीति को बैंकों ने अपने कार्यों के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया है। अतः आवश्यक था कि प्रशिक्षण अधिकारियों को भी सरकार की राजभाषा नीति, भाषा के प्रयोजन मूलक स्वरूप हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन बैंकिंग शब्दावली आदि के संबंध में अवगत करवाया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयोजक बैंक द्वारा निम्न दो संगोष्ठियों का दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 तथा 9 अगस्त, 1988 आयोजन किया गया ।

गोष्ठी में प्रस्तुत आलेखों को एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित किया गया था।

(2) शाखा प्रबंधकों की संगोष्ठी

भोपाल शहर में स्थित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों की संगोष्ठी का आयोजन संयोजक बैंक द्वारा 11 फरवरी, 1987 को किया गया। इस गोष्ठी में हिन्दी भाषा के प्रयोजन मूलक स्वरूप तथा शाखा के आन्तरिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई।

(3) कार्यपालकों की संगोष्ठी

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यपालकों (प्रशासनिक प्रधान) का यह दायित्व है कि वह अपने अन्तर्गत के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग नियमानुसार सुनिश्चित करें। इस उत्तरदायित्व के कुशलतापूर्वक पूर्ति के लिए 23 मई 198 को सभी बैंकों के कार्यपालकों की एक संगोष्ठी की गई जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यपालकों की भूमिका भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा तथा सभी कार्यपालकों ने इसकी काफी प्रशंसा की।

(4) अनुवाद लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम

सदस्य बैंकों ने अनुवाद की समस्या के निराकरण के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 5 मई 1986 से 12 मई 1986 तक संयोजक बैंक द्वारा अनुवाद लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सदस्य बैंकों के 36 अधिकारी प्रशिक्षित किए गए।

(5) संयुक्त हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

समिति के तत्वाधान में अनेक संयुक्त हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इनमें हमने हिन्दी में तार, पत्राचार जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर पूरी तरह एक विषय पर अलग-अलग कार्यशालाएं भी की हैं।

(6) राजभाषा अधिकारियों की संगोष्ठी

दिनांक 20 तथा 21 अक्तूबर 1989 को सभी सदस्य बैंकों के राजभाषा अधिकारियों के लिए संगोष्ठी का संयोजक बैंक द्वारा आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राजभाषा अधिकारियों ने सम्मिलित रूप से निम्नलिखित विषयों पर अपने आलेख प्रस्तुत किए :—

(1) राजभाषा के कार्यान्वयन का आधार हिन्दी कार्यशालाएं
(2) हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के विभिन्न उपाय
(3) शाखा निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही
(4) अनुवाद को सरल एवं ग्राह्य कैसे बनाया जाए।
(5) बैंकों के विविध कार्यक्रमों में हिन्दी प्रयोग एवं वातावरण निर्माण
(6) हिन्दी के प्रयोग हेतु ग्राहकों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण
(7) हिन्दी के प्रभावी प्रयोग में कार्मिक की भूमिका

संगोष्ठी में इन आलेखों पर गहन चर्चा की गई थी बाद में संयोजक बैंक द्वारा इन आलेखों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया गया है।

संगोष्ठी के समापन के अवसर पर भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री भगवान दास पटैरया एवं उपनिदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने भी अपने विचारों से संगोष्ठी को लाभान्वित किया।

कार्यालयों को राजभाषा नियम 10.4 के अन्तर्गत अधिसूचित करना

सदस्य बैंकों के लगभग सभी कार्यालय नियम 10.4 के अन्तर्गत अधिसूचित करवा दिए गए हैं।

कार्यालयों को नियम 8.4 में विनिर्दिष्ट करना

सदस्य बैंक इस दिशा में काफी प्रयासशील हैं। कई सदस्यों ने अपने लगभग सभी कार्यालय इस नियम में विनिर्दिष्ट करवा दिए हैं। इन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप दूसरे कार्यालयों को भी प्रेरणा मिली है।

इस प्रकार से समिति ने भोपाल में कर्मचारियों की हिन्दी प्रयोग विषयक अभिरुचि के विकास, प्रयोग संबंधी सशक्त वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इसमें हमें सदस्य बैंकों के कार्यपालकों तथा उनके राजभाषा अधिकारियों से समर्पित एवं सक्रिय सहयोग मिला है। यहां पर लगभग सभी सदस्य बैंकों में हिन्दी का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ रहा है।

☐ प्रस्तुति : प्रकाशनारायण अवस्थी

इस्को लि०, कलकत्ता में राजभाषा कार्यान्वयन

इस्को लि., कलकत्ता कार्यालय में दिनांक 6 मार्च, 1990 को हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन तथा दिनांक 9-3-90 को

हिन्दी आशुभाषण प्रतियोगिताएं हुई। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में कुल 10 अधिकारियों/कर्मचारियों ने तथा हिन्दी आशुभाषण प्रतियोगिता में कुल 13 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। उक्त प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों के विवरण नीचे दिए गए हैं। दिनांक 19 मार्च, 1990 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 25 लोगों ने भाग लिया। कम्पनी के महाप्रबन्धक (विक्रय) श्री सी. एस. मोहन ने उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यालय में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया तथा कार्यालय कामकाज में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। तत्पश्चात् उन्होंने विजयी लोगों को पुरस्कार प्रदान किए।

हिन्दी कार्यशाला में राजभाषा विभाग, भारत सरकार सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्व क्षेत्र श्री इन्द्र नारायण झा ने उपस्थित कर्मियों को "कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग" पर अपना वक्तव्य दिया।

श्री प्रेम राजपाल, विक्रय प्रबन्धक ने उपर्युक्त कार्यक्रमों का सफल संचालन किया। श्री टी.के. मैत्र, प्रबन्धक (क्रय)–प्रभारी ने अपना पूरा सहयोग दिया। इन कार्यक्रमों के आयोजन में श्री योगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक ने विशेष भूमिका निभाई।

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता :

समूह—"क" हिन्दी भाषियों के लिए

1. सी डी शर्मा	प्रथम
2 पी के गुप्ता	द्वितीय
3. विनोद सिंह चौहान	तृतीय

समूह "ख" हिन्दीतर भाषियों के लिए

1. सर्वश्री बी के राय	प्रथम
2. निमाई सुन्दर भट्टाचार्य	द्वितीय
3. पशुपतिनाथ गुप्ता	तृतीय
4. विश्वनाथ घोषाल	सांत्वना
5. दुर्गा चरण पाल व अ० कु० गंगोपाध्याय	सांत्वना

हिन्दी आशुभाषण प्रतियोगिता

1. सर्वश्री पी के गुप्ता	प्रथम
2. बुलंद इकबाल सिंह	द्वितीय
3. सी डी शर्मा	तृतीय

समूह "ख" हिंदीतर भाषियों के लिए

1. सर्वश्री बी के राय	प्रथम
2. जे भादुड़ी	द्वितीय
3. अरुण कुमार बनर्जी	तृतीय
4. श्रीमती चन्द्रिमा पाल	सांत्वना
5. सर्वश्री प्रीतम साहा	"
6. अलोक बनर्जी	"

केनरा बैंक, आगरा

क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज,

राजभाषा कार्यान्वयन में उपलब्धियां

○गत तीन वर्षों में राजभाषा हिन्दी में शत प्रतिशत पत्राचार।

○कार्यालय की सभी किताबें, रजिस्टर, हिसाब की बहियां आदि पूर्णरूपेण राजभाषा में तैयार किया जाना।

○शत प्रतिशत वाउचर एवं विवरणियां राजभाषा हिन्दी में।

○विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण एवं हिन्दी में पाठ्यसामग्री प्रदान करना।

○हिन्दी में दृश्य, श्रव्य सामग्री, ग्राहक सेवा, जन संपर्क, विपणन, वक्तृत्व कला आदि पर सहायक सामग्री तैयार करके प्रशिक्षणार्थियों को प्रोजेक्ट पर दिखाना।

○बैंक द्वारा हिन्दी में तैयार की गई प्रशिक्षण फिल्म "केनरा बैंक—एक परिचय" प्रत्यायोजन "(डेलीगेशन) "उत्पादकता" आदि का नियमित प्रदर्शन।

○प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विषयों पर मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना। प्रशिक्षण पूर्व व प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षण का इन मूल्यांकन पत्रों से मूल्यांकन।

○उत्तर प्रदेश की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों व अधिकारियों हेतु बैंकिंग विषयों पर डेल्फी पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम राजभाषा हिन्दी माध्यम से।

○प्रशिक्षण में आने वाले हिन्दीतर भाषी अधिकारियों हेतु अनौपचारिक राजभाषा प्रशिक्षण के माध्यम से हिन्दी में शुद्ध लेखन, शिष्टाचार, वार्तालाप आदि का सम्पूर्ण अभ्यास व पाठ्य सामग्री प्रदान करना।

○ संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर क्विज (प्रश्नोत्तरी) अभ्यास लेख, प्रबंध खेल राजभाषा हिन्दी में तैयार किए गए। विभिन्न विषयों जैसे ग्राहक सेवा, जनसंपर्क, पर्यवेक्षण विकास, सशस्त्र रक्षकों का प्रशिक्षण आदि पर प्रशिक्षण पुस्तिकाएं बनाई गईं।

राजभाषा कार्यान्वयन केवल कर्त्तव्य ही नहीं अपितु अनुष्ठान है। □

भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में राजभाषा कार्यान्वयन (वर्ष 1989)

उप महाप्रबंधक श्री एन.आर. सम्पत के कार्यभार ग्रहण करते ही इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार प्रसार में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। श्री सम्पत हिन्दी के प्रचार प्रसार में न केवल अधिक रुचि लेते हैं अपितु स्वयं भी हिन्दी सीखकर विभिन्न सभाओं में हिन्दी में ही सम्बोधित करते हैं। श्री सम्पत ने अनेकों अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से समय-समय पर सभी कर्मचारी/अधिकारियों को भारत सरकार एवं प्रबंधन के इच्छानुसार राजभाषा हिन्दी में ही कार्य करने के लिये प्रेरित किया है। श्री सम्पत ने अनेक कार्यशालाओं में भी हिस्सा लिया एवं हिन्दी के प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार के उचित व्यय को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जिससे हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये किये गये सभी प्रयास सफल हुए।

उपलब्धियां :

1. आंचलिक कार्यालय रायपुर में वर्ष 1987 में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 24.4 एवं तार का प्रतिशत 15.51 से बढ़कर अब दिसम्बर, 1989 में क्रमशः 87 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

2. भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं प्रचार प्रसार में अत्यल्प अवधि में किये गये अभूतपूर्व प्रगति के लिये स्थानीय प्रधान कार्यालय के पत्र क्रमांक राभा/7/89 दिनांक 21-12-89 से प्रशस्ति पत्र मिला।

3. दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को श्री डी. कृष्णपणिक्कर, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय भोपाल के रायपुर प्रवास के दौरान विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रतियोगिताएं की गई थी एवं विजेताओं को पारितोषिक वितरण श्री डी. कृष्णपणिक्कर ने किया। प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नानुसार है।

वाद विवाद प्रतियोगिता : हिन्दीभाषी वर्ग हेतु

पक्ष : 1. श्री रवीन्द्र भट्ट
2. श्री दिलीप वर्मा

विपक्ष : 1. श्री शकील साजिद
2. श्री शांति लाल जैन

वाद विवाद प्रतियोगिता : अहिन्दीभाषी वर्ग हेतु

पक्ष : 1. श्री एस.एन. नन्दा
2. श्री रामेश शर्मा

विपक्ष : 1. श्री राजकुमार भोगल

वाद विवाद प्रतियोगिता : अधीनस्थ वर्ग हेतु

पक्ष : 1. श्री बली राम निषाद
2. श्री डी.डी. जांगड़े

विपक्ष : श्री राजकुमार भोगल

तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता

1. श्री शकील साजिद
2. श्रीमती साधना पाठक
3. संयुक्त रूप से श्री रमेश शर्मा एवं श्री प्रदीप बोझे

हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

1. श्री लीलाधर प्रसाद राठौर
2. श्री रामाधार कश्यप
3. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

1. श्री रामाधार कश्यप
2. श्री लीलाधर प्रसाद राठौर
3. श्री सुधीर अग्रवाल

4. श्री शकील साजिद, श्री बली राम निषाद एवं श्री रमेश शर्मा को मण्डल स्तरीय वाद विवाद एवं तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था।

5. राजभाषा अनुभाग में कार्यरत अधिकारी श्री एन. के. दुबे को मंडल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता जिसका विषय "जमा संग्रहण के विविध आयाम–कल आज और कल" था, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

6. श्री शरद कोकास जो हमारे दुर्ग शाखा में कर्मचारी हैं को मण्डल स्तरीय कहानी प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

7. राजभाषा मास के अवसर पर भोपाल में आयोजित मण्डल स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में आंचलितक कार्यालय रायपुर द्वारा मंचित नाटक "रात्रिभोज" को 1989 का सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार दिया गया। इस नाटक को रंगमंच भोपाल से जुड़े सदस्यों एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के सदस्यों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

8. नाटक "रात्रिभोज" के निर्देशक श्री प्रदीप पोद्दार को चौथी बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी नाटक में अभिनय के लिये रायपुर आंचलिक कार्यालय के श्री शकील साजिद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

9. वर्ष 1989 में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग शीर्षक के अन्तर्गत चार एक-एक दिन की कार्यशालाएं बिलासपुर रायपुर, जगदलपुर एवं भिलाई में आयोजित किया जिसमें अनुमानित 1000 कर्मचारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया, एवं इन कार्यशालाओं में स्थानीय जाने माने हिन्दी के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थियों को बहुत ही महत्त्वपूर्ण जानकारी दी।

10. प्रयोजनशील हिन्दी शीर्षक के अन्तर्गत भी दो-दो दिन की चार कार्यशाला राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में आयोजित किया था जिसमें भी अनुमानित 1000 कर्मचारी अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

11. हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य करने के लिये कांकेर (बस्तर) एवं काठाकोनी (बिलासपुर) शाखा को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

12. उन सभी शाखाओं में जहां 25 या उससे अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं (अधीनस्थ कर्मचारियों को छोड़कर) स्थानीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया एवं मानसेवी सचिवों की नियुक्ति की।

13. स्थानीय प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार बिलासपुर, रायपुर एवं जगलपुर को चयनित नगर का दर्जा दिया गया एवं इन नगरों में मानसेवी सचिवों की नियुक्ति की।

14. राजभाषा मास के अन्तर्गत रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, सहसपुर लोहारा, जांजगीर, कृषि विकास शाखा राजनांदगांव, सरिया, सारंगढ़ इत्यादि शाखाओं द्वारा भव्य समारोहों का आयोजन किया गया। आंचलिक कार्यालय रायपुर के समारोह में श्री डी. कृष्णपणिक्कर ने हिन्दी में प्रचार प्रसार में किये जा रहे प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। राजभाषा मास के अन्तर्गत अनेक विकलांग एवं समाज के पिछड़े हुए लोगों को एवं स्कूल के गरीब छात्र-छात्राओं को पारितोषिक वितरण किया गया। राजभाषा मास को देश के अन्यान्य महत्त्वपूर्ण त्यौहार की भांति मनाया गया।

15. पहली बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय को हिन्दी में उत्तम कार्य हेतु द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

16. राजभाषा मास के अन्तर्गत अनेक विभूतियों के हिन्दी के बारे में उद्गारों का स्टिकर बनवाएं एवं सभी कार्यालयों एवं शाखाओं में वितरण किए गए।

17. हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा भाषायी आधार पर भारत का अति सुन्दर मानचित्र बनाया गया है जिसे पूरे देश के कार्यालयों में प्रदर्शित करने के लिये भेजा गया है। □

रक्षा लेखा नियन्त्रक, उत्तरी कमान, जम्मू छावनी में हिंदी की एक झलक

राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन रक्षा लेखा नियंत्रक तथा इसके 56 उप-कार्यालय अधिसूचित करवाये जा चुके हैं। कार्यालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सहायता के लिए "समेकित प्रशासन शब्दावली" और "कार्यालय सहायिका" उपलब्ध करवाई गई हैं। लेखा परीक्षा कार्य में उपयोग किये जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की शब्दावली भी उपलब्ध कराई जा चुकी है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति : अप्रैल, 1987 में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें निरन्तर हो रही हैं। जैसे-जैसे हिन्दी में कार्य बढ़ता गया जैसे-तैसे समिति का कार्यक्षेत्र तथा पुनर्गठन भी किया जाता रहा है। आज इसकी सदस्य संख्या 22 हो गई है। उप-कार्यालयों में कार्य कर रही समितियों का भी पुनर्गठन किया गया है तथा छोटे-बड़े सभी कार्यालयों को विभिन्न समितियों में सदस्यता दी गई है।

कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण :—78 अधिकारी तथा 778 कर्मचारी हैं जिनमें से केवल एक अधिकारी और 49 कर्मचारी ही हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखते हैं। शेष सभी कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित हैं।

पत्राचार :—हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। 31 मार्च 1990 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय में 4410 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए। उनमें से 2619 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। शेष पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था।

मूल पत्राचार :—31 मार्च, 1990 को समाप्त तिमाही में 13806 पत्र हिन्दी में लिखे गए जो अंग्रेजी पत्रों की तुलना में 32.26% है। यह इन प्रतिशत में इस तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में 12.07% की गिरावट आई हैं इसका कारण काश्मीर वादी स्थित कार्यालयों में कार्य प्रायः ठप्प ही रहा है।

नकद पुरस्कार योजना एवं सामान्य आदेश :—कार्यालय से जारी किए जाने वाले सभी सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में ही जारी किये जाते है। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अनुमोदित नकद पुरस्कार योजना 1988 से लागू की गई। प्रारम्भिक वर्ष में इस योजना में कर्मचारियों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। पिछले वर्ष केवल 8 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। इस योजना को क्षेत्रीय आधार पर लागू किया गया है।

शील्ड योजना चालू करना : कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने 30 सितम्बर, 1989 को हुई बैठक में राजभाषा विभाग की प्रस्तावित शील्ड योजना को इस कार्यालय के उप-कार्यालयों के लिए शील्ड योजना शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इसे कलैण्डर वर्ष 1989 से ही लागू माना गया तथा इस योजना के अन्तर्गत कार्यालयों को "क" व "ख" क्षेत्र तथा "ग" क्षेत्र दो भाषों में बांटकर लागू कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यालयों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

पुरस्कार	"क" व "ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1. शील्ड	यूनिट लेखाकार पश्चिमी आधार कर्मशाला, पठानकोट	यूनिट लेखाकार दुर्ग अभियंता, 6365।
2. कप	यूनिट लेखाकार, रक्षा सम्पदा अधिकारी, पठानकोट	स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यालय 360 कम्पनी ए. एस. सी.।
3. कप	यूनिट लेखाकार, दुर्ग अभियंता योल	लेखा कार्यालय (हिमांक)

हिन्दी कार्यशालाएं : संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता हैं। पिछले दो वर्षों में लगभग 70 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कार्यालय के कार्य की प्रकृति को देखते हुए कार्यशालाओं के पाठ भी उसी के अनुसार तैयार किये गए है।

□प्रस्तुति : प्रेम बहादुर सिंह

आयकर प्रभार जालन्धर : हिंदी के प्रयोग के बढ़ते चरण

जालन्धर प्रभार में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में बहुत प्रगति हुई है। इस सन्दर्भ में मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

1. **नकद पुरस्कार योजना**

मूल रूप में हिन्दी टिप्पण आलेखन को बढ़ावा देने हेतु जालन्धर प्रभार में पिछले कई वर्षों से नकद पुरस्कार योजना लागू है। इस वर्ष प्रभार के निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया :—

सर्वश्री	पुरस्कार	राशि
आर. के. सग्गी, कर सहायक	प्रथम	400/-
कुलदीप राय सैनी, उ. श्रे. लि.	,,	400/-
क्षमा शर्मा, उ. श्रे. लि.	,,	400/-
सत्या चुम्बर, नि. श्रे. लि.	,,	400/-
मनजीत कौर, उ. श्रे. लि.	द्वितीय	200/-
राम लाल, उ. श्रे. लि.	,,	200/-
सुरिन्द्र पाल मल्होत्रा, उ. श्रे. लि.	,,	200/-
बी. के. धारू, मुख्यलिपिक	,,	200/-
विपन कुमार, उ. श्रे. लि.	,,	200/-
राजेश कुमार, उ. श्रे. लि.	तृतीय	150/-

2. हिन्दी कार्यशालाएं

वर्ष में एक-एक हिन्दी कार्यशाला जालन्धर तथा भटिंडा में आयोजित की गई। दोनों कार्यशालाओं में 27 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित संयुक्त हिन्दी कार्यशाला में प्रभार के 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। जालन्धर स्थित लिपिक वर्ग के लगभग सभी कर्मचारियों ने हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

3 हिंदी प्रशिक्षण

जालन्धर के केवल 3 कर्मचारियों को छोड़कर सभी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इन तीन कर्मचारियों के नाम हिन्दी प्रशिक्षण हेतु नामित किए जा चुके है।

जालन्धर में राजभाषा विभाग की ओर से पहले हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब टेलीफोन विभाग में अंशकालिक हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। आयकर विभाग के दो कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण हेतु वहां नामित किया गया है।

5. हिन्दी टाइपिंग प्रोत्साहन भत्ता

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी टाइपिंग का कार्य करने पर निम्न श्रेणी लिपिकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। जालन्धर प्रभार के एक निम्न श्रेणी लिपिक श्री अंग्रेज सिंह को मई, 1989 से प्रतिमाह 40 रुपये के हिसाब से ये भत्ता स्वीकृत किया गया है।

6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

जालन्धर प्रभार में आयकर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय राजभाषा समिति गठित है। इसके अतिरिक्त रेंज स्तर पर भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, जिनके अध्यक्ष संबंधित आयकर उपायुक्त हैं। इन समितियों की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाती है, जिनका संचालन प्रभार के सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया जाता है। इन समितियों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

7. आयकर आयुक्त, जालंधर प्रभार को राजभाषा शील्ड

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में विशिष्ठ योगदान के लिए आयकर आयुक्त, जालन्धर प्रभार को वर्ष 1988-89 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रभार के आयकर उपायुक्त श्री जे.एस. नेगी ने 21 दिसम्बर, 1989 को लखनऊ में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में यह शील्ड प्राप्त की। प्रभार के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री भूपिन्दर सिंह को भी इसी सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन में योगदान के लिए राजभाषा विभाग की ओर से श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त नगर स्तर पर भी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर आयकर विभाग को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

8. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालंधर

आयकर आयुक्त जालन्धर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जालन्धर के अध्यक्ष भी है। उनके मार्गदर्शन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती है।

समिति की पिछली बैठक 14-2-1990 को श्री वी.एस. वाही, आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में नगर के विभिन्न कार्यालयों/बैंकों/निगमों इत्यादि के लगभग 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से इस बैठक में श्री एस.ए. खान ने भाग लिया। उन्होंने आयकर आयुक्त जालन्धर, तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यालय अध्यक्षों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति पर प्रकाश डाला।

अध्यक्ष श्री वी.एस. वाही ने स्थानीय कार्यालयों की राजभाषा संबंधी समस्याओं को सुनकर उन्हें सुलझाने के लिए ठोस उपाय सुझाये तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संविधान में ली गई सभी पन्द्रह राष्ट्रभाषाओं के लिए हमारा समान आदर है और किसी भी भाषा के लिए कोई विरोध नहीं। हमारे देश की सम्पर्क भाषा हिन्दी जो कि अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी जाती है को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारा सबका यह कर्त्तव्य है कि हम राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करें। इसके लिए उन्होंने सरल और बोलचाल की भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

आकाशवाणी बीकानेर में हिन्दी प्रयोग

आकाशवाणी बीकानेर की स्थापना 28 अप्रैल, 1963 को आकाशवाणी जयपुर के सहायक केन्द्र के रूप में हुई थी। 1979 में नये टाइप-II स्टूडियो के प्रारंभ होने से इस केन्द्र ने स्वतंत्र रूप से अपना प्रसारण कार्य प्रारंभ किया। तदुपरांत 1984 में एक अल्प शक्ति दूरदर्शन प्रेषित केन्द्र की स्थापना भी यहां हुई।

प्रसारण के क्षेत्र में जहां इस केन्द्र के अधिकांश कार्यक्रम (वार्ता, परिचर्या, कहानी, कविता, संगीत आदि) युववाणी, उच्चारित शब्द, महिला जगत, मुकुल, ग्रामीण जगत आदि शीर्षक कार्यक्रमों में हिन्दी भाषा में ही प्रसारित किये जाते हैं, वहीं आकाशवाणी बीकानेर के कार्यालय के आंतरिक कार्यों में भी राजभाषा हिन्दी के चरण उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हैं।

कार्यक्रम अनुभाग की समस्त त्रैमासिक अनुसूचियां, मासिक प्रारूप, पंजियों में प्रविष्टियां तथा कलाकारों से पत्र व्यवहार आदि का कार्य हिन्दी में ही किया जाता है तथा समस्त अनुबंध द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

प्रशासन अनुभाग में जहां सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियों एवं समस्त पत्र-व्यवहार हिन्दी में सम्पन्न होता है, वहीं लेखा अनुभाग में चैक हिंदी में लिखे जाते हैं तथा बहियों का कार्य भी हिन्दी में ही पूर्ण किया जाता है।

केन्द्र से हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 95 प्रतिशत है जो निर्धारित लक्ष्य के निकटतम है। भेजी जाने वाली तारों का प्रतिशत भी लक्ष्य के अनुरूप है।

यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत दिनांक 26 अगस्त, 1980 को अधिसूचित किया जा चुका है तथा नियम 8(4) की अनुपालन हेतु कार्यालय के समस्त अनुभागों में कार्य हिन्दी में ही किये जाने संबंधी आदेश भी दिनांक 26 अक्तूबर, 1987 को जारी किया जा चुका है।

केन्द्र पर सर्वप्रथम 1981 में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित 16वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में तीन कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से सर्वश्री ओम प्रकाश मल्होत्रा एवं शांति लाल सुराणा ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किये। 1986 में इस प्रतियोगिता में चार कर्मचारियों ने, 1987 में 5 कर्मचारियों ने तथा 1988 में 23वीं टिप्पण प्रतियोगिता में 9 कर्मचारियों ने एवं 29वीं हिन्दी टाइप प्रतियोगिता में 5 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें से श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा ने केन्द्र प्रथम का पुरस्कार अर्जित किया एवं अन्यों ने प्रशस्ति पत्र प्राप्त किये।

वर्ष 1989 में इस केन्द्र पर राजभाषा हिन्दी की गतिविधियों का सिलसिला सक्रिय रूप से बना रहा। वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किये गये।

एक अगस्त से 30 सितम्बर, 89 के बीच एक हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 8 कर्मचारियों ने भाग लेकर अपना समस्त कामकाज हिन्दी में ही सम्पन्न किया। 11 सितम्बर, 89 को आयोजित 30 वीं अखिल भारतीय हिन्दी टाइप प्रतियोगिता में कार्यालय के 8 कर्मचारियों ने एवं स्टेट बैंक बीकानेर-जयपुर के एक कर्मचारी ने यहां भाग लिया। इसी प्रकार 34वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में केन्द्र के 12 कर्मचारियों ने व स्टेट बैंक बीकानेर-जयपुर के एक कर्मचारी ने भाग लिया।

इस केन्द्र पर पहली बार बड़े पैमाने पर "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया। 14 सितम्बर से 20 सितम्बर 89 की अवधि में कार्यालय में विभिन्न तिथियों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए जिसमें "राजभाषा हिन्दी की प्रगति पर अनुभाग वार समीक्षा", "काव्यपाठ", "राष्ट्रीय एकता और हिन्दी" विषय पर विचारगोष्ठी, "राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही चुनाव क्यों" विषयक निबंध प्रतियोगिता, "आत्म निरीक्षण" शीर्षक चर्चा कार्यक्रम, "तकनीकी क्षेत्र में भी हिन्दी का प्रयोग आसान है" विषय पर पत्रवाचन तथा "राजभाषा हिन्दी में कार्य करना सुगम है या दुर्गम" विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री योगेश, मोहन गुप्त एवं डूंगर महाविद्यालय के उपाचार्य डा. देवीप्रसाद गुप्त के अतिथ्य में सम्पन्न इन प्रतियोगिताओं—कार्यक्रमों की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री विश्वम्भर नाथ ने की।

14 सितम्बर 89 को ही केन्द्र से "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" शीर्षक एक रूपकात्मक कार्यक्रम प्रसारित किया गया जिसमें बीकानेर में स्थित मुख्य-मुख्य केन्द्रीय सरकार एवं राजस्थान सरकार के कार्यालयों के अध्यक्षों के राजभाषा हिन्दी की उनके कार्यालयों/विभागों में प्रगति पर विचार रिकार्ड किये गये थे।

प्रस्तुति : श्री ओम मल्होत्रा

हिंदी दिवस समारोह

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद

मुख्यालय में 27 जनवरी, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरीय हैदराबाद,-सिकन्दराबाद स्थित केन्द्रीय सरकार के अनेक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री एस.सी. चौधुरी, सचिव ने समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत किया और निगम में हिन्दी के प्रयोग की जानकारी दी। आयोजन के मुख्य अतिथि, डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने निगम द्वारा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की और कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिन्दी के व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया।

उस्मानिया विश्व विद्यालय के प्राध्यापक डॉ. चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापक डॉ. भीमसेन निर्मल विशिष्ट अतिथि वक्ताओं ने भी अपने भाषणों में सम्पर्क भाषा के साथ-साथ राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी की जरूरत पर प्रकाश डाला और स्वीकार किया कि हिन्दी का राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत रूप से व्यवहार किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग के उप निदेशक (का) श्री रामचन्द्र मिश्र ने भी भारत सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों में हिन्दी के कार्यान्वयन पर जोर दिया। निगम के निदेशक (योजना) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्री यशपाल भल्ला ने अध्यक्षीय भाषण में उपस्थित लोगों को यह आश्वासन दिया कि निगम अपने राजभाषा-कार्यक्रमों के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना चैन की सांस नहीं लेगा। निगम के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, श्री गोवर्धन ठाकुर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ आयोजन सम्पन्न हुआ।

आयोजन का एक आकर्षक अंग "राजभाषा प्रदर्शनी" था, जिसमें द्विभाषी नियम-पुस्तकों, हिन्दी पत्रिकाओं, हिन्दी/द्विभाषी पुस्तिकाओं, द्विभाषी परिचय-पत्रों, राजभाषा स्मारिकाओं, द्विभाषी, नक्शों, हिन्दी में तैयार प्रशिक्षण साहित्य के नमूने, हिन्दी में प्रकाशित निर्देशिकाओं, द्विभाषी चार्टों, हिन्दी में जारी चैक आदि के साथ निगम के गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों में की जाने वाली हिन्दी नोटिंग और हिन्दी पत्राचार आदि के नमूने प्रदर्शित किए गए थे।

मंडल रेल कार्यालय, मदुरै

मदुरै मंडल (दक्षिण रेलवे) ने दि. 19-3-90 से 21-3-90 तक हिन्दी सप्ताह तथा हिन्दी पुस्तकालय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी में विविध प्रतियोगिताओं, राजभाषा सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया।

दि. 21-3-90 मदुरै मंडल में हिन्दी की अब तक प्रगति दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। डॉ. एम० मणि, मंडल रेल प्रबन्धक, मदुरै ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसी दिन मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक बुलायी गई थी।

सायंकाल आयोजित समारोह में डॉ एम. मणि, मंडल रेल प्रबन्धक, मदुरै अध्यक्ष थे। श्री एन. त्यागराजन् अपर मंडल रेल प्रबन्धक एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, मदुरै ने सभी का स्वागत किया। श्री पी. शिवशंकरन, राजभाषा अधिकारी, मदुरै ने चालू वर्ष की हिन्दी की गतिविधियों तथा कार्यकलापों के बारे में बताया। दि. 14-9-89 में कोचीन में सम्पन्न राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय की ओर से डॉ एम. मणि, मंडल रेल प्रबन्धक, मदुरै ने राजभाषा ट्राफी प्राप्त की।

डॉ. मणि ने हिन्दी की प्रगति पर अपनी खुशी प्रकट की तथा आने वाले दिनों में भी इसी तरह लगन के साथ काम करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा हिन्दी पुस्तकें आदि दी गईं।

साथ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुमारी एम लक्ष्मी, लिपिक, कार्मिक शाखा, मदुरै ने नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद रेलवे फाइन आर्टस क्लब, मदुरै द्वारा "अटूट संबंध" नामक नाटक का हिन्दी में मंचन भी हुआ जिसका संदेश था कि हम भारतवासी अपनी विचार-धारा, जाति, धर्म, आदि दृष्टियों में अलग-अलग होने पर भी अपने अन्दर मन में एक निराली एकता रखते हैं, उसे कायम रखना चाहिए।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के परिशोधित तथा 16 फरवरी, 88 के का.ज्ञा.सं. 11/129/313/87-रा.भा. (क-2) में दी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों (मुख्यालय/मण्डल) में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 88 से 31 मार्च, 89 तक हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद ने उनके नाम के सामने दिखाई गई राशि को पुरस्कार के रूप में देने की मंजूरी दी है:—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल कार्यालय, गोरखपुर

नाम व पदनाम	परिणाम	पुरस्कार की राशि
1	2	3
महन्थ जी, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
हसीन अहमद, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
आर. के. तिवारी, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
मधुसूदन सिंह, उ.का.अधीक्षक	द्वितीय	200/—
श्रीमती सुधा सिंह, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
वेदप्रकाश, कर सहायक	तृतीय	150/—
शिवशंकर प्रसाद, अ.श्रे. लि.	तृतीय	150/—
देवीप्रसाद, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
राम अंचल उपाध्याय, निरीक्षक	तृतीय	150/—

2. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंडल कार्यालय, इलाहाबाद

सतीश चन्द्र शुक्ल, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
ताज्जम्मुल हुसैन अंसारी, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
राजमणि तिवारी, उ.का.अ.	द्वितीय	200/—

3. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंडल, वाराणसी

जयनारायण मिश्र अधीक्षक	प्रथम	400/—
चन्द्रदेव तिवारी, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
1	2	3
बी.बी. सिंह, कर सहायक	द्वितीय	200/—
ओंकार, सिंह, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
सिराजुद्दीन खां, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
अमिताभ राहा, अधीक्षक	तृतीय	150/—
उमाशंकरलाल, उप का.अधी.	तृतीय	150/—
एन.के. कार, निरीक्षक	तृतीय	150/—

4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद

गोविन्द्र जी बरनवाल, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
लालसाहब गिरि, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
मकसूद हसन, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
विजय कुमार पाण्डेय, अ.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
राजेन्द्र कुशवाहा, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
अनूप कुमार श्रीवास्तव, टी.ए	तृतीय	150/—
सुरेशचन्द्र, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
धीरेन्द्र वर्मा, अ.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
नीरेन्द्र कुमार सोनकर, अ.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
शिवशंकर सोनकर, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय (वेतन व लेखा अनुभाग)

श्री जयनारायण सिंह, वेतन व लेखाधिकारी	प्रथम	400/—
श्री रामसेवक, वरिष्ठ लेखाकार	प्रथम	400/—
श्री ओमप्रकाश वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	द्वितीय	200/—
श्री रामचन्द्र, वरिष्ठ लेखाकार	द्वितीय	200—

6. सीमाशुल्क निवारक मंडल, गोरखपुर

श्री एम.एन. श्रीवास्तव, प्रशासन अधिकारी	प्रथम	400/—
श्री एस.पी. श्रीवास्तव, अधीक्षक	प्रथम	400/—
श्री आर.एम.पी. सिंह, निरीक्षक	प्रथम	400/—
श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव, टीए	प्रथम	400/—
श्री एस.एन. श्रीवास्तव, उ.का.अ.	द्वितीय	200/—
श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता, टीए	द्वितीय	200—
श्री वी.के. श्रीवास्तव, प्र.श्रे.लि	द्वितीय	200/—
श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अ.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
श्री गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, प्र.श्रे. लि.	द्वितीय	200/—

1	2	3
श्री एमादुल इस्लाम, अ.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
श्री पी.सी. श्रीवास्तव निरीक्षक	तृतीय	150/—
श्री अनिल जे. रैनसम, अ.श्रे.लि	तृतीय	150/—
श्री मो. असलम, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री एस.पी. यादव, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री रमाशंकर, टी.ए.	तृतीय	150/—
श्री रामभान पाठक, अ.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री इकराम हुसैन, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री बी.एम. त्रिपाठी, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्रीमती तारा श्रीवास्तव, अ.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री दिनेश चतुर्वेदी, प्र.श्रे.लि.	तृतीय	150/—
श्री आर.डी. राय, प्र.श्रे.लि.	सांत्वना पुरस्कार	

7. सीमाशुल्क निवारक मंडल, लखनऊ

श्री रवीन्द्र वर्मा, प्र.श्रे.लि.	प्रथम	400/—
श्री ए.आई. अब्बासी, अ.श्रे.लि	प्रथम	400/—
सुश्री वंदना त्रिपाठी, अ.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
श्री सुदामा केशरवानी, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—
श्री धर्म सिंह, अ.श्रे.लि.	द्वितीय	200/—

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, जादुगाड़ा माइन्स, सिंहभूमि-832102

परमाणु ऊर्जा विभाग के उपक्रम "यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" जादुगोडा में हिन्दी दिवस जनवरी, 1990 में आयोजित किया गया । इस उपलक्ष्य में हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुप लेखन तथा हिन्दी सुलेख एवं हस्ताक्षर प्रतियोगिताएं रखी गई। कुल चार प्रतियोगिताओं में कारपोरेशन के अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साह एवं लगन के साथ-भाग लिया। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष कारपोरेशन के विभिन्न प्रभागों, विभागों एवं अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये सघन प्रयास किए गए। कारपोरेशन के कार्मिक अनुभागों में आयोजित विशेष संगोष्ठियों में हिन्दी के प्रयोग को और बढ़ाने के महत्त्व पर बल दिया गया। आम तौर पर प्रयोग में आने वाले वाक्यांशों एवं नेमी कार्यालय टिप्पणियों का द्विभाषिक संकलन कारपोरेशन के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों इत्यादि के पास भेजा गया।

प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से दिनांक 17 अप्रैल, 1990 को कारपोरेशन के खान प्रभाग के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रथम तीन स्थान पाने वाले विजेताओं को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए एवं शेष अन्य सभी प्रतिस्पर्धियों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए।

समारोह की अध्यक्षता निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री महेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा, अपर अधीक्षक (यांत्रिकी) ने की। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने समारोह के मुख्य अतिथि श्री कैलाश कुमार बेरी, मुख्य मिल अधीक्षक एवं अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए हिन्दी तथा हिन्दी दिवस के आयोजन की परम्परा के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिन्दी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतएव हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम कारपोरेशन के काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग कर भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करें।

तत्पश्चात् यूसिल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राम नरेश शर्मा, अपर अधीक्षक (परियोजना) ने हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अपने विचार रखे । श्री शर्मा ने कहा कि मैं मूलतः एक वैज्ञानिक हूं तथापि मैनेजमेन्ट द्वारा निगम में वर्ष 1973 में प्रथम गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व सौंपे जाने पर मुझे लगभग 11 वर्षों तक समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने यह भी कहा कि इस समय उन्हें परियोजना में अपर अधीक्षक के रूप में हिन्दी में पत्राचार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है तथा वे हिन्दी में ही आसानी से पत्राचार करते हैं। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भाग लेने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और हिन्दी में कार्य करने हेतु सरल व सीधी हिन्दी शब्दों को अपनाने पर बल दिया।

राजभाषा संबंधी भारत सरकार की नीति एवं हमारे कारपोरेशन में उसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद वर्मा, निगम के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ने निगम में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर हो रही प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। साक्षात्कार परीक्षाओं में भी हिन्दी में उत्तर देने की छूट है। उन्होंने कहा कि प्रबन्धक वर्ग ने हाल में ही दो उदारपूर्ण प्रोत्साहन योजनाएं लागू की है। पहली अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में आशुलिपि और टाइपिंग कार्य के लिए तथा दूसरी कारपोरेशन के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिये। हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में यूसिल प्रबन्धक वर्ग के उदारतापूर्ण रवैये की सराहना करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि निगम में हिन्दी के बढ़ते हुए चरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि हमारी उपलब्धियां काफी संतोषजनक है ।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री कैलाश कुमार बेरी, मुख्य मिल अधीक्षक ने कहा कि जिस प्रकार तिरंगा झंडा हमारे

देश का गौरव प्रतीक है, उसी प्रकार राजभाषा के रूप में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी हमारे देश की पहचान है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि हम रोजाना एक भी पत्र/नोट हिन्दी में लिखना शुरू कर दें तो यह काम काफी आगे बढ़ सकेगा।

समारोह के अन्तर में श्री शशिकान्त श्रीवास्तव, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कल्याण)/सदस्य-सचिव ने मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी उपस्थित सज्जनों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि मैं हिन्दी दिवस आयोजन एवं मूल्यांकन समिति के सदस्यों का विशेष आभारी हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून

महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में दिनांक 22-5-1990 को वार्षिक हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा, भारत के महासर्वेक्षक ने की। समारोह में विभाग के देहरादून स्थित कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

समारोह का शुभारंभ भारत के महासर्वेक्षक श्री चड्ढा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष ले. कर्नल कृष्ण गोपाल बहल, उप निदेशक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस समारोह का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मन में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से महासर्वेक्षक कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ता रहेगा।

इस अवसर पर राजभाषा नीति कार्यान्वयन संबंधी वर्ष 1989 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए श्री लक्ष्मण सिंह गोसाई, हिंदी अधिकारी ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यालय के स्थानीय प्रशासन एवं वेतन तथा स्थापना-3 अनुभाग को राजभाषा नियम (4)8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जा रहा है। हिंदी अधिकारी ने यह भी बताया कि रिपोर्टाधीन अवधि में विभाग के अधीनस्थ निदेशालय पूर्वोत्तर सर्किल, शिलांग का अंग्रेजी के कुछ मानक मसौदों का हिन्दी रूपांतरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ माउण्ट आबू पर स्थित सं. 7 व 32 पार्टी को संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण दौरे के अवसर पर कार्यान्वयन द्वारा आवश्यक भी उपलब्ध कराई गई।

समारोह में हिंदी कविता-पाठ तथा एक लघु एकांकी का मंचन भी किया गया। इस अवसर पर भारत के महासर्वेक्षक ने हिंदी टाइपिंग, हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण तथा हिंदी सुलेख की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। समारोह में वर्ष 1989 में कार्यालय में हिंदी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए नियम अनुभाग को चल-वैजयन्ती प्रदान की गई।

इस अवसर पर श्री प्रफुल्ल रंजन दत्त अपर महासर्वेक्षक ने आशा व्यक्त की कि इस समारोह के बाद कार्यालय में हिन्दी सरकारी कामकाज और बढ़ेगा। उन्होंने अपने संक्षिप्त किन्तु प्रेरणादायी भाषण में हिन्दी में ही सोचने की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए भाषा की कृत्रिमता को दूर करने के लिए कार्य करने का सुझाव दिया।

अध्यक्षीय भाषण में लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा, भारत के महासर्वेक्षक ने सरकारी कामकाज को हिन्दी में करने के प्रयास के लिए बधाई देते हुए कहा सरल हिंदी आसानी से सबकी समझ में आने वाले शब्दों के प्रयोग पर बल दिया। महासर्वेक्षक महोदय ने सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद तथा सं. 27 व 32 पार्टी, माउन्ट आबू में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षण से अवगत कराते हुए कि समिति ने विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित मानचित्रों की सराहना की है। कार्यालय के विनियम, स्थापना-3 तथा स्थानीय प्रशासन एवं वेतन अनुभागों द्वारा 90% से अधिक कामकाज हिंदी में ही करने के लिए उनकी सराहना करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य अनुभाग में इसी भांति हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, दृष्टिबाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा अधिकतम पत्राचार हिंदी में ही करने के बारे में बताया तथा आशा व्यक्त की कि विभाग के अन्य निदेशालय विशेषकर "क" क्षेत्र के कार्यालय अधिकतम कार्य हिन्दी में ही करेंगे।

समारोह के अंत में ले. कर्नल कृष्ण गोपाल बहल, उप निदेशक ने महासर्वेक्षक महोदय के अमूल्य सुझावों के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। कर्नल बहल द्वारा समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समारोह में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद देने के बाद समारोह का समापन हुआ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में 26 से 30 मार्च 1990 तक हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हिंदी सुलेख एवं श्रुतलेख, काव्यपाठ, निबंध एवं वाक् प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अंतिम दिन प्रतियोगिताओं

के परिणाम घोषित किए गए एवं पुरस्कार वितरित किए गए।

पुरस्कार देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ग के लिए तीन-तीन पुरस्कार रखे गए थे। हिन्दी सुलेख व श्रुतलेख तथा काव्यपाठ प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों का भी शामिल करने की छूट दी गई थी और उन्हें भी बालवर्ग में रख कर पुरस्कार दिए गए थे। पुरस्कारों के रूप में अधिकारियों/कर्मचारियों को उपयोगी पुस्तकें दी गई थी। समारोह में अंतिम दिन असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के साहित्य सचिव श्री चित्र महन्त मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेताओं को पुस्कार वितरित किए एवं अपने संबोधन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के वैशिष्ट्य एवं वर्तमान स्थिति की चर्चा के साथ असम राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के प्रयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। तत्पश्चात् बैंक के आयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। तत्पश्चात् बैंक के महाप्रबंधक श्री वी. जे. बी. एंड्रयूज ने कार्यालय में हिंदी के अनुपालन को बढ़ाने और राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता बताई और कहा कि ऐसा करना सभी की निजी जिम्मेदारी है।

श्री दिनेश श्रीवास्तव स्टाफ अधिकारी (हिंदी) द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सांस्कृतिक संध्या का समापन हुआ।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगी

(क) हिन्दी सुलेख/श्रुतलेख प्रतियोगिता

प्रथम वर्ग

बी. तालुकदार —प्रथम
गिरीन्द्र ब्रह्म —द्वितीय
हरीश मेहता —तृतीय

द्वितीय वर्ग

अभिजित दास —प्रथम
श्रीमती दि. अ. कारखानीस —द्वितीय
श्रीमती प्रतिभा तामुली —तृतीय

बाल वर्ग

अनुस्मृता बरा —प्रथम
संजीता कौर —द्वितीय
सतीश आंडी —तृतीय

(ख) निबन्ध प्रतियोगिता

प्रथम वर्ग

बी. सी. भराली —प्रथम
आर. के. ब्रह्म —द्वितीय
के. एम. डेका —तृतीय

द्वितीय वर्ग

श्रीमती प्रतिभा तामुली —प्रथम
ए. एन. देशपांडे —द्वितीय
अभिजित दास —तृतीय

(ग) काव्यपाठ प्रतियोगिता

प्रथम वर्ग

प्रीतिपाल सिंह —प्रथम
ए. सी. साहू —द्वितीय
बी. सी. भराली —तृतीय

द्वितीय वर्ग

श्रीमती शेवाली देवी —प्रथम
एच. एस. रहमान —द्वितीय
श्रीमती अनुपमा बोस —तृतीय

बाल वर्ग

संजीता कौर —प्रथम
अवनीत सिंह —द्वितीय
सतीश आंडी —तृतीय

(घ) वाक् प्रतियोगिता

प्रथम वर्ग

प्रीतिपाल सिंह —प्रथम
ए. सी. साहू —द्वितीय
के. एम. डेका —तृतीय

द्वितीय वर्ग

श्रीमती अनुपमा बोस —प्रथम
श्रीमती शवाली देवी —द्वितीय
बाबू लाल पाल —तृतीय

हिंदी कार्यशालाएं

आकाशवाणी : कसियांग

केन्द्र पर पहली बार दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का सफल आयोजन दिनांक 29 एवं 30-5-90 को किया गया। केन्द्र के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

डॉ. तपन कुमार दास, केन्द्र निदेशक ने प्रथम दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने सभी भाग लेने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला की सफलता की कामना की। तत्पश्चात् हिन्दी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार परिहार ने दो दिवसीय कार्यशाला में किए जाने वाले विषयों की जानकारी दी।

श्री श्रीराम ओझा, सहायक समाचार सम्पादक हिन्दी कार्यशाला के प्रथम वक्ता थे। उन्होने हिन्दी टिप्पण/प्रारूप आलेखन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

दिनांक 30-5-90 को हिन्दी कार्यशाला के प्रथम सत्र में सत्येन्द्र कुमार परिहार, हिन्दी अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशासनिक शब्दावली तथा राजभाषा नियम एवं अधिनियमों के साथ-साथ वर्ष 1990-91 में प्राप्त करने वाले सभी लक्ष्यों के बारे में अवगत करवाया।

दूसरे सत्र में श्रीमती के.के. गुप्ता, कार्यक्रम अधिशासी ने "राजभाषा की संवैधानिक स्थिति" विषय पर विचार व्यक्त किए।

अन्त में, केन्द्र निदेशक, डॉ. तपन कुमार दास ने समापन भाषण में कहा कि मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल 29-5-90 को हुई हिन्दी कार्यशाला के उपरान्त आज 30-5-90 को मुझे कई फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण लिखा हुआ मिला जिससे यह आभास होता है कि हमारी प्रथम हिन्दी कार्यशाला सफल हुई है।

मुरगांव पत्तन न्यास मुरगांव, गोवा

मुरगांव पत्तन न्यास में दिनांक 29 से 31 मार्च, 90 तक तीन दिन के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए श्री एम. एल. गुप्ता ने कहा कि जब तक कर्मचारी अपने दैनिक काम में हिन्दी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उन्हें अपने हिन्दी ज्ञान का पता नहीं चलेगा। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री ए.बी. गाडगील, उप सचिव, एम.पी.टी., ने कहा कि हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लिखते समय कर्मचारी हिन्दी के शब्दों को न ढूंढें बल्कि अंग्रेजी के आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें, ताकि उनकी लेखनी न रूके। तीन दिनों में कर्मचारियों ने हिन्दी टिप्पण और आलेखन का अभ्यास भी किया। श्री एस.ई. राव, हिन्दी अधिकारी, मुरगांव पत्तन न्यास, ने तीन दिन दोपहर के समय कई विषयों पर भाषण देते हुए कहा कि कई भाषाओं में संस्कृत शब्दों को लिखने का तरीका अलग-अलग है और इसी कारण मराठी तथा कोकणी भाषाभाषी अक्सर हिन्दी शब्दों को लिखते समय सोच में पड़ जाते हैं कि इन शब्दों की सही वर्तनी क्या है। हिन्दी शब्दों को लिखने के बारे में श्री राव ने कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया तथा उसका अभ्यास करवाया।

कार्यशाला में कुल 43 कर्मचारियों ने भाग लिया और उन्होंने हिन्दी कार्यशाला के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत लाभ पहुंचा है। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए गए।

दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कं० लि० कोयम्बटूर

19 अप्रैल, को कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. एन. के मेनन ने किया एवं श्री के भास्करन एवं श्री ए.एस.ए. सौन्दरराजन् सहायक प्रबन्धक ने भी सदस्यों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मद्रास प्रादेशिक कार्यालय के हिन्दी विभाग के श्री ईश्वर चन्द्र झा स.प्र.अ. ने भी विचार व्यक्त किए। श्री झा ने कार्यशाला में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों से सहभागियों को अवगत कराया।

17 अप्रैल 1990 को प्रशिक्षण वर्गों को सम्बोधित करते हुए श्री झा ने निम्नांकित विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

1. बीमा-शब्दावली; 2. हिन्दी शिक्षण योजना; हिन्दी व्याकरण; 4. हिन्दी में पत्राचार—पाठ एवं अभ्यास तथा 5. राजभाषा नीति पर चर्चा एवं प्रश्नोत्तर।

समापन समारोह में श्री के. भास्करन्, मंडल-प्रबंधक मं. का. एवं श्री ए. एस. ए. सौन्दरराजन् सहायक प्रबंधक ने राजभाषा के ज्ञान को विकास करने की आवश्यकता का उल्लेख किया ताकि भविष्य में तमिलनाडु के कार्मिकों द्वारा अपने हिन्दी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यालयों से हिन्दी में पत्राचार में सुविधा हो।

श्री ईश्वर चन्द्र झा, स.प्र.अ., मद्रास प्रादेशिक कार्यालय ने भी सहभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला की उत्तम व्यवस्था के लिए श्री ए.एस.ए. सौन्दरराजन् का आभार व्यक्त किया। कोयम्बतूर स्थित युनाइटेड इण्डिया के हिन्दी अधिकारी श्री वेंकट कृष्णन् ने भी राजभाषा के कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया एवं दोनों कंपनी में इसके कार्यान्वयन का आशय स्पष्ट किया।

श्री एस. वेंकट सुब्रमणियन् डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ने कार्यशाला में अपना अनुभव हिन्दी में बताया श्री टी. बालन स.प्र. अ. ने हिन्दी में धन्यवाद ज्ञापित किया।

आकाशवाणी, अहमदाबाद

आकाशवाणी केन्द्र अहमदाबाद के 29 अधिकारी तथा कर्मचारी मई, 1990 में हिन्दी प्राज्ञ की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं इसके पूर्व दिनांक 14 से 19 मई, 1990 तक छः दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन निम्नलिखित प्रकार से किया गया

(क) लिपिक वर्गीय हिन्दी कार्यशाला

14-5-90	प्रो. कुन्ज विहारी वर्ष्णेय, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	देवनागरी लिपि, होने वाली भूलें तथा निराकरण
15-5-90	श्री रमेश लाल वर्मा	यात्रा संबंधी मामले
16-5-90	श्री रामगोपाल सिंह	1. टिप्पण और अंग्रेजी अंग्रेजी-हिन्दी वाक्यांश 2. हिन्दी में भेजे जाने वाले तार
17-5-90	श्री सोने लाल कोल सहायक निदेशक (रा.भा.)	राजभाषा अधिनियम संबंधी जानकारियां
18-5-90 तथा 19-5-90	श्री एच. एन. शर्मा आकाशवाणी अहमदाबाद	प्राज्ञ परीक्षाओं की दृष्टि से टिप्पण एवं मसौदा लेखन
19-5-90	श्री जे.पी. पाण्डेय सहायक निदेशक अहमदाबाद	अंग्रेजी-हिन्दी की अभिव्यक्तियां शैलियों की भिन्नता

(ख) अधिकारी वर्ग के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला

राजभाषा कार्यान्वयन समिति आकाशवाणी अहमदाबाद की पिछली कई तिमाही बैठको में अधिकारी वर्ग द्वारा यह मांग की गई थी कि लिपिक वर्ग के अलावा अधिकारी वर्ग के लिए भी समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाए अतः दिनांक 21.5.90 से 22.5.1990 तक निम्नलिखित प्रकार से अधिकारी वर्ग के लिए विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया:—

21.5.90	श्री एच० एन० शर्मा	सरकारी पत्राचार के नमूने
22.5.90	"	अनुशासनिक मामले : टिप्पण और मसौदा लेखन

उक्त दोनों ही कार्यशालाओं का समापन दिनांक 22 मई 1990 को किया गया जिसकी अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री जी. ए. परमार ने की। कार्यशाला के समापन दिवस पर जिन तीन अधिकारी तथा कर्मचारियों ने वर्ष 1989 में हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया उनके विवरण भी इस प्रकार है:-

1.	श्रीमती लीला एन. शाह	प्रथम पुरस्कार 400 रु०
2.	श्री विजय सिंह यादव सुरक्षा अधिकारी	द्वितीय पुरस्कार 200 रु०
3.	श्री यज्ञेश दवे कार्यक्रम निष्पादक	तृतीय पुरस्कार 150 रु०

उक्त दोनो ही हिंदी कार्यशालाओं में आकाशवाणी अहमदाबाद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अलावा आकाशवाणी अहमदाबाद से राजभाषा कार्यान्वयन से सम्बद्ध छोटे कार्यालयों-सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय तथा क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय अहमदाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी लगन से भाग लिया। समापन समारोह में ऐसी कार्यशालाओं के आयोजनों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए श्री जी. ए. परमार केन्द्र निदेशक ने यह अपेक्षा की कि कार्यशाला में भाग लेने के पश्चात अधिकारियों तथा कर्मचारियों की झिझक दूर हुई होगी तथा वे अब अपना सारा काम हिन्दी में करने का प्रयास शुरू करेंगे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, पश्चिमी क्षेत्र, वडोदरा

दिनांक 19 तथा 20 जून 1990 को दो द्विवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें 35 अधिकारियों ने भाग लिया/भाग लेने वाले व्यक्ति नियंत्रक अधिकारी स्तर के थे। कार्यशाला का संचालन राजभाषा विभाग के सेवा निवृत्त उपसचिव श्री हरि बाबू कंसल ने किया। उनके सहयोगी डा. मोती लाल चतुर्वेदी थे।

कार्यशाला में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम, उसके तहत बने नियमों, भाषा संकल्प तथा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया तथा अनेक विषयों की टिप्पणियां तथा प्रारूप मूल रूप से हिन्दी में लिखाने का अभ्यास

कराया गया। इस कार्यशाला से अधिकारियों में अपूर्व चेतना उत्पन्न हुई और अनेक व्यक्तियों ने आगे से अपना अधिकांश काम हिन्दी में करने का निश्चय प्रकट किया।

केनरा बैंक : अंचल कार्यालय : चण्डीगढ़

अंचल कार्यालय—चंडीगढ़ हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से अपने समस्त कर्मचारियों को कामकाजी हिन्दी के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कृत संकल्प है। जनवरी 1986 से हिन्दी कार्यशालाओं का क्रम आरंभ हुआ और तीन वर्ष की अल्पावधि में ही 124 कार्यशालाओं का आयोजन करके अंचल के लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। कुछ समय पूर्व दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पहली कार्यशाला 5.2.90 से 7.2.90 तक आयोजित की गई, इसका उद्घाटन मण्डल प्रबन्धक श्री एम.बी.कुमार स्वामी ने किया। उन्होंने कहा **"हिंदी तो भारतीय संस्कृति की जड़ है जिस प्रकार से जड़ वृक्ष का जीवन होता है वैसे ही हिन्दी भारत की समृद्ध संस्कृति रूपी वृक्ष की जड़ है। यह हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि इस जड़ को अपनी सद्भावना और श्रद्धा के जल से सोचें।"**

दूसरी कार्यशाला दिनांक 12.2.90 से 14.2.90 तक आयोजित की गई, इसका उद्घाटन मण्डल प्रबन्धक श्री गांधी मति नाथन् ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा **"जब हम यह कहते है कि हिन्दी में काम करने में हम अभ्यस्त नहीं हैं इससे निश्चित रूप से हम में आत्म-विश्वास की कमी झलकती है क्योंकि हिन्दी तो एक सरलतम भाषा है जिसे समझना, सीखना और कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का आना सम्भव ही नहीं है। किन्तु इस की सरलता तभी पता चलेगी जब हम लोग इस का प्रयोग करना आरम्भ करेंगे। अतः इस शुभ कार्य के लिए समय की प्रतीक्षा किये बिना प्रशिक्षण के तत्काल पश्चात् हिन्दी में काम करना आरम्भ कर दें।"**

तीन दिनों की इन कार्यशालाओं में न केवल हिन्दी के सैद्धांतिक पक्ष के विषय में जानकारी दी गई बल्कि इस के व्यवहारिक पक्ष में भी अभ्यास कराया गया। दोनों कार्यशालाओं में उन 55 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा चण्डीगढ़ शाखाओं में कार्यरत है।

कार्यशाला का समापन अंचल कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्री वी.जी. बालिगा ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा प्रेरित करते हुए कहा **"विश्व की किसी भी भाषा का हमारे लिये वह महत्त्व नहीं हो सकता जो राजभाषा हिन्दी का है। क्योंकि संविधान हमारे लिये सर्वोपरि है और संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस के पश्चात् इस की सरलता एवं कठिनता की चर्चा करना गौण हो जाता है क्योंकि अब समय केवल इस भाषा को लागू करने का है इस बारे में तर्क वितर्क करने का नहीं कि यह कठिन है अथवा सरल। अतः किसी संकोच, झिझक के बिना हम सभी को तत्काल इसे अपना कर अपना समस्त कार्य हिन्दी में करना आरम्भ करना है मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे अंचल को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसे बनाये रखेंगे।"** हिन्दी कार्यशालाओं के पश्चात कर्मचारियों के साथ सम्पर्क करके अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। □

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, तैनुघाट साइट

पावर सैक्टर के पूर्व क्षेत्र स्थित तेनुघाट कार्यस्थल पर दिनांक 25–26 जुलाई 1990 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपमहाप्रबन्धक श्री एस. एन. सिन्हा ने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने रोजमर्रा के काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। श्री संजय कुमार जैन, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ने बताया कि समस्त मोहरें, फार्म, नेमप्लेटें तत्काल द्वैभाषिक कराई जाएं।

कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों ने हिन्दी सम्बन्धी विभिन्न अभ्यास किए और हस्ताक्षर प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। श्रेष्ठ 13 हस्ताक्षरों को उपमहाप्रबन्धक श्री सिन्हा द्वारा पुरस्कृत किया गया। □

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, विक्रम टावर

पावर सैक्टर के उत्तर क्षेत्र मुख्यालय में 7 अगस्त 1990 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। उपमहाप्रबंधक श्री अरूण माथुर ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कर्मचारियों को बताया कि उत्तर क्षेत्र कार्यालय "क" क्षेत्र में स्थित है और यहां हिन्दी का सुचारू रूप से प्रयोग करके उसे बढ़ाया जाना है। उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे समस्त मोहरें, फार्म नेमप्लेटें निश्चित रूप से द्विभाषिक करा लें।

कार्यशाला में श्री अशोक शर्मा, श्री सुधेन्दु ओझा ने राजभाषा सम्बन्धी नियमों की जानकारी दी और अभ्यास कराए। हस्ताक्षर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 14 सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यशाला का संशोधन श्री सतीश चन्द्र जैन प्रबंधक (कार्मिक) द्वारा किया गया। □

राजस्थान परमाणु बिजलीघर, कोटा

राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दिनांक 9-10 तथा 11-12 जुलाई, 1990 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन 9 जुलाई, 1990 को बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक श्री जी. आर. श्रीनिवासन ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने देश के संविधान

की सभी धाराओं तथा सरकार द्वारा भाषा के उपयोग के बारे में बनाए गए विभिन्न नियमों का पालन करें। हमारा बिजलीघर "क" क्षेत्र में आने के कारण हम अपने सरकारी कामकाज को संघ की राजभाषा हिन्दी में ही करें यदि हिन्दी में कठिन शब्द लेंगें तो अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। कार्यशाला में संयंत्र के वरिष्ठ अभियंताओं/वैज्ञानिकों तथा लेखा और प्रशासन व चिकित्सा के लगभग 60 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका स्वागत करते हुए संयंत्र के हिन्दी अधिकारी श्री वी. के. सक्सेना ने सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उपयोग की उपादेयता पर बल दिया।

11-12 जुलाई की कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुशील कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क) ने किया उन्होंने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया। कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए विशेष रूप से श्री हरिबाबू कंसल, सेवानिवृत्त उप सचिव, तथा डा. मोती लाल चतुर्वेदी सेवानिवृत्त उप निदेशक, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया। जहा एक ओर श्री हरिबाबू कंसल ने हिन्दी राजभाषा से संबंधित संविधान के प्रावधान से प्रतिभागियों को अवगत कराया वहीं दूसरी और डा. चतुर्वेदी ने प्रयोग पक्ष से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त संयंत्र के हिन्दी अधिकारी श्री वी.के. सक्सेना ने बिजलीघर में ही रही हिन्दी प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने प्रतियोगियों को हिन्दी प्रोत्साहन की योजनाओं से भी अवगत कराया।

समापन भाषा में श्री टी. एस. राजावन, प्रभारी अभियंता (अनुरक्षण) ने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग में अपने सहयोग की बात दुहराई। □

इलाहाबाद बैंक, मेरठ

मण्डल निरीक्षण कार्यालय मेरठ में दिनांक 14-05-1990 को हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सहायक महा-प्रबन्धक श्री पी.एन.जेतली ने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुरूप सभी कार्य अब हिन्दी में किया जाना है। उन्होंने बताया कि हमारा संपूर्ण वातावरण हिन्दी से व्याप्त है अतः हिन्दी में कार्य करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी प्रशिक्षणार्थी हिन्दी प्रयोग के बहुविधि-आयामों से परिचित हो जाए और कार्यालय/शाखाओं का संपूर्ण कार्य हिन्दी में ही संपादित करें। उन्होंने कहा कि हिन्दी प्रयोग मामले में प्रचलित भाषा शब्दावली का प्रयोग करना ही बेहतर है। इसलिए प्रचलित शब्दों के प्रयोग से हमारी भाषा और समृद्ध हो जाएगी। □

वायुदूत, नई दिल्ली

दिनांक 25 मई, 1990 को वायुदूत मुख्यालय के प्रबन्धकों/अधिकारियों के लिए लोधी होटल, नई दिल्ली में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारी से लेकर प्रबन्धक स्तर तक 18 लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन साहित्यकार श्री मधुर शास्त्री ने किया। इस अवसर पर श्री शास्त्री ने कहा कि हिन्दी हमारी भाषा है और हमें ही इसे आगे बढ़ाना है। अच्छी हिन्दी बोलने-लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिन्दी साहित्य का अध्ययन करें। नागर विमानन विभाग के उप निदेशक (राजभाषा) श्री के.के. शर्मा ने कहा कि हिन्दी में काम करना कठिन नहीं है, यदि हम एक बार यह सोच लें कि हमें सब हिन्दी में करना है, तो हमारे लिए उसे करना अत्यन्त सहज हो जाएगा। मुख्य प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री आर.पी. अग्रवाल ने वायुदूत में हिन्दी संबंधी गतिविधियों से उपस्थितजनों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वायुदूत में हिन्दी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम अपने विभागों में इसे कहां तक प्रयोग कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में हम हिन्दी काम-काज को बढ़ा सकते हैं।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर कर्मचारियों को हिन्दी काम-काज का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया और सरकारी नीतियों से अवगत कराया।

समापन श्री वी.वी. मल्होत्रा, प्रशिक्षण संयोजक (इंजीनियरिंग) ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला हमारे लिए बहुत उपयोगी रही और इससे हमारे मन में हिन्दी काम-काज करने के प्रति नया उत्साह जमा है। अन्त में, कार्यशाला की संचालक श्रीमती नीलम शर्मा, सहायक प्रबन्धक (हिन्दी) ने सभी माननीय अतिथियों व अधिकारियों को धन्यवाद दिया। □

बैंक ऑफ बड़ोदा, नई दिल्ली

उत्तरी अंचल की ओर से दिनांक 5-7-जुलाई, 1990 के दौरान लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी अंचल तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अंचल के कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में अचल के मुख्य प्रबन्धक (कार्मिक) श्री एच.एल. देसाई ने राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) में अवर सचिव (कार्यान्वयन) श्री कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव का स्वागत किया।

उद्घाटन भाषण में श्री श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा के प्रयोग की दिशा

शेष पृष्ठ 111 पर

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 66वें सत्र का समापन समारोह 29 जून 90 को आयोजित हुआ । इस सत्र में 39 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया । जिनमें से 7 "उत्कृष्ट", 22 "बहुत अच्छा" और 9 "अच्छा" की कोटि में रहे । स्वर्ण पदक कुमारी शोधना श्रीवास्तव, कनिष्ट अनुवादक, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली ने तथा रजत पदक श्री सतीश चन्द्र शर्मा, हिन्दी अनुवादक, भारत इलैक्ट्रानिक्स लि., गाजियाबाद ने प्राप्त किए।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री निशिकांत महाजन इस समारोह में मुख्य अतिथि थे । उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि अनुवादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुवाद की भाषा को यथासंभव सरल बनाने का प्रयास करें । भाषा चूंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है अतः यह आवश्यक है कि अभिव्यक्ति का स्तर इस प्रकार का हो कि अधिक से अधिक लोग उसे समझ सकें।

श्री महाजन ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि मात्र भाषा की जानकारी से उपयोगी अनुवाद संभव नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि अनुवादक विविध विषयों और विधाओं का भी अधिक से अधिक अध्ययन करें। उन्होंने यह प्रेरणा भी दी कि जितने अच्छे अनुवादक आप बन सकेंगे उतना ही आपका भविष्य भी अच्छा बन सकेगा।

श्री महाजन ने इस और भी संकेत किया कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन का पहला खण्ड जोकि "अनुवाद" से संबंधित है सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । उन्होंने यह भी कहा कि समिति ने इस विषय में काफी गहराई और विस्तार से ध्यान दिया है और सरकार को भविष्य में कार्यान्वयन के लिए अनेक सुझाव दिए हैं ।

बम्बई केन्द्र

बम्बई के अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र का समापन समारोह 29 जून 1990 को आयोजित किया गया। इस सत्र में 6 प्रशिक्षणार्थी "उत्कृष्ट", 12 "बहुत अच्छा" और 10 "अच्छा" की कोटि में रहे । श्री सतीश चन्द्र को इस अवसर पर स्वर्ण पदक और श्री इन्द्रजीत सिंह को रजत पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर हिन्दी के वरिष्ठ प्रचारक एवं वयोवृद्ध हिन्दी सेवी श्री कांतीलाल जोशी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे । श्री जोशी ने अपने संबोधन में प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि हिन्दी के कार्य को मात्र आप हिन्दी का कार्य न समझकर उसे राष्ट्रीय कार्य समझें और इस सेवा के लिए उस ज्ञान का यथासंभव प्रयोग करें जो कि आपको केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया है ।

श्री जोशी जी का स्वागत श्रीमती इंदिरा पण्ड्या, उपनिदेशक (पश्चिम), हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग ने किया। सभा के अंत में उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण मेहता ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापन किया । समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक डा. नागेन्द्र नाथ पाण्डेय ने की श्रीमती शशिलाल प्रशिक्षण अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

बेंगलूर केन्द्र

बेंगलूर स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 19वें सत्र का समापन समारोह 29 जून 1990 को अपराह्न में 3.30 बजे आयोजित किया गया। इस अवसर पर 4 प्रशिक्षणार्थी "उत्कृष्ट" 8 "बहुत अच्छा" और 9 "अच्छा" की कोटि में रहे। श्री तापस कुमार राय तथा श्री मोहन पिल्लई को क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक प्रदान किए गए।

इस अवसर पर बेंगलूर विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष तथा हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डा. सरगु कृष्णमूर्ति जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। डा. सरगु कृष्णमूर्ति जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य बहुत ही सराहनीय कहा जा सकता है। चूंकि इस प्रकार के तकनीकी स्तर का पाठ्यक्रम देश में अन्यत्र कहीं और उपलब्ध नहीं है अतः इस प्रशिक्षण का जितना भी संभव हो लाभ आप उठाने का प्रयत्न करें। पूरे भारत में राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए अब तक अनुवाद कार्य का बहुत महत्त्व रहा है। डा. सरगुजी ने अनेक अनुवाद के अनेक गलत एव हास्यास्पद प्रसंगों को भी प्रशिक्षणार्थियों के सामने रखा और उन्होंने इस प्रकार के अनुवाद से सजग रहने के लिए कहा। अंत में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया जिसे मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थित सज्जनों ने खूब सराहा।

समारोह की अध्यक्षता केन्द्र के संयुक्त निदेशक, श्री मंगलप्रसाद ने की तथा समारोह का संचालन प्रशिक्षण अधिकारी श्री एन जी सवदत्ती ने किया।

कलकत्ता केन्द्र

केन्द्र के 11वें सत्र का समापन समारोह 28 जून 1990 को केन्द्र के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 5 प्रशिक्षणार्थी "उत्कृष्ट", 9 "बहुत अच्छा" और 5 "अच्छा" की कोटि में रहे। स्वर्ण पदक श्री योगेन्द्र सिंह ने तथा रजत पदक डा. ए. के. बैनर्जी ने प्राप्त किए। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० आर० सी० शर्मा निदेशक, इण्डियन म्यूजियम पधारें। इसके अतिरिक्त "स्को" के विधि महाप्रबंधक श्री राजपाल तथा अन्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया के हिन्दी अधिकारी श्री आर. एम. पाण्डेय द्वारा मंगलाचरण से हुआ। डा. शर्मा ने आजकल किए जा रहे अधिकांश अनुवाद के स्तर के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि आजकल जो अनुवाद किया जा रहा है वह औपचारिक अधिक है और उपयोगी अपेक्षाकृत बहुत कम। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से उभरने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चय ही लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे। उन्होंने हिन्दी भाषा के बारे में कहा कि यह भाषा बहुत अधिक वैज्ञानिक है तथा इतनी सशक्त है कि इसकी अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं की भांति वर्तनी की समस्या उठ ही नहीं सकती। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार का संकल्प लेना चाहिए। अनेक अन्य उपस्थित महानुभावों ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर अनेक प्रशिक्षणार्थियों ने कविता पाठ भी किए जोकि उपस्थित महानुभावों द्वारा काफी सराहे गए।

बोकारो में अनुवाद प्रशिक्षण

बोकारो/बोकारो इस्पात संयंत्र के तत्वावधान में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा 16 अप्रैल से आरम्भ किए गए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सत्रावसान 10 मई को मूल्यांकन परीक्षा के साथ हुआ इस उपलक्ष्य में 11मई को इस्पात भवन में आयोजित दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

सम्पर्क एवं प्रशासन प्रमुख तथा हिन्दी के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री रामावतार सराफ ने प्रमाण पत्र प्रदान किए सफल प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए श्री सराफ ने कहा कि बोकारो संयंत्र हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास कर रहा है। अब सफल प्रशिक्षुओं को भी इस दिशा में भरपूर सहयोग करना चाहिये ताकि हिन्दी की प्रगति में बोकारो इस्पात प्रबन्धन को ऊंचा स्थान प्राप्त हो सके।

सार्वजनिक क्षेत्रों में पहली बार आयोजित 21 कार्य दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण में सफल हुए। 31 कर्मचारियों में उत्कृष्टता के आधार पर चिकित्सा विभाग के सहायक श्री हेमचन्द्र झा ने स्वर्ण पदक और कोकओवन प्लाण्ट के आशुलिपिक श्री एन० के० सिंह ने रजत पदक प्राप्त कर प्रबन्धन की प्रतिष्ठा बढ़ायी है।

दीक्षान्त समारोह में उपस्थित ब्यूरो के वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी श्री मदन मोहन सिंह बिष्ट ने अनुवाद की आवश्यकता पर बल दिया और सफल कर्मचारियों को बधाई दी।

समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए हिन्दी विभाग के प्रभारी श्री योगेन्द्र साहु ने कारखाने में हिन्दी की प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए इस बात का बल दिया कि हिन्दी कार्यान्वयन में अनुवाद की समुचित व्यवस्था के लिए ही केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। □

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय

विषय :— संघ सरकार के दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तारीख 17-4-90 से 23-4-91 के दौरान संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले पूर्ण दिवसीय गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों का हिन्दी का प्रशिक्षण नियत समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा यह महसूस किया गया है कि नये भर्ती हुए कर्मचारियों को उनके प्रोबेशन के दौरान ही हिन्दी में प्रशिक्षित कर दिया जाए। अत : सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि नीचे लिखे पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में प्रगति लाने के लिए संस्थान विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

(i) संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध अधीनस्थ-कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच कार्य दिवसीय गहन हिन्दी कार्यशालाए।

(ii) प्रोबेशनों के लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम

(iii) उपनिदेशक/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशाला।

(iv) हिन्दी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

(v) राजभाषा के उपनिदेशकों और निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(vi) राजभाषा हिन्दी के संपादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(vii) फैकल्टी सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम।

(viii) हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी प्राध्यापकों (नई भर्ती) के लिए पाठ्यक्रम।

(ix) सहायक निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(x) उपनिदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(xi) हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(xii) हिन्दी आशुलिपिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

दिनांक 23-4-91 तक चलाए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का कैलेंडर

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग सातवां तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ०, काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

क्रम सं.	गहन पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम	अवधि कार्य दिवस	तिथियां	कोआर्डिनेटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	प्रबोध पाठ्यक्रम	2	25	6-11-90—10-12-90 30-1-91—5-3-91	सहायक निदेशक श्री तुराब त्रवाडी श्री के.सेन शर्मा
(ii)	प्रवीण पाठ्यक्रम	2	20	11-12-90—6-3-91 6-3-91—2-4-91	श्री तुराब त्रवाडी
(iii)	प्राज्ञ पाठ्यक्रम	3	15	12-10-90— 5-11-90 9-1-91— 29-1-91 3-4-91— 23-4-91	श्री के० सेन० शर्मा श्री एस.पी. भारद्वाज श्री तुराब त्रवाडी श्री के. सेन शर्मा
2. प्रोबेशनर्स के लिए पाठ्यक्रम					
(i)	सहायक (सीधी भर्ती)	3	15	7-1-91— 25-1-91	सहायक निदेशक श्री एस.बी. भारद्वाज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	मासिक कार्यशाला	12	5	5-11-90—9-11-90	श्री एस.पी. भारद्वाज
				3-12-90—7-12-90	
				1-1-91—7-1-91	श्री के.एन शर्मा
				4-2-91—8-2-91	श्री तुराब त्रवाडी
				4-3-91—8-3-91	श्री तुराब त्रवाडी
4.	निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशाला	2	5 अर्द्धदिवसीय	19-11-90—23-11-90	श्री एस.पी. भारद्वाज
				18-3-91—22-3-91	श्री एस.पी. भारद्वाज
5.	(1) हिन्दी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	2	5 दिन	12-11-90—16-11-90	श्री के.सेन शर्मा
				18-2-9—22-2-91	श्री तुराब त्रवाडी
	(ii) राजभाषा उपनिदेशक और निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम		5 दिन	23-8-90—29-8-90	श्री के. सेन शर्मा
6.	विविध पाठ्यक्रम				
	(i) राजभाषा हिन्दी संपादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	5 दिन	21-5-90—25-5-90	श्री तुराब त्रवाडी
	(ii) फैक्ल्टी सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम	1	5 दिन	11-2-91—15-2-91	श्री एस.पी. भारद्वाज
	(iii) हिन्दी प्राध्यापकों (नई भर्ती के लिए पाठ्यक्रम)	1	10 दिन	10-12-90—21-12-90	श्री एस.पी. भारद्वाज
	(iv) सहायक निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	5 दिन	11-3-91—15-3-91	श्री तुराब त्रवाडी
	(v) उप निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	5 दिन	26-11-90—30-11-90	श्री के. सेन शर्मा

गहन हिन्दी टाइपलेखन

कुल कक्षाएं—18 (अवधि 40 कार्य दिवस)

संख्या	दिनांक	सहायक निदेशक/को-आर्डीनेटर
1.	17-8-90 से 12-10-90	श्री शीशराम
2.	16-8-90 से 12-10-90	श्री एम.एस. कटैत
3.	16-8-90 से 12-1090	श्री सी.के.बडौला
4.	15-10-90 से 11-12-90	श्री शीश राम

हिन्दी आशुलिपि

क्रम सं.	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण का स्थान
1.	80 कार्य दिवस	16-08-1990 से 11-12-1990 तक	2ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 (जे.एंड के हाउस के सामने)
2.	80 कार्य दिवस	26-12-1990 से 19-04-1991 तक	

2808 HA/90—15

4. हिन्दी का प्रशिक्षण-प्रबोध, प्रवीण, और प्राज्ञ के तीन पाठ्यक्रम मिला कर पूरा होता है। इस बात को ध्यान में रखकर ये पाठ्यक्रम इस प्रकार भी रखे गए हैं कि प्रबोध के समाप्त होने पर ठीक अगले कार्य दिवस की प्रवीण पाठ्यक्रम आरम्भ होता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दफ्तर अपने कर्मचारी की प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के लिए एक साथ 60 कार्य दिवसों के लिए या प्रवीण और प्राज्ञ के लिए एक साथ 35 कार्य दिवसों के लिए नामित और कार्यमुक्त किए जाएं।

5. मूलतः ये पाठ्यक्रम प्रोबेशन पर चल रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हैं, लेकिन कक्षा में सीट रहने पर पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी नामित किये जाने पर प्रवेश दिया जा सकता है।

6. संस्थान के पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होते हैं। इन्हें नियत कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। ये कक्षाएं संस्थान के दिल्ली केन्द्र में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक चलाई जाती हैं। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम और हिन्दी कार्यशालाएँ संस्थान के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, राजभाषा विभाग गृह मन्त्रालय, जी.आई.प्रेस. बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड, (द्वितीय तल) कलकत्ता-700001, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उप संस्थान, दूसरा तल, नरसम्मा काम्पलेक्स, 89/1 जे.सी रोड, बैंगलूर-560002 एवं उप निदेशक (पश्चिम), हिन्दी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कामर्स हाउस, करीमभाय रोड, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई-400038 स्थित उप संस्थानों में भी इन्हीं तिथियों में चलाई जाती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थी अपनी ड्यूटी पर माने जाते हैं। प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं तथा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये सभी पाठ्यक्रम निशुल्क हैं किन्तु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की परीक्षा शुल्क के रूप में प्रबोध/प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा के लिए रुपये 50/- प्रति प्रशिक्षार्थी देने होते हैं।

7. दिल्ली से बाहर के प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास की सीमित व्यवस्था है। छात्रावास में ठहरने का किराया प्रशिक्षार्थियों से लिया जाता है। छात्रावास की सुविधा के लिए इस संस्थान को प्रशिक्षण से पहले सूचित करने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

8. हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता का निर्धारण इस प्रकार किया गया है :— प्रशिक्षण के लिए योग्यता : जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का हिन्दी का ज्ञान एस.एस.एल.सी/मैट्रिक या इससे उच्च स्तर का है उन्हें इस प्रशिक्षण से छूट है। जिनका हिन्दी का स्तर एस.एस.एल.सी/मैट्रिक स्तर से नीचे का है, वे सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण के योग्य माने गए हैं। हिन्दी जानने वाले हिन्दी भाषा/भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।

(क) **प्रबोध** : यह प्रशिक्षण प्रारम्भिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलगु और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी कर्मचारी भी जिनका हिन्दी का ज्ञान पाँचवीं कक्षा से कम स्तर का है, इसमें भाग लेते हैं।

(ख) **प्रवीण** : यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा पास कर्मचारी तथा मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी भी जिनका हिन्दी भाषा का ज्ञान आठवीं कक्षा से कम स्तर का है, इसमें भाग लेते हैं।

(ग) **प्राज्ञ** : यह अन्तिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा पास कर चुकने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा उर्दू, सिन्धी, पंजाबी और पश्तो भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं। वे सभी कर्मचारी भी जिनका हिन्दी का ज्ञान दसवीं कक्षा से कम स्तर का है, इसमें भाग लेते हैं।

9. पाठ्यक्रम :

(1) हिन्दी प्रबोध में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें इस प्रकार हैं :—

(क) प्रबोध पाठमाला।

(ख) प्रबोध अभ्यास पुस्तिका।

(2) हिन्दी प्रवीण में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें इस प्रकार हैं :—

(क) प्रवीण पाठमाला।

(ख) प्रवीण अभ्यास पुस्तिका।

(3) हिन्दी प्राज्ञ में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें इस प्रकार हैं :—

(क) प्राज्ञ पाठमाला

(ख) प्राज्ञ अभ्यास पुस्तिका

10. राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और सरकार यथाशीघ्र इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेना चाहती है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/कंपनियों, अभिकरणों, संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों, के नाम अधिक से अधिक संख्या में नामित करके इस संस्थान उप संस्थानों जैसी आवश्यकता हो में पाठ्यक्रम के आरम्भ होने से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य भेज दें। □

पृष्ठ 103 का शेष

में बैंकों ने काफी अच्छा कार्य किया है किन्तु उनका मत था कि जनसामान्य से सीधें जुड़े होने के कारण उनके द्वारा जन-सामान्य की भाषा को अपनाना और भी अधिक अपेक्षित है। हिन्दी के प्रयोग से संबंधित प्रेरणाप्रद उद्बोधन के साथ ही उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रमुख मद्दों को भी अत्यंत सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया।

तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न विद्वान् अधिकारियों ने प्रतिभागियों को बैंक में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति, बैंकिंग-हिन्दी का स्वरूप, पासबुक, वाउचर आदि हिन्दी में तैयार करना, हिन्दी में तार-प्रेषण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, हिन्दी में पत्राचार आदि की सैद्धांतिक जानकारी प्रदान की गई और समुचित अभ्यास भी कराया।

कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों के साथ सामूहिक चर्चा का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला के संबंध में उनकी ओर से "फीड बैक" भी प्राप्त की गई। इस सरअव पर एक लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला का समापन अंचल के कार्यकारी मुख्य प्रबन्धक (कार्यालय प्रशासन) श्री एस.के.साही के वक्तव्य के साथ हुआ। □

श्रद्धांजलि

हिंदी के प्रबल प्रहरी

स्वर्गीय पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी

(सन् 1893–1990)

भैया साहब के नाम से विख्यात हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का जन्म 1893 को इटावा जिले में हुआ था। प्रारम्भिक पढ़ाई इटावा में पूरी करने के बाद इलाहाबाद से उन्होंने एल.टी, एम.ए आदि की परीक्षाएं पास कीं। इलाहाबाद के हिंदीमय वातावरण का उन पर अत्यधिक प्रभाव हुआ और हिन्दी सेवा उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन गया। लंदन में शिक्षा शास्त्र में एम.ए. करने के बाद स्वदेश लौटने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकार कर लिया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री मदन मोहन मालवीय, बालकृष्ण भट्ट आदि महानुभावों के संसर्ग में रहकर और उनसे प्रेरणा पाकर सन् 1937 में उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की।

20 वर्षों तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा में "सरस्वती" का संपादन का कार्य करते हुए राजभाषा हिंदी तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं के लिए ओजपूर्ण संपादकीय तथा सारगर्भित टिप्पणियां लिखीं और हिंदी सेवियों को लेखन के लिए प्रेरित किया। "सरस्वती" के संपादन काल में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए। इसी काल में उन्होंने विनोद शर्मा उपनाम से "छेड़छाड़" में हास्य व्यंग्य कविताएं लिखीं। "राजभवन की सिगरेट दानी", "पत्नी बनाम धर्मपत्नी", तथा "मेरी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं" आदि संग्रहों में अपनी पैनी दृष्टि और तीखी कलम से विभिन्न विषयों पर हास्य-व्यंग्य की बौछार की। पुरातत्ववेता के रूप में "आधुनिक हिंदी का आदिकाल" उनकी शोधपरक रचना हिंदी साहित्य को अनुपम देन है। 'श्रीवर' उपनाम से उनकी कविताओं के संग्रह 'रत्नदीप' की 'विधना की सड़क' कविता तो विशेष उल्लेखनीय है।

हिंदी के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को वे सहन नहीं कर पाते थे। जनता ने चतुर्वेदी जी की हिंदी के लिए प्रतिबद्धता का आदर करते हुए बसंत पंचमी (31 जनवरी, 1990) को सरकारी सम्मान एक लाख रुपए की राशि से अधिक 'जनता भारत-भारती पुरस्कार' प्रदान किया और उन्होंने यह सारी राशि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को दान कर दी।

18 अगस्त, 1990 का दिन राजभाषा हिंदी के इतिहास का दुःखद दिन रहा क्योंकि इसी दिन हिंदी के प्रबल समर्थक एवं अपराजेय योद्धा ने अपने युद्ध को विराम दे दिया।

राजभाषा भारती परिवार का हिंदी के इस महान् सपूत की स्मृति को शत्-शत् नमन।

गुरू

प्रेरणा पुंज

हिन्दी सेवी श्री एन० रवीन्द्रनाथ

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, अग्निगुण्डाला इकाई के रोकड़िया श्री एन. रवीन्द्रनाथ गत वर्ष 1989 से हिन्दी में सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कम्पनी की चैक हिन्दी में लिखने की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इकाई के चैक हिन्दी में लिखकर जारी करने का काम आरम्भ किया था। इस तरह उन्होंने 5 तिमाहियों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हर तिमाही में 300 से ज्यादा चैक लिखकर जारी किए हैं। कम्पनी ने उन्हें इस सुकार्य हेतु हर तिमाही में 100/-रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया है। इसी तरह वे 30 सितम्बर 1989 को समाप्त तिमाही से कम्पनी की हिन्दी व्यवहार प्रोत्साहन योजना के तहत निर्धारित अनुसार अपना कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में कर रहे हैं। वे भुगतान वाउचर, रसीद, प्रवरण-पत्र, अग्रेषण-पत्र एवं नकद बही में प्रविष्टियां हिन्दी में कर रहे हैं।

इस प्रकार हर तिमाही में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 75 इकाईयों (हर तिमाही में करीब 7,500 शब्द) का काम करने के प्रति उन्हें कम्पनी ने अब तक 2 बार सौ-सौ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा दिसम्बर, 1989 में आयोजित प्राज्ञ परीक्षा में निजी प्रयत्नों से बैठकर 75.5% के उच्चतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण किए है। इस तरह राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग में श्री रवीन्द्रनाथ का योगदान अत्यन्त श्लाघनीय है।

हिन्दी में हस्ताक्षर : आपका आत्मसम्मान

भारत संघ की राजभाषा हिन्दी के प्रचार व प्रसार हेतु को "युवसत्ता संगठन" एवं "हिन्दी परिषद्", पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के तत्वाधान में एक अखिल भारतीय हिन्दी हस्ताक्षर प्रतियोगिता-89 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शीर्षक : "हिन्दी हस्ताक्षर आपका आत्मसम्मान" रखा गया था।

इस अद्भुत प्रतियोगिता के अन्तर्गत प्रत्येक प्रतियोगी से एक सादे कागज़ पर दो बार हस्ताक्षर करके अपने पूरे नाम व पते सहित 1 जुलाई, 1989 तक प्रविष्टियां मंगवाई थी। इस प्रतियोगिता की रोचकता व लोगों के राष्ट्र-भाषा, राजभाषा हिन्दी के प्रति प्यार के कारण देश भर के 15 विश्वविद्यालयों व 500 महाविद्यालयों के छात्रों के अतिरिक्त अध्यापकों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, श्रमिकों व राजपत्रित अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। लगभग 2,000 प्रविष्टियों में से 12 प्रतियोगियों को पुरस्कार के लिए चुना गया और सभी को विशेष प्रमाणपत्रों द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता हिस्सा लेने वाली सबसे छोटी आयु की प्रतियोगी कुमारी विश्वेन्दु बाला (आयु 8 वर्ष) हिमाचल प्रदेश से थी।

कोलाज : जसवन्त सिंह राणा,

इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में "दि ट्रिब्यून समाचार पत्र" के ब्यूरो चीफ श्री श्याम खोसला के अतिरिक्त पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. मेंहदीरत्ता तथा डॉ. भारद्वाज थे ।

निर्णायक मंडल ने अपना निष्पक्ष निर्णय घोषित करते हुए प्रतियोगियों के हस्ताक्षरों की कलात्मकता, स्पष्टता व दो बार किए गए हस्ताक्षरों की एकरूपता की ओर विशेष ध्यान दिया ।

पुरस्कार विजेताओं के नाम :

प्रथम: श्री ओंकार दत्त शर्मा, श्री सुरेन्द्र मोहन

द्वितीय : सुश्री सरिता गांधी, सुरेन्द्र विमलेश

तृतीय: श्री नरेश कुमार, अच्छर कुमार वर्मा

संतावना: श्री कृष्णकांत वर्मा, श्री अरविन्द्र सिंह, श्री तरसेम पाल गिल, श्री रवीन्द्र धमीजा, श्री जसवन्त सिंह रावत, श्री अनिल कुमार गुगनानी,

विशेष पुरस्कार : विश्वेन्दु बाला ☐

परीक्षाएं/प्रशिक्षण और हिन्दी माध्यम

अभिलेखीय अध्ययन पीठ

राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली की अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में हिंदी-अंग्रेजी दोनों में ही अध्ययन तथा परीक्षा देने की छूट उपलब्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि संचालित पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्र भी होते हैं । इसलिए केवल हिंदी में ही प्रशिक्षण देना संभव नहीं है । केवल हिंदी जानने वाले बहुत से छात्र प्रशिक्षण ले भी चुके हैं तथा प्रशिक्षण ग्रहण भी कर रहे हैं ।

□

पायलट प्रशिक्षण प्रतियोगिता में हिंदी

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आयोजित पायलट प्रशिक्ष प्रतियोगिता के लिए भविष्य में आयोजित परीक्षा में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी माध्यम भी होगा।

□

रक्षा लेखा विभाग में पदोन्नति परीक्षा

विभाग के अधीन आडिटर से अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति हेतु आयोजित एस. ए. एस. की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वर्ष 1990 से द्विभाषी अर्थात् हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित कराए जाने लगे हैं और परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का भी विकल्प दिया गया है ।

□

इंजीनियरी की परीक्षा में हिंदी विकल्प

इस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) की ए. एम. आई. ई. की भाग-ए की परीक्षा में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प वर्ष 1989 में दिया गया था । केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, श्री विनोद कुमार गौतम (रुड़की) के अनुरोध पर ए. एम. आई. ई. की भाग-बी परीक्षा में भी हिंदी विकल्प तथा भारतीय भाषाओं को दे दिया गया है। यह परीक्षा स्नातक स्तर की है और इसमें पूरे देश से लगभग पचास हजार परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं ।

□

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के 29 अगस्त, 1990 के एक विज्ञापन के अनुसार बैंगलूर क्षेत्र के विभिन्न बैंकों यथा केनरा बैंक, सिण्डीकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक आदि में प्रोबेशनरी अधिकारियों कृषि विस्तार अधिकारियों, सनदी लेखाकारों, कार्मिक/औद्योगिक/सम्पर्क अधिकारियों की चयन परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया गया है ।

इसी प्रकार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मद्रास ने इंडियन बैंक, और इंडियन ओवरसीज बैंक में 101 प्रोबेशनरी अधिकारियों तथा 52 कृषि अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी है ।

□

नाविकों की भर्ती परीक्षा भी हिंदी में

22 जून, 1990, रक्षा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार बैठक में दी गई सूचना के अनुसार तटरक्षक संगठन द्वारा नाविकों की भर्ती हेतु अगस्त, 1990 में आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र हिंदी में भी दिए जाएंगे ।

□

अधिकारी प्रशिक्षार्थी चयन परीक्षा में हिंदी माध्यम

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा 27 मई 1990 को पूरे देश में 18 केन्द्रों में उपर्युक्त परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी-दोनों भाषाओं में आयोजित की गई ।

विदेशियों के पंजीकरण के लिए

हिंदी प्रपत्रों का प्रयोग

प्रत्येक रजिस्टरीकरण रिपोर्ट अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखित रूप में चार प्रतियों में की जाएगी और इसमें विदेशियों का भारत में पता और प्ररूप की मद 2 से 10 में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां तथा उसकी मद 12 से 16 में विनिर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो समुचित हों ।

राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं लागू हैं। सरकारी काम काज में हिंदी के प्रयोग, मूल पत्राचार, मौलिक पुस्तक लेखन इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना आदि के अधीन प्रतिवर्ष मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि तथा कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है।

राजभाषा विभाग द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि से भी ऐसी ही परियोजनाएं लागू करने का अनुरोध किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपने निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन द्वारा 'हिंदी का सबसे अधिक कार्य करने वाले अनुभाग को राजभाषा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। आयोग की योजना अनुकरणीय है।

□ —संपादक

फा.सं 3/7/90-हिन्दी-I

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011

दिनांक : 6 जुलाई, 1990

परिपत्र

विषय : आयोग के कार्यालय में सबसे अधिक हिन्दी कार्यालय का कार्य करने वाले अनुभाग को राजभाषा पुरस्कार देने की योजना।

आयोग कार्यालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी सर्वाधिक कार्य करने वाले अनुभाग को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

2. इस योजना के अन्तर्गत आयोग के जिस अनुभाग में 1-7-90 से 30-6-91 तक के वर्ष में हिन्दी में सबसे अधिक काम होगा उसे 1,000/-रु. नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि मूल्यांकन समिति ठीक समझेगी तो कुछ अनुभागों को पुरस्कार भी प्रदान किए जा सकते हैं। यह राशि उस अनुभाग में संबद्ध वर्ष के दौरान काम करने वाले सभी व्यक्तियों में बराबर-बराबर वितरित की जाएगी जिनमें अनुभाग विशेष के प्रभारी अवर सचिव भी सम्मिलित किए जाएंगे।

3. उक्त वर्ष में प्रत्येक अनुभाग द्वारा किए कार्य की रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा हिन्दी 1 अनुभाग को 10 जुलाई, 91 तक भेजनी होगी। इसका निर्णय सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

4. इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक सभी अनुभागों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपनी सहमति 20 जुलाई, 1990 तक भेज दें और हिन्दी में लिखे गए गए टिप्पण, मसौदे जारी किए गए सामान्य आदेश हिन्दी में भेजे गए उत्तर तथा अपनी ओर से हिन्दी में भेजे गए मूल पत्र आदि के बारे में विवरण फाईल संख्या, तथा पृष्ठ शब्द संख्या तारीख आदि का विवरण हिन्दी में अनुभाग को भेजने के लिए अलग से रखें।

5. इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार संबंधी मामलों पर पर मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

□

भारत सरकार

अन्तरिक्ष विभाग

वर्ष 1989 के लिए हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए

विक्रम साराभाई पुरस्कार

अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हिन्दी में पुस्तकें लिखने वाले भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय किया है।

अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबधित चुने गए विषय निम्न प्रकार है—

* राकेट
* उपग्रह
* अन्तरिक्ष उपयोग
* खगोल भौतिकी
* उपग्रह संचार
* सुदूर संवेदन
* हवाई सर्वेक्षण
* अन्तरिक्ष आयुर्विज्ञान
* मौसम विज्ञान
* खगोल विज्ञान
* भू-गणित
* अन्तरिक्ष इंजीनियरी

पुरस्कार की राशि : प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में उत्कृष्ट पुस्तक को 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये केवल) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित किसी भी पुरस्कार को प्राप्त करने वाला विभाग से किसी अन्य प्रकार का लाभ अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए कोई दावा करने के हकदार नहीं होगा। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा, जिनका स्तर डिग्री/विश्वविद्यालय स्तर का होगा।

यदि किसी वर्ष में यह मालूम हो जाए कि कोई भी प्रविष्टि उचित स्तर की नहीं है, तो इस संबंध में, अन्तरिक्ष विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

वर्ष 1989 के दौरान प्रकाशित मौलिक पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा।

पाण्डुलिपि पर भी पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा, लेकिन इस शर्त पर कि पुरस्कार पाण्डुलिपि के प्रकाशन के बाद ही मिलेगा।

कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई पुस्तकों का मूल्यांकन, अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सिफारिशों के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय अन्तरिक्ष विभाग के सचिव का होगा।

कोई भी ऐसी पुस्तक, जिसे भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा निजी एजेंसी द्वारा परिचालित किसी अन्य योजना के अधीन कोई पुरस्कार आर्थिक सहायता अथवा अन्य कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, इस योजना के अधीन पुरस्कार के लिए विचार किए जाने की पात्र नही होगी।

चुनी हुई पुस्तक को अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के केन्द्रों/यूनिटों में आवश्यकतानुसार इकट्ठी खरीदी जाने के लिए सिफारिश की जायेगी।

अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारी भी उपर्युक्त योजना में भाग ले सकते हैं, पर अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों की जांच उनको उपलब्ध विशेष सुविधाओं के सन्दर्भ में की जायेगी।

उक्त योजना में भाग लेने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए संबधित सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमति, विचारार्थ प्रविष्टि भेजने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

मौलिक पुस्तकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र के अवर सचिव, अन्तरिक्ष विभाग, तृतीय तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के पास इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर भेजे जाने चाहिए। आवेदन के लिए प्रपत्र उपर्युक्त पते से निःशुल्क व्यक्तिगत रूप में अथवा डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आंध्र बैंक, बेंगलूर का सम्मान

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में राजभाषा कक्ष की स्थापना 1987 में हुई। तभी से श्री शेख जाफर साहेब ने राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला।

वर्ष 1987 से इस क्षेत्र को राजभाषा हिन्दी के उत्तम कार्यान्वयन के लिए न.रा.का.स. और उप निदेशक (का) बेंगलूर द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गए :—

क्र.स.	कार्यालय/शाखा का नाम	दिनांक
1.	आन्ध्रा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर	28-1-1988
2.	" "	28 6-1989
3.	" बेलगांव शाखा	26-9-1989
4.	" मंगलूर शाखा	12-9-1989
5.	" हुबली शाखा	23-1-1990
6.	" मंगलूर शाखा	19-2-1990

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कार्यालय ने वर्ष 1987 में उत्तम कार्यान्वयन हेतु बेंगलूर क्षेत्र को दिनांक 29-1-88 को सम्मान पत्र प्रदान किया।

गोदीवाड़ा, बम्बई, नौसेना, राजभाषा, शील्ड

केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा 1979 में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए "राजभाषा-शील्ड" योजना चालू की गई। यह योजना पश्चिम नौसेना कमान में 1985 में

शुरू की गई। इस योजना के अंतगत कमान द्वारा उस स्थापना को 'राजभाषा शील्ड" प्रदान की जाती है जिसमें एक वर्ष के दौरान हिन्दी में सबसे अधिक काम हुआ हो। इसका निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी स्थापनाओं से प्राप्त आंकड़ों एवं निरीक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1989 में नौसेना गोदीबाड़ा, बम्बई, सबसे अधिक हिन्दी में कामकाज करने वाली स्थापना के रूप में चुना गया। 03 जून. 90 को आयोजित तिमाही कमान स्टाफ बैठक में वाइस एडमिरल एस. जैन, पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम. एन, एम, ए.डी.सी., फलैग अफसर कमान-इन-चीफ ने वाइस एडमिरल आय सी राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल एडमिरल अधीक्षक नौसेना गोदीबाड़ा, बम्बई को विजेता "चल राजभाषा शील्य" प्रदान की। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस स्थापना ने द्वितीय पुरस्कार जीता था।

वाइस एडमिरल एस जैन ने विजेता स्थापनाओं को बधाई देते हुए अन्य स्थापनाओं से भी अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए कहा। इस कार्य में हिन्दी जानने वाले स्टाफ एवं अफसरों की सहायता आने वाले समय में हिन्दी के प्रयोग को और भी तेज गति दी जा सकती है।

□

आकाशवाणी भोपाल में हिन्दी प्रतियोगिताएं

आकाशवाणी भोपाल राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 29 मार्च 90 को हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सोलह अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में उन कर्मचारियों को बोनस अंक दिए गए जिनकी मातृभाषा तथा शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं रही। 91% अंक प्राप्त करने वाले श्री टी.सी. रामटेके को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्री नितिन नीलकंठ सप्रे तथा सत्येन्द्र पाल सिंह को क्रमशः 85% और 79% अंक प्राप्त हुए। इन उम्मीदवारों को पुरस्कार के साथ प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले सर्वश्री एस. डी. सिंह, गनपत सिंह ठाकुर तथा अशोक कुमार सिंह को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

28 अप्रैल 1990 को आकाशवाणी भोपाल में हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें पांच प्रतियोगियों ने भाग लिया। श्री टी.सी. रामटेके को 98% अंक प्राप्त होने के कारण प्रथम स्थान तथा कुमारी मंजुपा जुगादे और श्री अशोक कुमार सिंह को क्रमशः 86% और 82% अंक प्राप्त होने पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इन प्रतियोगियों को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह में आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जी.टी. अय्यंगार ने प्रतियोगियों की भावना की सराहना करते हुए आकाशवाणी भोपाल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का शत-प्रतिशत प्रयोग करने के लिए प्रयासरत रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करेंगे।

□

भारी वाहन निर्माणी, आवडी, मद्रास

राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, कलकत्ता द्वारा 13–15 दिसम्बर, 1989 तक भुवनेश्वर में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा विशेष हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. नुरूल हसन थे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी की वर्ष 1989 की राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत विशेष हिन्दी कार्यशाला के श्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों को श्रीमती वीणा वर्मा, संसद सदस्य द्वारा शील्ड एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। तृतीय शील्ड एवं प्रशंसा-पत्र भारी वाहन निर्माणी, आवडी, मद्रास के हिन्दी अनुवादक श्री जुगल किशोर तिवारी को मिला।

अजमेर में राजभाषा शील्ड समारोह

दिनांक 15 जून, 90 को मण्डल कार्यालय, प. रेलवे अजमेर के सभाकक्ष में राजभाषा शील्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मं. रे. प्र. श्री एल. के. सिन्हा ने की और मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष श्री जगमोहनलाल श्रीवास्तव थे। इस अवसर पर हिन्दी में सराहनीय कार्य करने के लिये 55 कर्मचारियों को तथा गृह मंत्रालय की 20 हजार शब्दों की प्रतियोगिता के 14 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह के प्रारम्भ में उपमुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मं.रे.प्र. श्री एस.पी. चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में अजमेर मण्डल में हो रही हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की संपर्क भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है। सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना हम सबका पुनीत कर्तव्य है।

अध्यक्षीय भाषण में मण्डल रेल प्रबंधक श्री एल.के. सिन्हा ने कहा कि इस मण्डल पर लगभग संपूर्ण कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा सभी अधिकारी/कर्मचारियों के प्रयास के फलस्वरूप ही इस वर्ष इस मण्डल को राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई है।

नासिक शहर में

हिन्दी टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में 3 जुलाई, 1990 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बठक श्री सु.द. इडगुंजी, महाप्रबंधक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का सूत्र संचालन श्री शेखर वि. मुर्हेकर, हिन्दी अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने किया। बैठक में नासिक नगर स्थित सरकारी कार्यालयों, बैंकों, एवं उपक्रमों के विभागाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री कृष्ण ना. मेहता और श्रीमती इंदिरा पंड्या भी उपस्थित थे।

बैठक में नासिक स्थित सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा केन्द्र सरकार के आशुलिपिकों के लिये हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण दिनांक 01 अगस्त, 1990 से आयकर आयुक्त कार्यालय, नासिक में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में समिति कार्यालय से एक परिपत्र जारी करवाने का अनुरोध श्रीमती इंदिरा पंड्या, उपनिदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ने किया।

हिन्दी आशुलिपि पुनश्चर्या कार्यक्रम

एक अनुठी शुरुआत

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 2 से 24 जुलाई, 1990 तक एक 15-कार्य-दिवसीय आशुलिपिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन हिन्दी आशुलिपिकों के लिए आयोजित किया गया था, जिनका हिन्दी में डिक्टेशन लेने का अभ्यास लगभग नगण्य सा हो गया था। इन आशुलिपिकों को इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में अभ्यास करवाया गया और अब उनमें हिन्दी में पुनः डिक्टेशन लेने की क्षमता हो गई है। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आयोजित यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भारत सरकार में अपने ढंग का अनूठा एवं पहला प्रयास है।

समापन समारोह में सचिव श्री ना. विट्ठल ने घोषणा की कि जिन 13 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है, उनके नामों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाये ताकि वे उन्हें बारी-बारी से हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए बुला सकें। हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस फैसले पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और अब वे इन आशुलिपिकों को बारी-बारी से बुला कर हिन्दी में डिक्टेशन दे रहे हैं।

पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड, वडोदरा

प्रथम जिला-स्तरीय हिन्दी एकांकी नाटक प्रतियोगिता

पैट्रोफिल्स की हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हिन्दी अनुभाग द्वारा दिनांक 23 व 24 मार्च, 1990 को जनरल एजूकेशन आडीटोरियम, एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में जिला-स्तर पर "हिन्दी एकांकी नाटक प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सरकारी कार्यालयों, बैंकों, गुजरात राज्य सरकार के कार्यालयों तथा स्थानीय संस्थाओं ने भाग लिया। यह नाटक प्रतियोगिता कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रही। इसकी पहली विशेषता यह थी कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दी नाटक प्रतियोगिता का यह प्रथम आयोजन था। एक अन्य विशेषता अहिन्दी भाषी कर्मियों द्वारा हिन्दी नाटकों की प्रस्तुति रही। इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया।

इन नाटकों में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रस्तुतियों की गई। भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों, साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित आम आदमी की जिन्दगी को लक्ष्य किए गए नाटकों की प्रस्तुति सशक्त रही तथा इन्हें खूब सराहा गया।

प्रतियोगिता में प्रस्तुत नाटकों के निर्णायक थे—रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री राजनरायण कुल श्रेष्ठ व पैट्रोफिल्स के उप-महाप्रबंधक श्री एन.डी. बैजल। प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण म्यूजिक कालेज, बड़ौदा के सेवा-निवृत्त प्रिंसिपल श्री मार्कन्ड भट्ट द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता में ओ. एन.जी.सी., बड़ौदा के नाटक "जुगलबन्दी" को प्रथम तथा पैट्रोफिल्स के नाटक "बून्द जो बन गई मौत···ई" को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अनसूयाबहेन साराभाई कन्यागृह, सेजा कुवा, ता. पादरा (बड़ौदा) के नाटक "फर्ज" एवं सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बड़ौदा के नाटक "चक्कर पॉच लाख का" को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के श्री कृष्णराव शिन्दे को नाटक "पागल" के लिए एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गुजरात विद्युत बोर्ड, बड़ौदा के श्री जन्मेजय त्रिवेदी को उनके नाटक "तीन बन्दर" के लिए प्रदान किया गया।

मुख्य अतिथि श्री मार्कन्ड ने भट्ट कहा कि पेट्रोफिल्स का प्रबन्धक-वर्ग कई सालों से शास्त्रीय संगीत से लेकर नाटक जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता रहा है, जोकि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पैट्रोफिल्स के हिन्दी अनुभाग ने जो पहली बार जिला-स्तरीय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन करके जिले के कलाकारों को मंच प्रदान किया है, वह एक अनुकरणीय कदम है। इस सफल आयोजन के लिए हिन्दी अनुभाग के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री आनन्द शर्मा तथा हिन्दी अनुभाग के कर्मचारी श्री सुरेन्द्र शर्मा व श्री देवेन्द्र गर्ग बधाई के पात्र हैं।

पैट्रोफिल्स के कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) श्री आई. टी. भट्ट ने मुख्य अतिथि एवं भाग लेने वाले सभी टीमों के कलाकारों को धन्यवाद दिया और कहा कि हम अगले वर्ष इससे भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे।

रेल तकनीकी कार्यप्रणाली सम्बन्धी पुस्तक का विमोचन

रेलव में सवारी एवं माल डिब्बों के अनुरक्षण की कार्यप्रणाली पर प्रकाशित "सवारी एवं माल डिब्बा अनुरक्षण" पुस्तक का विमोचन पूर्वोत्तर रेलव के मण्डल रेल प्रबंधक श्री कृष्णपाल सिंह 4 मई को किया। इस अवसर पर लखनऊ जं. स्थित सवारी एवं माल डिब्बा डिपो में आयोजित एक समारोह में मण्डल रेल प्रबन्धक ने कहा कि यह एक रचनात्मक प्रयास है। इससे न केवल रेल कर्मचारियों का ज्ञानवर्धन अपितु कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। हिन्दी भाषा में पूर्णतः तकनीकी पुस्तक निश्चय ही बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करती है। उन्होंने यांत्रिक विभाग के अधिकारियों और उनके सहयोगियों को इस प्रयास की सराहना करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर उपस्थित अपर मण्डल रेल प्रबन्धक कर्नल रवीन्द्र कुमार सिंह ने पुस्तक की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में भी यह एक अच्छा कदम है। मण्डल यांत्रिक इंजीनियर श्री आनन्द माधव सिंह ने इस पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

प्रारम्भ में कोचिंग डिपो अधिकारी श्री गुरवचन सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह में राजभाषा अधिकारी श्री जगतपति शरण निगम, स्टेशन अधीक्षक श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय सहित अनेक रेल पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। □

'रक्षा लेखा' संदेश का विमोचन

रक्षा लेखा मुख्य नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित "रक्षा लेखा संदेश" वार्षिक पत्रिका के प्रथमांक का विमोचन करते हुए मुख्य नियंत्रक श्री संजीव मुखर्जी ने कहा कि पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी के प्रति लोगों की साहित्यक अभिरुचि का परिचायक है। उन्होंने इसे एक प्रशंसनीय कदम बताते हुए कार्यालय में छिपी लेखकीय प्रतिभाओं को इसमें अपना रचनात्मक सहयोग देने का आग्रह किया।

माननीय नियंत्रक श्री गिरीश चन्द्र भंडारी ने पत्रिका प्रकाशन को एक साहसिक प्रयास बताते हुए इसके नियमित रूप से प्रकाशन पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन कु. सविता श्रीवास्तव हिन्दी अधिकारी ने किया।

बैंक आफ महाराष्ट्र

उत्तरी अंचल, नई दिल्ली

'उत्तरांचल दर्पण' विमोचन समारोह

पूर्व की भांति वर्ष 1989 का राजभाषा विशेषांक संयुक्तांक के रूप में प्रकाशित किया गया। विशेषांक में उत्तरी अंचल की समस्त हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करने के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अन्य अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की तत्संबंधी सामग्री भी प्रकाशित की गई। इसमें विशेष रूप से अंचल कार्यालय, मेंगलूर में किए गए श्रेष्ठतम हिन्दी कार्यान्वयन के लिए अंचल प्रबन्धक बैंक, ऑफ महाराष्ट्र, बेंगलूर बैंक की हुगली शाखा को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) बेंगलूर के द्वारा प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र क्रमानुसार प्रारम्भ में एवं अन्त में जोड़े गए हैं।

8 मई, 1990 को विमोचन समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में महाप्रबन्धक (ऋण) श्री वि. भि गांधी सहायक महाप्रबन्धक, नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री रू. ना. तावड़े, श्री रा. म. चौथाई, मुख्य प्रबन्धक, उत्तरी अंचल, श्री श्रीधर बर्वे, मुख्य प्रबन्धक, कनाट प्लेस शाखा तथा संमिश्र कार्यालय का समस्त कर्मचारीवृन्द उपस्थित थे।

समारोह के प्रारम्भ में राजभाषा अधिकारी श्री विक्रम सिंह ने उत्तरी अंचल में पत्रिका की शुरुआत एवं हिन्दी कार्यान्वयन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री आर. एस. हुगार, सहायक महाप्रबन्धक ने सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ द्वारा महाप्रबन्धक महोदय का स्वागत किया तथा श्री गांधी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनके साथ केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने हर बार यही प्रयत्न किया कि हमारा बैंक हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमेशा आगे रहे एवं हम इस कार्य में मात्र औपचारिकताएं ही पूरी नहीं करें बल्कि सभी ओर से ठोस प्रयास किए जाएं।

□

राजभाषा स्मारिका आयकर प्रभार, आगरा का विमोचन

आयकर प्रभार आगरा में दिनांक 30.3.90 को आयकर भवन के मनोरंजन कक्ष में "राजभाषा स्मारिका" विमोचन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया किया गया। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय समारोह में मुख्य अतिथि थे। मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर श्री जी. सी. अग्रवाल समारोह में अध्यक्ष थे।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के तत्वाधान में प्रकाशित "राजभाषा स्मारिका" 1989 का विमोचन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री पाण्डेय ने किया।

प्रभार में दिनांक 14.9.89 को हिन्दी दिवस और 14.9.89 से 20.9.89 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया था जिसमें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के सेवा निवृत्त प्रो. डॉ. एन. वी. राजगोपालन, मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित थे। हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रभार में निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, स्क्रूटनी प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता और मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री टी. एन. पाण्डे के कर कमलों से हिन्दी सप्ताह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

आयकर रेंज स्तर पर हिन्दी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने व स्वस्थ स्पर्धा जागृत करने के उदेश्य से प्रभार में प्रारम्भ की गयी "शील्ड योजना" के अंतर्गत हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु उपायुक्त रेंज-1 श्री आर. के. सिंह को श्री टी. एन. पाण्डेय, अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गयी।

मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्री टी. एन. पाण्डेय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

क्र.सं.	नाम व पदनाम	स्थान	पुरस्कार राशि
1.	श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, आयकर अधिकारी	प्रथम	400/-
2.	श्री एस.सी.एल. धमीजा, आयकर अधिकारी	प्रथम	400/-
3.	श्री आर.सी.वार्ष्णेय, आयकर निरीक्षक	द्वितीय	200/-
4.	श्री राम दयाल, प्रवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय	200/-
5.	श्री सी.पी. गौतम, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय	200/-
6.	श्री वी.पी. लवानियां आयकर निरीक्षक	तृतीय	150/-
7.	श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान लिपिक	तृतीय	150-/
8.	श्री कृष्ण कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	तृतीय	150/-
9.	श्री महेन्द्र कुमार, आयकर निरीक्षक	तृतीय	150/-
10.	श्री राम कुमार सक्सैना, अवर श्रेणी लि.	तृतीय	150/-

अध्यक्षीय भाषण में मुख्य आयकर आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी को हिन्दी आनी चाहिए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी के मूल प्रदेश उ. प्र. में हिन्दी को सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाने हेतु शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए लोग स्वतः मन बनायें।

मुख्य अतिथि श्री पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी एक पवित्र गंगा के समान है, जिसमें अन्य भारतीय भाषा रूपी नदियां इसमें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा के साथ अन्य भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को देवनागरी में लिखना कोई गलती नहीं है। श्री पाण्डेय ने हिन्दी कार्यशालाओं का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया और सुझाव दिया कि आयकर विभाग में अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का अच्छा अनुवाद करने और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के अच्छे निर्णयों की सामान्य भाषा में रूपान्तर करने पर भी पुरस्कार दिए जाने

चाहिए। उन्होंने कहा कि आगरा प्रभार हिन्दी के प्रसार-प्रचार में पहले से ही काफी आगे है।

अंत में आयकर आयुक्त (अपील) श्री पन्नालाल के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् समारोह का समापन हो गया।

□

हिन्दी अकादमी दिल्ली

35 युवा कवि और लेखक पुरस्कृत

"युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके जहां हम उनके उज्ज्वल भविष्य की आशा कर सकते हैं वहीं भाषा और साहित्य की निष्ठा-पूर्वक साधना का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए नवोदित लेखकों के सृजन की पहचान का बड़ा महत्त्व है।" ये शब्द सांसद प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने त्रिवेणी सभागार में हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित नवोदित लेखक पुरस्कार प्रतियोगिता—1988 के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहें।

प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि साहित्य और साहित्यकार समाज के निर्माण में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करके उनकी प्रतिभा के विकास के लिये प्रेरणा देने का प्रत्येक कार्य सराहनीय है।

समारोह में 35 नवोदित लेखकों को उनकी कहानी, कविता और एकांकी नाटकों की चुनी गई रचनाओं के लिये पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार 2100/–, द्वितीय पुरस्कार 1500/– तथा तृतीय पुरस्कार 1100/–रुपये और 500-500 रुपये के प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रतीक चिह्न एवं प्रमाणपत्र भी भेंट किया गया।

सभी पुरस्कृत विजेताओं को बधाई देते हुए हिन्दी अकादमी के सचिव डॉ. नारायणदत्त पालीवाल ने बताया कि अकादमी का यह पांचवां पुरस्कार समारोह है। अब तक अकादमी द्वारा 154 लेखकों, कवियों को पुरस्कृत किया जा चुका है। डॉ. पालीवाल ने यह जानकारी भी दी कि अकादमी युवा लेखन को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती है जिनमें युवा कवि मंच (उभरते स्वर), युवा काव्य गोष्ठी, विश्वविद्यालय कविता प्रतियोगिता, लेखक शिविर, भाषा कार्यशाला आदि प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।

प्रो. विजयेन्द्र स्नातक ने भी इस अवसर पर युवा लेखकों को सम्बोधित किया तथा विशिष्ट रूप से आमंत्रित "सारिका" पत्रिका के सम्पादक श्री अवध नारायण मुद्गल तथा डॉ. गोपाल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

साहित्यकार और विद्वान सम्मानित

राजनिवास दिल्ली में आयोजित 'सम्मान अर्पण' समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल एअर चीफ मार्शल (रिटा.) श्री अर्जन सिंह ने हिन्दी के जाने माने साहित्यकारों को सम्मानित किया। यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी अकादमी प्रतिवर्ष हिन्दी भाषा और साहित्य की सेवा के लिए साहित्यकारों के समग्र योगदान के सम्मान स्वरूप उन्हें सम्मानित करती है। 'सम्मान अर्पण' समारोह में बोलते हुए उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि "साहित्यकार सम्मान का भूखा नहीं होता है। यह तो समाज का कर्तव्य है कि वह उसे समुचित आदर दे और उसकी सेवाओं की पहचान करे। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि मैं सभी साहित्यकारों को आदर पूर्वक बधाई देता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे समय-समय पर हिन्दी की सेवा के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करते रहें।"

हिन्दी अकादमी के सचिव डॉ. नारायणदत्त पालीवाल ने समारोह का संचालन करते हुए सभी साहित्यकारों, मनीषियों और अतिथियों का स्वागत किया तथा अकादमी की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला।

सम्मानित किए जाने वाले साहित्यकारों में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर को 'शलाका सम्मान' समर्पित किया गया, जिसमें 51,000/- रु. की राशि, एक शाल, स्मृति चिह्न तथा प्रशस्ति पत्र शामिल हैं।

हिन्दी साहित्य की सेवा के लिए श्री देवेन्द्र सत्यार्थी' डॉ. ओमप्रकाश, श्रीमती मन्नू भण्डारी, श्री कमलेश्वर, श्री जगदीश चतुर्वेदी श्री केदारनाथ सिंह, श्री रमेश बक्षी, तथा श्रीमती नासिरा शर्मा को सम्मानित किया गया। हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन एवं डॉ. वेद प्रताप वैदिक को भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रभाषा सेवा एवं प्रचार तथा प्रसार के लिए डॉ. पाण्डुरंग राद तथा श्री ब्रजकिशोर शर्मा को सम्मानित किया गया। इनमें से प्रत्येक की सेवा में 21,000/-रु. की राशि, एक शाल, स्मृति चिह्न तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।

साहित्य कानन में गूलर का फूल

कृति : जीवन संदेश **लेखक : कृष्ण लाल**

पृष्ठ 120 **मूल्य 35/-**

प्रकाशक : अनिल प्रकाशन, 2619-20, न्यू मार्किट, नई सड़क, दिल्ली-110006

इस औद्योगिक युग का एक महान आश्चर्य है कागज; और उसकी सार्थकता पर चार चांद लगाने वाली है उसकी सहधर्मिणी मुद्रण-मशीन। कागज़ और प्रेस की कृपा से इतना अधिक साहित्य आ रहा है कि पढ़ा नहीं चुकता; और सच तो यह है कि साहित्य का विशाल पहाड़ खोदने पर जब चुहिया भी हाथ नहीं लगती, तब खिन्न पाठक को ऐसी कोफ्त होती है कि कुछ भी पढ़ने का उसका मन नहीं करता।

साहित्य के ऐसे ही निबिड़ कानन में गूलर के फूल के समान दृष्टिगत हुई डा. कृष्णलाल की रचना 'जीवन संदेश' जिसमें उन्होंने सचमुच गागर में सागर सफलता पूर्वक भर दिया है। छोटी-छोटी बोध-कथाओं में ऐसे-ऐसे सार-तत्त्व और गंभीर विचार-निहित हैं कि जब भी पढ़ो, कुछ नया ही हाथ लग जाएगा। यह तो एक संधनित रत्नाकर है जिसमें कितनी ही डुबकियां लगाइए और रत्न निकालते जाइए, कभी रत्न-विहीन न होगा।

पुस्तक में संगृहीत बोध-कथाएं जीवन के लिए अमूल्य संदेश तो देती ही हैं, पाठक के मन में अनजाने ही वैदिक जीवन-दर्शन की अमिट छाप भी छोड़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए 'अमृतदान' (पृष्ठ 11) की कथा में वृक्ष अपने असंख्य हाथ फैलाकर रात में (ओस के रूप में) जो कुछ प्राप्त करता है, उसे प्रातः काल उन्हीं हाथों से वितरित कर देता है। इसे पढ़कर वेद की ऋचाएं 'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर' (अर्थात् सौ हाथों से इकट्ठा करो और हजार हाथों से बांट दो) और 'त्यक्तेन भुंजिथा:' (अर्थात् त्याग करके भोग करो) एक साथ ही स्मृति-पटल पर कौंध जाती हैं। पृष्ठ 46 पर 'चरैवेति' और पृष्ठ 95 पर 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' उद्धृत ही हैं।

रचनाकार द्वारा 'क्या कभी प्रलय होगी ?' (पृष्ठ 51) में व्यक्त आर्ष विचार सृष्टिलय संबंधी वैदिक दर्शन ही नहीं, कयामत पर विश्वास रखने वाले अनेक मतावलंबियों के दर्शन को भी झकझोर देते हैं। पृष्ठ 69 की 'सूत्रधार और उसका नाटक' अनीश्वरवाद पर चोट करने वाली अत्यन्त सरल बोध-कथा है जो बालकों में भी आस्तिक भाव जाग्रत करने में समर्थ है। 'पत्नी के सुख का आधार' (पृष्ठ 82) में लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से कालिदास की सूक्ति 'गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ' की व्याख्या प्रस्तुत की है जो प्रत्येक गृहणी के लिए मननीय है।

'सब अपने स्थान पर ठीक' (पृष्ठ 83) सरीखी कई कथाएं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ईसप की या चेखव की कथाओं से होड़ लेती हैं। 'मुक्ति के लिए संघर्ष' (पृष्ठ 93) भी केवल साढ़े-तेरह पंक्तियों की ऐसी ही लघु कथा है जिसका बहुत ही सुंदर चित्रण आवरण पृष्ठ पर किया गया है। मानो कण्टकाकीर्ण जीवन-पथ पर ही जीवन के लिए उपयोगी संदेश फैले हुए हैं; बस उन्हें चुनकर अपनाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार एक-एक कथा में सूत्र रूप से विचारों की ऐसी शृंखलाएं बिंधी हुई हैं जिन्हें लिपिबद्ध करने से 120 छोटे पृष्ठों में संगृहीत ये 80 लघु कथाएं एक वृहद् ग्रंथ का रूप ले सकती हैं। हिन्दी साहित्य में विरल, यह स्वल्पतंत्र विधा प्रकाश में लाने का प्रकाशक का साहस भी स्तुत्य है। पुस्तक सभी पुस्तकालयों में रखने योग्य तो है ही, व्यक्तिगत रूप से भी बारम्बार अवगाहन करने के लिए उपलब्ध रहे तो छोटे-बड़े प्रत्येक पाठक के निजी संग्रह की एक अमूल्य निधि होगी, इसमें संदेह नहीं।

—विश्वम्भर प्रसाद 'गुप्तबन्धु'

बी-154, लोक विहार, प्रीतमपुरा, दिल्ली-110034

संपर्क भाषा भारती

संपादक : सुधेन्दु ओझा

प्रकाशक : 97, सुंदर ब्लाक, शकूरपुर विस्तार, दिल्ली-92

मूल्य : 15/- **वार्षिक सदस्यता : 145/-**

हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार तथा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को लेकर अनेक सस्थाओं तथा व्यक्तियों ने पत्र-पत्रिकाएं निकालने के प्रयास किए हैं। इनमें से पत्र-पत्रिकाएं तो कुछ समय चली तथा समय के प्रभाव में अवरुद्ध हो गई। परन्तु इससे साहसी लेखकों व बद्धिजीवियों को नवीन प्रयास करने का उत्साह कम नहीं हुआ। इस दृष्टिकोण से श्री सुधेन्दु ओझा व हिन्दी सर्वप्रिया के संचालक-गुण साधुवाद के पात्र हैं। जुलाई 1990 का अंक प्रवेशांक संपर्क भाषा भारती का प्रवेशांक अंक है और यदि यह भविष्य में किसी विशेष दिशा की ओर इंगित करता है तो वह यह है कि यह पत्रिका एक स्थिर प्रकार की पत्रिका साबित होगी।

पत्रिका का अधिकतर स्थान विभिन्न सरकारी अधिकारियों के संदेश आदि ने घेरा हुआ है जोकि प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए आश्चर्यजनक नहीं है। एक आशाजनक बात यह प्रतीत होती है कि यह खाली हिन्दी की दुंदुभि बजाने वाली पत्रिका ही नहीं रहेगी क्योंकि भाषायी विषयों को छोड़कर इसमें पहले ही अंक में तुलसी के राम की विदेश यात्रा पर डॉ. ऋचा मिश्रा तथा सिन्धु मुद्राओं के भाषा रहस्य पर डॉ. नटवर झा का लेख ज्ञानवर्द्धक है। साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के साभार उठाये गए अन्य लेख भी शामिल किए गए हैं। जिसमें शरद जोशी द्वारा लिखित बिहार पहुंच कर "नर-भसा" गए शरद जोशी नामक रचना इस गंभीरता में एक व्यंग का ही समावेश करती है। पौराणिक प्रतीकों की अदभूत भाषा पर श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने संकलित तौर पर सूचना प्रदान की है।

पत्रिका का कलेवर तथा गेटअप अच्छा है और भविष्य में जन-समर्थन मिलने के साथ-साथ इस में सुधार होने की अच्छी संभावना है। □

—श्रीमती माला प्रकाश,
जे-68, साकेत, नई दिल्ली

पराध्वनियां एवं गुण नियंत्रण

लेखक : चन्द्रशेखर पाण्डेय "आजाद"

पृष्ठ 160 मूल्य 30/-

प्रकाशक : जितेन्द्र—योगेन्द्र प्रकाशन,

224/9-ए/स्ट्रीट-1 बोकारो इस्पात नगर धनबाद (बिहार)-827009

प्रस्तुत पुस्तक क्वालिटी कन्ट्रोल की दिशा को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। मानव, पदार्थ एव व्याधी (रोग) के क्वालिटी कन्ट्रोल पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भंजित एवं अभंजित (एन०डी०टी०) की गई विधियों को दर्शाया गया है विशेष रूप से तनन (Tensile), कठोरता (Hardness) परीक्षण तथा अल्ट्रॉसानिक एवं रेडियोचित्रण (Radiography) परीक्षण पर प्रकाश डाला गया है, जो इंजीनियरिंग के छात्रों एवं इस्पात उद्योग से संबंधित तकनीशियनों के लिए काफी उपयोगी है।

लेखक ने अब तक के प्रचलित क्वालिटी कन्ट्रोल का विश्लेषण करते हुए मानवीय क्वालिटी कन्ट्रोल की आवश्यकता विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। योग की दिशा में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों की चर्चा करते हुए मानवीय क्वालिटी कन्ट्रोल पर प्रकाश डाला है। विज्ञान, धर्म और विश्व शांति के क्षेत्र में लेखक ने तथ्यों को सुलझाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

रोग निदान एवं रोग उपचार के क्षेत्र में, विशेषत: महिलाएं एवं विकलांगों के लिए बहुचर्चित "अल्ट्रासॉनिक" के प्रयोगों का भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है जो चिकित्सकों के लिए उपादेय सिद्ध हो सकता है। □

इन्दर सभा की परम्परा

लेखक : डॉ० मोहम्मद शाहिद हुसन

मूल्य : 90/— पृष्ठ : 140

प्रकाशक : सीमान्त प्रकाशन, नई दिल्ली-110002

नाटक भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बहुत लोकप्रिय रहा है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में अमानत लखनवी ने एक गीति नाट्य इन्द्र सभा की रचना की जो मंचित होने के बाद इतना लोकप्रिय हुआ कि इस शैली में अनेक भारतीय भाषाओं में नाटक लिखे गए और यह शैली लगभग एक शताब्दी तक प्रचलित रही।

'इन्दर सभा की परम्परा' में इन्दर सभा (अमानत) के अधीन तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में इन्दर सभा अमानत के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में इन्दर सभा से पूर्व प्रचलित नाट्य परम्पराओं के बारे में प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय को पुन: दो खण्डों में विभाजित किया गया है।

(क) नाटक की दरबारी परम्परा।

(ख) नाटक की लोक परम्परा।

(ग) तीसरे अध्याय में इन्दर सभाई परम्परा द्वारा परवर्ती नाटकों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की गई।

पुस्तक में लोक परम्पराओं से प्रभावित होकर जनरुचि के अनुकूल हिंदू-मुस्लिम तहजीब का संगम पेश किया गया है। इसके मंचन की विधि भी इन लोक परम्पराओं पर ही आधृत है। पुस्तक में मूल इन्दर सभा को पेश करने के साथ-साथ उस युग की परिस्थितियों और नाटक की अन्य विधाओं के बारे में भी परिचित करवाया गया है। इसकी मूल कथा के कुछ अंश और कुछ पात्र हिन्दू देवमाला की इन्दर सभा से और कुछ उर्दू की उस युग की विख्यात मसनवियों से लिए गए हैं।

पुस्तक में गज़ल और मसनवी के साथ ठुमरी बंसत, दोहे और होरी को भी शामिल किया गया। उर्दू के साथ-साथ अवधी, ब्रज और लोक-सभा का उल्लेख भी नाटक में मिलता । लेखक ने हिंदू-मुस्लिम सम्प्रदायों और उनकी भाषाओं के मिलन का स्पष्ट संकेत नाटक में किया है। कुल मिलाकर पुस्तक की रचना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अवश्य ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार का साहित्य हिंदी में बहुत कम प्रकाशित हुआ है।

पुस्तक के अन्त में मूल इन्दर सभा अमानत को देवनागरी में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वह अब देवनागरी में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। □

सुरेंद्र लाल मल्होत्रा
उप-संपादक

श्री हरिकथा (पत्रिका)

संपादक : सुरेंद्र अग्रवाल
प्रकाशक : बी-12/223, लोधी कलोनी, नई दिल्ली
पृष्ठ : सौ से अधिक।

"श्री हरिकथा" मासिक पत्रिका (वर्ष 17 अंक 8) देखकर सुखद आश्चर्य की अनुभूति हुई। प्रत्येक दृष्टि से यह एक ऐसी पत्रिका बन पड़ी है जिसमें प्रकाशित सभी रचनाएं न केवल स्तरीय हैं बल्कि विविधापूर्ण हैं।

"कलियुग में विशेष फलदायी भगवान का कल्कि अवतार" तथा डॉ. राजेन्द्र, प्रसाद वर्मा द्वारा महाभारत के नीतिपरक प्रसंग अनुशासन पर्व पर "दैव की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का वर्णन" बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है। 'लोक मान्य तिलक' तथा 'राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन' की पुण्य तिथि पर भी प्रकाशित लेख हमें इन महानुभावों की राष्ट्रप्रेम की याद दिलाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त तथा योगी अरविन्द की जयंती पर लघु लेख भी अच्छे बन पड़े हैं। "पार्वती" नारी शक्ति की प्रतीक है। भारत भूमि ही पार्वती है, भारत माता है। इस विषय की प्रस्तुति बड़े सहज और रोचक ढंग से 'पार्वती' लेख में की गई है। "बड़ों की हल्की-फुल्की बातें" की ताजगी मनमोहक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लेख "भगवान श्री कृष्ण—दिव्यतम विभूति" में कर्म में अधिकार सिद्ध करने के लिए सभी मुद्दे बड़ी तर्कपूर्ण दृष्टि से उठाए गए हैं। "स्वास्थ्य रक्षा के पंच तत्व" लेख बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

इस पत्रिका में प्रकाशित "विज्ञान और संविधान के चोटी के विद्वान् और हिन्दी" विषयक सामग्री भी पाठकों को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा देगी। □

शान्ति कुमार स्याल;
ई-43, सैक्टर-15,
नोएडा-201301

आदेश-अनुदेश

राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 20-8-90 के ज्ञापन का० संख्या 20034/5/88-अ. वि. एकक की प्रतिलिपि

विषय : वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में हिन्दी में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने को बढ़ावा दिया जाना और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन।

कृपया उपर्युक्त विषय में राजभाषा विभाग का दिनांक 10 मई, 1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/5/88-अ.वि. एकक (परिपत्र संख्या 37/88 देखें)। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, आयोगों और बैंकों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों आदि न केवल राजभाषा हिन्दी में शोध-पत्र आदि पढ़ने की छूट दी जाए बल्कि वैज्ञानिकों/तकनीशियनों और अन्य कार्मिकों को हिन्दी में पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। जिन संगोष्ठियों आदि में हिन्दी में भी शोध पत्र पढ़े जाएं उनमें हिन्दी-अंग्रेजी दुभाषिए की व्यवस्था की जाए और हिन्दी के शोध पत्र की एक प्रति उसे पढ़ने दे दी जाए ताकि वह साथ के साथ शोध पत्र का अंग्रेजी अनुवाद संगोष्ठी में भाग लेने वालों को उपलब्ध करवा सकें। केवल हिन्दी में संगोष्ठियां भी आयोजित करने का प्रयत्न किया जाए।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभागों से यह भी अनुरोध किया गया था कि सेमिनार की सिफारिश के अनुसार वे हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पेपर छापने के लिए या तो आगे निकलने वाली पत्रिकाओं में ही उन्हें छापने के प्रबन्ध करें या उनके लिए अलहैदा वैज्ञानिक पत्रिका निकालें। उन पत्रिकाओं की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी सूचना के लिए भेजने का अनुरोध किया गया था।

3. इसके पश्चात् दिनांक 21-12-1988 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/5/88 अ.वि. एकक द्वारा पुनः दिनांक 10 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को दोहराते हुए एक निर्धारित प्रोफार्मा में वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि में पढ़े गए और पढ़े जाने वाले शोध पत्रों का विवरण मांगा गया था। प्राप्त विवरणों के अनुसार संबंधित विभागों आदि का ध्यान इस विभाग के दिनांक 10 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों की ओर आकृष्ट भी किया था।

4. यह देखने में आया है कि अभी भी कई वैज्ञानिक और तकनीकी विभागों/अनुसंधानशालाओं/प्रयोगशालाओं आदि में जो वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन आदि किए जा रहे हैं, उनमें राजभाषा हिन्दी में शोध पत्र लेखन को बढ़ावा देने के बारे में वांछित कदम नहीं उठाए गए हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता के लिए और नई-नई तकनीकों को जन मानस तक पहुंचाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इस विभाग के दिनांक 10 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में यह भी आवश्यक होगा कि ऐसे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों आदि का पता लगाया जाए, जो हिन्दी में शोध पत्र तैयार करें, विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि में उन्हें पढ़ें और परिचर्चाओं में भाग लें। अनुरोध है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन हो रहे नए-नए अनुसंधानों और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए उनकी अधिकतम और नवीनतम जानकारी हिन्दी माध्यम में उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जाएं और उन प्रयासों की जानकारी समय-समय पर इस विभाग को भी देने की व्यवस्था की जाए।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति सूचित करें और की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। □

वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में हिन्दी में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उनके प्रकाशन का विवरण ।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	कार्यालय का विवरण	1.7.88 के बाद की गई वैज्ञानिक/ तकनीकी संगोष्ठी/ सम्मेलन आदि का विवरण	कितने शोध पत्र पढ़े गए	कितने हिन्दी में पढ़े गए	हिन्दी में शोध पत्र प्रस्तुत करने को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय	1.1.89 से 31.12.89 तक प्रस्तावित संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि का विवरण	टिप्पणियां

राजभाषा विभाग के का.ज्ञा.सं. 20034/5/88-अ.वि.एकक दिनांक 10-5-1988 की प्रतिलिपि

विषय : वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में हिन्दी में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने को बढ़ावा दिया जाना और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन ।

राजभाषा विभाग द्वारा 7 जनवरी, 1988 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और उच्चस्तरीय अधिकारियों का एक सेमीनार आयोजित किया गया था, जिसमें एक सुझाव दिया गया था कि सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों आदि में हिंदी में भी पेपर प्रस्तुत किए जाने की छूट दी जाए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभागों द्वारा हिंदी में पेपर छापने के लिए उच्च स्तर की अलैहदा वैज्ञानिक पत्रिकाएं निकाली जाएं या पहले से निकाली जाने वाली पत्रिकाओं में ही हिन्दी के पेपर छापे जाएं। इस बारे में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों में भी सदस्यों द्वारा समय-समय पर इस तरह के सुझाव दिए जाते रहे हैं और यह जोर दिया जाता रहा है कि वैज्ञानिक संगोष्ठियों आदि में हिंदी में भी शोध पत्र आदि पढ़े जाएं या हिंदी माध्यम की ही संगोष्ठियां आयोजित की जाएं। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्रों जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, तिरुअनंतपुरम तथा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद आदि द्वारा ऐसी उच्च स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित की जातीं रही हैं जिनमें सारे शोध पत्र वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में ही पढ़े गए। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा उचित होगा कि उक्त सुझाव को मान लिया जाए।

2. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, आयोगों और बैंकों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों आदि में न केवल राजभाषा हिंदी में शोध-पत्र आदि पढ़ने की छूट दी जाए बल्कि वैज्ञानिकों/तकनीशियनों और अन्य कार्मिकों को हिंदी में पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। जिन संगोष्ठियों आदि में हिन्दी में भी शोध पत्र पढ़े जाने है उनमें हिंदी अंग्रेजी दुभाषिए की व्यवस्था की जाए और हिंदी के शोध पत्र की एक प्रति उसे पहले दे दी जाए ताकि वो साथ के साथ शोध पत्र का अंग्रेजी अनुवाद संगोष्ठी में भाग लेने वालों को उपलब्ध करवा सकें। केवल हिंदी में संगोष्ठियां भी आयोजित करने का प्रयत्न किया जाए।

3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभागों से यह भी अनुरोध है कि सेमिनार की सिफारिश के अनुसार वे हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर पेपर छापने के लिए या तो आगे निकलने वाली पत्रिकाओं में ही उन्हें छापने के प्रबंध करें या उनके लिए अलहैदा वैज्ञानिक पत्रिका निकालें। इन पत्रिकाओं की एक प्रति कृपया राजभाषा विभाग को भी सूचना के लिए भेज दी जाए।

राजभाषा विभाग के का. ज्ञा. सं. 20034/5/88-अ वि. एकक दिनांक 21-12-1988 की प्रतिलिपि

विषय : वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में हिन्दी में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने को बढ़ावा दिया जाना और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन ।

संदर्भ : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 मई, 1988 का कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/5/88-अ. वि. एकक (परिपत्र सं. 37/88)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि में हिंदी में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने को बढ़ावा दिए जाने और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उनके प्रकाशन के बारे में इस विभाग को ऊपर बताया कार्यालय ज्ञापन देखने की कृपा करें। उक्त ज्ञापन में यह कहा गया था कि सभी प्रकार की संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों आदि में न केवल राजभाषा हिंदी में शोध पत्र आदि पढ़ने की छूट दी जाए बल्कि वैज्ञानिकों/तकनीशियनों और अन्य कार्मिकों को हिंदी में पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। केवल हिंदी में संगोष्ठी आयोजित करने का प्रयत्न करने का भी अनुरोध किया गया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर हिंदी में पेपर छापने के लिए या तो पहले से निकलने वाली

पत्रिकाओं में उन्हें छापने का प्रबंध करें या उनके लिए अलग से वैज्ञानिक पत्रिकाएं निकालें और पत्रिका की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भेजें।

इस बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी कृपया इस विभाग को साथ लगे प्रोफार्मा में समेकित करके, किंतु मंत्रालय/विभाग, संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम और निगम आदि का अलग अलग विवरण देते हुए, भिजवाने की कृपा करें। □

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 17-7-90 के का. ज्ञा. 13015/1/90-रा. भा. (घ) की प्रतिलिपि

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट खंड-2 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट खंड 2 में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश भी की है। इन सिफारिशों पर सरकार का निश्चय राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 12015/34/87 रा०भा० (त.क.) दिनांक 29 मार्च, 1990 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जा चुका है।

सिफारिश सं. 3(क):

समिति ने हिंदी आशु टाइपिंग के बारे में यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी में काम के लिए पूरा लाभ उठाया जाए।

सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग आदि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम में समुचित उपयोग करें तथा जहां उनकी संख्या के अनुरूप टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं, वहां तुरन्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं तथा यदि कोई अन्य कारण हैं जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिंदी के काम में उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरंत हटाया जाए।

निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध है कि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें हिंदी टाइपराइटर, उपर्युक्त संदर्भ साहित्य आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किन्हीं अन्य कारणों से न हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरन्त हटाया जाए। इस संदर्भ में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/1/90-रा.भा. (घ) दिनांक 2-3-90 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

सिफारिश सं. 3 (ख)

जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अनुसार 1990 के अंत तक इस में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टाइपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।

सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार वर्ष 1994-95 के अंत तक हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आशुलिपि को तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के लिए वर्तमान में शेष रहे सभी प्रशिक्षार्थी कर्मचारियों को समयबद्ध योजना के अनुसार वर्ष 1994-95 के अंत तक प्रशिक्षित करालें। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लक्ष्य में 20 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों/निकायों आदि को भी दी जाये तथा इससे संबंधित पद्धति राजभाषा विभाग को भी दी जायें। □

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 17-7-1990 के का० ज्ञा०सं० 14025/1/90 रा०भा० (घ) की प्रतिलिपि

विषय: हिंदी कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना।

गृह मंत्रालय के दिनांक 11-3-1971 कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/7/69-एच-2 व दिनांक 1-10-1973 कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-13022/3/73/हि.-2 के द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि हिंदी के माध्यम से सरकारी काम-काज करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें हिंदी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालायें स्थापित की जायें।

2. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के प्रथम खंड में मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए विभिन्न सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर एक सिफारिश कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देने के संबंध में भी है। इस बारे में समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी आवश्यक

करायी जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें। उक्त सिफारिश को सरकार ने मान लिया है तथा दिनांक 30-12-1988 को संकल्प संख्या 1/20012/1/87-रा. भा. (क-1) जारी कर दिया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने यहां हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य करायें ताकि वे अपने दैनिक काम में इसका प्रयोग कर सकें। इस संबंध में अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित किया जाए तथा इसकी जानकारी इस विभाग को दी जाए। □

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जून 1990 के का. ज्ञा० सं. 12024/10/90-रा. भा. (ख-2) की प्रतिलिपि

विषय :—राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिये यह सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में यानि हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परन्तु देखने में आया है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाए जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जा रहे हैं। लाइसेंस, परमिट करार, संविदाएं हिन्दी में भी तैयार होनी अनिवार्य हैं। कुछ मामलों में इस तरह के कागजात का हिन्दी रूपान्तर इतनी देर से जारी किया जाता है कि वह निरर्थक हो जाता है। इनमें से सामान्य आदेशों और परिपत्रों को तो अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा और आगे परिचालित किया जाना होता है और यदि उन्हें इसका हिन्दी रूपान्तर साथ-साथ नहीं मिलता तो उन्हें हिन्दी अनुवाद स्वयं कराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर समय और श्रम का दुरुपयोग होता है वहीं दूसरी ओर अनुवाद की प्रामाणिकता और एकरूपता भी नहीं रह पाती। वस्तुतः इस तरह के सभी कागजात मूल मंत्रालय/विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किये जाने अपेक्षित हैं।

अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाये कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर पहले रहे। □

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 5-6-90 के का. ज्ञा. सं.-19011/7/90-पपा.के.हि. प्र. सं./2552 की प्रतिलिपि

विषय : हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम।

उपर्युक्त विषय पर यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाओं के लिये 16 अगस्त, 1990 से पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय किया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। सरकार इस प्रशिक्षण को यथाशीघ्र पूरा कर लेना चाहती है।

2. यह देखा गया है कि नीचे लिखे तीन श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी 5 महीने तक हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाओं में नहीं जा पाते :

(1) जिन स्थानों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी शिक्षण केन्द्र नहीं हैं।

(2) प्रचालन (आपरेशन) कर्मचारी—अर्थात् वे कर्मचारी जिनके कार्य की प्रकृति या ड्यूटी का समय इस प्रकार का हो कि वे विभिन्न स्थानों में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते।

(3) प्रथम श्रेणी के अधिकारी जो इतने महत्त्वपूर्ण पदों पर होते हैं कि हिन्दी प्रशिक्षण के लिए समय नहीं निकाल पाते।

(क) केवल ऊपर बताई गई तीनों श्रेणियों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जायेगा जो गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के पात्र हैं।

(ख) इन पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित श्रेणियों के उन कर्मचारियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है :—

(1) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक/प्रधानाचार्य

(2) सांविधिक निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

3. आवेदन कैसे करें।

(क) प्रवेश के लिये निम्नलिखित प्रोफार्मा भरकर भेजें :—

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कन्ध, (हिन्दी भाषा),
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश का प्रोफार्मा

1. पाठ्यक्रम का नाम ("√" टिक मार्क करें) प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ
2. आवेदक का नाम
3. पिता/पति का नाम
4. आवेदक का डाक-पता
5. राष्ट्रीयता
6. जन्म तिथि
7. मातृभाषा
8. शैक्षिक योग्यताएं
9. पदनाम और कार्यालय का पता
10. विभाग की ओर से अग्रेषण प्रमाण-पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम:
11. आवेदक के हस्ताक्षर

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र उनके संबंधित कार्यालयों/विभागों द्वारा अग्रेषित किये जाने चाहिये। कार्यालय/विभाग कृपया यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार ऊपर पैरा-2 में बताई गई श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं और यथा स्थिति प्रबोध, प्रवीण या प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित आवेदन-पत्र उनके प्राचार्यों के माध्यम से भेजे जाने चाहिये। सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित कर्मचारियों के आवेदन-पत्र भी उचित माध्यम से भेजे जायें। अनियमितताओं पर अंकुश रखने के लिये अग्रेषण प्रमाण-पत्र भेजने वाले अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कर्मचारी परीक्षा में अवश्य बैठें। पत्राचार माध्यम से परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवारों के बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से पास की है। पात्र होने पर वे गृह मंत्रालय के दिनांक 11-7-89 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/4/87-रा.भा.(घ) के अनुसार एक मुश्त नकद पुरस्कार पाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, अच्छे अंक प्राप्त करने पर उम्मीदवार नकद पुरस्कार पाने के भी हकदार होते हैं। कृपया अपने आवेदन-पत्र प्रभारी सहायक निदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, (हिन्दी भाषा) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, 7वां तल, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3 के नाम भेजें।

4. फोटो और प्रमाण-पत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां भेजना आवश्यक नहीं है।

5. प्रवेश का आवेदन-पत्र इस कार्यालय में दिनांक 16 जुलाई, 1990 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिये।

6. प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि से संबंधित कर्मचारियों को पुस्तकें उनके अपने कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों का संबंध है, यह माना जाता है कि उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 5-8-70 के परिपत्र संख्या एफ/16/27/70 के.वी.एस.(सी.डी.एन.) में की गई व्यवस्था के अनुसार आकस्मिकता निधि से खरीद कर पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेंगी।

7. परीक्षा शुल्क

(परीक्षाफार्म भेजते समय परीक्षा शुल्क साथ भेजा जायेगा)

निगमों/कंपनियों/बैंकों आदि के कर्मचारियों द्वारा नीचे लिखा परीक्षा शुल्क परीक्षा फार्म के साथ भेजा जाना चाहिये। यह परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा जो उप-निदेशक (परीक्षा), हिन्दी शिक्षण योजना, मयूर भवन, नई दिल्ली के नाम और स्टेट बैंक आफ इंडिया, केन्द्रीय सचिवालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली पर देय होगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परीक्षा शुल्क नहीं भेजना होगा।

निगमों/कंपनियों आदि के कर्मचारियों का परीक्षा शुल्क संबंधित निगमों, कम्पनियों द्वारा देय होगा।

1. प्रबोध—रु. 40.00
2. प्रवीण—रु. 40.00
3. प्राज्ञ—रु. 50.00

एक बार परीक्षा शुल्क जा कराने के बाद किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही अगली परीक्षा के लिये समायोजित किया जायेगा।

8. परीक्षाए :—

(क) ये तीनों पाठ्यक्रम एक-एक साल की अवधि के होंगे। परीक्षाएं मई मास में हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाओं के तिथि पत्र के अनुसार आयोजित की जायेंगी।

(ख) तीनों परीक्षाओं के लिये (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ) 100–100 अंक के दो लिखित प्रश्न-पत्र होंगे।

(ग) परीक्षा पास करने के लिये उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने होंगे, किन्तु प्रथम और द्वितीय प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंकों का योग 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

(घ) इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन के लिये 100 अंक होंगे।

आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा भेजे गये उत्तर पत्रों के आधार पर किया जायेगा ।

(च) आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को विद्यार्थियों द्वारा लिखित प्रश्न-पत्रों में प्राप्त कुल अंकों में नहीं जोड़ा जायेगा । किन्तु आंतरिक मूल्यांकन में जिन विद्यार्थियों के 40 प्रतिशत से कम अंक होंगे, उन्हें परीक्षा में सफल घोषित नहीं किया जायेगा ।

(छ) जो विद्यार्थी मई परीक्षा में नहीं बैठ पाते या फेल हो जाते हैं, वे उसी वर्ष आयोजित की जाने वाली नवम्बर की या अगले वर्ष की मई परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसकी सूचना अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को भी दे दें। □

सं. 5/10/3/89–आई. आर.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 1990

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक ।

विषय : सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी टंककों तथा आशुलिपिकों की नियुक्ति

महोदय,

मुझे भारत सरकार, राजभाषा विभाग के दिनांक 20-8-87 और 1-2-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/7/87-एस आर बी (ग) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) में जो "क" क्षेत्र में स्थित हैं, उनके पास कुल टंककों तथा आशुलिपिकों में से हिन्दी टंककों तथा आशुलिपिकों का प्रतिनिधित्व कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। हाल ही में "क" क्षेत्र में स्थित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड जारी एक विज्ञापन से यह पता चला है कि टंककों/आशुलिपिकों की कुल रिक्तियों में हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों की रिक्तियों की संख्या उचित अनुपात में नहीं थी।

2. अतः आप से अनुरोध है कि "क" क्षेत्र में स्थित अपनी शाखाओं के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को मांग पत्र भेजते समय राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा जाये । यह उचित होगा कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को मांग पत्र भेजते समय इस बारे में एक प्रमाण पत्र जारी करें कि बैंक ने अपने संगठन में हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों का अपेक्षित अनुपात पूरा कर लिया है।

3. जहां तक संभव हो बैंक ऐसे व्यक्तियों के लिए मांग पत्र भेजें जो हिंदी और अंग्रेजी टंकण तथा/या आशुलिपि जैसी भी स्थिति हो, जानते हों। इससे न केवल राजभाषा विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि बैंकों द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण पर किए जाने वाले व्यय में भी बचत होगी।

4. यहां यह भी बता देना उचित होगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 1990-91 के नवीनतम वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन हेतु हिन्दी जानने वाले तथा टंककों तथा आशुलिपिकों के अनुपात को बढ़ा कर पुनः संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है :—

क्षेत्र "क"	= 60 प्रतिशत
क्षेत्र "ख"	= 30 प्रतिशत
क्षेत्र "ग"	= 12 प्रतिशत

5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेजें ।

भवदीय

(सतपाल भाटिया) अवर सचिव □

संख्या-16/4/88-क. सं.-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29-5-90

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में भर्ती—हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हिन्दी टंकण प्रमाणपत्र को मान्यता दिया जाना ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 8 अगस्त, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/1/80-स्था (डी) में दिए गये सामान्य अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है जो अवर श्रेणी लिपिक की नियुक्ति के विनियमन/वेतन वृद्धि की मंजूरी के प्रयोजन से, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हिन्दी टंकण प्रमाणपत्र को मान्यता दिए जाने के संबंध में ।

2. उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है कि दिनांक 23-3-85 से, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा जारी

किए गए हिन्दी टंकण प्रमाणपत्र को, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके पार्टी स्पेटिंग एककों में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों के स्थायी करण के उद्देश्य से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के समकक्ष आयेगा।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को, निर्णय के अनुपालन के लिये अपने संवर्गीय एककों के ध्यान में लाए ।

डा रविन्द्र सिंह
अवर सचिव

हरियाणा सरकार

क्रमांक : 52/12[90-शि. T(4)

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग ।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला, हिसार तथा गुड़गांव मण्डल, हरियाणा के सभी आयुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (सिविल)
2. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य के सभी निगम अध्यक्ष, सभी बोर्ड अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग
3. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और हरियाणा व राज्य के सभी जिला एवं स्तर न्यायाधीश ।

विषय : हरियाणा राज्य में हिन्दी का प्रचालन ।

महोदय,

सरकार ने निर्णय लिया है, कि चूंकि हिन्दी न केवल हमारी राष्ट्रभाषा है बल्कि हरियाणा राज्य की भी भाषा है । अतः हरियाणा राज्य में सारा सरकारी कार्य हिन्दी में ही किया जाए और सभी सरकारी परिपत्र (सरकुलरस) सरकारी फाईलों पर नोटिंग, प्रारूप (ड्राफ्टिंग) एवं सभी सरकारी विज्ञाप्तियां (नोटिफीकेशन्स) इत्यादि हिन्दी में ही की जानी चाहिये । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कामकाज के दौरान एवं दूरभाष आदि पर अभिवादन भी अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में ही किया जाना चाहिये "जैसे नमस्कार" आदि ।

इन आदेशों को तुरन्त लागू समझा जाये। इस पत्र की पावती भेजते हुए सुनिश्चित करें कि भविष्य में इनकी उल्लंघना न हो।

भवदीय
संयुक्त सचिव शिक्षा

एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा और हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वह अपने अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को भी हिदायत करें कि वह मंत्रियों को प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणियों को हिन्दी में ही भेजा करें ।

ह०
संयुक्त सचिव शिक्षा

□

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा एवं संस्कृति विभाग

संख्या—भाषा–ए(6)–1/90 दिनांक 24 मार्च, 1990

कार्यालय आदेश

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को हिमाचल प्रदेश राज्य की राजभाषा घोषित हुए 12 वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने तथा सरकारी कार्य में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिसूचनाएं कार्यालय आदेश तथा निर्देश जारी किए गए । प्रशासनिक कार्यों के सम्बन्ध में 26 जनवरी, 1978 से और विधायी कार्यों तथा प्रदेश की विधानसभा की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली के संचालन के सम्बन्ध में प्रथम जून, 1979 से राजभाषा हिन्दी को लागू किया गया था । सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग संतोषजनक ही रहा है किन्तु चन्देक विभागों में तकनीकी शब्दावलियों के अभाव में इसमें शिथिलता लक्षित हुई है।

प्रदेश सरकार ने 7 मार्च, 1990 को अपनी मंत्रीमण्डल की बैठक में यह आदेश पारित किए हैं कि:—

"प्रदेश सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों एवं बोर्डों में सारा कामकाज शत-प्रतिशत हिन्दी में होगा" ।

अतः सरकार के इन उपयुक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और प्रदेश सरकार के समस्त कार्यालयों, अधीनस्थ निगमों, बोर्डों, परिषदों और इकाईयों में, सभी स्तर पर, कार्यालय ज्ञापन, आदेश नियमावलियां अर्धशासकीय पत्र, अधिनियम इत्यादि जो राजभाषा हिन्दी में ही प्रस्तुत व जारी किया जाए और अवहेलना करने वालों के विरुद्ध तत्काल अनुशानात्मक कार्यवाई की जाए- और उनकी किसी प्रकार की उदासीनता को कठोरता से लिया जाए। अंग्रेजी पाठ जहां कहीं आवश्यक हों, केवल अनुदित प्राधिकृत पाठ के रूप में ही, हिन्दी के मूल

पाठ सहित जारी किया जाए। राजभाषा हिन्दी के मूल पाठ जारी किए बिना कोई भी अधिनियमिति कार्यालय आदेश, विनियम, नियम और ज्ञापन इत्यादि विधि के अनुसार अमान्य और महत्त्वहीन होगा।

इस संदर्भ में प्रत्येक प्रशासनिक विभाग, अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रति 15 दिन के पश्चात् पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट इस विभाग को भेजते रहें। यदि प्रशासनिक कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धित कोई कठिनाई समक्ष आए तो निदेशक, भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 और विधि एवं विधायी कार्यों से सम्बन्धित हिन्दी के प्रयोग में समक्ष जाने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थापित "राजभाषा विधायी अनुभाग" से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

कृपया इस आदेश की पावती भेजी जाए।

आदेश द्वारा

मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

MGIPRRND—2808 HA/90—Sec. IV Day—dt. 31-12-90—7000

गोहाटी रिफाइनरी के महाप्रबंधक श्री एच. के. दास (दाएं से दूसरे) से हिंदी के प्रयोग के बारे में चर्चा करते हुए संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री निशिकांत महाजन (बाएं से दूसरे)। साथ में हैं अन्य अधिकारीगण। (पृ० 67)

24. हिंदी अकादमी दिल्ली : नवोदित लेखक पुरस्कार—1988 समारोह का उद्घाटन करते हुए सांसद प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा साथ में (दाएं से) सारिका के संपादक श्री अवध नारायण मुद्गल, श्रीमती आशारानी वोहरा, डा. रामलाल वर्मा तथा श्री नरेन्द्र गुप्त। (पृ० 121)

भूतपूर्व प्रधानमंत्री

संदेश

भारत कई भाषाओं और बोलियों का देश है जो उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है। एक ओर इन सभी भाषाओं का निरन्तर विकास आवश्यक है, वहां दूसरी ओर देश की एकता और अखण्डता के लिए यह भी जरूरी है कि सरकारी कार्यों में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसे अधिकतम लोग समझते हों। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिन्दी यदि अन्य भाषाओं की विशेषताओं को समेटते हुए राजभाषा के रूप में उभरती है तो यही उसकी विशेषता होगी। इससे यह स्वयं समृद्ध होगी और लोकप्रिय भी।

केन्द्रीय सरकार के काम-काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है – जो इसे जानते हैं, उनका और जो इसे पूरी तरह नहीं जानते, उनका भी। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में यह सुविधा दी गयी है कि जिन्हें अभी हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वे अपने काम-काज में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए दैनिक जीवन में आमतौर से इस्तेमाल होने वाले उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का हिन्दी में प्रयोग करने की छूट दी गयी है। सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए पुरस्कार-वितरण की कई योजनाएं भी चलायी गयी हैं।

14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से मेरी अपेक्षा है कि वे सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ायें और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

नई दिल्ली
13 सितम्बर, 1990

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डा० गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित। 1990